हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2017-18

जारीकर्ता:
अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
2018

प्रकाशन संख्या 1179
www.esaharyana.gov.in पर उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2017–18

जारीकर्ता:
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकूला
2018

विषयसूची

हरियाणा एक दृष्टि में (i-ii)

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	राज्य अर्थव्यवस्था	
अध्याय–1	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1–11
अध्याय–2	लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान	12–31
	विभागों/बोर्डो/निगमों की उपलब्धियां	
अध्याय–3	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	32–67
अध्याय–4	उद्योग, विद्युत, सड़कें तथा परिवहन	68–88
अध्याय–5	शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी	89–118
अध्याय–6	स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास	119–138
अध्याय–7	पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी विकास	139–150
अध्याय–8	सामाजिक क्षेत्र	151–170
	अनुलग्नक	171–176

***

हरियाणा एक दृष्टि में

मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
भौगोलिक क्षेत्र		वर्ग कि.मी.	44,212	32,87,469
प्रशासनिक ढांचा	फरवरी, 2018	संख्या		
(क) मण्डल			6	
(ख) जिले			22	
(ग) उप–मण्डल			73	
(घ) तहसीलें			93	
(ड़) उप–तहसीलें			49	
(च) खण्ड			140	
(छ) कस्बे	जनगणना 2011		154	
(ज) गांव (गैर आबाद सहित)	जनगणना 2011		6,841	
जनसंख्या	जनगणना 2011	संख्या		
(क) कुल			2,53,51,462	1,21,05,69,573
(ख) पुरूष			1,34,94,734	62,31,21,843
(ग) स्त्रियाँ			1,18,56,728	58,74,47,730
(घ) ग्रामीण			1,65,09,359	83,34,63,448
ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत			65.12	68.85
(ड़) शहरी			88,42,103	37,71,06,125
(च) जनसंख्या घनत्व		प्रति वर्ग कि.मी.	573	382
(छ) साक्षरता दर पुरूष		प्रतिशत	84.1	80.9
स्त्री			65.9	64.6
कुल			75.6	74.0
(ज) लिंग अनुपात		हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879	943
स्वास्थ्य आंकड़े	2016	प्रति हजार		
(क) जन्म दर				
(i) इक्टठी			20.7	20.4
(ii) ग्रामीण			22.0	22.1
(iii) शहरी			18.3	17.0
(ख) मृत्यु दर				
(i) इक्टठी			5.9	6.4
(ii) ग्रामीण			6.3	6.9
(iii) शहरी			5.1	5.4

मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति हरियाणा	स्थिति भारत
(ग) बाल मृत्यु दर	2016	प्रति हजार		
(i) इक्टठी			33	34
(ii) ग्रामीण			35	38
(iii) शहरी			27	23
(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2010–12	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	146	178
भूमि उपयोग	2014–15			
(क) वनों के अधीन क्षेत्र		प्रतिशत	4.00	21.84
(ख) निवल बोया गया क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,522	1,40,130
(ग) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			3,014	58,230
(घ) कुल बोया गया क्षेत्र			6,536	1,98,360
(ड) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			85.58	41.55
चालू जोतें	कृषि गणना 2010–11			
(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या '000'	1,617	1,37,757
(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,646	1,59,180
(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.25	1.16
विद्युत	2015–16			
(क) लगाई गई कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	6,368	3,02,088
(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	4,45,111	
(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	3,21,722	8,63,36,402
(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	59,51,401	26,30,28,328
राज्य आय (चालू कीमतों पर)	2016–17 (द्रुत अनुमान)			
(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		करोड़ रूपये	5,45,323	1,52,53,714
(ख) सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.)			4,90,250	1,38,41,591
(ग) कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन			96,607	24,84,005
(घ) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन			1,54,414	40,54,112
(ड़) सेवा क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धन			2,39,229	73,03,474
(च) प्रति व्यक्ति आय		रूपये	1,78,890	1,03,870

***

राज्य अर्थव्यवस्था

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा ने अपने अलग राज्य के गठन के समय से ही कुछ अवधि को छोड़कर उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा सा राज्य है, परन्तु 2016–17 के द्रुत अनुमानों के अनुसार राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर अनुमानित 3.6 प्रतिशत का योगदान दिया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 6,08,470.73 करोड़ रूपये दर्ज किया गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है। वर्ष 2017–18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों (2011–12) पर 8.0 प्रतिशत की वृद्वि से 4,77,736.26 करोड़ रूपये पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2017–18 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि 8.0 प्रतिशत दर्ज की गई है। वर्ष 2015–16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनन्तिम अनुमान चालू कीमतों पर 4,85,824.16 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2016–17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्रुत अनुमान चालू कीमतों पर 5,45,322.52 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए जोकि 12.2 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है। वर्ष 2015–16 में स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनन्तिम अनुमान 4,08,561.87 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2016–17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्रुत अनुमान 4,42,200.56 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए, जोकि 8.2 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू तथा स्थिर (2011–12) कीमतों पर **तालिका 1.1 व आकृति 1.1** में जबकि इसमें वास्तविक वृद्वि **तालिका 1.2 व आकृति 1.2** में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.1– हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपये)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	297538.52	297538.52
2012–13	347032.01	320911.91
2013–14	399268.12	347506.61
2014–15 (अ:)	436961.53	370399.76
2015–16 (अ:)	485824.16	408561.87
2016–17 (द्रु:)	545322.52	442200.56
2017–18 (अग्र:)	608470.73	477736.26

अ: अन्तिम अनुमान, द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

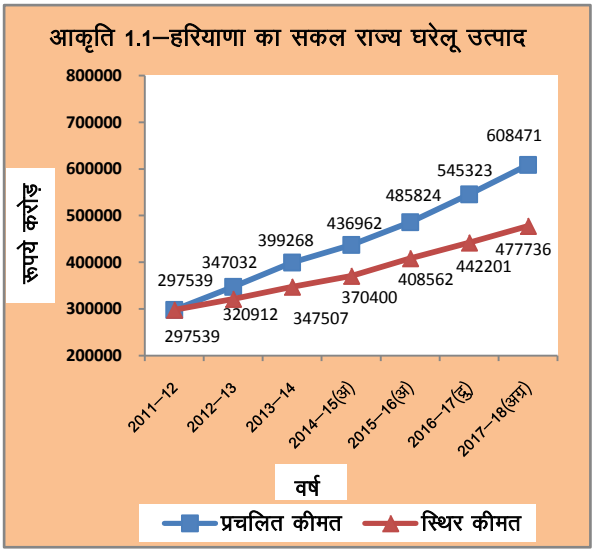

1.3 वर्ष 2014–15 के दौरान वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि 5.9 प्रतिशत दर्ज की गई। जो कि वर्ष 2015–16 के दौरान बढ़ कर 8.7 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2016–17 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर गिर कर 8.2 प्रतिशत रह गई। जिसका मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र में कम वृद्धि दर (5.09 प्रतिशत) रही । वर्ष 2017–18 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन मे पुनः गिर कर 7.6 प्रतिशत रह गई इसका मुख्य कारण कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की कम वृद्धि दर (2.4 प्रतिशत) रही । वर्ष 2017–18 में भारत के सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि 6.1 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में राज्य की सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर इससे अधिक 7.6 प्रतिशत रही (**तालिका 1.2**)।

आकृति 1.2–हरियाणा के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011–12) कीमतों पर वृद्धि

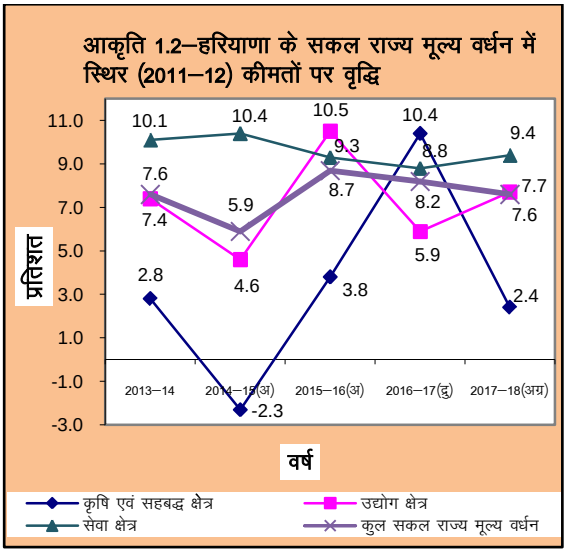

तालिका 1.2–सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	हरियाणा					अखिल भारत
	2013–14	2014–15 (अ:)	2015–16 (अ.)	2016–17 (द्रु.)	2017–18 (अग्र.)	2017–18 (अग्र.)
कृषि एवं सहबद्ध	2.8	-2.3	3.8	10.4	2.4	3.0
उद्योग	7.4	4.6	10.5	5.9	7.7	4.8
सेवा	10.1	10.4	9.3	8.8	9.4	8.3
सकल राज्य मूल्य वर्धन	7.6	5.9	8.7	8.2	7.6	6.4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	8.3	6.6	10.3	8.2	8.0	6.6

अ: अन्तिम अनुमान द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान,
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र (फसलें, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) रहा, इसके बाद सेवा क्षेत्र (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) का योगदान रहा है। उस समय, कृषि (फसले एवं पशुधन) क्षेत्र की प्रधानता अर्थव्यवस्था की विकास दर की अस्थिरता का मुख्य कारण थी जो कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव के कारण हुई। इसके बाद, राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ और जो बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा।

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षो (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर

2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना व उसके बाद की अवधि के दौरान, राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति ज्यों की त्यों जारी रही। इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र के मजबूत विकास के परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इसका अंश बढ़कर 50.9 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश घटकर 17.8 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की रचना में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश लगातार घट रहा है तथा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ रहा है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

1.7 प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर के आंकलन करने का एक दूसरा महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 1966–67 के दौरान, चालू कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **तालिका 1.3** और **आकृति 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.3–प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रूपये) हरियाणा		प्रति व्यक्ति आय (रूपये) अखिल भारत	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12	106085	106085	63462	63462
2012–13	121269	111780	70983	65538
2013–14	137770	119791	79118	68572
2014–15 (अ:)	147313	124986	86647	72805
2015–16 (अ:)	161828	136423	94731	77826
2016–17 (द्रु:)	178890	145163	103870	82229
2017–18 (अग्र.)	196982	154587	111782	86660

अ.: अन्तिम अनुमान, द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

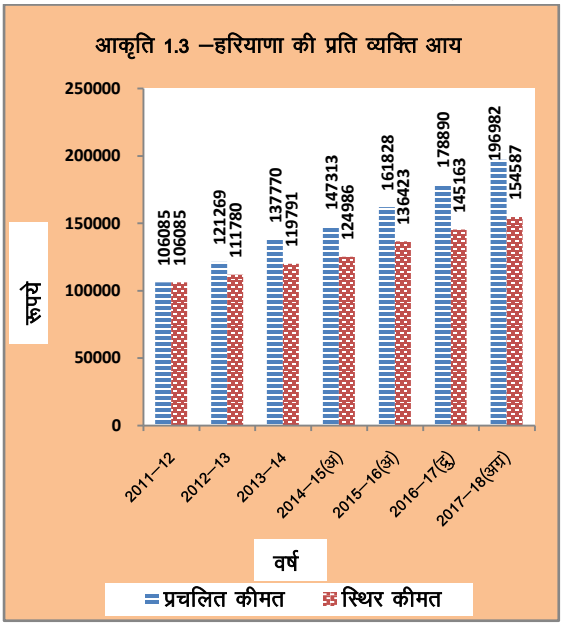

1.8 राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों (2011–12) पर 2016–17 में 1,45,163 रूपये से बढ़कर 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 1,54,587 रूपये पंहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2017–18 में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। चालू कीमतों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016–17 में 1,78,890 रूपये से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 1,96,982 रूपये होने की संभावना है जो कि 2017–18 में 10.11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यह भी देखा गया है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय चालू तथा स्थिर (2011–12) दोनों भावों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक रही है।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

1.9 कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और जनसंख्या के अधिकांश लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। राज्य में मजबूत बुनियादि सुविधाएं जैसे पक्की सडकें, ग्रामीण विद्युतीकरण, नहरों का जाल, मंडियों का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में अति वांछनिय तरक्की हुई है। इन सुविधाओं के निर्माण के साथ कृषि अनुसंधान के समर्थन और कृषि अभ्यास से सम्बन्धित सूचनाओं को किसानों के पास पहुंचाने वाले उच्च स्तरीय नेटवर्क के कारण अच्छे परिणाम मिले हैं। भोजन की कमी वाला राज्य खाद्य अधिशेष राज्य में परिवर्तित हो गया।

1.10 कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वर्ष 2017–18 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमतों (2011–12) पर कम होकर मात्र 17.8 प्रतिशत रह गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया है परन्तु हाल के अनुभवों से ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है जो लम्बी विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का निरन्तर विकास राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

1.11 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, कृषि, वानिकि एवं लोगिंग और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों से बना है। कृषि क्षेत्र जिसमें पशुपालन और फसलों की खेती शामिल है, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 92 प्रतिशत योगदान के साथ मुख्य घटक है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वानिकी और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 6 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत है जिससे इन दो उप–क्षेत्रों का कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

1.12 कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसमें दर्ज की गई विकास दर **तालिका 1.4** में दर्शायी गई है। वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की राज्य अर्थव्यवस्था में 2.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015–16 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र की विकास दर में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2016–17 के द्रुत अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 72,805.01 करोड़ रूपये आंका गया जोकि वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानों अनुसार 65,933.06 करोड़ रूपये के विरूद्ध 10.4 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन 2.4 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 74,525.82 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2017–18 में कृषि (फसलें एवं पशुपालन) क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 68,776.03 करोड़ रूपये आंका गया। इसी वर्ष के दौरान वानिकी व लोगिंग और मत्स्य उप क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन क्रमशः 2.1 तथा 36.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,146.90 करोड़ तथा 1,602.89 करोड़ रूपये आंका गया।

तालिका 1.4– कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) भावों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15(अ:)	2015–16 (अ:)	2016–17(द्रु:)	2017–18 (अग्र.)
फसलें व पशुपालन	59785.53	58589.94 (-2.0)	60492.59 (3.2)	58747.54 (-2.9)	60945.98 (3.7)	67566.20 (10.9)	68776.03 (1.8)
वानिकी तथा लोगिंग	3894.90	3772.16 (-3.2)	3677.45 (-2.5)	3896.78 (6.0)	3983.99 (2.2)	4060.74 (1.9)	4146.90 (2.1)
मत्स्य	858.43	902.89 (5.2)	855.10 (-5.3)	900.64 (5.3)	1003.09 (11.4)	1178.07 (17.4)	1602.89 (36.1)
कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	**64538.86**	**63264.99 (-2.0)**	**65025.14 (2.8)**	**63544.96 (-2.3)**	**65933.06 (3.8)**	**72805.01 (10.4)**	**74525.82 (2.4)**

अ: अनन्तिम अनुमान, द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।
स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

कृषि सूचकांक

1.13 राज्य में फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन और उपज के सूचकांक वर्ष 2007–08 से 2016–17 तक (आधार त्रैवर्षान्त 2007-08=100) दर्शाते हैं कि फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2015–16 में 133.32 था जो कि वर्ष 2016–17 में घटकर 109.83 हो जाएगा। कृषि उत्पादन सूचकांक 2015–16 में 133.83 था जो कि वर्ष 2016–17 में घटकर 122.08 होने का अनुमान है । जबकि इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक वर्ष 2015–16 में 100.38 से बढकर वर्ष 2016–17 में 111.15 हो जाएगा। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2015–16 में 115.52 से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 124.75 हो जाएगा जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2015–16 में 173.03 से घटकर वर्ष 2016–17 में 116.34 होने का अनुमान है।

उद्योग क्षेत्र

1.14 औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। इससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है।

तालिका: 1.5– औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (अ:)	2015–16 (अ:)	2016–17 (द्रु: .)	2017.18 (अग्र.)
खनन व उत्खनन	118.82	91.94 (-22.6)	272.40 (196.3)	330.89 (21.5)	687.09 (107.6)	950.03 (38.3)	1054.49 (11.0)
विर्निमाण	53286.09	63311.66 (18.8)	67459.01 (6.6)	72299.29 (7.2)	83228.39 (15.1)	88094.57 (5.8)	95734.37 (8.7)
बिजली, गैस, जलापूर्ति व अन्य सेवाएं	3446.04	3375.07 (-2.1)	2917.19 (-13.6)	3244.75 (11.2)	2932.55 (-9.6)	3565.40 (21.6)	4342.04 (21.8)
निर्माण	29759.66	27614.98 (-7.2)	30686.76 (11.1)	30148.57 (-1.8)	30353.14 (0.7)	31461.63 (3.7)	32540.76 (3.4)
उद्योग	**86610.61**	**94393.65 (9.0)**	**101335.36 (7.4)**	**106023.49 (4.6)**	**117201.18 (10.5)**	**124071.63 (5.9)**	**133671.67 (7.7)**

अ: अनन्तिम अनुमान, द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान *कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।
स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.15 विभिन्न वर्षो के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का उप–क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर को स्थिर (2011–12) मूल्यों पर **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 10.5 प्रतिशत रही। वर्ष 2014–15 के अनन्तिम अनुमानो के अनुसार 1,17,201.18 करोड़ रूपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन के मुकाबले वर्ष 2016–17 के द्रुत अनुमानों में राज्य का सकल मूल्य वर्धन 1,24,071.63 करोड़ रूपये आंका गया तथा इसमें वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,33,671.67 करोड़ रूपये आंका गया तथा इसकी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

1.16 एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में से एक हैं। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किये जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–05=100)

औद्योगिक समूह	सूचकांक	
	2013-14	**2014-15**
विनिर्माण	177.8 (2.4)	187.6 (5.5)
विद्युत	252.7 (3.8)	275.4 (9.0)
आधारभूत पदार्थ उद्योग	214.5 (1.1)	226.4 (5.5)
पूंजीगत पदार्थ उद्योग	204.8 (7.8)	239.1 (16.7)
मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग	156.7 (-9.8)	171.4 (9.4)
उपभोक्ता पदार्थ उद्योग	170.4 (9.2)	164.3 (-3.6)
(क) उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ	187.1 (4.5)	187.2 (0.1)
(ख) उपभोक्ता गैर– टिकाउ पदार्थ	158.9 (13.5)	148.5 (-6.5)
सामान्य सूचकांक	**184.0** **(2.6)**	**194.8** **(5.9)**

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.17 आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2013–14 में 184.0 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 194.8 हो गया जिसमें 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2013–14 के 177.8 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 187.6 हो गया जो गतवर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 9.0 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता हैं, क्योंकि यह वर्ष 2013–14 के 252.7 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 275.4 हो गया।

1.18 आधारभूत पदार्थो के उद्योगों जैसे रद्दी लोहा/स्टील, कोल्ड रोल्ड सीट, पाईप और टयूब, स्टेनलैसस्टील, हाई कार्बन स्टील स्टेनलैसस्टील और छड़, चादर, प्लेट आदि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 214.5 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 226.4 हो गया, जिसमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.19 पूंजीगत पदार्थो के उद्योगों जैसे चीनी मशीनरी, सी.के.डी./एस.टी.डी. टेलीफोनी अंग, एयर कम्प्रैशर, सूक्ष्मदर्शी और सभी प्रकार की तारें आदि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 204.8 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 239.1 हो गया जिसमें 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.20 मध्यवर्ती पदार्थो के उद्योगों जैसे मिश्रित धागे, पाईप, प्लास्टिक/पी.वी.सी., ईटें और टाईल(गैर–सिरेमिक), सूती पोलिस्टर, यार्न पोलिस्टर ब्लडिंड इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 156.7 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 171.4 हो गया, जोकि 9.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता हैं।

1.21 उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 170.4 से घटकर वर्ष 2014–15 में 164.3 हो गया जिसमें 3.6 प्रतिशत की कमी दर्शाता हैं। उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ उद्योग जैसे पोल और ककंरीट के खम्भें, हैल्मेट, सेफ्टी, कैब/कार के टायर तथा छत पंखे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 187.1 व वर्ष 2014–15 में 187.2 लगभग समान रहा जो केवल 0.1 प्रतिशत के परिवर्तन को दर्शाता है ।

1.22 उपभोक्ता गैर–टिकाउ वस्तु उद्योगों जैसे एच.आई.वी. जॉच कीट, पोलीथिन बैग, खाद्य तेल, सभी प्रकार का दूध, पाउडर दूध, होजरी वस्तुऍ, अन्य सूती और माल्ट बरले इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 158.9 से घटकर वर्ष 2014–15 में 148.5 हो गया जिसमें 6.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई हैं। वर्ष 2014–15 में विभिन्न औद्योगिक समूहो वर्गो के दौरान दो अंकों के स्तर पर हुई वृद्धि **अनुलग्नक 1.1 व 1.2** में दी गई हैं।

1.23 राज्य आई.आई.पी. का आधार वर्ष 2004–05 से 2011–12 बदलने का कार्य प्रगति पर है।

सेवा क्षेत्र

1.24 सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर वर्ष 2017–18 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 50.9 प्रतिशत हो गया। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था के बुनियादि ढांचे के नजदीक ले जाता है । 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से अपेक्षाकृत अधिक थी। सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर उसी समयावधि के दौरान समग्र सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर से लगातार अधिक थी। इस क्षेत्र का विकास अन्य दो क्षेत्रों के विकास की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की अवधि के दौरान भी सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान जारी रहा।

1.25 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में अच्छी विकास दर के बाद वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में क्रमशः 10.6, 10.1, 10.4 व 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015–16 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,80,700.94 करोड़ रूपये के विरूद्व वर्ष 2016–17 (द्रुत अनुमान) में 8.8 प्रतिशत की कम वृद्धि दर के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,96,679.89 करोड़ रूपये दर्ज किया गया। वर्ष 2016–17 में 8.8 प्रतिशत की कम वृद्धि दर वित्त एवं

वास्तविक सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं (7.3 प्रतिशत) और व्यापार, मुरम्मत, होटल व रेस्टोरेंट (9.3 प्रतिशत) क्षेत्र में कम विकास दर का परिणाम था। अग्रिम अनुमान 2017–18 में सेवा क्षेत्र की विकास दर 9.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन 2,15,245.06 करोड़ रूपये होने की संभावना है। इसमे व्यापार, मुरम्मत, होटल व रेस्टोरेन्ट और परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं में क्रमशः 9.4 और 9.8 की विकास दर दर्ज की गई। वित्त, वास्तविक सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं तथा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं क्षेत्र मे क्रमशः 9.1 तथा 10.1 प्रतिशत की विकास दर हासिल की गई। **(तालिका 1.7)**।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों का विकास

व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेन्ट

1.26 वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान इस क्षेत्र में क्रमशः 12.1 तथा 13.2 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की। वर्ष 2016–17 के द्रुत अनुमानों के अनुसार 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा अग्रिम अनुमान वर्ष 2017–18 में इस क्षेत्र की विकास दर 9.4 प्रतिशत होने की संभावना है।

तालिका 1.7– सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (अ.)	2015–16 (अ.)	2016–17 (द्रुः)	2017–18 (अग्र.)
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेन्ट	33107.42	36239.29 (9.5)	38434.40 (6.1)	43071.42 (12.1)	48754.37 (13.2)	53287.77 (9.3)	58271.09 (9.4)
परिवहन, भण्डारण, संचार और प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं	17276.89	18744.22 (8.5)	20469.79 (9.2)	22917.55 (12.0)	25290.17 (10.4)	27856.78 (10.1)	30600.18 (9.8)
वित्त, वास्तविक साम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं	52584.59	59475.62 (13.1)	68666.72 (15.5)	74032.96 (7.8)	80193.58 (8.3)	86053.62 (7.3)	93920.13 (9.1)
सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	19956.26	21482.82 (7.6)	22127.24 (3.0)	25263.86 (14.2)	26462.81 (4.7)	29481.72 (11.4)	32453.67 (10.1)
कुल सेवाएं	**122925.16**	**135941.93 (10.6)**	**149698.16 (10.1)**	**165285.80 (10.4)**	**180700.94 (9.3)**	**196679.89 (8.8)**	**215245.06 (9.4)**

अः अनन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान ।

* कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।

स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

परिवहन, भण्डारण एवं संचार

1.27 वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान इन क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 12.0 प्रतिशत व 10.4 प्रतिशत रही है। वर्ष 2016–17 के द्रुत अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इन क्षेत्रों की वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वित्त, वास्तविक सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाऐं

1.28 वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान इन क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 7.8, 8.3 एवं 7.3 प्रतिशत रही है। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों पर 9.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होने की सम्भावना है।

सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं

1.29 वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान इन क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 14.2, 4.7 एवं 11.4 प्रतिशत रही है। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों पर 10.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.30 अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता काफी हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करती हैं यानि अधिक पूंजी संचय, अर्थव्यवस्था की उच्च उत्पादन क्षमता। अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी

निर्माण जैसे कि उद्योगों के उपयोग, संस्थानों के प्रकार एवं परिसम्पतियों के प्रकार के आधार पर अनुमानों का संकलन करता है। प्रचलित भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2014–15 के दौरान 65,357 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान 71,116 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए। जिसमें 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । इसी प्रकार स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2014–15 के 36,158 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में 38,851 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए जिसमें 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई **(तालिका 1.8)**।

तलिका 1.8–राज्य मे सकल स्थाई पूंजी निर्माण

(करोड़ रूपये)

वर्ष	सकल स्थाई पूंजी निर्माण	
	चालू भावों पर	स्थिर (2004–05) भावों पर
2011–12	47948	30958
2012–13	53158	32041
2013–14	59134	33584
2014–15	65357	36158
2015.16 (अ:)	71116	38851

अ: अनन्तिम अनुमान

स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.31 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश स्थिर (2004–05) भावों पर 2004–05 में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 12.3 प्रतिशत हो गया है।

उद्योग क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.32 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में उद्योग क्षेत्र का अंश वर्ष 2004–05 में 55.5 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2015–16 में घटकर 53.1 प्रतिशत रह गया।

सेवा क्षेत्र में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.33 राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण में सेवा क्षेत्र का अंश वर्ष 2013–14 में 31.7 प्रतिशत था। उसके पश्चात् यह बढ़कर वर्ष 2014–15 में 32.7 प्रतिशत और 2015–16 में 34.5 प्रतिशत रहा।

आकृति 1.4–हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

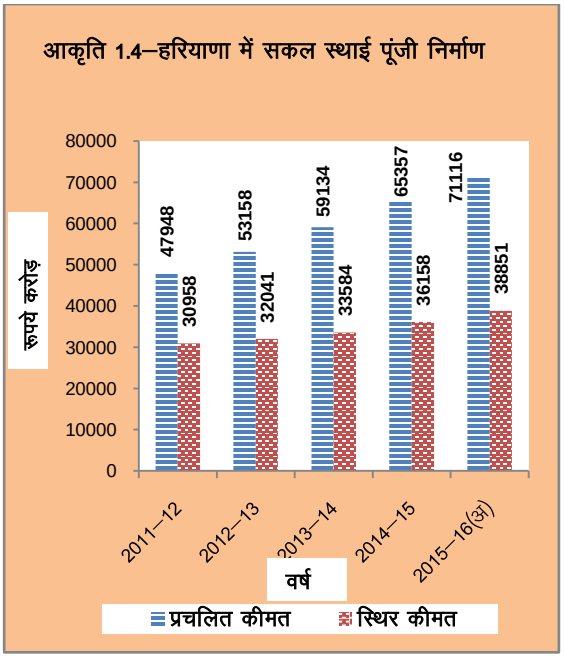

कीमतों की स्थिति

1.34 वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि,जिसे मुद्रास्फीति के रुप में मापते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति को मूल्य सूचकांक से मापते हैं। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

1.35 थोक मूल्य सूचकांक: राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980–81=100) के थोक मूल्य सूचकांक को वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2015–16 में 1317.5 से बढकर वर्ष 2016–17 में 1,349.8 हो गया जोकि 2.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2014–15 और वर्ष 2015–16 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमश: 4.8 एवं 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 1.9– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक कृषि आधार वर्ष (1980–81=100)
2012–13	1143.1
2013–14	1220.9
2014–15	1279.7
2015–16	1317.5
2016.17	1349.8

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

1.36 वर्ष के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की मास–वार गति का अध्ययन करने के लिए, थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक को **तालिका 1.10** द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह दिसम्बर, 2016 में 1,358.2 से बढ़कर दिसम्बर, 2017 में 1,390.2 अंक हो गया जोकि 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मूलतः अनाजों, दालों व अन्य फसलों के भावों में क्रमशः 3.9, 4.4 तथा 13.1 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

तालिका 1.10– हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का माहवार थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
दिसम्बर, 2016	1358.2
जनवरी, 2017	1346.1
फरवरी, 2017	1343.3
मार्च, 2017	1341.2
अप्रैल, 2017	1345.2
मई, 2017	1347.2
जून, 2017	1354.1
जुलाई, 2017	1366.3
अगस्त, 2017	1375.2
सितम्बर, 2017	1380.2
अक्तूबर, 2017	1385.0
नवम्बर, 2017	1391.1
दिसम्बर, 2017	1390.2

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

1.37 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह मजदूरी, वेतन तथा पैंशन के वास्तविक मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति के असर को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उद्देश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न 24 गांवों से, जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि और सम्बन्धित व्यवसायों में कार्यरत है, पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है।

1.38 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): खाद्याय वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2015–16 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2016–17 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2015–16 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2016–17 में 3.0 प्रतिशत रही। हरियाणा में वर्ष-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016-17 तक को **तालिका 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका– 1.11 हरियाणा में वर्षवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1988–89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2012–13	638	580
2013–14	682	620
2014–15	708	654
2015–16	741	690
2016–17	766	711

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

1.39 वर्ष के दौरान राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) की गति का मासवार दिसम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक **तालिका 1.1**2 में प्रस्तुत किया गया है जिसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यह दिसम्बर, 2016 में 703 अंक था जो कि दिसम्बर, 2017 में बढ़कर 730 अंक हो गया, जो कि 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका–1.12 हरियाणा में माहवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2016	703
जनवरी, 2017	701
फरवरी, 2017	701
मार्च, 2017	703
अप्रैल, 2017	708
मई, 2017	710
जून, 2017	716
जुलाई, 2017	726
अगस्त, 2017	730
सितम्बर, 2017	731
अक्तूबर, 2017	733
नवम्बर, 2017	730
दिसम्बर, 2017	730

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

1.40 श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2013 से 2017 तक को **तालिका 1.13** में प्रस्तुत किया गया है।

1.41 राज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रमिक वर्ग वर्ष 2016 में 1068 से बढ़कर वर्ष 2017 में 1094 हो गया जोकि 2.4 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है ।

तालिका–1.13 हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

वर्ष	सूचकांक
2013	903
2014	959
2015	1016
2016	1068
2017	1094

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

तालिका–1.14 हरियाणा में श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

मास	सूचकांक
दिसम्बर, 2016	1070
जनवरी, 2017	1067
फरवरी, 2017	1067
मार्च, 2017	1070
अप्रैल, 2017	1076
मई, 2017	1079
जून, 2017	1086
जुलाई, 2017	1104
अगस्त, 2017	1109
सितम्बर, 2017	1114
अक्तूबर, 2017	1179
नवम्बर, 2017	1121
दिसम्बर, 2017	1113

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा ।

1.42 राज्य में मास-वार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति दिसम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक को **तालिका 1.14** में प्रस्तुत किया गया है। दिसम्बर, 2016 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 1070 अंक था जो कि दिसम्बर, 2017 में बढ़कर 1113 अंक हो गया, जिसमें 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान

भारत वर्ष में हरियाणा एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित हैं; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 14 वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की तय अवधि के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रखा था। वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों के अनुसार 16,155 करोड़ रूपये (बगैर उदय) राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.61 प्रतिशत बनता है तथा उक्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार, पूर्व निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों अनुसार ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 18.74 प्रतिशत (बगैर उदय) होने का अनुमान है। कुल राजस्व प्राप्तियां (सी.आर.आर.) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमानों अनुसार 11.02 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों अनुसार 11.12 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य के अपने कर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमानों अनुसार 6.91 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों अनुसार 7.01 प्रतिशत हो जाएगी ।

आकृति 2.1–हरियाणा की राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

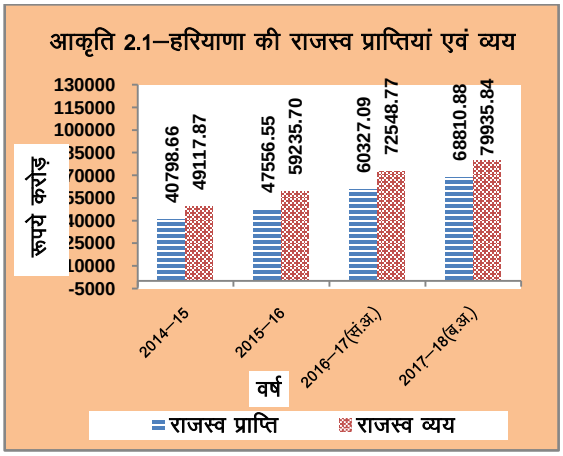

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2014–15 से 2017–18 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1** व **अनुलग्नक 2.1 से 2.3** तक में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वंय के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी व केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2017–18 (ब.अ.) के अनुसार, हरियाणा सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 68,810.88 करोड़ रूपये के

विरूद्ध व्यय 79,935.84 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जोकि 11,124.96 करोड़ रूपये (ब.अ.) के घाटे को दर्शाता है। वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 40,798.66 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 49,117.87 करोड़ रूपये था तथा इस अवधि में 8,319.21 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2015–16, में 47,556.55 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 59,235.70 करोड़ रूपये था जो कि 11,679.15 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है।

राज्य के स्वयं के स्त्रोत (कर राजस्व एवं गैर–कर राजस्व)

2.4 राज्य के अपने साधनों के मुख्य दो घटक हैं, (i) राज्य की स्वंय कर राजस्व व (ii) राज्य की स्वंय गैर–कर राजस्व। राज्य के स्वंय साधनों से राजस्व वर्ष 2014–15 में 32,247.69 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017–18 (ब.अ.) में 53,421.46 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राज्य के स्वंय कर राजस्व वर्ष 2014–15 में 27,634.57 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 43,339.74 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि इसी अवधि में गैर–कर राजस्व 4,613.12 करोड़ रूपये से बढ़कर 10,081.72 करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

कर

2.5 वर्ष 2014–15 से 2017–18 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई है। कुल कर मुख्यतया दो घटकों पर निर्भर है, नामतः i) राज्य का स्वयं कर (ओ.टी.आर.) तथा ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा (एस.सी.टी.)। राज्य का कुल कर वर्ष 2014–15 में 31,182.66 करोड़ रूपये (27,634.57 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 3,548.09 करोड़ रूपये एस. सी.टी.) से बढ़कर वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 51,711.52 करोड़ रूपये (43,339.74 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 8,371.78 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) रहने का अनुमान है।

तालिका 2.1– राज्य की कर स्थिति

(करोड़ रूपये)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	कुल कर
2014–15	27634.57	3548.09	31182.66
2015–16	30929.09	5496.22	36425.31
2016–17 (स.अ.)	37841.91	7245.72	45087.63
2017–18 (ब.अ.)	43339.74	8371.78	51711.52

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डाक्यूमेंट

कर राजस्व

2.6 कर राजस्व के विवरण से पता चलता है कि बिक्री कर, कर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है तथा वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में यह 30,500 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2016–17 (स.अ.) में यह 26,400 करोड़ रूपये था। वर्ष 2016–17 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में बिक्री कर में 15.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व 6,100 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2016–17 (स.अ.) में 5,251.58 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2016–17 (स.अ.) से वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 16.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 3,900 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है जबकि वर्ष 2016–17 (स.अ.) में इस मद से 3,500 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.7 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, योजना स्कीमों में अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य गैर–योजना अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

से कुल सम्भावित प्राप्तियां 8,371.78 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2016–17 (स.अ.) में 7,245.72 करोड़ रूपये था जो कि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में वर्ष 2016–17 (स.अ.) की तुलना में 15.54 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

सहायता अनुदान

2.8 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 7,017.64 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2016–17 (स.अ.) में यह राशि 7,901.63 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2016–17 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 11.19 प्रतिशत की कमी की सम्भावना है।

तालिका 2.2– केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये)

वर्ष	प्राप्त राशि
2014–15	5002.88
2015–16	6378.75
2016–17 (स.अ.)	7901.63
2017–18 (ब.अ.)	7017.64

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.9 वर्ष 2014–15 से 2017–18 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2.2** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) लोक ऋण (शुद्व)। लोकऋण का पूंजी प्राप्तियों में एक प्रमुख योगदान है। पूंजी प्राप्तियाँ वर्ष 2014–15 में 10,922.90 करोड़ रूपये से बढकर वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 22,920.69 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय

2.10 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2014–15 में 4,558.40 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 12,448.54 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जैसा कि **अनुलग्नक 2.2** में दर्शाया गया है।

2.11 विकासात्मक कुल व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं। वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 66,900.62 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2016–17 (स.अ.) में यह 61,614.19 करोड़ रूपये था। इस प्रकार इसमें में 8.58 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

आकृति 2.2– हरियाणा की पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

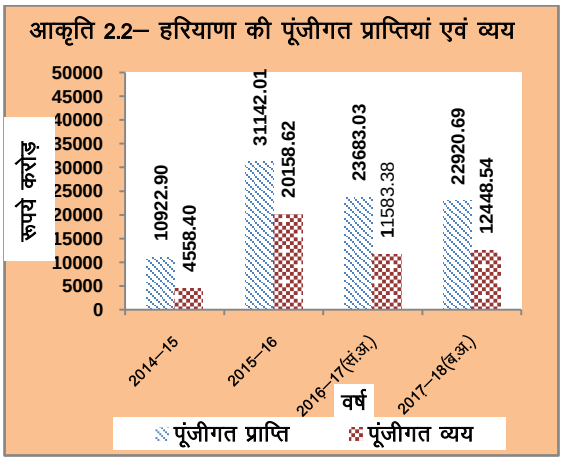

2.12 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 25,083.06 करोड़ रूपये है, जोकि वर्ष 2016–17 (स.अ.) में

22,017.96 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2016–17 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 13.92 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.13 वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में होने वाले शुद्ध लेन–देन में 222.69 करोड़ रूपये अधिशेष का अनुमान है जबकि वर्ष 2016–17 (स.अ.) में 270.57 करोड़ रूपये का अधिशेष था। राजस्व खाते में वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 11,124.96 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा में 1,305 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2016–17 (स.अ.) में 1,205 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.14 सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणीयों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे पुनः चुनने, वर्गीकृत करने तथा श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.15 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2017–18 (ब.अ.) में कुल व्यय 89,964.43 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2016–17 (स.अ.) में 83,990.68 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में वर्ष 2016–17 (स.अ.) से 7.11 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.16 राज्य सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 28,031.56 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2016–17 (स.अ.) में 26,473.86 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2017–18 (ब.अ.) में वर्ष 2016–17 (स.अ.) से 5.88 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.17 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2017–18 (ब.अ.) में 9,823.46 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2016–17 (स.अ.) में 4,837.29 करोड़ रूपये था। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत हस्तान्तरण, अग्रिम कर्जे तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती है (**अनुलग्नक 2.4**) ।

संस्थागत वित्त

2.18 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार की भूमिका बैंकिग संस्थाओं को कृषि एंव सहबद्ध क्षेत्र, विशेषतया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करना है।

2.19 राज्य में सितम्बर, 2017 को वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 4,708 थी। वाणिज्यक

बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2017 तक बढकर 3,19,469 करोड़ हो गई। इसी प्रकार बैंकों के अग्रिम ऋण की राशि भी सितम्बर, 2017 को बढ़कर 2,10,193 करोड़ रूपये हो गई थी। ऋण–जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये उपलब्ध ऋण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। सितम्बर, 2017 में ऋण–जमा अनुपात कुछ कम होकर 66 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह अनुपात 73 प्रतिशत था ।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.20 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2017–18 के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 52,515 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने का है। गत वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 का लक्ष्य 60 प्रतिशत कम है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2017–18 के अन्तर्गत सितम्बर, 2017 तक कुल उपलब्धि 44,127 करोड़ रूपये रही जो कि 55,215 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 84 प्रतिशत था (**तालिका–2.3**) ।

तालिका–2.3 हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2017–18.

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य 2017–18	उपलब्धियां (30–9–2017 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	35056	29053	83
कुटीर एवं लघु उद्योग	9555	10071	105
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	7904	5003	63
कुल	**52515**	**44127**	**84**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

2.21 बैंकों की कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण उधार उपलब्धि संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 35.056 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2017 तक 29,053 करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 83 प्रतिशत है। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि काफी संतोषजनक रही। बैंक ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए 9,555 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 10,071 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 105 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 7,904 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 5,003 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 63 प्रतिशत है।

बैंकवार उपलब्धि वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.22 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2017–18 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2017 तक 38,036 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 44,892 करोड़ रूपये था। जोकि वार्षिक लक्ष्य का 85 प्रतिशत है। वर्ष 2017–18 में इन बैंको द्वारा दिया गया ऋण **तालिका–2.4** में दिया गया है ।

तालिका – 2.4 हरियाणा में वर्ष 2017–18 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य 2017–18	उपलब्धियां (30–9–2017 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	28140	23660	84
कुटीर एवं लघु उद्योग	9051	9796	108
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	7701	4580	59
कुल	**44892**	**38036**	**85**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

2.23 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 23,660 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद कुटीर एवं लघु क्षेत्र के अन्तर्गत 9,796 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 4,580 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये । फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में कुटीर एवं

लघु उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक 108 प्रतिशत रही, कृषि क्षेत्र में 84 प्रतिशत रही और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 59 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.24 सितम्बर, 2017 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 7,057 करोड़ रूपये के लक्ष्यों के विरूद्ध 5,936 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 84 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5– हरियाणा में वर्ष 2017–18 में सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य 2017–18	उपलब्धियां (30–9–2017 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	6572	5305	81
कुटीर एवं लघु उद्योग	298	210	72
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	187	421	225
कुल	**7057**	**5936**	**84**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.25 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) ने सितम्बर, 2017 तक 375 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 98 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 26 प्रतिशत है। वर्ष 2017–18 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धि **तालिका 2.6** में दी गई है।

तालिका 2.6– वर्ष 2017–18 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा दिए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य 2017–18	उपलब्धियां (30–9–2017 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	344	87	25
कुटीर एवं लघु उद्योग	14	10	71
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	17	1	6
कुल	**375**	**98**	**26**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक ।

तालिका 2.7– वर्ष 2017–18 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य 2017–18	उपलब्धियां (30–9–2017 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	–.	–.	–.
कुटीर एवं लघु उद्योग	185	49	26
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	.	.	.
कुल	**185**	**49**	**26**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

लघु उद्योग विकास बैंक

2.26 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2017 तक 185 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 49 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 26 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.7** में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक लि0 की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं

ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 76 हो गई है। अब इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.28 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक लि0 ने 1–4–2016 से 31–03–2017 तक 98.34 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये जबकि वार्षिक लक्ष्य 350 करोड़ रूपये था। यह राशि वार्षिक लक्ष्य का 28.10 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 व 2017–18 (31–12–2017 तक) में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धियां **तालिका 2.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की उपलब्धियां

(करोड़ रूपये)

क्रं0स0	क्षेत्र व स्कीम	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2016–17	ऋण उपलब्धियाँ वर्ष 2016–17	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2017–18	ऋण उपलब्धियाँ 31–12–17 तक
1	लघु सिंचाई	75.00	38.34	60.00	24.98
2	कृषि मशीनीकरण	25.00	3.08	4.00	1.84
3	भूमि विकास	33.00	13.81	20.00	6.62
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	25.00	6.42	11.00	2.79
5	बागवानी एवं कृषिवानिक	23.00	11.44	15.00	6.21
6	ग्रामीण आवास योजना	29.00	5.10	8.00	2.25
7	गैर कृषि क्षेत्र	32.00	13.88	18.00	14.91
8	भूमि खरीदने हेतु	23.00	2.37	5.00	0.81
9	ग्रामीण भण्डारण	5.00	0.41	2.00	0.6
10	अन्य	80.00	3.49	7.00	1.91
	कुल	**350.00**	**98.34**	**150.00**	**62.38**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0।

क. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की गई हैः–

1. ग्रामीण आवास योजना;
2. कृषि भूमि की खरीद;
3. कम्मबाईन हारवैस्टर;
4. स्ट्रारीपर;
5. स्ट्रॉबैरी की खेती;
6. स्वयं रोजगार हेतु वाणिज्यिक डेयरी;
7. कृषि स्नातको के लिए कृषि–क्लीनिक व कृषि–व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतू योजना;
8. किसानों को दो पहिया वाहन हेतु ऋण देना;
9. पशुगृह योजना;
10. औषधिय एवं सुगन्धित पौधो के लिए ऋण;
11. सामुदायिक भवननिर्माण हेतु ऋण;
12. ग्रामीण भण्डारण योजना;
13. ग्रामीण शिक्षा के लिए ढांचागत संरचना विकास हेतु ऋण;
14. विवाह समारोह स्थल, सभी प्रकार की सूचना एवमं प्रौधोगिकी सम्बन्धित क्रियाएं व अन्य सेवाएं;
15. बैंक ने बेकार बन्द टयूवलो की जगह नए सबमर्सिबल टयूबवैल लगवाने हेतु नई स्कीम चालू की गई है।

ख. इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा किसानों के व्यापक हित के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है :–

1. कृषि हेतु जमीन खरीदने के लिए ऋण की राशि 1 लाख रूपये से बढाकर 10 लाख रूपये कर दी गई है;

2. धरोहर राशि के लिए खेती की जमीन का मूल्यांकन डी.सी.रेट के आधार पर लागु किया गया है;
3. किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए अब ट्रैक्टर की कीमत के डेढ़ गुणा राशि की भूमि को रहन किया जाता है;
4. दो लाख रूपये तक के ऋण के लिए तृतीय पार्टी भुगतान खत्म कर दिया गया है;
5. गैर कृषि क्षेत्र ऋण हेतु तृतीय पार्टी की कृषि भूमि व वाणिज्यिक सम्पति को रहन रखने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई;
6. राज्य सरकार ने 15 अक्तूबर 2003 से कृषि सम्बन्धित कार्यो के लिए सहकारी ऋणों पर भूमि रहन के लिए स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया है।

2.29 बैंक ने 1–9–2017 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर पुनः निर्धारित कर 12.75 प्रतिशत कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा एल.टी.आर.सी.एफ. योजना के अधीन संशोधित ब्याज दर 8.75 प्रतिशत कर दी गई है। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने मुनाफा 2.5 प्रतिशत वार्षिक रखा जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा केवल 1.85 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

2.30 समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी प्रोत्साहन योजनाः वर्ष 2009 में राज्य सरकार ने समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी प्रोत्साहन योजना पेश की । इस योजना के अन्तर्गत 31–12–2009 तक 17,951 किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज माफी के रूप में 5.66 करोड़ रूपये की ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस योजना को 5 प्रतिशत ब्याज राहत के साथ आगे 31–3–2018 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में 1–1–2010 से 24–8–2014 तक प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में 25–8–2014 से ब्याज की दर सहमति से ब्याज में दिये जाने वाले फायदे को बढाकर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दिया था। इस योजना के तहत 25–8–2014 से 30–9–2017 तक 56,094 ऋणी किसानों को 52.37 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है।

2.31 वसूली सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना (एक मुश्त योजना)–2013ः यह योजना जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के उन चुककर्ता ऋणियों के लिये लागू की गई है जो अपने मूलधन की किस्तों एवं ब्याज का भुगतान निश्चित कारणों से 30–6–2013 तक नही कर सके। इस योजना के नियमानुसार, कोई भी चुककर्ता ऋणी 30–6–2013 तक के कुल ब्याज दायित्व बकाया ब्याज राशि सहित 50 प्रतिशत छूट का अधिकारी होगा । 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया गया दंडस्वरूप ब्याज 50:50 के अनुपात में जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। यह योजना भूमि खरीदने पर लिये गए ऋण को छोड़कर बाकि सभी उद्देश्य के ऋणों पर लागू होती है। यह योजना 31–7–2016 को समाप्त कर दी गई है।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.32 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है व राज्य में किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों एवं उद्मियों इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा जमाकर्ताओं को पिछले 51 वर्षों से सेवा उपलब्ध करवाता आ रहा है। लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तर पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार कांउटर है तथा जिला मुख्यालयों पर

19 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी 594 शाखाओं व 718 प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ के साथ 12.37 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं जिनमें से अधिकतम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।

2.33 हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर, 1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब एक उत्कृष्ट ऋण पात्रों की मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में विकसित हो चुका है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की कार्य क्षमता देश के सहकारिता बैंक में सबसे अच्छी मानी गई है। 31–1–2018 तक इस बैंक की कार्यशील पूंजी 9,736.18 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.9**)।

2.34 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की (फसलवार) तुलनात्मक स्थिति **तालिका 2.10** में दर्शाई गई है ।

2.35 राज्य में अपैक्स बैंक 19 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 10 सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । स्वीकृत सीमा एवं उसकी उपयोगिता की स्थिति **तालिका 2.11** में दर्शाई गई है।

तालिका – 2.9 हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये)

क्र0स	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–2017	जनवरी, 2018
1	हिस्सा पूंजी	114.31	119.10	132.61	137.99	143.21	143.78
2	निजि कोष	524.29	538.12	566.45	756.53	800.34	777.22
3	अमानतें	2375.82	2057.34	2179.55	3104.91	3740.28	3313.94
4	उधार राशि	3655.23	3941.97	4425.04	4025.27	4300.99	4079.93
5	ऋण दिये	4909.01	5627.14	6748.60	7608.77	7397.17	5925.62
6	बकाया ऋण	4962.42	5184.58	5904.08	6318.60	5564.17	6374.87
7	लाभ/हानि	30.21	21.98	16.23	-	31.96	--
8	वसूली प्रतिशत	99.96	99.95	99.95	-	99.95	--
9	अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	0.05	0.05	0.05	-	0.05	--
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	0.05	0.05	0.05	-	0.05	--
11	कार्यशील पूंजी	6620.72	6604.68	7245.08	8029.50	9127.83	9736.18

तालिका 2.10– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार अग्रिम ऋण

(i) खरीफ फसल:- (करोड़ रूपये)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2015	4194.00	201.00	4395.00	4376.96	211.16	4588.12
2016	4600.00	227.00	4827.00	4517.79	250.09	4767.88
2017	4875.00	243.00	5118.00	4702.43	277.15	4931.16

(ii) रबी फसल:– (करोड़ रूपये)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2015-16	4483.00	305.00	4788.00	4523.94	361.06	4885.00
2016-17	4700.00	400.00	5100.00	2093.34	277.21	4378.96
2017-18	4731.00	414.00	5145.00	3091.68	239.59	3331.27 (8–1–2018 तक)

स्त्रोतः हरको बैंक।

तालिका 2.11– स्वीकृत सीमा एवं उसकी उपयोगिता

(करोड़ रूपये)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत सीमा	अपैक्स बैंक से सी.सी.बी. द्वारा उपयोगिता सीमा	सी.सी.बी. से चीनी मिल की उपयोगिता सीमा (अधिकतम अन्य स्त्रोत वर्ष के दौरान)
2013-14	597.80	120.00	503.88
2014-15	822.00	214.00	548.24
2015-16	799.90	237.00	555.46
2016-17	829.00	154.50	604.20

स्त्रोतः हरको बैंक।

2.36 रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एव डिपोजिट गारंटी स्कीमः किसानों के हितों के लिए दिसम्बर 2017 तक 12.37 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत सदस्यों द्वारा 50,000 रूपये जमा करने पर बैंक द्वारा उनकी गारन्टी दी जाती है ।

2.37 अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना हेतु पुनरूद्धार पैकेज़ का कार्यान्वयनः अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतु राज्य सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुये भारत सरकार व नाबार्ड के साथ दिनांक 20–2–2007 को एक आश्य पत्र हस्ताक्षर किया गया है। लेखा परीक्षा आधार पर पैक्स के लिए पुनरूद्धार पैकेज 701.72 करोड़ रूपये (633.80 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार का हिस्सा + 29 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा + 38.92 करोड़ रूपये पैक्स का हिस्सा) आंका गया और 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 566 समायोजित पैक्स ने अब तक 499.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। शेष राशि 163.30 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी अपेक्षित है।

2.38 भारत सरकार की ब्याज राहत योजनाः भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण का निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया तथा जिन किसानों ने वर्ष 2016–17 में फसली ऋण लिया है, के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राहत प्रदान की गई । इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 1–4–2009 से फसली ऋण की प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में समय पर अदायगी करने वाले 4,94,163 किसानों को 95.08 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई ।

2.39 राज्य ब्याज राहत योजनाः भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत की ब्याज राहत उन किसानों को प्रदान की जाएगी जिन किसानों ने वित्तिय वर्ष 2017–18 के दौरान फसली ऋण प्राप्त किया या प्राप्त करेगें और उसका देय तिथि से पूर्व या देय तिथि तक भुगतान कर दिया हो या कर देंगे। वर्ष 2016–17 में कुल 4.94 लाख किसानों को फसली ऋण पर 202.46 करोड़ रूपये (107.38 करोड़ रूपये राज्य सरकार + 95.08 करोड़ रूपये भारत सरकार) की ब्याज राहत प्रदान की गई। हरियाणा सरकार की राज्य ब्याज राहत योजना–2014 के अंतर्गत 1–3–2017 से 31–8–2017 तक प्राप्त किये गये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा फसली ऋणों की देय तिथि या उससे पूर्व अदायगी करने वाले सदस्यों को 4 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा ब्याज राहत प्रदान की जाएगी । यह स्कीम 28–2–2018 तक चलेगी। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 0 प्रतिशत होगी (7 प्रतिशत–4 प्रतिशत–3 प्रतिशत) ।

2.40 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का मात्र 5.60 रूपये के अंशदान पर 50 हजार रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 2.00 रूपये का अंशदान देना है तथा शेष 3.60 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जायेगा।

2.41 सामाजिक सुरक्षा पेंशन/भत्ते योजनाः सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पेंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत इन बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3.58 लाख पैंशनधारको के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है। पैक्स के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से राज्य में पेंशन वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य में सहकारी बैंकों ने लोक व निजि क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

2.42 राज्य की प्राईवेट शुगर मिलों को ऋणः राज्य की सहकारी चीनी मिलों को पिराई सीज़न 2016–17 में 829.00 करोड़ रूपये स्वीकृत सीमा के विरूद्ध 604.20 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण 12 प्रतिशत की ब्याज दर से प्रदान किया गया । वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 13 प्रतिशत की दर से 10 सहकारी शुगर मिलों को गन्ने की लम्बित अदायगी के लिए 76.58 करोड़ रूपये का सरल ऋण प्रदान किया गया । चीनी प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता विस्तार स्कीम (एस.ई.एफ.ए.एस.यू.)–2014 योजना के अंतर्गत सहकारी शुगर मिलों को 68.61 करोड़ रूपये का मध्यावधि ऋण 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किया गया ।

2.43 कोर बैंकिंग प्रणाली (सी.बी.एस.) तथा उपभोगताओं को सूचना प्रोद्योगिकी सेवाः हरको बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली लागू कर दी गई है और अपने ग्राहकों को आर.टी. जी.एस./एन.ई.एफ.टी. व एसएमएस एलर्ट सेवाएं और डीबीटी सेवाएं प्रदान कर रही है। हरको बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रूपये डेबिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड (ए.टी.एम. कार्ड) भी जारी किये जा रहे हैं । हरको बैंक में ए.टी.एम. मशीन लगाई जा चुकी हैं । जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपने सभी सक्रीय श्रणी सदस्यों को उधार सुविधा प्रदान करने हेतू रूपये किसान कार्ड प्रदान कर रहा है । राज्य के सभी 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स स्तर पर पोश मशीनें लगाई गई हैं । हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं ।

2.44 सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पैंशन योजना उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

2.45 हरको बैंक की भविष्य की योजनाएंः i) रबी 2017–18 के दौरान 5,145 करोड़ रूपये के फसली ऋण जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ii) वर्ष 2017–18 के दौरान सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राज्य में ए.टी.एम सुविधा प्रदान की जाएगी। iii) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में भारत सरकार की योजनाओं का अंकरूपण प्रक्रिधिन है । योजना के अन्तर्गत कुल लागत में से 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । iv) बैंक के कर्मचारियों के हित के लिए बैंक द्वारा सामुहिक बीमा योजना लागू करना विचाराधीन है । v) बैंक की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए नये निवेश व ऋण योजनाएं विचाराधीन है ।

खजाना एवं लेखा

2.46 वर्तमान में इस राज्य में 21 जिला स्तरीय खजाने तथा 85 उप खजाने कार्य कर रहे हैं जो कि राज्य के संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियॉ तथा अदायगी खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। विभाग राज्य में विभिन्न विभागों, बोर्डो एवं निगमों को अधीनस्थ लेखा सेवा के योग्य अधिकारियों/कर्मियो को उपलब्ध करवाता है। विभाग अपने अधीन लेखा प्रशिक्षण संस्थान के तहत विभिन्न विभागों मे कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को लेखा से सम्बधित प्रशिक्षण प्रदान करता है । वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 9,429 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य की संचयनिधि से निकासी (व्यय) व जमा (प्राप्तियों) का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा ई–गवर्नेंस परियोजनाऍ संचालित की जा रही हैं।

2.47 आनलाईन बजट आवंटन नियंत्रण तथा वितरण विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.एस): यह सोफ्टवेयर 1–4–2010 से कार्यान्वित किया गया है जो सफलता पूर्वक चल रहा है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बिंधत सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि आनलाईन किए जा रहे हैं। अब सभी डी.डी.ओ/विभाग, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही खर्चो का वहन कर सकते हैं। जिसकी वजह से व्यय को व्यवस्थित किया गया है ।

2.48 ई–बिलिंगःई–बिलिंग सॉफटवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में 1–4–2013 से कार्यन्वित किया गया था। सभी प्रकार के बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप डी.डी.ओ. एवं खजाना स्तर पर कार्यालय कार्यों की कुशलता में सुधार हुआ है । इस प्रणाली से लगभग सभी डी.डी.ओ. द्वारा प्रति मास 1.50 लाख के करीब बिल तैयार किऐ जाते है। कार्य में प्रादर्शिता लाने के लिए और नकद लेन देन को रोकने के लिए अब ज्यादातर भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक के खातो में सीधे तौर पर जमा किया जाता है । सभी डी.डी.ओ. को ऑन लाईन टी.डी.एस. रिर्टन भरने हेतु ई–बिलिंग में सुविधा प्रदान की गई है जिससे की चार्टड एकाउटेंट (सी.ए.) की मदद के बिना फाईल तैयार करने की सुविधा दी गई है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार (सी.ए.जी.) ने राज्य सरकार को मनुअल वाउॅचर को डिजिटल वाउॅचर (ई–वाउॅचर) में तबदील करने की मजूरी प्रदान की है । राज्य सरकार ने 1–5–2017 से चण्डीगढ़ खजाना के सभी आदान तथा वितरण अधिकारियों के यहां वाउॅचरों का प्राथमिक तौर पर अंकरूपण सफलतापूर्वक लागू किया है । अब राज्य सरकार ने फरवरी, 2018 से सभी वाउॅचरों का अंकरूपण सम्पूर्ण राज्य में अनिवार्य रूप से करने का निर्णय लिया है ।

2.49 ई–ग्रासः वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य भर में राजकीय प्राप्ति प्रणाली (ई–ग्रास) लागू की गई। विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई–चालान सृजित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार की और से धन प्राप्त करने के लिए स्टैट बैंक ऑफ इडिंया ,पंजाब नेशनल बैंक, सैट्रल बैंक ऑफ इडिंया और आई डी बी आई बैक को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने तीन बैकों, स्टैट बैंक ऑफ इडिंया ,पंजाब नेशनल बैंक और आई डी बी आई बैक के साथ पैमेंट एग्रीगेटर सेवा (पैमेंट गेटवे) लागू की है और प्रत्येक एग्रीगेटर के साथ लगभग 56 बैंको को सबंद्ध किया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर का इस्तेमाल ई–बिलींग व ई–ग्रास के लिए किया

जाएगा और इन दो प्रणालियों की इन्टिग्रेशन प्रक्रियाधीन है।

2.50 ओटिस (ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली): वैब ओटिस (ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली) सभी खजानों और उप–खजानों में दिनांक 1–7–2013 से लागू किया गया और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। खजाना/उप खजाना का सम्बंधित खजाना बैंक शाखाओं तथा महा लेखाकार कार्यालय के साथ वैब–ओटिस का एकीकरण किया गया है । इस प्रणाली के माध्यम से खजानो के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दों बार महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

2.51 ई–पोस्टः विभिन्न विभागों द्वारामांगे जाने वाले पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में 23–5–2014 से ई–पोस्ट स्वीकृती मॉडल लागू किया गया और अब सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है । सभी विभागों के मौजूदा कार्यरत कर्मचारियों का विवरण इस में दर्ज किया जा चुका है ।

2.52 ई–पेंशनः ई–पेंशन सॉफटवेयर 1–10–2012 से लागू किया गया। 1–10–2012 के बाद सभी पीपीओ धारी अपने सम्बंधित बैंक खातों में पेंशन हर महीने की पहली तारीख को पेंशन वितरण शैल (पी.डी.सी.) द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान मे 90,000 पेंशनर, पेंशन वितरण शैल से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे है। अब जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) के प्रस्तुत करने के बाद पेंशनर को किसी भी खजाना/उप–खजाना में पेंशन से संबधित कार्य के लिए आने की आवश्यकता नहीं है।

2.53 ई–स्टैंपिंगः हरियाणा में ई–स्टैंपिंग प्रणाली को दिनांक 1–3–2017 से लागू किया गया । ई स्टैंपिंग प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रूपये से अधिक मूल्यवर्ग की टिकट का ऑनलाइन स्टांप पेपर (गैर–न्यायिक) प्राप्त कर सकता है।

2.54 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.): मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण आदि के बारे मे सूचनाए दर्ज की जाती हैं। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली जून, 2016 को लागू की गई । इस प्रणाली में सभी स्थाई कर्मचारियों का सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज कर दिया है और इसे ई–सैलरी से जोड़ दिया गया है । आगे सरकार ने निर्णय लिया है कि फरवरी, 2018 से स्थानांतरण तथा ए.सी.पी. के मामले इस प्रणाली के माध्यम से किए जाएगें ।

2.55 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस): भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय भागीदारी योजनाएं और केन्द्रीय योजनाओं में बजट और व्यय के बहाव पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में लोक वित प्रबंधन प्रणाली विकसित की है । राज्य सरकार ने भी राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन कर दिया है । सरकार ने राज्य खजानों/उप–खजानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से एकीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार के साथ व्यय की भागीदारी की जाती है व सभी हितधारकों के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाया गया है । राज्य की कुछ स्कीमों को भी इस प्रणाली के तहत लागू किया जा रहा है

स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तिय प्रबंधन संस्थान

2.56 राज्य सरकार ने वित प्रबंधन के लिए स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तिय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है । यू.एन.डी.पी. की सहायता से सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के आधार पर हरियाणा अपना स्वयं का विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करने वाले कुछ चुनिन्दा राज्यों में से एक है। सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत इस विजन डॉक्यूमेंट में राज्य द्वारा वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रीत करना, वर्तमान हस्तक्षेप तथा प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। अगले चरण में राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों को लागू करने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने, बजट आबंटन को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने, परिणाम आधारित बजट तैयार करने तथा वैश्विक आधारभूत सूचकों के साथ–साथ राष्ट्रीय सूचकों के आधार पर कार्यान्वयन की मोनिटरिंग हेतु सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने योजना विभाग में एक सतत् विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र (एस.डी.जी.सी.सी.) की स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तिय प्रबंधन संस्थान के अन्तर्गत स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

वित्तीय समावेश स्कीमें

2.57 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.): प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वर्तमान जटिल भुगतान प्रकिया को सुलभ करने हेतू आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकि का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 2013 से भारत सरकार का उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है । डी.बी.टी. दिए जाने वाले लाभों को सही लोगों तक उचित समय पर पहुॅचाना सुनिश्चित करने का एक अच्छा प्रयास है । डी.बी.टी. में दिए जाने वाले सरकारी लाभ जैसे कोई भुगतान, ईंधन अनुदान, खाद्यान अनुदान इत्यादि सीधे लाभार्थियों तक पहुचाने, त्वरित भुगतान करने, लाभों का रिसाव रोकने तथा वित्तीय समावेश को कम करने का एक सहरानीय कदम है । डी.बी.टी. की सीधे और समयबद्ध हस्तांतरण प्रणाली सरकार को आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत बैंक खातों में लाभ पहुॅचाने के लिए सक्षम करती है । आधार नम्बर और बायोमीट्रीक इन्नपुट अपने आप में अनूठा है जो सरकार के डाटा बेस में ड्यूप्लीकेशी और अवांछन को रोकता है । वित्तिय वर्ष 2016–17 में 13,38,431 अवांछित लाभार्थी हटाए गए जिसके परिणाम–स्वरूप सरकार को 262.84 करोड़ रूपये की बचत हुई । राज्य डी.बी.टी पोर्टल बनाया गया है। राज्य के विभाग राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (हिस्सा आधारित) को लाभार्थियों और लेनदेन डाटा के साथ राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड करने की प्रकिया में है ।राज्य डी.बी.टी. पोर्टल के लिए नए प्रारूपों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके बाद विभाग वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए नए प्रारूपों में डेटा दर्ज करेगा। 31–1–2018 तक, 115 राज्य/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्य डी.बी.टी पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इन 115 योजनाओं में से 74 राज्य योजनाएं और 41 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।

2.58 स्टैंड अप इंडियाः यह योजना अप्रैल, 2016 से शुरू की गई है । इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापना, ऋण लेने और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए समय–समय पर मिलने वाली अन्य आवश्यक सहायता को प्राप्त करने में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर आधारित है । भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक ऋण 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी को दिया जाएगा । स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत 1–4–2017 से 31–12–2017 तक राज्य में 531 बैंक शाखाओं द्वारा 21,177 लाख रूपये के ऋण 995 उद्यमियों (224 एस.सी./एस.टी. और 751 महिला) के लिए मंजूर किए गए हैं ।

2.59 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम. जे.डी.वाई.): इस योजना को 15 अगस्त, 2014 को शुरू किया गया था और हरियाणा राज्य द्वारा 18 दिसम्बर, 2014 को सभी 48.58 लाख परिवारों को बैंक खाता प्रदान करते हुए देश में चौथा राज्य बन कर मील का पत्थर स्थापित किया है । राज्य में 31–12–2017 तक 64.54 लाख बैंक खाते खोले गए और 58.26 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं जो खोले गए कुल खातों का 90 प्रतिशत है **(तालिका 2.12)** ।

तालिका 2.12– पी.एम.जे.डी.वाई. स्कीम के तहत खोले गए खाते, आधार सिडींग और जारी किए गए रूपे कार्ड

विवरण	31–12–2017 तक
खोले गए बैंक खाते	6454721
आधार सिडींग	5727096
जारी किए गए रूपे कार्ड	5826572

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा ।

2.60 प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः (पी.एम.एम. वाई.): सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुनर्वित एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के छोटे सक्ष्म उद्यमों को उधार देने के कारोबार में लगी हुई वित्तीय मध्यस्थ जैसे बैंक, एन.बी.एफ.सी. और एन.एफ.आई. इत्यादि को विकसित और पुनर्वित प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को एक नई वित्तीय इकाई के रूप मे शुरू की गई है। उसी दिन जिन उद्यमों के पास कोषों की कमी है उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने और सस्ती दर पर ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना "फंड दा अनफन्डीड" लागू की गई। यह महसूस किया गया कि बहुत सी ऐसी इकाईयॉ जो वर्तमान में औपचारिक ऋण से बाहर हैं उनको मिशन मोड पर बैंक वित्त के लिए एक विशेष बढ़ावा देने की जरूरत है । यह खण्ड मुख्य रूप से उन विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए गैर कृषि उद्योगों के लिए है जिनकी ऋण आवश्यकताएँ 10 लाख रूपये से कम है । मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरूण में वर्गीकृत किया गया है । मुद्रा योजना का यह प्रभाव होगा कि ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत राशि शिशु वर्ग इकाईयों में तथा बाकि राशि किशोर व तरूण वर्ग की इकाईयों को जाएगी । राज्य में मुद्रा ऋण की प्रगति **तालिका 2.13** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.13– पी.एम.एम.वाई. के तहत खातों की संख्या व जारी की गई राशि

योजना	ऋण सीमा रूपये में	1–4–2017 से 31.12.2017 तक			
		खातों की कुल संख्या	जारी की गई राशि (लाख रूपयें)	महिला लाभार्थी	कुल खातो से महिला खातों की प्रतिशतता
शिशु	50000 तक	83143	23728	39808	47.87
किशोर	50001–500000	41261	93768	9342	22.64
तरूण	500001–1000000	11380	87680	1620	14.23
कुल		135784	205176	50770	37.39

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा ।

2.61 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.): यह स्कीम एक साल के लिए है जिसे साल दर साल नवीनीकरण करवाना होता है । दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता के लिए 2 लाख रूपये बीमा की पेशकश करती है। यह स्कीम 9 मई, 2015 को शुरू हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों व अन्य सामान्य कम्पनियों के माध्यम से प्रस्तावित/प्रशासित की जा रही है। सभी बचत बैंक खाताधारक जिनकी आयु समूह 18 से 70 वर्ष है वे अपने आप को साल दर साल नवीकरण आधारित 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से इस स्कीम में सम्मिलित हो सकते है। 31–3–2016 तक बैंकों द्वारा 24,32,364 व्यक्तियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है और 31–12–2017 तक यह संख्या 27,94,368 हो गई है । 31–12–2017

तक 2,584 लाख रूपये के कुल 1302 दर्ज दावों में से 2101 लाख रूपये के 1056 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

2.62 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.): यह स्कीम 1 जून, 2015 से लागू हुई है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनियां जो समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ टाईअप कर लिया है के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर अपने आप को इस योजना के लाभ उठाने के लिए नामांकन करवा सकते हैं । इस स्कीम के तहत, इसके प्रत्येक सदस्य को किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर 2 लाख रूपये भुगतान किए जाएगें । 31–3–2016 तक बैंकों ने 7,91,767 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत दर्ज किया है और 31–12–2017 तक यह संख्या बढकर 8,53 218 हो गई है । 31–12–2017 तक 5,224 लाख रूपये के कुल 2,612 दर्ज दावों में से 4,604 लाख रूपये के 2,302 दावों का निपटारा कर दिया गया है ।

2.63 अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.): गरीब मजदूरों की बुढ़ापा आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृति तक बचत करने में सक्षम बनाने व इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को स्वैच्छा से दीर्घाअवधि जोखिम को कम करने व सेवानिवृति पर स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2015 से अटल पैंशन योजना लागू की गई है । सभी बैंक खाता धारक जो भारत के नागरिक है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वे अटल पैंशन योजना में सम्मिलित हो सकते है और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं । अटल पैंशन योजना के तहत 1,000 रूपये से 5,000 रूपये तक मासिक पैंशन की गारंटी ग्राहकों को उनके भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है । यदि ग्राहक 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये के बीच में मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिमास 42 रूपये से 210 रूपये तक मासिक प्रीमियम अदा करना होगा । इसी प्रकार 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम 291 रूपये से 1,454 रूपये के बीच रहेगा । 31–3–2016 तक बैंक ने 55,797 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत शामिल किया है जो 31–12–2017 तक बढ़कर 1,49,896 हो गई है ।

आबकारी व कराधान

2.64 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है तथा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले विभाग विभिन्न अधिनियमों जैसे कि वैट अधिनियम, आबकारी अधिनियम, पी.जी.टी. अधिनियम और लग्जरी अधिनियम के तहत कर संग्रह करता था। दिनांक 1–7–2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू होने उपरांत विभाग राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, आबकारी अधिनियम तथा वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (केवल 6 गैर जी.एस.टी. वस्तुऐं) का कर संग्रह करता है। अन्य कर जैसे कि मनोरंजन कर, लग्जरी कर तथा प्रवेश कर, वस्तु एवं सेवा कर में शामिल हो गये हैं।

2.65 यह पहली बार हुआ है कि केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा एक ही टैक्स लगाया जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर ने विभिन्न प्रकार के करों, अलग–अलग दरों से लगने वाले करों को समान कर आधार पर एक समान कर ढांचें मे बदल दिया है। वस्तु एवं सेवा कर उपभोग आधारित कर प्रणाली है

जिसमें इनपुट कर श्रेय का बहाव मूलतः मूल राज्य से उपभोग के राज्यों में होता है। वस्तु एवं सेवा कर की दूसरी मुख्य विशेषता है कि कर दाताओं को राष्ट्रीय सांझे पोर्टल के माध्यम से एक जगह लाना है । तीन विभिन्न विधियों जैसे केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों के तहत कर लगाया जाता है ।

2.66 विभाग को वर्ष 2017–18 के लिए वैट और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, आबकारी अधिनियम और अन्य अधिनियमों हेतू 36,706.19 करोड़ रूपये का लक्ष्य आबंटित किया गया था। विभाग ने 31–12–2017 तक पिछले वर्ष की इसी संदर्भ अवधि के 21,828.76 करोड़ रूपये के मुकाबले 24.86 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27,254.87 करोड़ रूपये (वैट 12,819.47 करोड़ रूपये, केन्द्रीय बिक्री कर 1,194.04 करोड रूपये, राज्य वस्तु एवं सेवा कर 5,596.19 करोड़ रूपये, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 592.89, आबकारी 3,899.86 करोड़ रूपये तथा अन्य 3152.42 करोड़ रूपये) संग्रहित किए हैं । आबकारी व कराधान विभाग ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत दिसंबर, 2017 तक 6,189.08 करोड़ रूपये (वस्तु एवं सेवा कर 5596.19 करोड़ रूपये और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्थापन 592.89 करोड़) की आय अर्जित की है।

2.67 आबकारी शीर्ष के तहत निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत राजस्व संग्रहण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

1. द पंजाब एक्साईज एक्ट,1914
2. द मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रपेरेशन (एक्साईज डयूटीज) एक्ट, 1955.
3. द नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबसेंटीस एक्ट 1985.
4. द ईस्ट पंजाब मोलासिस (कन्ट्रोल) एक्ट 1948.

तालिका 2.14– राज्य में आबकारी शीर्ष के तहत राजस्व संग्रहण ।

वर्ष	राजस्व संग्रहण (करोड़ रूपये)
2013–14	3696.52
2014–15	3459.19
2015–16	4373.71
2016–17	4655.84
2017–18	3899.86 (दिसम्बर, 2017 तक)

स्त्रोतः आबकारी व कराधान विभाग ।

वस्तुएं एवं सेवा कर

2.68 वस्तु एवं सेवा कर को देश में 1 जुलाई, 2017 से एक सबसे बड़े कर सुधार के रूप में लागू किया गया है। बहुत से अप्रत्यक्ष राज्य व केन्द्रीय करों को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एकीकृत करके 'एक राष्ट्र, एक कर, एक मार्केट' के तौर पर लागू किया है। हरियाणा ने वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से देश में राजस्व संग्रहण में सर्वोच्य स्थान प्राप्त किया है । राज्य में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए विभिन्न हितधारकों जिसमें अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ–साथ करदाताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । वस्तु एवं सेवा कर एक पूर्णतया ऑनलाइन प्रणाली है, जिसमें करदाताओं को सभी सेवाऐं एक सांझे राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आनॅलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी ।

2.69 पूर्व कराधान शासन के तहत पंजीकृत सभी करदाताओं को वस्तु एवं सेवा कर शासन के तहत अन्तरण की सुविधा प्रदान की गई है । जिसके परिणामस्वरुप वैट के अधिन पंजीकृत लगभग 2,01,014 विक्रेता वस्तु एवं सेवा कर मे हस्तांतरित हुए हैं । इसके अतिरिक्त 24,944 विक्रेता केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर से राज्य में हस्तांतरित हुए हैं। अब तक राज्य में 1,34,321 नए उद्यमियों ने अपने आप को वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया है ।

2.70 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर केन्द्र और राज्य द्वारा एक साथ लगाया जाता है, तथापि, करदाता को एकल अन्तरण प्रदान किया जाएगा। एकल अन्तरण को सुनिश्चित करने के लिए करदाता को केन्द्र और राज्य के बीच विभाजित किया जाएगा। केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं के विभाजन का पहला दौर पूरा किया गया है। जिसमें 2,22,901 हस्तांतरित किए गए करदाताओं को केन्द्र और राज्य के बीच विभाजित किया गया है। 2,22,901 करदाताओं में से 1,80,083 पर राज्य का प्रशासन नियंत्रण करेगा और 42,818 करदाताओं पर केन्द्र नियंत्रण करेगा। हरियाणा राज्य रिर्टन फाईल करने के संबंध में सभी राज्यों में सबसे उपर है।

2.71 राज्य के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह दिसम्बर ,2017 तक का सारांश **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15– राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत माहवार शुद्ध संग्रहण ।

(करोड़ रूपये)

मास	राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण	शुद्ध एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण	शुद्ध संग्रहण
जुलाई, 2017	0.23	00	0.23
अगस्त, 2017	1272.59	–286.67	985.92
सितम्बर, 2017	1149.54	113.76	1263.30
अक्तूबर, 2017	1142.20	232.71	1374.91
नवम्बर 2017	1063.71	152.64	1216.35
दिसम्बर 2017	967.92	380.45	1348.37
कुल	**5596.19**	**592.89**	**6189.08**

स्त्रोतः आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा ।

विभाग द्वारा उठाये गए कदम

2.72 जिलों और रेजों का पुनर्गठन : प्रभावी और कुशल प्रशासन के लिए फरीदाबाद और गुरूग्राम जिलों में चार कर जिलों की संख्या बढाई गई है । गुरूग्राम में दो आबकारी जिले बढ़ाए गए है । दिनांक 8–2–2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में रेंजो की संख्या भी बढा कर पांच कर दी गई ।

1. पर्यावरण मित्र ईंधन : सरकार ने दिनांक 10–3–2017 से बायो डीजल को मुल्य वर्धित कर से मुक्त कर दिया गया है।
2. सोलर विधुत परियोजना : प्रदूषण मुक्त साफ ईंधन को बढावा देने के लिए राज्य में दिनांक 8–5–2017 को जारी अधिसूचना के तहत सोलर विद्युत परियोजना में लगाए जाने वाले सोलर यंत्र और उपकरण/पुर्जों को मुल्य वर्धित कर से मुक्त कर दिया गया है।
3. रिफंड : दिनांक 14–6–2017 को जारी अधिसूचना के तहत रिफंड केसों का तेजी से निपटान करने के लिए उप आबकारी व कराधान आयुक्त को जिला स्तर पर 25 लाख रूपए तक और संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्त को रेंज स्तर पर 50 लाख रूपए तक के रिफंड करने की शक्ति दी गई ।
4. बकाया देय की वसूली के लिए हरियाणा व्यवस्थापन अधिनियम 2017 : वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले बकाया देयों की वसूली के लिए "एक बार व्यवस्थापन स्कीम" बनाने के लिए सरकार को अधिकृत करने हेतू "हरियाणा व्यवस्थापन अधिनियम 2017" पास किया गया है ।
5. दिनांक 22–6–2017 को अधिसूचित "हरियाणा एक बार व्यवस्थापन स्कीम 2017" के तहत राज्य सरकार खजाने में 2,322 करोड रूपयों की वसूली की गई ।
6. सविंदाकारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम 2016 : बकाया देयों की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने सविंदाकारों के लिए हरियाणा

वैकल्पिक कर अनुपालन स्कीम 2016 को दिनांक 2–6–2017 को उन सविंदाकारों के लिए संशोधित किया जो पहले यह स्कीम नही चुन पाए थे।

7. टैक्सटाइल संशोधन : दिनांक 29–8–2017 को जारी अधिसूचना के तहत कपडे की सभी प्रकार की किस्में, जिनमें बुनाई और कढाई का कार्य किया गया हो, को मूल्य वर्धित कर से मुक्त कर दिया गया है।

विभाग में कंप्यूटरीकरण

2.73 भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना के तहत विभाग को मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर कामर्सियल टैक्सीस (एम.एम.पी.सी.टी.) के अन्तर्गत विभागीय क्रियाओं के सविस्तार कम्पयूटरीकरण करने हेतु चुना गया था। इस परियोजना को लागू करने हेतु विभाग द्वारा मैसर्ज एरनस्ट एवं यंग एल.एल.पी को सलाहकार और मैसर्ज विप्रो लिमिटिड को सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर 115 करोड रूपए पर अनुबंधित किया गया है।

(i) आबकारी ठेकों की ऑनलाइन निविदाः विभाग द्वारा शराब के ठेके ई–टेन्डरिंग के माध्यम से आवंटित किये गये। प्रार्थियों द्वारा इस माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भेजे गए और विभाग द्वारा ठेकों का आवंटन किसी भी मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना ऑनलाइन किया गया।

(ii) सी–फार्म ऑनलाइन जारी किया जानाः विभाग द्वारा 1–6–2015 से राज्य के व्यापारियों को ऑनलाइन सी–फार्म जारी किये जाने की सुविधा प्रदान की गई। यह सुविधा 24X7 उपलब्ध है तथा व्यापारी को कार्यलयों में नहीं जाना पड़ता। इस सुविधा के माध्यम से 31–12–2017 तक व्यापारियों को 33,00,273 सी–फार्म जारी किये जा चुके हैं।

(iii) ऑनलाइन पंजीकरणः जुलाई 2015 से विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजीकरण हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जाने की सुविधा लागू की गई तथा आवेदक को कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं रही। ऑनलाइन पंजीकरण मोडयूल के माध्यम से 31–12–2017 तक 54,132 नये टीन नम्बर जारी किए जा चुके हैं। व्यापारियों को ऑनलाइन संशोधन एवं निरस्त करने की सुविधा दी गई है।

(iv) ऑनलाइन कर भुगतानः विभाग द्वारा जुलाई 2015 से ऑनलाइन कर भुगतान किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है । इस एप के माध्यम से व्यापारी ऑनलाइन कर भुगतान कर सकता है और उसे बैंक/कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है । वह कहीं भी और किसी भी समय कर भुगतान कर सकता है।

(v) ऑनलाइन रिटर्नः विभाग द्वारा जुलाई 2015 से व्यापारियों को त्रैमासिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा के अंतर्गत वित्तिय वर्ष 2015–16 की सभी चार तिमाहियों की व वर्ष 2016–2017 की प्रथम दो तिमाहियों की रिटर्नें ऑनलाइन प्राप्त की जा चुकी है। इस प्रकार वार्षिक रिटर्न (आर.2) भी ऑनलाइन ही प्राप्त की जा रही है। अब तक 90 प्रतिशत से अधिक ई–रिटर्न इस माध्यम से प्राप्त की जा चुकी हैं।

(vi) ऑनलाइन परमिट ओर पासः पारदर्शी तथा परेशानी मुक्त शराब कारोबार हेतू राज्य में 1–12–2015 से ऑनलाइन आबकारी परमिट व पास की सुविधा प्रदान की गई है ।

(vii) ऑनलाइन रिफंडः विभाग द्वारा जुलाई, 2016 से ऑनलाइन रिफंड जारी किए जाने की सुविधा लागू की गई है। इस के अन्तर्गत व्यापारी रिफंड हेतू ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा रिफंड सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेगा।

(viii) ऑनलाईन कर निर्धारणः विभाग द्वारा जून, 2017 से ऑनलाईन कर निर्धारण राज्य स्तर पर शुरू किया गया है। इससे कर निर्धारण मामलों के निपटान में गति आयेगी तथा निर्धारण अधिकारियों की कार्यदक्षता में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें कर निर्धारण हेतू डाटा एक क्लिक पर उपलब्ध होगा।

(ix) ऑनलाईन बकाया और वसूलीः विभाग द्वारा जून, 2017 से ऑनलाईन बकाया और वसूली मॉडयूल राज्य स्तर पर शुरू किया गया है तथा जिससे राज्य में सभी प्रकार के बकाया एवं वसूली की स्थिति का पता चलता रहेगा।

(x) अपीलः विभाग द्वारा 23–5–2017 को ऑनलाईन अपील मॉडयूल राज्य स्तर पर शुरू किया गया है। इस मॉडयूल के अन्तर्गत व्यापारी ऑनलाईन अपील कर सकते हैं।

(xi) शिकायत निवारण व सहायता पटलः विभागीय वैबसाईट पर विभाग द्वारा ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा लागू की गई है। व्यापारी/नागरिक इस वैबसाईट पर अपनी दुविधा/शिकायतें/सुझाव 24X7 ऑनलाईन दर्ज करवा सकते हैं।

(xii) ऑनलाईन वैधानिक फार्मः सी–फार्म के सफल कार्यान्वयन के उपरान्त, विभाग ने 5–8–2017 से सभी वैधानिक फार्मों (एफ, एच, ई–I, ई–II) को राज्य स्तर पर ऑनलाईन शुरू किया गया है।

(xiii) कर अनुसंधान ईकाई की स्थापनाः विभाग में एक कर अनुसंधान ईकाई की शुरूआत की गई है। टीआरयू अनुसधांन, कर चोरी को रोकने, भ्रष्ट प्रथाओं और गम्भीर अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही, खुफिया सूचनाऐं इकट्ठा करने व डिजिटल डेटा के विश्लेषण के लिए जिम्मेवार होगा। टीआरयू के लिए मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी को कंसल्टेंटस नियुक्त किया गया है।

***

विभागों / बोर्डों / निगमों की उपलब्धियां

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

राज्य में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मजबूत बुनियादि सुविधाएं, कृषि अनुसंधान तथा बेहतरीन कृषि के तरीकों सम्बंधि जानकारियों का किसानों में प्रसारण होने से कृषि का यह विकास सम्भव हुआ है । हरियाणा खाद्य अधिशेष राज्य हो गया है ।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में स्थित है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 3.1 व 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1– राज्य में जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 के दौरान हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा

(मि.मि.)

जिला	जुलाई, 2016		अगस्त		सितम्बर		अक्तुबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
हिसार	146.8	121.8	28.0	14.2	0.0	68.9	0.0	10.3	0.0	4.1	0.0	4.4
रोहतक	112.5	195.7	118.5	164.6	2.0	97.4	0.0	14.9	0.0	5.1	0.0	5.9
गुरूग्राम	161.0	176.4	137.5	47.3	34.5	100.8	0.4	18.1	0.0	2.6	0.0	4.0
फतेहाबाद	79.0	107.5	85.5	97.5	0.0	60.9	0.0	7.8	0.0	3.0	0.0	5.1
झज्जर	210.2	133.5	231.7	105.7	13.5	66.4	0.0	9.5	0.0	3.5	0.0	3.7
करनाल	168.5	206.4	184.0	171.4	10.5	103.4	0.0	24.1	0.0	5.2	0.0	10.6
पानीपत	145.0	184.6	268.1	194.1	0.0	92.0	5.0	18.3	0.0	3.9	0.0	6.1
यमुनानगर	793.0	305.9	329.0	325.9	13.5	161.1	0.0	34.8	0.0	6.3	3.0	17.3
अम्बाला	284.1	294.2	197.0	117.8	39.5	160.5	0.0	24.1	0.0	6.6	9.5	18.2
जींद	176.7	154.5	144.0	144.6	0.0	93.8	0.0	10.6	0.0	4.9	0.0	5.3
महेन्द्रगढ़	235.2	148.6	124.8	161.1	5.0	66.3	20.5	17.5	0.0	3.0	0.0	5.0
रेवाड़ी	213.5	144.5	206.0	103.6	6.3	79.8	37.0	13.0	0.0	2.7	0.0	3.7
पंचकूला	90.0	327.6	97.0	332.6	35.0	154.9	6.0	20.6	0.0	13.2	10.0	18.2
सोनीपत	142.0	200.0	84.5	183.9	4.0	94.4	0.0	18.7	0.0	5.2	0.0	6.2
भिवानी	187.4	133.6	153.6	132.4	2.4	58.6	6.0	11.3	0.0	4.1	0.0	2.9
कुरूक्षेत्र	104.0	207.0	125.0	192.5	7.0	107.7	0.0	18.9	0.0	4.8	0.0	9.3
कैथल	66.3	142.5	58.3	168.4	0.0	100.0	0.0	13.3	0.0	4.3	0.0	5.8+
सिरसा	69.5	96.5	103.5	86.3	0.0	51.3	0.0	9.5	0.0	4.5	0.0	2.7
फरीदाबाद	292.5	192.7	260.0	17.1	86.5	98.0	30.0	23.7	0.0	2.4	0.0	6.0
मेवात	241.3	174.2	180.5	146.0	43.5	97.6	3.5	18.5	0.0	3.1	0.0	4.6
पलवल	197.3	176.8	150.3	8.6	43.3	105.8	0.0	20.1	0.0	2.7	0.0	2.4

वाः वास्तविक, साः सामान्य
स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.2– राज्य में जनवरी, 2017 से जून, 2017 के दौरान हुई वर्षा व सामान्य वर्षा

(मि.मि.)

जिला	जनवरी, 2017		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
हिसार	11.5	14.3	0.0	1.8	0.5	9.7	0.0	8.9	6.0	14.0	103.0	32.7
रोहतक	23.0	20.9	0.0	3.0	15.5	17.7	0.0	6.8	4.5	15.4	167.0	41.5
गुरूग्राम	28.3	11.9	0.0	39.8	2.5	7.0	1.6	5.4	6.0	6.4	95.5	34.1
फतेहाबाद	25.5	17.7	0.0	4.5	1.0	11.2	0.5	6.4	0	13.0	48.5	28.0
झज्जर	24.0	9.9	0.0	29.6	2.2	9.7	3.5	5.4	11.6	9.1	213.8	28.9
करनाल	79.5	27.7	0.0	27.0	12.2	19.4	1.0	8.3	37.0	11.2	184.0	54.5
पानीपत	75.0	21.6	3.0	36.0	1.0	12.6	7.0	9.3	1.3	8.7	156.0	47.9
यमुनानगर	59.0	46.9	0.0	33.7	27.5	31.9	32.0	11.3	12.5	25.6	232.0	104.3
अम्बाला	135.5	38.2	0.0	37.1	21.0	25.3	24.5	6.9	23.5	20.6	166.5	87.5
जींद	50.6	18.0	0.0	21.0	0	12.4	0.0	4.4	11.4	14.6	161.0	37.3
महेन्द्रगढ़	21.5	9.7	0.0	11.5	1.9	9.4	15.5	5.1	47.5	17.2	151.0	41.0
रेवाड़ी	36.0	10.1	1.5	10.3	14.0	5.2	0.0	3.7	43.4	9.9	118.8	34.7
पंचकूला	74.0	46.2	0.0	36.7	1.0	27.8	2.0	8.3	3.0	27.4	25.0	95.6
सोनीपत	44.5	19.4	0.0	15.1	16.0	14.4	1.0	8.9	24.0	13.5	132.0	41.4
भिवानी / चरखी दादरी	23.3	17.0	0.0	9.8	6.8	8.1	8.2	5.2	23.8	11.2	80.0	26.3
कुरूक्षेत्र	54.0	31.7	0.0	21.1	21.0	21.5	8.5	10.4	1.0	9.0	160.5	62.2
कैथल	74.0	25.3	0.0	16.5	3.0	12.5	0.7	7.4	7.3	8.1	118.3	50.9
सिरसा	21.0	12.4	0.0	11.1	3.0	10.1	0.0	4.6	0	11.9	122.5	18.7
फरीदाबाद	14.0	20.5	0.0	17.1	3.5	10.4	8.0	3.8	28.0	8.7	106.0	52.8
मेवात	29.0	12.4	0.0	13.5	5.3	6.3	1.3	5.4	16.0	10.5	152.8	38.0
पलवल	14.3	10.3	0.0	8.6	10.8	5.9	0.0	3.8	10.7	7.1	83.3	30.2

वाः वास्तविक, साः सामान्य

स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.3 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

('000' हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966-67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970-71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980-81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990-91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000-01	2355	1054	4340	143	555	414	6115
2005-06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2006-07	2376	1042	4348	141	527	622	6407
2007-08	2461	1073	4477	140	482	511	6458
2008-09	2462	1211	4621	91	456	528	6500
2009-10	2488	1206	4541	79	505	523	6419
2010-11	2504	1243	4702	85	493	521	6499
2011-12	2531	1234	4581	95	602	546	6489
2012-13	2497	1206	4302	101	593	568	6376
2013-14	2499	1244	4361	102	567	537	6471
2014-15	2601	1287	4445	97	648	493	6471
2015-16	2576	1354	4388	93	615	512	6471
2016-17 (अ)	2558	1386	4524	102	570	510	6578

अः अनन्तिम

स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र **तालिका 3.3 व आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र 65.78 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2016–17 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत्ता 59.97 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 में गेहूं के अधीन क्षेत्र 25.58 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2016–17 के दौरान चावल के अधीन 13.86 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव रहा है।

आकृति 3.1– हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

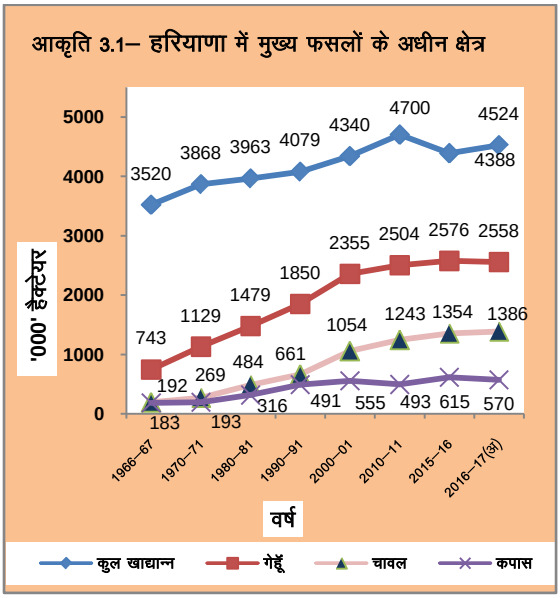

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन क्षेत्र **तालिका 3.4 व आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 183.70 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि सात गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 2016–17 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 177.11 लाख टन था। चावल का उत्पादन वर्ष 2016–17 में 44.53 लाख टन था। इस प्रकार वर्ष 2016–17 में गेहूं का उत्पादन 123.82 लाख टन था। वर्ष 2016–17 में तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन क्रमशः 9.46 लाख टन तथा 82.23 लाख टन था। वर्ष 2016–17 में कपास का उत्पादन 20.41 लाख गाठें होने का अनुमान था। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात राज्य से होता है।

आकृति 3.2– हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

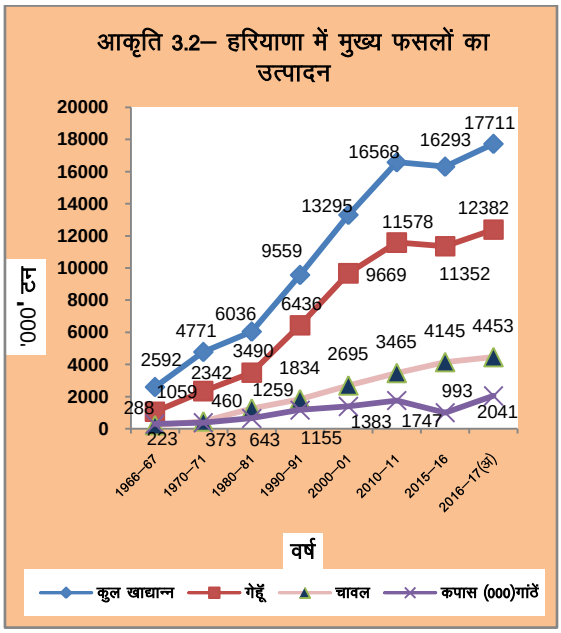

मुख्य फसलों की पैदावार

3.5 वर्ष 2015–16 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,407 व 3,061 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2016–17 में गेंहू तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,841 तथा 3,213 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 3.5)**।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2017–18 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 3.6** में दर्शाये गए हैं।

फसल विविधीकरण

3.7 फसल विविधीकरण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप–योजना है और यह टिकाऊ कृषि के लिए तकनीकीय नवाचार

को बढावा देने तथा उत्पादकता व आय में वृद्धि के वैकल्पिक चयन के लिए किसानों को सक्षम करती है। यह योजना/कार्यक्रम न केवल भूजल के क्षरण की समस्या का सामना करने में मदद करता है बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और कृषि पर्यावरण प्रणाली की गतिशीलता संतुलन बनाए रखता है। इस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, दलहन, खरीफ मूंग/समर मूंग, ढैंचा आदि को बढावा दिया जा रहा है। कृषि वानिकी के साथ फसल अंतरण, कृषि औजार प्रदान करते हुए कृषि मशीनीकरण व मूल्य संवर्धन को बढावा और पानी के नुकसान को बचाने के लिए अंडर ग्राऊंड पाइप लाइन तथा मृदा स्वास्थ्य सुधार हेतू किसानों को ढैंचा बिज वितरण द्वारा विशिष्ट स्थानीय गतिविधियों को किसानों के बीच बढ़ावा दिया जाता है। जागरूकता प्रशिक्षण शिविर जैसे राज्य स्तरीय किसान मेला, जिला स्तरीय किसान मेला और ब्लाक स्तर गोष्ठियों का आयोजन अन्य वैकल्पिक फसलों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए धान के विविधीकरण, मिटटी की उर्वरकता बहाली, कृषि प्रसंस्करण, फसल उत्पाद का मूल्य संवर्धन से कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है ।

तालिका 3.4–मुख्य फसलों का उत्पादन

('000' टन)

वर्ष	गेहूं	चवल	कुल खाद्यान्न	तिलहन	कपास ('000' गांठे)	गन्ना
1966-67	1059	223	2592	92	288	5100
1970-71	2342	460	4771	99	373	7070
1980-81	3490	1259	6036	188	643	4600
1990-91	6436	1834	9559	638	1155	7800
2000-01	9669	2695	13295	563	1383	8170
2010-11	11578	3465	16568	965	1747	6042
2011-12	13119	3757	18370	758	2616	6953
2012-13	11117	3941	16150	968	2378	7500
2013-14	11800	4041	16970	899	2027	7499
2014-15	10354	4006	15236	706	1943	7169
2015-16	11352	4145	16293	855	993	7169
2016-17 (अ)	12382	4453	17711	946	2041	8223

अः अनन्तिम

स्त्रोतः भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.5– हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000–01	4106	2557	2708	1901
2005–06	3844	3051	2619	2102
2010–11	4624	2788	2988	2339
2011–12	5183	3044	3177	2393
2012–13	4452	3268	3117	2462
2013–14	4722	3248	3075	2424
2014–15	3979	3124	–	–
2015–16	4407	3061	–	–
2016–17(अ)	4841	3213	–	–

अः अनन्तिम

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 3.6– मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र ('000' हैक्टेयर)	उत्पादन ('000' टन)	औसत उपज (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)
चावल	1200	4097	3414
ज्वार	74	42	568
मक्का	42	119	2833
बाजरा	538	1050	1952
खरीफ दालें	60	54	900
कुल /औसत खरीफ खाद्यान्न	**1914**	**5362**	**2801**
गेहूं	2523	11780	4669
चना	100	109	1090
जौ	44	155	3523
रबी दालें	10	12	1200
कुल/औसत रबी खाद्यान्न	**2677**	**12056**	**4504**
वाणिज्यिक फसलें:			
गन्ना	115	8656	75270
कपास (गांठे)*	635	2586	692
तेल बीज	10	9	900

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्र.।
स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

फसल बीमा योजना

3.8 केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–2–2016 द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने खरीफ 2016, रबी 2016–17 और खरीफ 2017 व रबी 2017–18 अवधि में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रिमियम में किसानों का हिस्सा रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत है । शेष हिस्सा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अनुपात में वहन किया जाएगा। एक मौसम की सभी फसलों के लिए एक बार प्रीमियम भुगतान किया जाएगा । किसानों के हित में राज्य सरकार ने कपास की फसल के मामले में जोकि एक वाणिज्यिक फसल है तथा जो 5 प्रतिशत प्रीमियम वर्ग में आती है, किसानों से केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम लेने का निर्णय किया है। शेष 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा । यह 3 प्रतिशत राज्य सरकार के साधारण हिस्से के अतिरिक्त होगा जोकि केन्द्रीय सरकार के साथ अदा किया जाना है । यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हरियाणा में खरीफ 2016 में 7,35,451 किसानों का प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया गया और कुल प्रीमियम के रूप में 25,633.11 लाख रूपये एकत्रित किए गए तथा 1,47,288 किसानों को 22,707.48 लाख रूपये दावे के रूप में उपरोक्त योजना के तहत भुगतान किया गया। रबी सीजन में 5,97,298 किसानों का बीमा किया गया और प्रीमियम के रूप में कुल 10,780.29 लाख रूपये की राशि एकत्रित की गई तथा 5,080.79 लाख रूपये का भुगतान किसानों को किया गया।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरूआत पोषक तत्वों की कमी के समाधान और मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19–5–2015 को सूरतगढ़, राजस्थान से की गई । इस योजना के तहत राज्य में दो

वर्षों के काल चक्र में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने है। यह योजना, योजना काल के प्रथम चरण 2015–16 और 2016–17 के लिए अप्रैल, 2015 में राज्य में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा लगभग 13.34 लाख मिट्टी के नमूने लिए गए। सभी नमूनों का परीक्षण किया गया और अब तक 28.92 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें से 16.69 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड राज्य के किसानों को जारी कर दिए गए हैं । शेष मृदा स्वास्थ्य कार्ड की छपाई का कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2017 के अंत तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड सभी किसानों को जारी किए जाने की संभावना है। योजना का दूसरा चक्र (2017–18 व 2018–19) मई, 2017 से शुरू हो चुका है । वर्ष 2017–18 के दौरान 3.95 लाख नमूनों के लक्ष्य के विरूद्ध 5.09 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें से 1.08 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है और शेष नमूनों का विश्लेषण प्रगति पर है। राज्य में इस योजना की शुरूआत के बाद, कृषि समुदाय में जन जागरूकता पैदा हुई है और कुछ किसान अपने मृदा नमूनों को सीधे मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में प्रस्तुत कर रहे हैं। विभिन्न जिलों से प्राप्त सफलता के आधार पर, किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरक की मात्रा को लागू किया, इससे इनपुट लागत में कमी आई है और उपज में वृद्धि हुई है। इस योजना पर आज तक 830.71 लाख रूपये खर्च किए गए है।

3.10 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र व राज्य के मध्य 60:40 हिस्से वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है ।यह योजना राज्य मे वर्ष 2007–08 के दौरान शुरू की गई और 2014–15 तक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित हुई । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य 12 वीं योजना अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि को हासिल करने और बनाए रखने का है जिससे कृषि व सबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ने 60:40 (केन्द्रःराज्य) के नए साझा पैटर्न के आधार पर वर्ष 2017–18 के लिए सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उप योजनाएं और एससीएसपी के अंतर्गत 196.10 करोड़ रूपये का आवंटन किया है । वर्ष 2017–18 के लिए 301.45 करोड़ रूपये की नई योजना की स्वीकृति हेतू हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 29–5–2017 व 12–10–2017 को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक हुई । भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उप योजना तथा एससीएसपी के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 93.58 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई । वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार द्वारा 83.58 करोड़ रूपये की राशि दूसरी किस्त के रूप में जारी की जाएगी । भारत सरकार ने पूर्व वर्ष (2015–16 व 2016–17) के लिए 96.82 करोड़ रूपये की राशि को वर्ष 2017–18 में उपयोग करने हेतू पुनः स्वीकृत किया है । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कुल उपलब्ध राशि 190.40 करोड़ रूपये (93.58 करोड़ + 96.82 करोड़) में से 139.48 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

3.11 भारत सरकार ने रबी 2007–08 से राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया है । इस मिशन के तहत दो फसलों गेहूं और दालों को शामिल किया गया है । उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है जो अधिक संभाव्यता वाले हैं लेकिन कम उत्पादक हैं । राज्य के सात जिलों अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, रोहतक और झज्जर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ के तहत कवर किया गया है। दालों के मामले में पांच जिलों को 2007–08 से 2009–10 के दौरान कवर किया गया था। वर्ष 2010–11 से सभी जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के तहत कवर किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित् जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के

माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पदान में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रगति **तालिका 3.7 (क)** एवं **(ख)** मे दिखाई गई है।

चावल की सीधी बिजाई

3.12 विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों से चावल की सीधी बिजाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रणाली से लगभग 25 प्रतिशत पानी की बचत होती है व पैदावार भी बराबर बनी रहती है। वर्ष 2015–16 में 30,000 हैक्टेयर व वर्ष 2016–17 में अबतक लगभग 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

तालिका 3.7 (क)– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) की प्रगति दलहन

अंतःक्षेप	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां			
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक		वित्तीय (लाख रूपये)	
		2016–17	2016–17	2017–18	2017–2018 (31–12–17 तक)	2017–18	2017–18 (31–12–17 तक)
1 उन्न्त प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	है0	2310	173.25	3510	882.00	66.15	-
2. फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन	है0	600	75.00	3000	300.00	30.00	-
3. प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विं	9937	248.43	4968	1851.20	46.28	-
4. समेकित पोषण प्रबन्धन	है0	12000	60.00	48000	3298.36	21.34	-
5. एकीकृत कीट प्रबंधन	है0	13000	65.00	13000	4940.00	24.70	-
6. संसाधन सरंक्षण प्रौद्योगिकी / उपकरण	नं0	100	92.50	2400	133.24	39.02	-
7. कुशल जल आवेदन उपकरण							
(i) छिडकाव सैट	नं0	25	2.50	1200	40.00	5.00	-
(ii) पानी ले जाने के लिए पाईप	मी0	7500	3.75	1425	39.00	5.85	-
8. फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण	नं0	60	8.4 0	1100	21.84	3.0576	-
9. विविध	जिले सं0	0	137.00	-	-	72.40	-
10. क्लस्टर प्रदर्शन (ग्रीष्मकालीन मूंग)	है0	14583	700.00	13598	-	-	-
वित्तीय योग		60115	1565.83	92201	11505.64	313.79	-

तालिका 3.7 (ख)–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) की प्रगति मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें

अंतःक्षेप	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां			
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक		वित्तीय (लाख रूपये)	
		2016–17	2016–17	2017–18	2017–2018 (31–12–17 तक)	2017–18	2017–18 (31–12–17 तक)
1. मोटे अनाज							
(i) सुधार पैकेज पर प्रदर्शन	है0	6120	306.00	2147.00	2319.45	115.97	-
(ii) प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विं0	5700	173.00	883.48	1018.02	15.27	-
2. वाणिज्यिक फसलें							
(i) कपासः प्रदर्शन / प्रयोग	है0	-	-	-	490.00	2500.00	-
(ii) गन्नाः (अ) प्रदर्शन (ब) टिशु कल्चर पौधों की आपूर्ति	है0 नं0	950	30.40	640.00	-	-	-
वित्तीय योग		**12770**	**509.40**	**3670.48**	**2135.00**	**-**	**-**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

जल प्रबंधन

3.13 जल प्रबंधन न केवल राज्य के कृषि विभाग के लिए जरूरी है बल्कि राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। विभाग द्वारा पानी के मितव्ययी उपयोग के लिए, विभिन्न जल बचत तकनीकों का प्रोत्साहन समग्र रूप से किया जा रहा है। जल बचत प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिए ''खेत–जल प्रबंधन'' कार्यक्रम पर पूरा जोर दिया गया है। विभाग किसानों को भूमिगत पाईप लाइन, फव्वारा सिंचाई प्रणाली और कपास व गन्ने की फसलों मे ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर सहायता प्रदान कर रहा है। ये पानी की बचत प्रणालियां, कृषि जलवायु परिस्थितियों के काफी अनुकूल पाई गई हैं जिसमें फव्वारा सिंचाई प्रणाली रेतीली मिट्टी के लिए अनुकूल है। जबकि भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली राज्य के मध्य समतल क्षेत्र में सबसे उपयोगी होती है। यद्यपि कपास व गन्ने की फसलो मे ड्रिप सिंचाई प्रणाली को पायलट आधार पर पहली बार वर्ष 2010–11 में अपनाया गया। जल प्रबंधन की प्रगति **तालिका 3.8** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.8– छिड़काव सिंचाई प्रणाली, भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का ब्यौरा

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		किसानों को दी गई सब्सिडी (लाख रूपये)
	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (है0/नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	
1. छिड़काव सिंचाई प्रणाली					
2016–17	30000	3500.00	7689	652.37	कार्य प्रगति पर है।
2017–18 (31–12–2017 तक)	30000	35000.00	5950	1185.68	कार्य प्रगति पर है।
2. भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली					
2016–17	42000	5500.00	8314.10	874.64	कार्य प्रगति पर है।
2017–18 (31–12–2017 तक)	45000	6000.00	14000.00 (Approx.)	2939.61	कार्य प्रगति पर है।
3. ड्रिप सिंचाई प्रणाली					
2016–17	2470	2500.00	614	314.22	519
2017–18 (31–12–2017 तक)	2470	2700.00	348	2014.59	315

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

छिड़काव सिंचाई प्रणाली

3.14 राज्य के विशेष तौर पर दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में छिड़काव सिंचाई प्रणाली की भारी मांग है। अब तक, राज्य में 1,50,477 छिड़काव सैट स्थापित किए जा चुके हैं जिनपर 249.97 करोड रूपये अनुदान के रूप में खर्च किए गए है। वर्ष 2017–18 के दौरान उपरोक्त अनुदान राशि में से 347.31 लाख रूपये अनुदान राशि से 19,657 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। छोटे व सीमांत किसानो के लिए दिये जा रहे अनुदान की दर 60 प्रतिशत व अन्य के लिए 50 प्रतिशत है।

भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली

3.15 राज्य में भूमिगत जल संसाधन की निगरानी के अध्ययन से पता चला है कि करनाल, कैथल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में धान व गेंहू की लगातार बुआई के कारण पानी के जलस्तर में लगातार गिरावट आई है। गहन फसलों की प्रणाली (फसल की तीव्रता 182%) के कारण 1999 से 2016 तक जमीन में पानी के जलस्तर में औसत गिरावट 9.3 मीटर हो गई है। इसके अलावा, राज्य का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र खराब गुणवत्ता वाले भूमिगत जल (खारा) से प्रभावित है जो कि फसल उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट का कारण है। ऐसे क्षेत्रों में यूजीपीएल प्रणाली बिछाने से अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के स्त्रोत से सिंचाई जल के परिवहन के लिए फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। समय की मांग है कि सिंचाई हेतू भूमिगत पाईप लाईन द्वारा

पानी के कुशल व उचित उपयोग से भूमिगत जल भंडार के क्षरण को रोका जा सके । भूमिगत पाईपलाइन परियोजना आर.के.वी.वाई के तहत ली गई विभाग की एक प्रमुख परियोजना है और कार्यक्रम को पूरे राज्य में किसानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली बिछाने से पानी के नुकसान को कम किया गया है, उर्जा बचाई गई है जिससे अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के तहत लाया गया है। अभी तक 2,06,223 हैक्टेयर क्षेत्र को 312.04 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग कर इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है । भूमिगत पाईपलाईन के तहत सहायता का पैटर्न 50 प्रतिशत की लागत से 25,000 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अधिकतम 60,000 रूपये प्रति लाभार्थी के रूप में है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

3.16 ड्रिप सिंचाई प्रणाली कपास व गन्ने की फसलों में प्रोत्साहित की जा रही है। अब तक, राज्य में 43.15 करोड़ रूपये अनुदान का उपयोग करके 5,196 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। उपरोक्त में से 314.22 लाख रूपये का कुल अनुदान देकर वर्ष 2016–17 में 614 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया गया है।कवर किए गए जिलों में प्रमुख भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और यमुनानगर शामिल हैं।

3.17 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना 'पर ड्रोप मोर क्रोप' ड्राप अधिक फसल घटक के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए 844.29 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करके 1200 हैक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। लघु और सीमान्त किसानों के लिए प्रणाली की कुल लागत का 70 प्रतिशत और दूसरों के लिए 60 प्रतिशत सहायता स्वीकार्य है। जबकि राज्य में चिन्हित् 36 अति शोषित खंडों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर 85 प्रतिशत सहायता दी जा रही है।

कृषि यंत्र

3.18 कृषि विभाग द्वारा किसानो को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिये गये हैं। इनका ब्यौरा **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9– वर्ष 2016–17 में किसानों को सब्सिडी पर दिए गए कृषि यंत्र

क्रम सं0	कृषि यंत्रों के नाम	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)
1.	जीरो टिल बीज सह उर्वरक ड्रिल	1876	250.35
2.	रोटावेटर्स	710	159.70
3.	बैड प्लान्टर्स (बहु फसल)	00	00
4.	पावर वीडर/स्प्रेयर/रिपर	00	00
5.	स्ट्रा रिपर	1462	840.98
6.	रिपर बाईन्डर	58	70.50
7.	कपास के बीज ड्रिल	183	23.97
8.	टैक्टर पर लगे स्प्रेयर	736	64.18
9.	लेजर लैंड लेवलर	348	215.60
10.	सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल	00	00
11.	डी एस आर	6	0.75
12.	व्हील हाथ कुदाल	00	00
13.	कल्टीवेटर	31	1.39
14.	हैप्पी सीडर	68	39.20
15.	मल्चर	38	21.60
16.	स्ट्रा बेलर	3	1.50
17.	बैल चालित यंत्र	00	00
18.	मैनुअल स्प्रेयर	2	0.01
लाभार्थियों की संख्या/कुल व्यय		**5521**	**1689.73**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

प्राकृतिक आपदा एवं राहत कार्य

3.19 राज्य सरकार ने प्रति एकड़ मुआवजा दर बढ़ाने के साथ–साथ बाढ़, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी–तूफान और सफेद मक्खी के प्रकोप आदि के कारण क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने का दायरा बढ़ाया है। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि पहली मार्च, 2015 से बढाकर 12 हजार रूपये प्रति एकड़ कर दी गई है तथा कम से कम नुकसान होने पर छोटे से छोटे हिस्सेदार को भी न्यूनतम 500 रूपये मुआवजा दिया जाता है।

3.20 प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान की निःशुल्क राहत/क्षतिपूर्ति का वितरण करने के लिए विभिन्न जिला उपायुक्तों को स्वीकृत की गई क्षतिपूर्ति राशि का विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10– निःशुल्क राहत/क्षतिपूर्ति का वितरण

क0स0	जिला	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत राशि	उद्देश्य
1.	हिसार	21–4–2017	84,92,500	ओलावृष्टि/रबी 2015
2.	जीन्द, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी व सिरसा	5–5–2017	12,60,78,354	कीट हमला/ खरीफ 2015
3.	भिवानी	6–6–2017	2,00,00,000	सूखा/रबी 2015
4.	भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा व जीन्द	28–6–2017	51,89,54,500	ओलावृष्टि/रबी 2016
5.	भिवानी व हिसार	19–7–2017	5,54,08,000	ओलावृष्टि/रबी जनवरी, 2017
6.	भिवानी, रेवाड़ी व फतेहाबाद	15–12–2017	11,13,61,820	ओलावृष्टि/रबी मार्च, 2017

स्त्रोतः राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा।

3.21 राज्य सरकार द्वारा वर्षा व नदियों के जल प्रवाह को जॉचने के लिए वटस–एप सोशल मीडिया जैसे एपलिकेशन का प्रयोग किया है । गृह विभाग को राज्य आपदा प्रबंधन बल के लिए आपदा प्रबन्धन हेतू उपकरण खरीदने के लिए 13,20,48,010 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान 5,03,73,864 रूपये की राशि वर्ष 2008–2009 से 2015–2016 तक जल निकासी हेतू खर्च की गई बिजली के लम्बित बिलों की अदायगी तथा 28,03,133 रूपये की राशि वर्ष 2011–2012 से 2016–2017 तक जल निकासी के लम्बित डीजल तथा ट्रैक्टर के ईजन के ल्यूबरीकेन्टस चार्जज हेतू उपायुक्त भिवानी को स्वीकृत की गई है।

स्टैम्प एंव रजिस्ट्रेशन

3.22 हरियाणा सरकार द्वारा ई–स्टाम्पिंग कोर्ट फीस लागू करने हेतु कोर्ट फीस एक्ट, 1870 में हरियाणा अधिनियम क्रमांक 29, वर्ष 2016 दिनांक 27 सितम्बर 2016 द्वारा संशोधन अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2016–17 में शीर्ष 0030 के अधीन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की कुल आय 3,260 करोड़ रूपये थी तथा लक्ष्य 3,700 करोड़ रूपये था। वर्ष 2017–18(31 दिसम्बर, 2017 तक) में शीर्ष 0030 के अधीन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की कुल आय 3041.12 करोड़ रूपये थी तथा लक्ष्य 3,900 करोड़ रूपये था।

बीज प्रमाणीकरण

3.23 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना बीज अधिनियम 1966 की धारा–8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों और रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटिज एक्ट–1860 के अधीन इसका पंजीकरण हुआ जो 6–4–1976 से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई फसलों के बीजों/जातियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है। फसलवार निर्धारित

मानकों का विवरण, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको में दिया हुआ है। प्रमाणीकरण का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन करने वाली संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, हैफैड, हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम, उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ.एफ.डी.सी., कृभको एवं अन्य व्यक्तिगत बीज उत्पादकों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण किये गए क्षेत्र और प्रमाणित किये गए बीजों की मात्रा का ब्यौरा **तालिका 3.11** में दिया गया है।

3.24 वर्तमान में, राज्य में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 235 प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिनमें विभिन्न फसलों की जातियों के बीजों का प्रसंस्करण का कार्य प्रमाणीकरण के उद्देश्य से होता है। बीजों के प्रसंस्करण के उपरान्त, प्रत्येक लोट से बीज का एक नमुना लेकर और उसे राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल व सिरसा (कृषि विभाग के अधीन नियन्त्रित) व बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला पंचकुला व रोहतक में आवश्यक जांच के लिए भेजा जाता है, तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लॉट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करती है तब लॉट को प्रमाणित कर दिया जाता है।

तालिका 3.11–निरीक्षण किया गया क्षेत्र व प्रमाणित किये गए बीजों की मात्रा

वर्ष	निरीक्षण किया गया क्षेत्र (000 हैक्टयेर)	प्रमाणित की गई मात्रा (000 क्विंटल)
2013–14	73.34	2070.15
2014–15	75.73	2055.72
2015–16	89.46	2748.69
2016–17	103.27	3275.11
2017–18 (लक्ष्य)	103.50	3300.00

स्त्रोतः हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था ।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड

3.25 हरियाणा बीज विकास निगम किसानो के कल्याण के लिए कार्य करता है और निगम का मुख्य उद्देश्य किसानों को नांममात्र लाभ पर गुणात्मक बीज प्रदान करना है। हरियाणा बीज विकास निगम एक मूल्य नियंत्रक के रूप में भी काम करता है ताकि राज्य में बीज की कीमतों पर रोक लगा सके। कभी–कभी सरकार को हरियाणा बीज विकास निगम की लागत के मुकाबले बीज की दरों को कम करना पड़ता है, जिससे राज्य के किसानों को लाभ देने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम को नुकसान का सामना करना पड़ता है। हरियाणा बीज विकास निगम ने 2015–16 और 2016–17 के दौरान हरियाणा राज्य के किसानों को 6,43,387 क्विंटल गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति की है जो कि निगम की स्थापना के बाद राज्य में दो वर्षों की सबसे ज्यादा बिक्री है। इन वर्षों के दौरान बीज की दरें/मूल्य भी वास्तविक और निचले स्तर पर थे। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा उत्पादकों के लिए परिवहन में होने वाले खर्च पर छूट भी बढ़ा दी गई है, जिससे उत्पादक किसान प्रोत्साहित हुए हैं। गेहूं के बीज के एम.एस.पी पर प्रिमियम 18 प्रतिशत से बढाकर 18.5 प्रतिशत करके उत्पादक किसानों को लाभ दिया । जिस कारण निगम को नुकसान का सामना करना पडा, परन्तु उत्पादक किसान मजबूत और प्रोत्साहित हुए । इसके अलावा, किसानों को फायदा देने के साथ–साथ निगम की आय बढाने के लिए एक विजन दस्तावेज (2026–27), पिछले 10 वर्षों अर्थात् 2007 से 2017 के मूल्यांकन के उपरान्त तैयार किया गया है, जोकि हरियाणा बीज विकास निगम के इतिहास में पहली बार हुआ है । विजन 2027 द्वारा वर्ष 2017 से 2026–27 तक वर्षवार निगम की बिक्री व लाभ को लक्षित किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि निगम कि कमजोरियों और ताकतों को भी मध्यनजर रखते हुए, जहां कमजोरियां है वहां सुधार किया जाएगा और मुनाफे की तरफ ले जाया

जाएगा । तदानुसार, दृष्टि दस्तावेजों में यह रणनीति तैयार की गई है कि कारोबार और लाभ के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए । वर्ष 2017–18 के दौरान 141 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने का निगम ने लक्ष्य रखा है तथा विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद भी 1 करोड़ से अधिक लाभ का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इसी तरह, निगम ने वर्ष 2018–19 के दौरान 170 करोड का कारोबार करने व 3 करोड रूपये के लाभ का लक्ष्य रखा है। हर वर्ष 2026–27 तक लाभ की दर को कम से कम रखते हुए निगम की बिक्रि व लाभ को बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि अनुमानित कारोबार से ज्यादा लाभ का लक्ष्य हासिल किया जा सके। निगम का जोर उत्पादन को बढ़ाने, स्वयं के बीज संसाधन प्लांटो का पूर्ण क्षमता तक प्रयोग करने, बाहरी स्रोतों से प्राप्त बीज खरीदने की प्रकिया को बढाना, यदि निगम उन बीजो को तैयार नहीं कर सकता, अंतर राज्य विपणन को बढावा देना, कर्मचारियो को प्रशिक्षित करना, डिजिटल कम्प्यूट्रीकरण और अन्य कृषि सांधनो के माध्यम से विविधीकरण को बढावा देना आदि शामिल है । हरियाणा राज्य के किसानों को बीजों के अनुदान की राशि राज्य की अन्य संस्थांओं तथा भारत सरकार जिनका बीजों से सम्बन्ध नहीं है की बजाय केवल हरियाणा बीज विकास निगम के द्वारा ही आंवटित की जाए । बीज उत्पादक, निगम के अधिकारीगण और राज्य सरकार मिलकर बीज निगम की बढ़ौतरी के लिये भरपूर प्रयास कर रहे है।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.26 हरियाणा बीज विकास निगम ने वर्ष 2016–17 के दौरान खरीफ फसलों के प्रमाणित बीजों का 7,975 किवंटल तथा रबी फसलों के प्रमाणित बीजों का 2,74,725 क्विंटल उत्पादन किया। किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 75 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है, इसके अतिरिक्त सभी विभिन्न सरकारी/सहकारी संस्थाओं जैसे मिनी बैंकों, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम आदि के माध्यम से भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त खरपतवार नाशक, कीट नाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां भी बीज बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है जो कि किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाणा बीज विकास निगम राज्य से बाहर अन्य राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों एवं बहुतायत बीज खरीददारों और वितरकों को भी प्रमाणित बीजों की पूर्ति करता है। वर्ष 2017–18 (खरीफ–2017) के दौरान निगम ने 37851.55 क्विंटल (बाहरी राज्यों सहित) विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, बाजरा, इत्यादि तथा रबी 2017–18 में 2,01,556 (अनुमानित) क्विंटल गेहूँ, दालें, तेल बीज, जौ, जई एवं बरसीम आदि के बीजों की विक्री की है। इसी तरह, 35,000 क्विंटल का लक्ष्य खरीफ फसलों और 3,65,000 क्विंटल रबी फसलों के लिए, ताकि कुल 4,00,000 क्विंटल (खरीफ+रबी) वर्ष 2018–19 के दौरान बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है जिससे किसानों और निगम को लाभ होगा।

3.27 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों जैसे कि एन.एफ.एस.एम., एम.एम.ए., आई.एस.ओ.पी.ओ.एम., आर.के.वी.वाई., फसल विविधिकरण योजना, राज्य योजना एवं ए3पी स्कीम आदि के तहत उपलब्ध करवाता है। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा 546.60 क्विंटल ज्वार और 2,241.60 क्विंटल मक्का अफ्रीकन टाल 75 प्रतिशत अनुदान

आर.के.वी.वाई के अन्तर्गत हरा चारा विकास परियोजना और 4,620.60 क्विंटल हाई ब्रिड मक्का 100% अनुदान फसल विविधिकरण योजना के लिए (राज्य योजना) तथा फसल विविधिकरण कार्यक्रम (आर.के.वी.वाई) तथा 23,405.08 क्विंटल ढैंचा का बीज 75% अनुदान फसल विविधिकरण योजना के लिए (राज्य योजना) तथा फसल विविधिकरण कार्यक्रम (आर.के.वी.वाई) के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया। निगम ने खरीफ 2017 के दौरान बी.टी. काटन के 2,899 पैकेट हरियाणा के किसानो को बेचे। निगम ने रबी 2017–18 में राज्य के किसानो को, निगम के बिक्री कॉउंटरो के माध्यम से बरसीम व जई का बीज उपलब्ध करवाया। 2013–14 से 2017–18 तक प्रमाणित बीजो की बिक्री प्रगति एवं वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित लक्ष्य **तालिका 3.12** में दर्शाये गये हैं ।

तालिका 3.12 निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल)

मौसम	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (अनुमानित)	2018–19 (लक्ष्य)
खरीफ	32922	14669	11750	36363	37851	37000
रबी	262384	229833	304650	279410	201556	308960
कुल	**295306**	**244502**	**316400**	**315773**	**239407**	**345960**

स्त्रोतः हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड।

3.28 हरियाणा बीज विकास निगम इसके अतिरिक्त, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अन्य कृषि संबंधी उत्पादों जैसे मवेशी–फीड, वीटा/हैफेड उत्पाद, जैविक बीज और कार्बनिक उत्पादन, जैविक उर्वरक, स्प्रे पंप, कम्पोस्ट मशीन आदि के माध्यम से व्यापार में विविधता लाने जा रहा है जो 2018 से आने वाले वर्षों में और भी तेज होगा। यह न केवल निगम के बिक्री और लाभ में शामिल होगा बल्कि किसानों और संबंधित हितधारकों को भी लाभ होगा।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.29 हरियाणा भूमि सुधार एवम् विकास निगम लिमिटिड (एच.एल.आर.डी.सी.) की स्थापना वर्ष 1974 में की गई । निगम का मुख्य कार्य कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम (आर.के.वी.वाई), राष्ट्रीय मिशन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम (नमूप) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम (एन.एफ.एस.एम) के अर्न्तगत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है । वर्ष 2016–2017 में (31 मार्च, 2017 तक) निगम ने विभिन्न स्कीमों में 26,889 मी0.टन व वर्ष 2017–18 में (31–12–2017 तक) 34,995 मी.टन जिप्सम हरियाणा राज्य के किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाई है । हरियाणा राज्य के कुल 4,05,499 हैक्टेयर कल्लर भूमि में से निगम ने 3,71,616 हैक्टेयर भूमि का सुधार 31–12–2017 तक कर दिया है । भारत सरकार के नवीनतम सर्वे के अनुसार जो वर्ष, 2010 में किया गया है, हरियाणा राज्य में अब अनुमानित 1,84,000 हैक्टेयर कल्लर भूमि का सुधार और किया जाना है जो आगामी 10 से 15 वर्षो में पूरा कर लिया जायेगा । वर्ष 2016–2017 में (31–3–2017 तक) निगम ने 30 मी.टन डी.ए.पी, 245 मी. टन यूरिया, 25 एम.टी. जिंक सल्फेट, 30,654 लीटर/किलोग्राम खरपतवार नाशक/कीटनाशक दवाईयां, 12,216 क्विंटल गेहूं का बीज व 1,313 स्प्रे पम्प की बिक्री की गई है व वर्ष 2017–18 में (31–12–2017 तक) निगम ने 201 एम.टी. माईक्रयोन्यूट्रीयेन्ट, 1,727 एम.टी. डी.ए.पी., 9,304 एम.टी. यूरिया, 87 एम.टी. सिंगल सुपर फॉस्फेट, 48 एम.टी. एन.पी.के, 74,600 किलोग्रम बायोफर्टीलाईजर 8,217 लीटर/किलोग्रम/यूनिट खरपतवार/ कीटनाशक दवाईयां, 531 स्प्रे पम्प व 15,846 क्विंटल गेहूं के बीज की बिक्री हरियाणा राज्य के किसानों को की गई है।

बागवानी

3.30 पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है। हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य में अधिकतर सभी तरह के फल सब्जी, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जाते हैं। कुल क्षेत्र के 85 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फल व मसाले इत्यादि हैं। बागवानी विभाग जलवायु और मिट्टी की स्थिति के अनुसार बेहतर फसल की खेती के लिए कलस्टर दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर रहा है। वर्ष 2016–17 की अपेक्षा वर्ष 2017–18 का बागवानी बजट 37,844.45 लाख रूपये से बढ़ाकर 39,692.55 लाख रूपये कर दिया गया है।

विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रमः

3.31 विभाग द्वारा चलाई जा रही 20 योजनाओं में से 11 राज्य योजना स्कीम, 5 केन्द्रीय योजना (हिस्सा आधारित), एक योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित और 3 गैर योजना स्कीम हैं। राज्य में किसानों को विभिन्न घटकों पर अनुदान योजनाओं द्वारा बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को क्षेत्र विस्तार, खुम्ब उत्पादन, फूल और मसाले की खेती, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जल संसाधनो के सृजन, संरक्षित खेती, जैविक खेती, बागवानी मशीनीकरण इत्यादि जैसे विभिन्न घटकों पर प्रकार अनुसार 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.32 राज्य में 4.90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 7.57 प्रतिशत है। वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 70.97 लाख मीट्रीक टन था।

फल की खेती

3.33 वर्ष 2016–17 में 7.70 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फल का क्षेत्र 61,596 हैक्टेयर था। वर्ष 2017–18 में 10.50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 67,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और दिसम्बर, 2017 तक 4.95 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फलों का क्षेत्र 5,515 हैक्टेयर है **(तालिका 3.13)**।

तालिका 3.13– फलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	उपलब्धियां 2016–17		लक्ष्य 2017–18		उपलब्धियां 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) नींबू वर्गीय फसलें	20054	323923	21556	420963	1096.90	201667.0
2) आम	9337	96788	9591	111527	693.00	62609.0
3) अमरूद	11725	163219	12661	216212	730.65	105482.5
4) चीकू	1677	16066	1792	21874	23.00	16109.0
5) आंवला	2224	10582	2285	31925	5.00	7452.0
6) अन्य	16579	160387	19115	247499	2966.45	101531.5
योग	**61596**	**770965**	**67000**	**1050000**	**5515**	**494851.0**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

सब्जी की खेती

3.34 वर्ष 2016–17 में 61.80 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल सब्जी की खेती का क्षेत्र 4,11,051 हैक्टेयर था । वर्ष 2017–18 में 79.05 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 4,65,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और दिसम्बर, 2017 तक 34.79 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल सब्जियों का क्षेत्र 3,27,966 हैक्टेयर है **(तालिका 3.14)**।

तालिका 3.14– सब्जीय फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	उपलब्धियां 2016–17		लक्ष्य 2017–18		उपलब्धियां 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) आलू	34529	896952	39378	1095919	33335	217890
2) टमाटर	31821	643592	33694	867536	23675	325976
3) प्याज	31005	682936	35214	905820	15512	640547
4) बेल वाली सब्जी	24492	300355	27573	395073	11105	166130
5) फूल गोभी	39513	640153	40957	743125	37013	382766
6)पत्ते वाली सब्जी	32581	352301	36175	475749	30239	200014
7) मटर	14037	114460	16083	142582	14460	37677
8) बैंगन	16092	292140	18758	425081	12663	189360
9) अन्य	186981	2257541	217168	2854115	149964	1319344
योग	**411051**	**6180430**	**465000**	**7905000**	**327966**	**3479704**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मसाले

3.35 वर्ष 2016–17 में 0.78 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल मसालों का क्षेत्र 11,651 हैक्टेयर था। वर्ष 2017–18 में 1.00 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 14,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और दिसम्बर, 2017 तक 0.44 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल मसालो का क्षेत्र 8,566 हैक्टेयर है **(तालिका 3.15)**।

तालिका 3.15– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालों के नाम	उपलब्धियां 2016–17		लक्ष्य 2017–18		उपलब्धियां 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) अदरक	108	1877	320	5231	435	1835
2) लहसुन	3878	40764	4412	49724	3041	28971
3) मैथी	3285	6892	3909	11417	2492	4571
4) अन्य	4380	28642	5359	33628	2598	8886
योग	**11651**	**78175**	**14000**	**100000**	**8566**	**44263**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.16– औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के नाम	उपलब्धियां 2016–17		लक्ष्य 2017–18		उपलब्धियां 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) एलोवेरा	103.0	8149	74	117.02	49.0	28220
2) स्टीविया	18.0	44	24	3.40	0.4	58
3) अरन्डी	20.0	0	0	0.00	0.0	0
4) अन्य	191.4	6968	75	1051.58	2.1	1732
योग	**332.4**	**15161**	**173**	**1172.00**	**51.5**	**30010**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.36 वर्ष 2016–17 में 0.15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र 332.4 हैक्टेयर था । वर्ष 2017–18 में 0.11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 173 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है और दिसम्बर, 2017 तक 0.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र 51.5 हैक्टेयर है **(तालिका 3.16)**।

फूलों की खेती

3.37 वर्ष 2016–17 में 0.56 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल फूलों का क्षेत्र 5,514.25 हैक्टेयर था । वर्ष 2017–18 में 0.69 लाख मीट्रिक टन फील्ड फलावर व 1308 लाख कट फलावर उत्पादन के साथ 6,580 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है और दिसम्बर, 2017 तक 2.7 लाख मीट्रिक टन ओपन फिल्ड उत्पादन व 224.71 लाख कट फलावर उत्पादन के साथ कुल फूलों का क्षेत्र 2853.1 हैक्टेयर है।**(तालिका 3.17)**।

तालिका 3.17– फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	उपलब्धियां 2016–17			लक्ष्य 2017–18			उपलब्धियां 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	कट फलावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	कट फलावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	कट फलावर उत्पादन (लाख)
ग्लोयोलियस	145	0	118.11050	192	0	28520600	87	0	509224
गेंदा	4936.2	54933.5	0	5895	67668	0	2478.2	13550	0
गूलाब	153.7	1088	11279969	229	1191	38929400	107.6	221030	3865227
अन्य	279.35	208.25	56608192	264	141	63350000	180.3	35659.6	18096800
योग	**5514.25**	**56229.75**	**67888280**	**6580**	**69000**	**130800000**	**2853.1**	**270239.6**	**22471251**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मशरूम

3.38 वर्ष 2016–17 में खुम्ब का उत्पादन 10,530 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया। वर्ष 2017–18 में 11,470 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और दिसम्बर, 2017 तक 4,728 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है।

संरक्षित खेती

3.39 रोग मुक्त पौधे, गैर मौसमी व कीटनाशक रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2016–17 में 34.20 करोड़ के व्यय से 92.85 हैक्टेयर क्षेत्र पर पोली हाऊस/ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 के लिए 63.11 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2017 तक 58.73 हैक्टेयर पोली हाऊस/ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। जिस पर कुल राशि 1,336.88 करोड़ खर्च हुई।

कम्यूनिटी टैंक

3.40 वर्ष 2016–17 में 215 सामुदायिक तालाब बनाये गए जिन पर 7.88 करोड़ खर्च हुआ। वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर, 2017 तक) 63 सामुदायिक व 21 व्यक्तिगत तालाब बनाये गए जिन पर 536.57 लाख रूपये खर्च हुए हैं।

सूक्ष्म सिंचाई

3.41 सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत **"पर ड्रोप मोर क्रोप"** के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान तक 705.29 खर्च के साथ 1,303 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है । दिसम्बर, 2017 तक 878.69 लाख रूपये खर्च करके 2,035 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है।

नई पहल (2017–18)

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापनाः

3.42 बागवानी फसलों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है । बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला दिनांक 6–4–2016 को माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा रखी जा चुकी है। एक्ट पास हो चुका है और सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 50 करोड़ रूपये का बजट रखा है। बागवानी विश्वविद्यालय, अजनथली, करनाल की स्थापना के लिए स्टैन्डींग फाईनांस कमेटी ने लगभग 486.59 करोड़ रूपये की लागत से 2017–18 से 2021–22 तक 5 साल की योजना को सैधांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है।

3.43 एम.ओ.यू. तथा एल.ओ. आई समझौतेः

- कृषि को बढ़ावा व तकनीक के स्थानान्तरण के लिए सरकार ने 8 अगस्त, 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका के आईओवा राज्य के कृषि विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फल व सब्जियों के कटाई उपरान्त प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना के लिए अमेरिका की एक फर्म के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर 4–9–2016 को हस्ताक्षर किए गये। इससे विशेषकर **'हरियाणा फ्रेश'** ब्राण्ड उत्पाद के ब्रांडिंग, पैकेजिंग व विपणन के लिए सहायता मिलेगी।
- सरकार ने कृषि और बागवानी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड में दिनांक 13–2–2017 को Wageningen विश्वविद्यालय एवम् शोध केन्द्र के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
- बागवानी विभाग ने विभागीय संस्थानों और केन्द्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण हेतू बागवानी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद, एन.एस.डी.सी, भारत सरकार के साथ 17–2–2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए 6 केन्द्रों को अधिसूचित किया गया है ।
- विभाग ने क्लीन कोल्ड चेन की तकनीक के लिए वर्ष 2017 में Brimingham यूनिवर्सिटी (यू.के) के साथ बातचीत की है।

3.44 नए केन्द्रों की स्थापनाः सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना कर रही है। करनाल, सिरसा तथा कुरूक्षेत्र में तीन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। एक अन्य दूसरे केन्द्र समग्र मधुमखी पालन विकास केन्द्र का उद्घाटन 10 नवम्बर 2017 को रामनगर, कुरूक्षेत्र में किया जा चुका है । दो अन्य केन्द्रों जिनमें एक सोंधी (झज्जर) व एक होडल (पलवल) में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। बाकि केन्द्रों की स्थापना अगले वर्ष की जाएगी।

3.45 किसान उत्पादक संगठन का गठनः (एफ.पी.ओं.): बागवानी उत्पाद हेतू समग्र बाजार को विकसित करने के लिए सरकार ने 78 किसान उत्पादक संगठन बनाएं हैं जो कि 25,049 किसानों सहित 741 किसान रूची समूह (एफ.आई.जी.) 20 जिलों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सीधा फायदा लेते हैं। ये किसान तकनीक का सीधा स्थानान्तरण, मौसम और बाजार की सूचना प्राप्त करने के लिए सीधे किसान पोर्टल से जुड़े हुए हैं।

3.46 फसल समूह विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) : नई योजना अर्थात फसल समूह विकास कार्यक्रम 510.36 करोड़ रूपये बजट के साथ शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर में विपणन ढांचा और फसल प्रबंधन सुविधाओं जैसे पैक हाउस, प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग–छंटनी मशीन, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा इनपुट और गुणवता नियंत्रण इत्यादि सुविधाऐं बागवानी उत्पादन के प्रभावी विपणन के लिए दी जाएंगी।

3.47 तकनीकी प्रदर्शन/उत्कृष्टता केन्द्र 7 स्थानों परः

- उद्यान बायो तकनीकी केन्द्र, शामगढ़, करनाल — 4.25 करोड़ रूपये (दिनांक 6–4–2016 को उद्घाटन)
- सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र, घरौन्डा, करनाल — 6.00 करोड़ रूपये (जनवरी, 2011 को उद्घाटन) और किसानों को लाभान्वित कर रहा है।
- फल उत्कृष्टता केन्द्र, मांगियाना (सिरसा) — 9.70 करोड़ रूपये (मई, 2013 को उद्घाटन) और किसानों को लाभान्वित कर रहा है।
- उप उष्णकटिबंधीय फल केन्द्र, लाडवा, (कुरूक्षेत्र) — 9.10 करोड़ रूपये (दिनांक 6–4–2016 को उद्घाटन)
- मधुमक्खी उत्कृष्टता केन्द्र, रामनगर, (कुरूक्षेत्र) — 10.50 करोड़ रूपये (दिनांक 10–11–2017 को उद्घाटन)
- फूल उत्कृष्टता केन्द्र, झज्जर — 15.00 करोड़ रूपये (कार्य शुरू हो चुका है)
- अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केन्द्र, भूना (फतेहाबाद) — 1.00 करोड़ रूपये (उद्घाटन किया जाना है)
- उत्कृष्टता केन्द्र, होडल (पलवल) का कार्य शुरू हो चुका है।
- उत्कृष्टता केन्द्र, सुन्दरह, नारनौल का कार्य शुरू हो चुका है।
- आने वाले वर्षो में स्थापित किए जाने वाले नए उत्कृष्टता केन्द्र :

  नूह–मेवात, मुरथल–सोनीपत, बरवाला–हिसार, भूना– फतेहाबाद व रेवाड़ी

3.48 भावान्तर भरपाई योजनाः भावान्तर भरपाई योजना माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 30–12–.2017 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार में बागवानी उत्पादों की कम कीमत के जोखिम को कम करना है और कृषि में विविधीकरण के लिए किसानों को प्रेरित करना है। पहले चरण में चार फसलों जैसे प्याज, टमाटर, आलू व फूलगोभी को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एच.एस.ए.एम.बी. की वैबसाईट पर भावान्तर भरपाई योजना पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। वर्ष 2017–18 के लिए 24.84 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

3.49 बागवानी विजन दस्तावेजः सरकार ने अगले 15 वर्षों में बागवानी के क्षेत्र को दो गुणा व उत्पादन को तीन गुणा करने के लिए वर्ष 2030 तक का 'बागवानी विजन' तैयार किया है। इस परिकल्पना के अनुसार वर्तमान में बागवानी के अंतर्गत कुल खेती क्षेत्र का 7.5 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत क्षेत्र लाया जाएगा।

सिंचाई

3.50 हरियाणा, स्तही जल के किसी भी बारहमासी स्त्रोत के बिना और उसका पानी में हिस्सा विभिन्न अंतर्राज्यीय समझौते पर निर्भर होने के बावजूद स्तही पानी का प्रबंधन इतने अच्छे तरीके से कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डारण में हरियाणा राज्य मुख्य योगदानकर्ता में से एक बन गया है। सिंचाई विभाग की उपलब्धियां **तालिका 3.18** से **3.20** में दर्शाई गई हैं ।

तालिका 3.18– सिंचाई व जल निकासी की वर्ष 2016–17 के दौरान कमीशंड की गई परियोजनाएं

परियोजनाओं के प्रकार	मुख्य परियोजनाएं			मध्यम परियोजनाएं			लघु परियोजनाएं		
	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)
सिचाई	6	548368	6950.23	34	1063951	7251.26	–	–	–
बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी	6	1210542	4291.94	08	102620	2386.73	–	–	–
कुल	**12**	**1758910**	**11242.17**	**42**	**1166571**	**9637.99**	–	–	–

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

तालिका 3.19–वर्ष 2016–17 के दौरान सिंचाई व जल निकासी की सुविधाओं की मरम्मत/रखरखाव पर खर्च

परियोजनाओं के प्रकार	मुख्य परियोजनाएं			मध्यम परियोजनाएं			लघु परियोजनाएं		
	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फीट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)
सिचाई (गाद निकालना, सुरक्षा, रख–रखाव)	55	4921200	2855	272	6233520	4515	215	25300800	3550
बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी (गाद निकालना, सुरक्षा, रख–रखाव)	25	1738400	315	115	738000	380	280	7708000	385
कुल	**80**	**6659600**	**3170**	**387**	**6971520**	**4895**	**495**	**33008800**	**3935**

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

तालिका 3.20– वर्ष 2016–17 के दौरान जल चैनल के निर्माण और मरम्मत पर खर्च

कार्य के प्रकार	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	भौतिक (फीट)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (फीट)	वित्तीय (लाख रूपये)
पानी के नये चैनलों का निर्माण	4280000	15030.00	3640375	10140.74
मौजूदा जल चैनलों की मरम्मत	-	-	2362548	9802
कुल	**4280000**	**15030.00**	**6002923**	**19942.74**

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

3.51 हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग राज्य में नहर व जल निकासी प्रणाली के संचालन और रखरखाव के साथ–साथ सिंचाई, पीने का पानी, तालाबों के भरने और औद्योगिक व अन्य व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति करवाने के लिए जिम्मेवारी रखता है । हरियाणा द्वारा 14,085 कि.मी. लम्बाई की 1,461 चैनलों की व्यापक नहर प्रणाली का विकास किया गया है । भाखडा प्रणाली में कुल 5,961 कि.मी. की लम्बाई में कुल 522 नहरें हैं, यमुना प्रणाली में 4,422 कि.मी. की लम्बाई में कुल 446 नहरें हैं व उठान प्रणाली में 3,702 किमी की लम्बाई में 493 नहरें हैं । इसके अलावा, राज्य में 5,150 कि.मी. लम्बाई की लगभग 800 ड्रेनों की विशाल निकास प्रणाली है । राज्य में नहर प्रणाली बहुत पुरानी है और निरंतर चलने वाली प्रणाली के कारण वाहक चैनलों की क्षमता कम हो गई है । इस कारण इसका पुनर्वास करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार मौजूदा नहर प्रणाली की वाहक क्षमता बढाकर इसका पुर्ननिर्माण करने की योजना बना रही है जिससे मानसून ऋतु में अतिरिक्त पानी को राज्य में सिंचाई के अलावा संरक्षण के काम में लाया जा सके । सरकार के ध्येय यानि ''हर खेत को पानी'' को साकार करने के लिए विभिन्न पम्पों और जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली की विभिन्न नहरों की क्षमता को बढाने के लिए 143 करोड़ रूपये की लागत की योजना स्वीकृत की गई है । दिसम्बर, 2017 तक 96.10 करोड़ रूपये की लागत से लगभग 63.17 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य दिनांक 31–3–2018 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। चालू नहरों की वाहक क्षमता में कमी और बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जा रहा है। 3,000 लाख रूपये की लागत से डब्ल्यू.जे. सी. मैन ब्रांच की आर.डी. 27800, 40300, 51000, 96000 व 116000 पर 5 पुराने व क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण किया गया ।

3.52 हरियाणा में कुल 1,350 नहरों की टेल हैं । इनमें से 1,343 टेलों पर पानी की आपूर्ति की जा चुकी है बाकि 7 टेलों पर तकनीकी कारणों की वजह से पूर्ण रूप से आपूर्ति नहीं हुई है । जुलाई से सितम्बर, 2017 के दौरान (2014 की तुलना में) 39 साल बाद

जेएलएन फीडर में 150 प्रतिशत पानी, महेन्द्रगढ़ कैनाल में 157 प्रतिशत पानी की आपूर्ति हुई जो सही मायनों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लोहारू कैनाल के सबसे लम्बे जल मार्गो में 25 साल बाद 184 प्रतिशत पानी की आपूर्ति की गई, विगत दशकों की तुलना में इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान 156 प्रतिशत पानी के साथ जेएलएन कैनाल द्वारा रेवाड़ी जिले को आपूर्ति की गई – राज्य के कम बारिश वाले क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है ।

3.53 150 करोड़ की लागत से पेटवार शाखा, हांसी ब्रांच, हिसार मुख्य रजवाहा, हिसार रजवाहा, जीन्द रजवाहा नं0 3, पृथला रजवाहा, मारकण्डा रजवाहा, चन्द्र माईनर, भिड़ाना रजवाहा, बुड़ाक माईनर, दड़ौली रजवाहा, टोहाना रजवाहा, सिंसर माईनर, खरल माईनर, कालवां माईनर, पंजोखरा माईनर, ईशरवाल रजवाहा, निगाना–बुरटाना लिंक चैनल, गुजरानी माईनर, निगाना फीडर, कैरू माईनर, जुई फीडर, सेली माईनर, जहांगीरपुर माईनर, लोहारू रजवाहा, जुलाना सब माईनर आदि के वृहद पुर्नवास के कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 में शुरू कर दिए गए है। इन चैनलों के पुनर्वास का कार्य पूरा होने के अन्तिम चरण में है । इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 में स्टेट प्लान और नाबार्ड के तहत 125 चैनलों के पुनर्वास की योजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत 550 करोड़ रूपये है ।

3.54 मानसून ऋतु के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए वाहक प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की निम्नलिखित योजनाएं पाईपलाईन में हैः–

- आरडी 68220 (हमीदा हैड) से आरडी 190950 (इंद्री हैड) तक पश्चिमी जमुना नहर मेन लाईन लॉअर की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 120.19 करोड़ रूपये है, इसमें से 45.00 करोड़ रूपये की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है ।
- डब्ल्यू.जे.सी. मेन ब्रांच की आरडी 0–154000 की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 202.10 करोड़ रूपये है, इसमें से 35 करोड़ रूपये की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं ।
- पी.डी. ब्रांच (Parallel Delhi Branch) की आरडी 0–145250 की क्षमता बढ़ाने के पुनर्वास कार्य के लिए, जिसकी अनुमानित लागत 304 करोड़ रूपये है, की परियोजना बनाई गई है जिसको प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा गया है ।
- आवर्धन नहर के पुनर्निर्माण की एक परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 489 करोड़ है, बनायी गयी है इसके अनुसार एक नया सीमेंट–कंक्रीट पक्का चैनल जिसकी क्षमता 6000 क्यूसेक है बनाने का प्रस्ताव है । यहां यह बताया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस परियोजना को आर.आई.डी.एफ XXIV को दिनांक 13–12–2017 को हुई मीटिंग में स्वीकृत किया गया है । इन परियोजनाओं के लागू होने से 4,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मानसून सीजन के दौरान राज्य में लाया जा सकेगा ।

3.55 लोहारू नहर प्रणाली की क्षमता में सुधार लाने के लिए 25 करोड़ रूपये की लागत से लोहारू एवं बधवाना नहर प्रणाली के विभिन्न पम्पों व विद्युत घटकों की मुरम्मत व दोबारा लगाने के कार्य को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है । कुछ पम्प हाउसों के लिए निविदाएं निकाल दी गई है । राज्य के गांवों में कुल 15,000 तालाब/जल स्त्रोत हैं । भू–जल सिंचाई प्रणाली के विकास के कारण इन जल स्त्रोतों में से कई उपयोग योग्य नहीं हैं । हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड से प्राप्त निधि के तहत विभाग द्वारा गांवों के 350 परित्यक्त तालाबों का पुनर्वास पाईप लाईन बिछा कर नहरी पानी से जोड़ने की शुरूआत की गई है । इसके अलावा हरियाणा के विभिन्न

जिलों के 4,100 तालाबों को विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की गई है ।

3.56 कुल 15,404 जलमार्गों मे से लगभग 9,700 जलमार्गों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई विभाग और काडा द्वारा पक्का किया गया है । इनमें से अधिकत्र जलमार्ग 30 वर्ष पूर्व पक्के किए गए थे, इनमें से बहुत से जलमार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिनका वृहद पुनर्वास जरूरी है । विभाग ने 7,500 जलमार्गों को बड़ी मुरम्मत और पुनर्वास के लिए चिन्हित किया है । जलमार्गों की रिमॉडलिंग व पुनर्वास का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2016–17 में 175 जल मार्गों के पुनर्वास पर 100 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं । 125 जलमार्गों के पुनर्वास का कार्य 75 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 200 जलमार्गों के पुनर्वास की योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20 के लिए स्टेट प्लान व नाबार्ड के अन्तर्गत बनाई है ।

3.57 कुरूक्षेत्र में पवित्र ब्रहम सरोवर को विशेष पाईप लाईन द्वारा ताजा पानी उपलब्ध कराने के लिए 17 करोड़ रूपये की लागत की एक परियोजना प्रगति पर है और जून, 2018 के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है । मानसून 2017 के दौरान विभाग द्वारा कृष्णावती नदी में (10 कि.मी. तक) तथा दोहन नदी में (6 कि.मी. तक) अतिरिक्त पानी पुनर्भरण के लिए लगातार छोड़ा गया । इसके अलावा जल महल जो कि नारनौल शहर की ऐतिहासिक संरचना है तथा पर्यटक इस जगह घूमने आते हैं, इसको पहली बार नहरी पानी से 14 फीट गहराई तक भरा गया है। नारनौल शहर के सोभसागर व छोटा बड़ा तालाब भी पानी से भरे गए हैं । गांव बरकोडा के नजदीक अटेली रजवाहे 2.940– कि. मी. दाएं पर कृष्णावती नदी के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना गांव कटकाई तक 16 कि.मी. की लम्बाई की बनाने की प्रस्तावना है । भू–जल पुनर्भरण के लिए 70 इंजैक्शन कुएं स्थापित किए गए हैं (रेवाड़ी में 7, सिरसा में 14, नारनौल–हमीदपुर बंद–कृष्णावती व दोहान में 45) तथा सभी सफलतापूर्वक भू–जल पुनर्भरण का काम कर रहे हैं ।

3.58 उपलब्ध स्तही जल के अधिकत्म उपयोग हेतु लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा हरियाणा के विभिन्न जिलों के मौजूदा नहर कमांड में सामुदायिक आधारित फव्वारा और ड्रिप सिंचाई के ढांचे को स्थापित किया है । इस परियोजना का कुल वित्तीय परिव्यय कुल कृषि योग्य क्षेत्र 1,972.49 हैक्टेयर के अन्तर्गत 24.65 करोड़ रूपये है । इस परियोजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 30–7–2017 को गांव गुमथला गढ़ू (डेरा फतेह सिंह), पेहवा जिला कुरूक्षेत्र में किया गया । दिनांक 12–12–2016 को इस परियोजना की आधारशिला रखने के दौरान मान्नीय मुख्यमंत्री ने यह इच्छा जाहिर की कि ऐसी एक परियोजना हरियाणा के हर ब्लॉक में शुरू की जानी चाहिए । तदानुसार, किसानों के साथ गहन परामर्श के बाद, राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को प्रति ब्लॉक एक आउटलेट के साथ नहर कमांड का 20,957 हैक्टेयर क्षेत्र 132 आउटलेट के साथ 1.25 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से कवर करने की प्रस्तावना रखी है जिसकी अनुमानित लागत 262 करोड़ रूपये है । राज्य सरकार ने इस परियोजना को नीति आयोग की डी 3 एस–i पहल के तहत चयन करने की प्रस्तावना रखी है । संवीक्षा उपरान्त नीति आयोग द्वारा यह सूचित किया गया था कि पी.पी.पी. मोड के तहत विकास के समर्थन के लिए प्राप्त 400 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं के बीच हरियाणा परियोजना को चुना गया है। कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नीति आयोग द्वारा वांछित सूचना को देखते हुए राज्य की मजबूत मांग दर्शाने वाली सूचना प्रस्तुत की और कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर जल के संरक्षण और इसके अधिकतम उपयोग को देखते हुए, नीति आयोग ने इस परियोजना को शीर्ष 14 परियोजनाओं में चुना, जिसके लिए विकास

सहायता सेवाएं परियोजनाओं को (पी.पी.पी.) के माध्यम से प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए बदलने के लिए प्रदान की गई।

3.59 तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लाडवा, शाहबाद और पेहवा के लिए 3.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) अतिवृद्धि के पानी का उपयोग करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को बनाया गया है, संयोग से सभी तीनों चयनित कस्बें सरस्वती नदी के तट पर मूल रूप से पड़ते है । यह योजना सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई है। इसी तरह हरियाणा के विभिन्न जिलों में गांवों के 50 से अधिक बहने वाले तालाबों पर सौर शक्ति माइक्रो सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतू पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1,319 हैक्टेयर जमीन पर 16.68 करोड़ रूपये की सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जल क्रांति कार्यक्रम जिसमें अम्बाला जिले के 1,250 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र को मॉडल कमांड के रूप में चयनित किया गया जिसमें पानी और कृषि संबंधी सभी मुद्दों को सम्रग रूप से निपटाया जाएगा । चैनलों के संचालन के लिए बेहतरीन तकनीक वास्तविक हाईड्रोलॉजिकल डाटा, 100 प्रतिशत केन्द्र संचालित स्कीम राष्ट्रीय जल परियोजना भारत सरकार द्वारा 50.00 करोड़ रूपये की लागत से स्वीकृत हो चुकी है । शिवालिक पहाड़ियों के निचले हिस्से यानि कि पंचकूला में 3 और यमुनानगर में 9 कुल 12 जल भण्डारण संरचना बनाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए वैपकॉस से परामर्श लिया जा रहा है ।

3.60 बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी पहल के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनुमोदित बाढ़ योजनाओं का वर्षवार ब्यौरा **तालिका 3.21** में दिया गया है ।

3.61 हरियाणा में यमुना नदी के उपरी हिस्से में रेणुका, किशाउ और लखवार–व्यासी बांधों का निर्माण हरियाणा राज्य को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा । लखवार बांध के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटिड द्वारा आमंत्रित की जा चुकी हैं । इस योजना पर कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा ।

तालिका 3.21– वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

स्कीमों का विवरण	2016–17 (एच.एस.एफ. सी.बी. की 47 वीं बैठक)	2017–18 (एच.एस.एफ. सी.बी. की 48 वीं बैठक)
कुल स्वीकृत स्कीम	263	258
कार्य पूर्ण	110	70
कार्य प्रगति पर	50	47
कुल लागत (करोड़ रूपये)	480.17	488.97
व्यय (करोड़ रूपये)	73.66	81

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा ।

3.62 अंतर–राज्य मामलों को पूरी ताकत के साथ उठाया जा रहा है । राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई जो कि पिछले 12 वर्षों से लंबित थी अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–11–2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय लिया और माननीय न्यायालय ने कहा कि पंजाब 2002/2004 के निर्णय और दिनांक 31–12–1981 के समझौते को रद्द नहीं कर सकता । दिनांक 15–11–2016 को पंजाब कैबिनेट द्वारा एसवाईएल की जमीन को डिनोटिफाई करके जमीन को इसके वास्तविक स्वामियों को सौंपने का निर्णय लिया जिसके लिए हरियाणा सरकार ने आई.ए. न.–6 ओरिजनल सुट आफ् 1966 दायर किया । दिनांक 28–11–2016 को हरियाणा के सभी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडलों ने पंजाब में एस.वाई. एल. नहर के शेष भाग को जल्दी पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन सौंपा ताकि हरियाणा के लोगों को दीर्घ लम्बित न्याय मिल सके । दिनांक 24–3–2017 को ऐसा ही एक ज्ञापन केन्द्रीय गृह मंत्री को सौंपा गया । माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने दिनांक 11–7–2017 को दोंनों राज्यों के प्राधिकारियों को निर्देश दिए कि कोर्ट के वर्ष 2002 के निर्णय का पालन हो और इसे जल्दी ही निपटाया जाए । माननीय न्यायालय ने पंजाब राज्य को निर्देश दिए कि वह व्यवहार्यता और सौहार्द का रूख रखे जिससे कि केन्द्र सरकार दोनों पार्टियों को मामला सुलझाने के लिए एक साथ ला सके । दिनांक 7–9–2017 को अटॉरनी जनरल द्वारा माननीय न्यायालय को सूचित किया गया कि इस मुद्दे पर भारत सरकार मध्यस्थता कर रही है व इसके निपटान के लिए पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ पहले ही बैठकें की जा चुकी हैं और तदानुसार इसके लिए 6 सप्ताह का समय मांगा तथा माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई दिनांक 8–11–2017 को रखी थी। इस तिथि को मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई की अगली तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है ।

3.63 राज्य में सिंचाई आपूर्ति के लिए जैसे कि जल संसाधन, वर्षा जल संचय, वितरण नेटवर्क, खेत आवेदन और नई तकनीकों/सूचनाओं के विस्तार के लिए अग्रिम कार्य के रूप में 2016–17 में निश्चित किया जिसके लिए सभी जिलों में भारत सरकार की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई योजना बनाई जा चुकी है । कृषि विभाग प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की सभी गतिविधियों के लिए नोडल विभाग है ।

वन

3.64 हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसमें करीब 81 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अधीन है । वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 6.65 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है। इस क्षेत्र की वृद्धि हेतू राज्य में वर्ष 2017–18 के दौरान पौधों की बिक्री और मुफ्त आपूर्ति सहित 2.18 करोड़ पौधे 14,625 हैक्टेयर क्षेत्र पर रोपित कर पौधा रोपण के अधीन लाया गया है । वन विभाग द्वारा पंचायत समितियों के सहयोग से दो अभिनव स्कीमों का प्रचालन शुरू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ''हर गांव पेड़ों की छांव'' कार्यक्रम के तहत राज्य के गांवों में देशज प्रजातियों के 100 बड़े पौधों का प्रति गांव के हिसाब से पौधारोपण किया गया है। वर्ष 2017 के दौरान 1,27,000 पौधे लगाये जा चुके हैं। इस पहल में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "हर घर हरियाली" नाम की एक अन्य योजना चलाई जा रही है ताकि लोागों को छाया और ताजा फल प्रदान कर उनकी पोषक क्षमता को बढ़ाया जा सके जिसके तहत वर्ष 2017 में 1,80,000 फलदार पौधे घरों के आंगन में लगाये जा चुके हैं।

3.65 राज्य की जनता की परंपरागत औषधीय जड़ी बूटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने व उनकी लुप्तप्राय औषधीय पौधों के संरक्षण में शामिल करने के लिए संपूर्ण राज्य में 58 हर्बल पार्क स्थापित किये गये हैं। उधर मोरनी हिल में पतंजलि योग पीठ के तकनीकी सहयोग से एक 'विश्व हर्बल वन' विकसित किया जा रहा है जो निकट भविष्य में औषधीय पौधों का एक बड़ा भंडार होगा।

3.66 वन विभाग मुरथल, जिला सोनीपत में 116 एकड़ भूमि पर एक शहरी वन का विकास कर रहा है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2017 के दौरान सभी मुख्य शहरों की सीमा से 5 किलोमीटर तक सभी पहुॅच मार्गों के किनारे सजावटी पौधे लगाए गए हैं। राज्य में व खासकर शिवालिक तथा अरावली के क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज व कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी । जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सभी संभव स्थलों की पहचान कर ली गई है और चालू वर्ष 2017–18 के दौरान इन स्थलों पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 17 करोड़ का व्यय किया जा रहा है।

3.67 प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी हेतू वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक 800 गांवों में 1,990 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। आय सृजन गतिविधियों को अपनाने से उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये सदस्य वनीकरण, केंचुए की खाद, जैविक खेती, बालिका बचाओ आदि गतिविधियों में सक्रिय रूप सें शामिल हैं।

3.68 गांव थाना में ब्रह्मसरोवर तीर्थ के नाम से एक महत्वपूर्ण आर्द्र–भूमि है। यह स्थल पेहवा शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है तथा यहां कई पक्षियों का आवास है। इसलिए यह आर्द्रभूमि पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा धार्मिक श्रद्धा में वृद्धि करती है । इस कारण से इसे स्थानीय लोगों से विचार–विमर्श और उनकी सहमति से संरक्षित और सुरक्षित किए जाने की जरूरत है । ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के मध्यनजर तथा इस आर्द्र–भूमि में जलीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को आश्रय देने की क्षमता होने के चलते राज्य सरकार द्वारा इसे 'सामुदायिक रिजर्व' घोषित कर दिया गया है तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 30, जुलाई 2017 को इसका उद्घघाटन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पिंजौर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की सफलतापूर्वक चल रहा है।

3.69 "प्रकृति शिक्षा और जागरूकता" कार्यक्रम राज्यभर में क्रियान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 5–5–2016 को घोषणा की थी कि 6 माह के अन्दर मोरनी किले को पर्यटन के उद्देश्य से संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाये। संग्रहालय मय शिक्षा केन्द्र की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा भ्रमण हेतू जनता के लिए खोल दिया गया है । वन विभाग, हरियाणा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पेड़ काटने की अनुमति हेतू सरल तथा एच.ई.पी.सी. नामक 2 ई–सेवाएं एकल खिड़की प्लेटफार्म पर प्रस्तुत की गई हैं । हरसैक, हिसार के सहयोग से खण्डों की वन सीमाओं का अंकरूपण किया गया है ।

3.70 वर्ष 2018–19 के दौरान वनीकरण/वृक्ष लगाने सम्बंधी सभी राज्य तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाएं वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी । लगभग 15,000 हैक्टेयर से अधिक का वन क्षेत्र विभाग के अधीन किया जाएगा । औषधीय पौधों के अधीन और अधिक क्षेत्र लाने हेतू 'विश्व जड़ी बूटि वन' का और विकास किया जायेगा। वन, वन्य प्राणी तथा जैव विविधता के संरक्षण के प्रति ज्यादा लोगों को शिक्षित करने हेतू और अधिक सशक्त प्रयास किए जाएंगें । इन प्रयत्नों से गरीबी हटाने, रोजगार उपलब्ध करवाने तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य' को हासिल किया जा सकेगा ।

पशुपालन एवं डेयरी

3.71 राज्य में गौहत्या पर पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा ''हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौसंर्वद्वन अधिनियम, 2015'' दिनांक 19–11–2015 से लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत, गौहत्या और उनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाये गये हैं। गौहत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास व 1 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है और गौहत्या के उद्देश्य से गायों की अवैध तस्करी करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद एवं उस अवैध तस्करी में प्रयोग किये जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है।

3.72 देसी नस्ल की पांच दुधारू गायों से डेरी ईकाईयॉ स्थापित करने वाले को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 122 डेयरी इकाईयॉ स्थापित की जा चुकी हैं।

3.73 हरयाना नस्ल और साहीवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गुणवत्तायुक्त देशी गायों को पालने हेतु किसानों के प्रोत्साहन के लिये प्रदर्शन रिकार्डिंग की एक योजना शुरू की गई है और अधिक दुग्ध उत्पादन के आधार पर उनके मालिकों को 10 हजार रूपये से लेकर 20 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस वर्ष के दौरान, अब तक 827 हरयाना नस्ल व 216 साहीवाल नस्ल की गायों की रिकार्डिंग कर ली गई है।

3.74 सरकार ने राज्य के रणनीतिक स्थानों पर बेसहारा गायों के प्रभावी पुनर्वास व रख–रखाव हेतू गौ–अभ्यारण स्थापित करने का निर्णय लिया है। जिला, हिसार और पानीपत जिलों में उपयुक्त स्थानों पर गौ–अभ्यारण स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

3.75 आवारा पशुओं विशेषतौर पर विदेश व संकर नस्ल की गायों से निपटने के लिए राज्य की पशु संस्थाओं में संकर नस्ल की गायों में सैक्स सीमन से कृत्रिम गर्भादान करके 90 प्रतिशत मादा बच्चे पैदा करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त 90 प्रतिशत मादा बच्चे पैदा करने के लिए गायों को गर्भादान करने हेतु सैक्स सीमन की तकनीकि को आयात करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए 50 करोड़ रूपये की लागत की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

3.76 ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन'' के तहत छोटे पशुओं, घोड़ों, सुअरों के सघन विकास और चारा सुधार के लिए विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया है। इस मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पशुधन के बीमे का भी प्रावधान किया गया है।

3.77 पशुपालन राज्य के ग्रामीण लोगों की आय में सुधार लाने का मुख्य साधन है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुओं के अनुवांशिक सुधार के साथ–साथ इनको रोग मुक्त रखते हुए अधिकतम उत्पादन करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। पशुधन गणना वर्ष 2012 के अनुसार राज्य के पशुओं की संख्या 89.98 लाख है जिसमें 18.08 लाख गाय और 60.85 लाख भैंस हैं। पूरे राज्य में पशुधन को पशु चिकित्सा और प्रजनन सेवाएं देने के लिए 2,853 पशु चिकित्सा संस्थान हैं जो कि औसतन प्रत्येक 3 गांवो में एक पशु चिकित्सा संस्थान हैं।

3.78 पशुपालन क्षेत्र को सरकार के सुसंगत और स्थायी सहयोग से वर्ष 2016–17 में दुग्ध का कुल वार्षिक उत्पादन 89.75 लाख टन तक पहुंच गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता बढ़कर 878 ग्राम हो गई है जो कि देश में दूसरे उच्चतम स्थान पर है। राज्य में वर्ष 2016–17 के दौरान, अण्ड़ों के उत्पादन की संख्या 52,139 लाख और ऊन का उत्पादन 6.90 लाख किलोग्राम तक पहुंच चुका है जबकि राज्य में मासॅ उत्पादन 427.48 लाख किलोग्राम तक पहुॅच गया है ।

3.79 पशुओं में अनुवांशिक सुधार लाने के लिए, भैंसों की मुर्राह नस्ल और गायों की हरयाना व साहीवाल नस्लों के संरक्षण, वंश वृद्धि और स्वदेशी जर्मप्लाज्म के सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य में अद्वितीय नस्ल के पशुओं के प्रजनन हेतू 'जीन पूल' स्थापित करने के उददेश्य से बेहतर जर्मप्लाज्म वाले पशुओं की पहचान की जा रही है। कम से कम समय में हरेक दुधारू पशु की दुग्ध उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए नई तकनीक लागू करने के अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान स्कीम के अन्तर्गत श्रेणी 19–22 किलोग्राम, श्रेणी > 22–25 किलोग्राम व श्रेणी 25 किलोग्राम से अधिक में दूध दर्ज करवाने वाले मुर्राह भैंसों के मालिकों को क्रमशः 15,000, 20,000 तथा 30,000 रूपये नकद

प्रोत्साहन के रूप में दिये जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान अब तक 555 मुर्राह भैंसों की पहचान की जा चुकी है।

3.80 पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशुओं को आवश्यक चिकित्सा दवाइयॉ तथा जीवन रक्षक दवाइयॉ उपलब्ध करवाई जा रही है। विशेष प्रकार की पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रणनीतिक स्थानों पर पशु चिकित्सा पोलिक्लिनिक्स स्थापित किए गए है। अब तक सिरसा, भिवानी, सोनीपत, रोहतक व पंचकूला में 5 पोलिक्लिनिक्स स्थापित किये जा चुके हैं। पैट एनीमल के निदान व उपचार के लिए पंचकूला में एक आधुनिक चिकित्सा अस्पताल–सह–प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है । 2 पोलिक्लिनिक जींद और रेवाडी में आम जनता की सेवा के लिए आरम्भ कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 15 नये राजकीय पशु चिकित्सालय और 27 राजकीय पशु औषधालय खोल दिए गए हैं तथा 20 पशु औषधालयों का राजकीय पशु चिकित्सालयों के रूप में उन्नयन कर दिया गया है।

3.81 डेयरी विकास को स्वरोजगार का उपक्रम बनाने के दृष्टिकोण से वर्ष 2017–18 में 3,018 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2018–19 में 1,600 डेयरी ईकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इष्टतम दूग्ध उत्पादन हेतू उत्पादन बढ़ाकर व अच्छी गुणवतायुक्त वाले पशु आहार व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न जारी रहेंगे।

3.82 दिनांक 29–7–2016 को झज्जर से जोखिम प्रबन्धन और पशु बीमा नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बड़े पशुओं जैसे– गाय, भैंस, घोड़े, गधे व ऊँट इत्यादि के लिए 100 रूपये तथा छोटे पशु जैसे– भेड़, बकरी व सुअर इत्यादि के लिए 25 रूपये का प्रीमियम अदा करने पर तीन वर्ष के लिए बीमा करवाया जायेगा। प्रत्येक लाभप्राप्तकर्ता अपने 5 बड़े पशु व 50 छोटे पशुओं तक का बीमा करवा सकता है। अनुसूचित जाति के परिवारों के पशुओं का मुफ्त बीमा करवाया जायेगा।

3.83 अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों के स्वामित्व वाले पशुओं के मुफ्त बीमा करने के साथ–साथ तीन दुधारू पशुओं की डेयरी, सूअर पालन और भेड़ व बकरी ईकाईयों की स्थापना करने हेतू उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा कर अनुसूचित जाति परिवारों के उत्थान के लिए लिए सरकार प्रतिबद्ध है । अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा डेयरी, सुअर पालन व भेड़ और बकरी की ईकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

3.84 गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं के आधुनिक एवं श्रेष्ठ तकनीकी के आधार पर समग्र विकास के लिए हिसार में 1498 लाख रूपये की लागत से एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए ईज़राईल सरकार के साथ दिनांक 15–4–2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे राज्य में दूध उत्पादन क्षेत्र में नई क्रांति का संचार होगा और इस केन्द्र को स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

3.85 ''राष्ट्रीय गौजातीय प्रजनन व डेरी विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत राज्य में स्वदेशी नस्लों की गाय जैसे हरयाना, साहीवाल व थारपारकर का संवर्धन, उन्नयन व एकीकृत विकास किया जा रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गौ जातीय प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन साल के लिये 77.90 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। इनमें से 22.90 करोड़ रूपये राष्ट्रीय गौ जातीय प्रजनन कार्यक्रम के लिये तथा 55 करोड़ रूपये राष्ट्रीयगौकुल ग्राम के लिये स्वीकृत किये हैं। वर्ष 2016–17 के लिये भारत सरकार ने 5 करोड़ रूपये की राशि एन.पी.बी. बी. कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को जारी कर दी है। राष्ट्रीय गौ जातीय प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख घटक जैसे क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम नेटवर्क का विस्तार करना, मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना तथा स्वदेशी नस्लों का विकास व

संरक्षण करना है। अब तक 3.10 करोड़ रूपये की राशि उपयोग की जा चुकी है।

3.86 राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के सैक्टर–1 में गौकुल ग्राम स्थापित किया जा रहा है। गौकुल ग्राम के उदेश्यों की प्राप्ति हेतु हरयाणा, साहिवाल तथा थारपारकर नस्ल के पशुओं तथा उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। नई गिर नस्ल की गायों के लिये एक समुह भी तैयार किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत गुणात्मक स्वदेशी गायों (हरयाणा, साहिवाल, थारपारकर तथा गिर) की खरीद करना, पशुओं को रखने के लिये दो आधुनिक शैड का निर्माण करना, कॉफ पैन्स का निर्माण करना, संतुलित पोषण, मिश्रित राशन के निर्माण प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना, जैव उत्पादों (मूत्र आसवन संयंत्र, जैव कीटनाशकों के उत्पादन, जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट) आदि का उत्पादन करना है वर्ष 2016–17 में इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये भारत सरकार ने 10 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। इस स्कीम के अन्तर्गत 7.63 करोड़ रूपये की राशि उपयोग की जा चुकी है।

3.87 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 5 साल की अवधि के लिये दो सब–प्रोजैक्ट्स स्वीकृत किये हैं जिसके अन्तर्गत उच्च अनुवांशिक सांडों (हरयाणा–पीएस व मुर्राह–पीटी) का उत्पादन करना तथा वीर्य कोष, हिसार को सुदृढ़ करना है।

(अ) चयन वंशावली के माध्यम से गुणात्मक हरयाणा सांडों का उत्पादन किया जाना है और इस कार्यक्रम के लिये 5.09 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। यह सब–प्रोजैक्ट राज्य के 4 जिलों जैसे– भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर व हिसार जिलों में लागू किया गया है। देश में वीर्य उत्पादन के लिए इस योजना के अन्तर्गत 48 गुणात्मक हरयाणा सांडों की पहचान कर ली गई है और दिसम्बर, 2017 तक 3.08 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

(ब) संतान परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से गुणात्मक मुर्राह सांड पैदा किये जाने वाले इस कार्यक्रम के लिये 24.72 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। यह सब–प्रोजैक्ट राज्य के 7 जिलों जैसे– भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, हिसार, जीन्द व सोनीपत में लागू किया गया है। दिसम्बर, 2017 तक 108 गुणात्मक मुर्राह सांडों को 11.35 करोड़ रूपये खर्च करके खरीद लिया गया है ।

3.88 वर्ष 2017–18 के दौरान लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के नये परिसर के निर्माण हेतू आर.आई.डी.एफ.–एक्स.एक्स. के अन्तर्गत 2251.95 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

मत्स्य

3.89 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है । राज्य में मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य पालन को स्वीकार किया जा रहा है तथा उनके द्वारा मछली पालन को कृषि के साथ–2 सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है । वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 18,975 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन ला कर 7,665.65 लाख मछली बीज संचय करते हुए 1,44,210 मी.टन मत्स्य उत्पादन किया गया । इसी प्रकार से वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत (31 दिसम्बर 2017 तक) 19,000 हैक्टेयर जलक्षेत्र के आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 15,446 हैक्टेयर जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन ला कर, 1,517.44 लाख मत्स्य बीज संचय के आवंटित लक्ष्यों के विरूद 1,764.46 लाख मत्स्य बीज संचय करते हुए 1,96,680 मि.टन के आवंटित लक्ष्यों के विरूद 1,35,841.60 मि.टन मत्स्य उत्पादन किया गया । वर्ष 2014–15 में हरियाणा राज्य में पहली बार अनुपयोगी लवणीय व जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु नयी परियोजना का सृजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सफेद झींगा पालन (एल. वनामी कल्चर) एवम मत्स्य पालन के लिए बंजर लवणीय क्षेत्र जिला झज्जर, रोहतक,

हिसार और जलमग्न क्षेत्र जिला मेवात व पलवल में शुरू किया गया । वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 28 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा पालन (एल. वनामी कल्चर) के अधीन लाया गया । वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत सफेद झींगा पालन (एल. वनामी कल्चर) की सफलता उपरान्त विभाग द्वारा 150.52 हैक्टेयर लवणीय भूमि झीगां पालन के अधीन लाई गई । विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 4.90 करोड रूपये का अनुदान सफेदं झीगां पालकों को प्रदान किया गया है । वर्ष 2018–19 मे 20,000 हैक्टेयर जलक्षेत्र मे 2,374.24 लाख मत्स्य बीजों का संचय करके 2,28,000 मत्स्य उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2017–18 के दौरान औसत मत्स्य उत्पादकता 7,200 कि.ग्रा. /हैक्टेयर प्रति वर्ष से बढाकर 10,000 कि.ग्रा. /हैक्टेयर प्रति वर्ष किया जायेगा ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

3.90 राज्य में 30–9–2017 को 44,14,916 राशन कार्ड धारक हैं। गैस कनैक्शनों की संख्या 70,32,691 है। राज्य में 2011–12 से 2017–18 (सितम्बर, 2017 तक) राशन कार्डों व गैस कनैक्शनों की संख्या **तालिका 3.22** में दी गई है।

तालिका 3.22– राशन कार्ड व गैस कनैक्शनों की संख्या

वर्ष	राशन कार्डों की संख्या				गैस कनैक्शनों की संख्या		
	ए.पी.एल	बी.पी.एल	ए.ए.वाई	कुल	एस.बी.सी.	डी.बी.सी.	कुल
2011–12	4428687	949794	269194	5647675	1664442	2474469	4135611
2012–13	3467189	869068	259500	4595757	1798955	2665861	4464816
2013–14	3467189	869068	259500	4595757	2020133	2941803	4961936
2014–15	3231483	862865	257495	4351843	2111577	3189098	5300675
2015–16	3179289	850463	255985	4285737	2252189	3483324	5735513
2016–17	3284881	855398	258532	4398811	2881647	3515972	6297619
2017–18 (सितम्बर, 2017 तक)	3284881	867018	263017	4414916	3526548	3506143	7032691

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3.91 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को सम्मिलित करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष महत्व देना खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में 2,55,610 ए.ए.वाई.+ बेघर, 4,53,735 सी.बी.पी.एल., 3,96,767 एस.बी.पी.एल. व 18,24,324 ओ.पी.एच. लाभार्थी है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने से अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक 28.43 मी.टन गेहूं 2 रूपये किलो की रियायती दरों पर लाभार्थियो को पहले ही वितरित किया जा चुका है। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 20–8–2013 से लागू किया गया है। यह अधिनियम पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है अर्थात् अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा अन्य प्राथमिक परिवार। अन्तोद्या अन्न योजना के लाभार्थियों को पहले की भांति 35 किलोग्राम खाद्यान्न हर महीने 2 रूपये प्रति किलो उच्च रियायती दर पर जारी रहेगा तथा अन्य प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं इसी दर पर प्राप्त होगा। पर्याप्त ढंग से जीर्ण कुपोषण को कम करते हुए गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की साहसिक पहल है। दाल रोटी स्कीम के तहत राज्य सरकार अन्तोद्या अन्न योजना व

बी.पी.एल. परिवारों को पोषक तत्व तथा प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.5 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रतिमाह 20 रूपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध करवा रही थी । अब दाल रोटी योजना को मई, 2017 से बन्द कर दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा दाल के स्थान पर 1 लीटर सरसों का तेल सभी बी.पी.एल. परिवारों को 20 रूपये की दर से जनवरी, 2018 से वितरित किया जा रहा है ।

खरीद

3.92 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा खाद्यान्न/मोटे अनाजों की खरीद करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके तथा उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। वर्ष 2005–06 से 2017–18 तक राज्य में गेहूँ, धान और बाजरा की खरीद व न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का ब्यौरा **तालिका 3.23** में दिया गया है।

तालिका 3.23–राज्य में सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष	गेहूं खरीद (लाख टन)	गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)	धान खरीद (लाख टन)	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)		बाजरा खरीद (लाख टन)	बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)
				सामान्य	ए–श्रेणी		
2005–06	45.29	640/-	23.56	570/-	600/-	0.05	525/-
2006–07	22.30	650/- +50 बोनस	20.47	580/- + 40 बोनस	610/- +40 बोनस	-	540/-
2007–08	33.50	750/- +100 बोनस	17.85	645/- + 100 बोनस	675/- +100 बोनस	1.23	600/-
2008–09	52.37	1000/-	18.22	850/- + 50 बोनस	880/- + 50 बोनस	3.10	840/-
2009–10	69.24	1080/-	26.36	950/- +50 बोनस	980/- +50 बोनस	0.77	840/-
2010–11	63.47	1100/-	24.82	1000/-	1030/-	0.74	880/-
2011–12	69.28	1120/- +50 बोनस	29.66	1080/-	1110/-	0.18	980/-
2012–13	87.16	1285/-	38.53	1250/-	1280/-	-	1175/-
2013–14	58.56	1350/-	35.75	1310/-	1345/-	-	1250/-
2014–15	65.08	1400/-	30.07	1360/-	1400/-	-	1250/-
2015–16	67.70	1450/-	42.70	1410/-	1450/-	0.05	1275/-
2016–17	67.54	1525/-	53.48	1470/-	1510/-	0.06	1330/-
2017–18	74.25	1625/-	59.17	1550/-	1590/-	0.31	1470/-

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

3.93 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना विभाग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां है। राज्य के सभी जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किए हुए है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना

3.94 राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा के निदेशालय में उपभोक्ता हैल्पलाईन की स्थापना की जा चुकी है तथा इसका टोल फ्री नम्बरः 1800–180–2087 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन दिनांक 12–8–2013 से कार्यरत है। हैल्पलाईन राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतू मार्गदर्शन करने के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय 12–8–2013 से 31–12–2017 तक लगभग 20,695 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है जिसकी सफलता दर 87 प्रतिशत है ।

विधिक माप

3.95 भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओ के हित के लिए सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम, 2009 लागू किया गया है ताकि व्यापार और वाणिज्य तथा अन्य वस्तुऐं जिनका विक्रय अथवा वितरण वजन, माप और संख्या में होता है के मानक नियत एवं प्रदत किए जा सकें । वर्ष 2016–17 के दौरान विधिक माप संगठन द्वारा 15 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 13.07 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2017–18 (30–11–2017 तक) के दौरान 11.86 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति की जा चुकी है ।

ईंट–भटटे

3.96 राज्य में पूर्वी पंजाब ईंट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा ईंट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 बनाया गया। 30–11–2017 तक राज्य में आम जन एवं सरकारी विकास कार्यों के लिए ईंटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2726 ईंट–भट्टा लाईसेन्सी कार्यरत हैं और राज्य से बाहर ईंटों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध को जिसमें ईंटों की कीमतों को निर्धारित करना, ईंटों के लिये परमिट जारी करना, उत्पादन स्तर बनाये रखना, ईंटों की बिक्री और सम्बन्धित मासिक विवरण इत्यादि को सरकार द्वारा पुनः अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लचीला बना दिया है।

3.97 "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरु से अंत तक कम्प्यूट्रीकरण" के अन्तर्गत 9,495 उचित मूल्य की दुकानों और कानफ्रैड फोकल प्वांईट सहित 243 गोदामों का अंकरुपण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कर लिया गया है। 29,64,511 परिवारों/राशन कार्डों में 1,36,08,571 लाभार्थीयों का अंकरुपण कर लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/उपभोक्ता टोल फ्री हैल्प लाइन नं0 1800–180–2087 तथा 1967 कार्यरत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पारदर्शिता पोर्टल (http://haryanafood.gov.in) और ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली काम कर रही है। ऑनलाईन आबंटन और आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन का कार्य पूरे राज्य में 1 जनवरी, 2017 से लागू किया गया है।

3.98 उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) का स्वचालनः

1. माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा 1 नवंबर, 2016 को संपूर्ण राज्य में स्वचालित उचित मूल्य की दुकान शुरू की गई ।
2. आधार प्रमाणीकरण में देरी/विफलता के कारण जनवरी से मार्च, 2017 के दौरान हाईब्रिड मॉडल को अपनाया गया था जिसमें लाभार्थी को 30 सेकैंड के लिए स्कैनर पर उंगली लगाने की आवश्यकता थी। राज्य ने विशेष रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपना स्वयं का सर्वर खरीदने का फैसला किया।
3. मार्च, 2017 में जिला अंबाला में प्राथमिक तौर पर आधार अनिवार्य ऑनलाईन मोड पूरी तरह से लागू किया गया और इस प्रणाली ने सुचारू रूप से काम किया। मास मई, 2017 से ऑनलाईन–मोड को पांच जिलों में तथा जून, 2017 में 10 दूसरे जिलों में लागू किया गया । शेष छः जिलों को भी मास जुलाई, 2017 में शामिल किया गया है जिससे पूरे राज्य में आधार अनिवार्य ऑनलाईन मोड लागू हो गया है ।
4. इस प्रणाली में पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान की गई है जिससे लाभार्थी राज्य में कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकता है।
5. 12 मई, 2017 से जब उचित मूल्य की दुकानों की स्वचालन सेवा को चालू किया गया था तब से अब तक 1,07,76,745 (79.2%) लाभार्थियों को पीओएस डिवाईस पर इस सुविधा का उपयोग करके आधार लिंक कर दिया गया है और इस सुविधा की प्रभावकारिता और मजबूती के बारे में कोई भी समस्या नहीं है

जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ रूपये की बचत हुई ।

6. लाभार्थियों की पहचान की समस्याओं को हल करने के लिए, जिनकी उगंलियों के निशान बहुत स्पष्ट नही है, सर्वश्रेष्ठ फिंगर डिटेक्शन (बी.एफ.डी.) की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा की सफलता दर लगभग 98 प्रतिशत है ।

7. आवश्यक वस्तुओं के दुरूपयोग व चोरी को रोकने के लिए गोदामों से आवश्यक सामग्री के उठान के समय हितधारकों को और उचित मूल्य की दुकानों के बिक्री केन्द्रों से वितरण के समय सभी लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाता है ।

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभार्थियों के डेटाबेस को डीजिटल और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सत्यापित किया गया है। अभी तक 26,28,520 (88.7%) राशन कार्डों को जिसमें कम से कम एक लाभार्थी तथा 1,07,76,745 (79.2%) लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटाबेस को आधार से जोड़ा गया । आधार आधारित डी–डुप्लेक्शन के दौरान, 15.15 लाख दोहराव/डुप्लिकेट लाभार्थियों के रूप में पाया गया। इन लाभार्थियों के आधार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डेटाबेस से हटा दिया गया है।

9. विभाग ने अप्रैल, 2017 से अंबाला शहर क्षेत्र में 73 उचित मूल्य की दुकानों को नकद रहित आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ए.ई.पी.एस) के आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है।

तालिका 3.24- पेट्रोल पम्प और एल.पी.जी. डीलरों के निरीक्षण तथा की गई कार्यवाही ।

वर्ष	पैट्रोल पम्पों की संख्या	आई.एस.आई. विनिर्देशो से कम पाए गए नमूने		पैट्रोल पम्पों की संख्या		एल.पी.जी. डीलरो की संख्या	डिफाल्टर डीलरों की संख्या	की गई कार्यवाही	
		पैट्रोल	डीजल	प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज	अन्य की गई कार्यवाही			आपूर्ति निलम्बित	प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज
2011–12	1972	0	0	305	4	0	0	3	0
2012–13	2130	0	0	348	7	0	0	5	0
2013–14	2325	0	0	383	3	2	0	1	0
2014–15	2419	0	0	387	1	0	0	1	0
2015–16	2218	0	0	397	10	0	0	0	0
2016–17	2633	0	0	477	1	0	0	0	0
2017–18 (अक्तूबर, 2017तक)	2733	0	0	465	0	0	0	0	0

स्त्रोतःखाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा ।

3.99 जनसाधारण को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू राशन कार्ड से सम्बंधित सात सेवाओं जैसेकि नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, परित्याग प्रमाण–पत्र, नया सदस्य शामिल/काटने बारे, पता बदलने तथा उचित मूल्य की दुकान बदलने इत्यादि को समयबद्ध सीमा में निपटाने हेतू आदेश जारी किये गये हैं। आवेदन पत्रों को नए रूप में बनाकर उपरोक्त सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7–5–2015 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है।

नागरिक केन्द्रित सेवा

क्र0 सं0	विभाग का नाम	सेवा का नाम	निपटान कार्य दिवस	स्क्षम अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, विभाग	डी–1 फार्म प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना जैसे कि ए.पी.एल. वर्ग के लिए।	22	निरीक्षक प्रभारी/ए.एफ.एस.ओ.	जिला खादय एवं पूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
2		परित्याग प्रमाण पत्र ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई. प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना।	15	–सम–	–सम–	–सम–
3		दूसरा राशन कार्ड जारी करना ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई.	15	–सम–	–सम–	–सम–
4		परिवार के सदस्य का समावेस/विलोप (ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई.)	15	–सम–	–सम–	–सम–
5		उसी क्षेत्राधिकार में पता बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	15	–सम–	–सम–	–सम–
6		पता बदलने के अतंगर्त एफ.पी.एस. बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	15	–सम–	–सम–	–सम–
7		परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	7	–सम–	–सम–	–सम–
8		राशन कार्ड डेटा शुद्धि और घर के मुखिया में संशोधन।	7	–सम–	–सम–	–सम–

3.100 उपरोक्त सेवाओं से सम्बंधित नए सरलीकृत आवेदन पत्र सभी क्षेत्रीय अधिकारियों एवं पी.आर. केन्द्रों पर उपलब्ध है। अगस्त, 2011 से अक्तूबर, 2016 तक विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन सेवाओं से सम्बंधित 12.01 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निर्धारित समय सीमा अवधि में निपटान किया जा चुका है।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.101 हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नबंम्वर 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के गठन के साथ अस्तित्व में आया। तब से यह भारत और विदेशों में हरियाणा के किसानों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रसंघ के मुख्य उदेश्य कृषि उत्पादन और सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन और प्रंसस्करण के लिए व्यवस्था करना, कृषि इनपुट जैसे उर्वरक, बीजों तथा कृषि रसायनों की आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा सम्बद्ध सहकारी समितियों के कामकाज को सुगम बनाना है ।

3.102– वर्ष 2016–17 के लिए विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

वित्तीय रिपोर्टः हैफेड के पिछले 5 वर्षों की बिक्री व लाभ **तालिका 3.25** में दर्शाई गए है ।

तालिका 3.25– बिक्री व लाभ

(करोड़ रूपये)

वर्ष	वार्षिक बिक्री	लाभ
2012–12	7,120.37	43.38
2013–14	9,193.16	48.95
2014–15	8,501.00	20.31
2015–16	8,780.11	38.06
2016–17	8,940.00	107.96

स्त्रोतः हैफेड ।

धान की रिकार्ड खरीद

खरीफ 2017 सीजन के दौरान 16–11–2017 तक हैफेड ने 19.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 33 प्रतिशत है। जबकि हैफेड को आबंटित हिस्सा 33 प्रतिशत है। खरीफ 2016 के दौरान हैफेड ने 18.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जबकि हैफेड ने खरीफ 2015 में 15.15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी।

बाजरे की खरीद

खरीफ वर्ष 2017 के दौरान हैफेड ने 25,114 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है। खरीफ वर्ष 2016 में हैफेड ने 6,039 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जबकि खरीफ 2015 में हैफेड द्वारा 4,352 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया ।

गेहूं की खरीद

रबी 2017 के दौरान हैफेड ने 26.84 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 36.19 प्रतिशत था। रबी 2016 के दौरान हैफेड ने 25.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की और रबी 2015 के दौरान 29.55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई ।

सूरजमुखी की खरीद

राज्य के सूरजमूखी बीज उत्पादकों की सहायता करने की दृष्टि से हैफेड ने वर्ष 2017 के दौरान भारत सरकार की पीएसएस दिशा निर्देशों के अनुसार नैफेड की तरफ से 8,459 मी.टन सूरजमुखी हरियाणा के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी । हैफेड ने वर्ष 2016 में 4,785 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2015 के दौरान 4,164 मीट्रिक टन सूरजमुखी खरीदी ।

उर्वरकों की आपूर्ति

हैफेड ने राज्य में किसानों को समय पर यूरिया और डी.ए.पी. उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हैफेड ने 1–4–2017 से 31–12–2017 तक 0.66 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.17 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. की बिक्री की है। 1–1–2018 को हैफेड के पास लगभग 0.14 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.27 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. उपलब्ध थी।

चीनी मिल असन्ध

पिराई सीजन 2016–17 के दौरान हैफेड चीनी मिल असंध ने 37.59 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है तथा अब तक 10.41 प्रतिशत चीनी का उत्पादन किया है। वर्ष 2016–17 के दौरान मिल द्वारा कुल 125.60 करोड़ रूपये की खरीद बिक्री की गई तथा हैफेड चीनी मिल असन्ध ने 1.76 करोड़ रूपये लाभ अर्जित किया। चालू पिराई सीजन 2017–18 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध में 42 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का अनुमान है ।

गेहूं बीज के विपणन

वर्ष 2017–18 के दौरान हैफेड द्वारा 66,874 क्विंटल गेंहू बीज का उत्पादन किया गया और 59,330 क्विंटल बेच दिया जिससे अनुमानित 2 करोड़ रूपये लाभ अर्जित किया । वर्ष 2015–16 के दौरान गेहूं के बीज की बिक्री 58,880 क्विंटल थी जिससे 2.93 करोड़,रूपये का लाभ अर्जित किया जबकि 3.54 करोड़ रूपये लाभ के साथ वर्ष 2014–15 में गेहूं के बीज की बिक्री 63,315 क्विंटल थी ।

उपभोक्ता उत्पादो का विपणन

हैफेड ने 1–4–2017 से 31–12–2017 तक 52.40 करोड़ रुपये के उपभोक्ता उत्पादों का विक्रय किया है।

ई. खरीद और ई शासन

हैफेड ने राज्य सरकार की वैब साईट (https://haryanaeprocurement.gov.in) पर नया ई–टेंडरिंग पोर्टल शुरू कर दिया है । निविदा प्रकिया में पार्दर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक कार्य एवं अन्य गतिविधियों की

ई–टेंडरिंग प्रक्रिया पहले से ही इस नए पोर्टल पर आरंम्भ कर दी गई है। आईटी शासन की पहल "मुख्यमंत्री विंडोज" और "बायोमेट्रिक उपस्थिति" को हैफेड में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

फोंटीफिकेशन

हैफेड ने वाणिज्यिक बिक्री के लिए सम्पूर्ण गेहूं के आटे की फोंटीफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की और इसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।

3.103 प्रस्तावित प्रमुख पहल/सुधार/स्कीमें :

1. हैफेड ने 181 करोड़ रूपये अनुमानित परियोजना लागत के साथ आईएमटी, रोहतक में मेगा फूड प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हैफेड ने पहले ही 75 साल की लीज़ पर एच.एस.आई.आई.डी.सी. से 50 एकड़ जमीन ली है। जिसका अनुमोदन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम चरण में है। इस परियोजना का वित्तपोषण स्वरूप भारत सरकार के एम.ओ.एफ.पी.आई योजना के अनुरूप है।
2. हैफेड जाटूसाना जिला रेवाड़ी में 50 टीपीडी फ्लोर मिल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर चूकी है। जिसके लिए पंचायत की जमीन खरीदने की पहल पहले ही शुरू हो चुकी है। यह परियोजना हैफेड की अपनी निधि से स्थापित की जाएगी।
3. हैफेड ने अपनी निर्यात गतिविधि को पुनर्जीवित करने की भी योजना बनाई है और इस दिशा में कारवाई पहले से ही शुरू हो चुकी है।
4. कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों की आय बढाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण/कृषि इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।
5. हैफेड व अन्य सहकारी समितियों द्वारा अपने उत्पादों को एक दूसरे को बेचकर मजबूती प्राप्त की है ।

हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

3.104 हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना किसानों, सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों एवं व्यापारियों आदि को कृषि उत्पादों और अधिसूचित वस्तुओं की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हुई है। वर्तमान में 30–11–2017 तक निगम के राज्य में 111 वेयरहाउस है जिनकी भण्डारण क्षमता 15.20 लाख मी. टन है जिसमें 15.11 लाख मी.टन क्षमता के कवर्ड गोदाम एवं 0.09 लाख मी.टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है वर्षवार औसत भण्डारण क्षमता **तालिका 3.26** में दर्शाई गई है ।

तालिका 3.26 – औसत भण्डारण क्षमता एवं औसत उपयोगिता

वर्ष	औसत भण्डारण क्षमता (मी. टन)	औसत उपयोगिता (मी. टन)	उपयोगिता प्रतिशत में	भण्डारगृहों की संख्या
2010–11	16,16,270	14,97,189	93	107
2011–12	16,72,188	16,45,066	98	107
2012–13	18,88,401	19,66,756	104	108
2013–14	17,91,037	16,03,636	90	109
2014–15	16,77,361	11,72,602	70	111
2015–16	17,23,162	11,81,468	69	115
2016–17	17,11,079	12,59,960	74	112
2017–18 (30 नबम्बर, 2017 तक)	16,79,523	15,91,112	95	111

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन ।

3.105 1 नवम्बर 1967 को निगम की स्थापना के समय इसके पास मात्र 7000 मी.टन क्षमता के गोदाम थे जो कि 30–11–2017 तक बढ़कर 15.20 लाख मी.टन हो गये हैं । वर्ष 2015–16 के दौरान 66,580 मी.टन क्षमता के गोदामों का निमार्ण किया जाना था जिसमे से 5 स्थानों पर 20,636 मी. टन क्षमता के गोदामों का निमार्ण पूर्ण हो चुका है तथा 21,252 मी.टन क्षमता के गोदामों का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2017–18 में

निगम द्वारा राज्य में 91,304 मी.टन क्षमता के गोदाम निर्माण की योजना है।

इन्लैंन्ड कन्टेनर डिपो

3.106 निगम द्वारा रिवाड़ी में, हरियाणा व इसके आस पास के क्षेत्र के आयातकों व निर्यातकों को आयात एवं निर्यात सुविधा प्रदान करने के लिए एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो (आई.सी.डी.) सह कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) चलाया जा रहा है । यद्यपि, कोनकोर के साथ रणनीतिक गठबंधन समझोते के तहत 1–11–2008 से डिपो आई.सी.डी. –सह–सी.एफ.एस. का संचालन कोनकोर (एक भारतीय रेलवे की सहायक) के द्वारा किया जा रहा है । 18–12–2009 से इन्लैंड कन्टेनर डिपो, रिवाड़ी को इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटर चेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली के माध्यम से आनलाईन विश्व से जोड़ा गया है । वर्ष 2016–17 के दौरान इन्लैंड कन्टेनर डिपो ने 2.23 करोड़ रूपये जबकि वर्ष 2017–18 (30–11–2017 तक) में 1.51 करोड़ रूपये की आमदन की है ।

कृषि विपणन

3.107 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी) का गठन 1 अगस्त, 1969 को राज्य में मार्किट कमेटियों के नियन्त्रण तथा संचालन के उद्धेश्य से किया गया था। बोर्ड के गठन से अब तक 108 मुख्य यार्ड, 173 सब यार्ड तथा 196 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 31–1–2018 तक 12,583 कि.मी. लम्बाई की 4,870 ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया है।

विकास कार्य

3.108 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई अनाज व सब्जी मण्डियों के विकास/उत्थान, सम्पर्क सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर 31–1–2018 तक 1495.45 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। शीर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

➢ **मण्डी कार्यः** हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नई अनाज/सब्जी मण्डियों के विकास तथा मौजूदा मण्डियों के उत्थान के लिए 564.54 करोड़ रूपये खर्च किए और 175. 38 करोड़ रूपये के विकास कार्यो से मण्डियों में उक्त सभी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य प्रगति पर हैं।

➢ **नई सम्पर्क सड़कों का निर्माणः** हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1,379 कि.मी. लम्बाई की 461 सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य 402.94 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर 880 कि.मी. लम्बाई की 322 सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य 319.90 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर है।

➢ **सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मतः** हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य वास्तविक जरूरत के अनुसार किया जाता है। अभी तक 3,561 कि.मी. लम्बाई की 1,231 सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य 501.80 करोड़ रूपये की लागत से पूरे किए गए हैं। इस खर्च में सड़कों की वार्षिक मरम्मत के खर्च भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 612 कि.मी. लम्बाई की 174 सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य 69.06 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं।

मार्केट फीस

3.109 चालू वित्त वर्ष 2017–2018 में 580 करोड़ रूपये की मार्केट फीस एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 685.31 करोड़ रूपये मार्केट फीस के रूप में एकत्रित किए जा चुके हैं। वित वर्ष 2017–18 (31 मार्च, 2018) तक यह आंकडा बढ़कर 700 करोड़ रूपये तक पहुॅचने की सम्भावना है।

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल

3.110 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ई–नैम, ई–खरीद, मण्डी के गेटों पर धर्मकांटे लगाने तथा पी.पी.एम. (प्लॉट व प्रापर्टी मनेजमेंट) जैसी विपणन सुधार प्रणालियॉ शुरू

की हैं। इसके अतिरिक्त सभी सड़कों का जियो–रेफरेन्श सर्वे भी किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम)

3.111 देश के 14 राज्यों में से हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जिसमें ई–नैम कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 54 मण्डियों को ई–नैम प्लेटफार्म के तहत जोड़ दिया है।

ई–खरीद

3.112 अनाज की खरीद प्रक्रिया में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के उद्धेश्य से हरियाणा सरकार ने ई–गर्वेन्स के माध्यम से "ई–खरीद" का एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके तहत कृषि उत्पाद व्यापारियों तथा किसानों को वास्तविक सूचना तथा समय पर भुगतान की सुविधा मिलेगी। "ई–खरीद" हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, विभाग की संयुक्त पहल है। इस स्कीम की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 27–9–2016 को करनाल में की गई थी। लेन–देन प्रक्रिया 1 अक्तुबर, 2016 को शुरू की जा चुकी है।

धर्म कॉटे

3.113 राज्य की ई–नैम के अन्तर्गत चिन्हित की गई 26 मण्डियों में 27.10 करोड़ रूपये की लागत से 140 धर्मकाटे लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है और यह कार्य 30–6–2018 तक पूरा होने की सम्भावना है।

जियो–रेफरेन्शींग आफ रोड़

3.114 बोर्ड द्वारा निर्मित सभी 4870 सम्पर्क सड़कों को यूनिक आईडी जारी कर दी है। प्रत्येक सड़क का जियो–रेफरेन्श सर्वे के साथ जीपीएस फोटोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी सड़कों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा एन.आर.एस.सी. एवं एन.ई.सी. की सहायता से हरपथ एप्लीकेशन तैयार की गई है जिसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को गड्डा मुक्त सड़कें प्रदान करना है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सभी 4870 सड़कों का जी.आई.एस. डाटा हरपथ एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया गया है।

किसान बाजार

3.115 बोर्ड द्वारा किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उदेश्य से पंचकूला के सैक्टर–20 की मण्डी में किसान बाजार की स्थापना की गई है। इस बाजार का दूसरा उद्देश्य उपभोक्ता को ताजे फल तथा सब्जियॉ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। करनाल, गुरूग्राम, रोहतक तथा सोनीपत में भी ऐसे किसान बाजार शीघ्र स्थापित किए जाने की योजना है। पंचकूला के सैक्टर–20 की मण्डी में सेब मार्केट भी अक्तूबर, 2016 से कार्यरत है।

***

4

उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन

औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। जिससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। अपर्याप्त और असक्षम बुनियादी ढांचा दूसरे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद अर्थव्यवस्था को तरक्की से रोक सकता हैं। विदेशी धन आकर्षित करने तथा विकास की गति को बढ़ाने के लिए भौतिक सुविधाएं एवं उनका रख–रखाव करना पूर्व शर्त हैं। भौतिक बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, परिवहन, संचार एवं भण्डारण शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर सीधा प्रभाव डालती हैं। बिजली सम्बन्धी समस्याएं, बिजली की कमी, भीड़–भाड़ वाली सड़कें इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में बढते अन्तर एवं अकुशलता संकेत हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वित्त की कमी के कारण राज्य सरकार पब्लिक व निजी भागेदारी कान्सैप्ट (पी. पी.पी.) के माध्यम से निजी सहयोग प्रोत्साहित कर रही है। पी.पी.पी. की अवधारणा बुनियादी ढांचा विकास में तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि यह राज्य सरकार की मजबूती एवं निजी क्षेत्र की दक्षता हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, सड़कों एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उद्योग एवं वाणिज्य

4.2 राज्य के विकास के स्तर को गति प्रदान करने के लिए राज्य एक विलक्षण "उद्यम संवर्धन नीति–2015" (ईपीपी) बनाने में सफल हुआ है। इस नीति का लक्ष्य जी.डी.पी. को 8 प्रतिशत से अधिक बढाना, एक लाख करोड़ रूपये का पूँजी निवेश करना, 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करना तथा हरियाणा को निवेश हेतू श्रेष्ठ प्रदेश बनाना है। भारत सरकार के 'मेक–इन–इण्डिया', 'डिजिटल इण्डिया' तथा 'स्कील इण्डिया' को ध्यान में रखकर इस नीति को बनाया गया है। एम.एस. एम.ई. को दिए जाने वाले प्रमुख प्रोत्साहनों में निवेश सब्सिड़ी, ब्याज सब्सिड़ी, ढुलाई सहायता, रोजगार सृजन, बाजार विकास सहायता आदि शामिल हैं।

4.3 राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 को भी लागू किया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर (एच.ई.पी.सी.) की स्थापना की गई है, जोकि उद्यमियों को समयबद्ध तरीके से राज्य में मंजूरी प्रदान करता है।

4.4 एक समग्र आवेदन फार्म (सी.ए.एफ.) 'निवेश हरियाणा' पार्टल (www.investharyana.in) पर बनाया जा सकता है। दिसम्बर, 2017 तक 2,713 परियोजनाओं के लिए समग्र आवेदन फार्म भरे गए। अब तक लागू की गई योजनाओं में

32,516 करोड़ रूपये का निवेश तथा 1,50,389 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

4.5 हरियाणा सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को चुना है, जो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन द्वारा निर्देशित हो जो सबसे अच्छे वैश्विक स्तर के मानको से अधिक हो।

4.6 बिजनेस सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों के हालिया आंकलन में हरियाणा देश में 6वें स्थान पर और उत्तर भारत में पहले स्थान पर था। राज्य को व्यापार के सुगम बनाने के लिए रैकिंग को 6वें स्थान से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। राज्य ने यूनिफार्म बिल्डिंग कोड– 2017 को संशोधित किया है और तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के आत्म प्रमाणन को लागू किया है। साथ ही, राज्य ने सभी सेवाएं एच.ई. पी.सी. के तहत प्रदान करने के लिए 45 दिनों की अवधि अनिवार्य कर दी है, जिसके लिए डिम्ड स्वीकृत प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने एच.ई.पी.सी. एकल छत तंत्र के साथ औद्याोगिक संबन्धित सेवाओं को स्वीकृत किया है और यह सुनिश्चित किया है कि इसे समयबद्ध तरीके से मंजूरी दी जा सके। राज्य ने सभी विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर उपभोगकर्ता से फीड बैंक लेने के लिए रेपिड एस्समैंट सिस्टम (आर.ए. एस.) विकसित किया है। ये सुधार भविष्य में व्यापार को सुगम बनाने में बिजनेस इंडेक्स पर भारतीय राज्यों में अपनी रैकिंग में ओर सुधार करने में मदद करेंगें।

4.7 नई उद्यम संवर्धन नीति ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित 485 समझौता ज्ञापनों में से 163 समझौता ज्ञापन लागू/कार्यान्वयन किए गए है, जिनमें 8,040 करोड़ रूपये निवेश करके 8,932 व्यक्तियों को रोजगार का आधार तैयार किया गया।

4.8 औद्योगिक इकाईयों की शिकायतों के हल के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र लागू किया गया है।

4.9 राज्य से समुद्री बन्दरगाहों के दूर होने व प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद हरियाणा राज्य ने निर्यात के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। राज्य के गठन के समय वर्ष 1967–68 के दौरान मात्र 4.5 करोड़ रूपये का निर्यात था, जो आज वर्ष 2015–16 के दौरान 81,220 करोड़ रूपये के आस–पास है, यह सब अनुकूल वातावरण, राज्य की नीति और पहल के कारण है। राज्य सरकार ने भाड़ा सहायता स्कीम की शुरूआत की है जिसकी सीमा 1 प्रतिशत फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू (एफ.ओ.बी.) या वास्तविक किराया जिसमें कि वस्तुओं की फीस व टैक्स शामिल नहीं है जो ट्रांस्पोर्ट द्वारा निर्माण स्थान से बंदरगाह तक जहां से उन्हे भेजा जाएगा इनमें से जो भी कम होगा और अधिकतम 20 लाख रूपये वार्षिक राज्य के सूक्ष्म, छोटे व मध्यम निर्यातक इकाईयों को दिया जाएगा। निर्यातक इकाईयों के योगदान की मान्यता को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने एक्सपोर्ट अवार्ड स्कीम की शुरूआत की है। राज्य द्वारा 9 विभिन्न औद्योगिक समूहों में से कुल 18 'आउटस्टैडिंग एक्सपोर्ट अवार्ड' और एक 'आउटस्टैडिंग वूमन एक्सपोर्ट अवार्ड' के लिये 3 लाख रूपये दिये गये ।

4.10 वर्ष 2015–16 के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार को 35 उत्कृष्ट निर्यात इकाईयों को 62.65 लाख रूपये जिसे एम.एस.एम.ई. सम्मेलन के दौरान राज्य मंत्री, एम.एस.एम.ई., भारत सरकार द्वारा मई, 2017 में दिए गए, जो कि पंचकूला में आयोजित किया गया। इन 35 पुरस्कारों में से 18 राज्यों के निर्यात पुरस्कारों में से 3 लाख रूपये प्रत्येक और 17 सांत्वना पुरस्कारों में 51,000 रूपये प्रत्येक को वितरित किये गए।

4.11 उद्यम संवर्धन नीति, 2015 में मार्केट डेवलप्मेंट असिस्टेंस स्कीम के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

4.12 राज्य सरकार द्वारा उत्पाद की गुणवता "जीरो डिफैक्ट" की पूर्ति के लिए राज्य में कहीं भी स्थित लघु व छोटे उद्यमियों के लिए उपकरण परीक्षण सहायता योजना के तहत प्रावधान किया है।

4.13 राज्य सरकार स्वयं अपने लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम जो कि 90 प्रतिशत अनुदान सहायता (2 करोड़ रूपये तक) प्रदान करने के लिए सामूहिक सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं, जो राज्य मे एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव करेगा। ऐसे 25 लघु क्लस्टर की पहचान की जा चुकी है।

4.14 एम.एस.एम.ई. निर्माण क्षेत्र एवं कुशलता विकास को बढ़ावा देने के लिए दो टूल रूम प्रौद्योगिकी केन्द्र आई.एम.टी., रोहतक (19.8 एकड़) तथा औद्योगिक विकास केन्द्र, साहा (10 एकड़) में 150 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।

4.15 केन्द्रीय टूल रूम, लुधियाना ने फरीदाबाद में राजकीय उष्मा उपचार केन्द्र के भवन में विस्तार केन्द्र स्थापित किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.), नई दिल्ली ने सरकारी पॉलीटैक्निक नीमका, (फरीदाबाद) में एक प्रोद्यौगिकी–कम –इनक्यूबेसन सैंटर स्थापित किया था और इलैक्ट्रिकल, कम्प्यूटर और फैशन टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।

4.16 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा युवा पेशेवरों/सलाहकारों की नियुक्ति/नियुक्ति के जरिए/उद्योग सहायता समूहों को उद्यम सहायता समूहों के रूप में मजबूत और उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में विभिन्न डी.आई.सी. में 10 सहायता कंसल्टेंटस को नियुक्त किया गया है, जो कि सभी डी.आई.सी. सैंटरों में बढ़ाया जाएगा।

हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड

4.17 हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा सरकार के नोटीफिकेशन दिनांक 1–2–1969 की धारा **3** (1) पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1955 के अधीन हुई। बोर्ड सामान्य रुप से खादी व ग्रामोद्योग आयोग के कार्यो को क्रियान्वयन करने, खादी और ग्रामोद्योगों को उन्नत करने और इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड के उद्वेश्यों में दक्षता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व तकनीक का हस्तांतरण, व्यक्तियों में आत्म निर्भरता लाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण और एक सुदृढ़ ग्रामीण समुदाय का निर्माण करना सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त –

1. ऋणियों को विभिन्न बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करवाना।
2. व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलवाना जो खादी और ग्रामोद्योगों के माध्यम से रोजगार के साधन स्थापित करना चाहते हैं।
3. खादी और ग्रामोद्योग सैक्टर में विकास।
4. खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4.18 भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) को लागू किया है। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा है। इस योजना के अर्न्तगत आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सहायता (अनुदान) प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) सामान्य जाति हेतु प्रदान किया जाता है। जहाँ तक कमजोर वर्ग के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से अपंग/भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी इत्यादि का

सम्बन्ध है, इन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये की परियोजना के लिए 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) देने का प्रावधान है।

4.19 वर्ष 2016–17 में बोर्ड द्वारा 506 केसों के लिए 1,011.39 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बोर्ड ने निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व 449 परियोजनाओं, जिसमें 1,154.34 लाख रूपये मार्जिन मनी निहित है, वितरित की जा चुकी है तथा वर्ष 2017–18 में बोर्ड द्वारा 1,237 परियोजनाओं के लिए 2,454.63 लाख रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने दिनांक 31–12–2017 तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व 297 परियोजनाओं, जिसमें 816.41 लाख रूपये मार्जिन मनी निहित है, वह वितरित कर दी है।

4.20 खादी रिबेट : खादी रिबेट स्कीम के अन्तर्गत खादी उत्पाद जैसे सिल्क, खादी, ऊनी व पोली वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट, जोकि गांधी जयन्ती के अवसर पर 2 अक्तूबर से शुरू होती है, 2013–14 तक प्रदान की जाती रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड द्वारा 317.53 लाख रूपये की राशि के, जो वर्ष 2011–12 के रिबेट क्लेम लम्बित थे, वह वितरित की गई है। वर्ष 2014–15 व 2015–16 में (दिनांक 30–6–2017 तक) बोर्ड द्वारा 922.74 लाख रूपये की राशि के, जोकि वर्ष 2012–13 व 2013–14 के रिबेट क्लेम लम्बित थे, वह वितरित की गई है।

खान एव भू–विज्ञान

4.21 खान एवं भू–विज्ञान विभाग राज्य में खनिज संसाधनों के व्यवस्थित गवेक्षण तथा दोहन के लिये जिम्मेदार है। हरियाणा राज्य को बड़े खनिजों के पर्याप्त भण्डार उपलब्ध के रूप में नहीं जाना जाता और राज्य की खनन गतिविधियां मुख्यतः लघु खनिजों जैसे कि रेत, पत्थर, बजरी आदि जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त होते है, तक ही सीमित है।

4.22 खान एवम् भू–विज्ञान विभाग निम्न विधियों के प्रशासन के लिए उतरदायी हैः

1. खान एवम् खनिज (विकास एवम् विनियमन) अधिनियम–1957: यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जो कि देश में खनन के सतत विकास एवम् खनिज रियायत के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
2. खनिज रियायत नियम 1960: केन्द्र सरकार द्वारा यह बड़े खनिजों के खनन के लिए रियायत दिये जाने के लिये बनाया गया है।
3. राज्य सरकार द्वारा खान एवम् खनिज विकास एवम् विनिमयन अधिनियम, 1957 की धारा 15 एवं 23 सी के अधीन प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए नये नियमानुसार ''हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टॉकिंग, परिवहन एवम् अवैध खनन निवारण नियम, 2012'' बनाए, जो कि 20–6–2012 को अधिसूचित किए गए। उक्त नियम अधिसूचित होने पर ''पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964'', जिन्हें समय समय पर संशोधित करके हरियाणा राज्य में लागू किया गया।
4. हरियाणा खनिज (निहित अधिकार) अधिनियम, 1973 व इसके अधीन बनाए गए नियम, 1979 हरियाणा राज्य द्वारा जहां भी आवश्यक हो, खनिज अधिकार प्राप्त करने के लिये उक्त अधिनियम व इसके अन्तर्गत नियम हैं।
5. हरियाणा विनियमन एवं क्रैशर नियन्त्रण अधिनियम, 1991 व नियम, 1992 जोकि सामान्यतः स्टोन क्रैशरों के संचालन को विनियमित करने के लिये उक्त अधिनियम व इसके अन्तर्गत नियम हैं।

4.23 खनिज अन्वेषणः खनिजों का अन्वेषण 3 विभिन्न एजैन्सियों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि विभाग द्वारा स्वयं, राज्य और केन्द्रीय भू–वैज्ञानिक योजना के अनुसार चिन्हित स्थानों पर भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा तथा प्राइवेट एजैन्सियों को केन्द्रीय अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा–सह–अन्वेषण लाइसैंस प्रदान करके। विभागीय भू–विज्ञान

शाखा द्वारा अस्सी के दशकों के दौरान किए गए अन्वेषण के दौरान सामारिक महत्व के खनिज नहीं पाये जाने की वजह से व्यापक अन्वेषण का कार्य नहीं किया गया । जिसके परिणाम स्वरूप विभाग ने 2003 के बाद भू–वैज्ञानिक शाखा के खुदाई अनुभाग, रसायन प्रयोगशाला के कई पदों को समाप्त कर दिया। अब विभाग भू–वैज्ञानिकों के सीमित समूह के साथ या तो अपने सीमित संसाधनों द्वारा या भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के साथ प्रदेश में खनिज अन्वेषण के कार्य कर रहा है। वर्तमान में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा जिला महेन्द्रगढ़ में तांबा तथा इसके साथ पाई जाने वाली धातु के अन्वेषण का कार्य कर रहा है।

4.24 राज्य में खनन कार्य मुख्यतः निर्माण उद्योग में काम आने वाले लघु खनिज जैसे कि पत्थर, बोल्डर, बजरी, रेत और स्लेट पत्थर इत्यादि तक ही सीमित है। कुछ अन्य खनिज जैसे कि क्वाटर्ज, फैल्सपार की खानें भी मौजूद है परन्तु वे अभी चल नहीं रही है ।

4.25 विभाग ने वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान भिवानी और हिसार जिलों की सीमा पर स्थित गांवों में जिप्सम (एक मुख्य खनिज जिसे भारत सरकार ने फरवरी, 2015 में लघु खनिज अधिसूचित कर दिया है), की उपस्थिति का पता लगाया गया है, जिसका खुली नीलामी द्वारा पट्टा दिया गया है तथा अब पट्टेधारक द्वारा इसका खनन किया जा रहा है। हालांकि, खनिज भण्डार बड़ी मात्रा में नहीं है परन्तु, इससे राज्य के अन्य भागों में खनिज मिलने की संभावना बढ़ गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से विस्तृत अन्वेषण करने का अनुरोध किया गया परन्तु अब तक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षणों में राज्य के अन्य हिस्सों में जिप्सम/अन्य खनिज के भण्डार नहीं मिले हैं।

4.26 खनिज प्रबन्धनः राज्य मे खनन गतिविधियां मुख्यतः छोटे खनिजों जैसे कि पत्थर, बोल्डर, ग्रैवल, रेत तथा स्लेट स्टोन इत्यादि तक ही सीमित है जोकि ''हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टॉकिंग, परिवहन एवम् अवैध खनन निवारण नियम, 2012' के अनुसार शासित किए जाते हैं। खनिज रियायतें (खनन पट्टे/ठेके) पारदर्शी तरीके से खुली नीलामी द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

4.27 पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी प्राप्त करने बारे विभिन्न अदालतों मे लम्बे समय से लम्बित मामलों के अक्टूबर, 2013 में निपटान उपरान्त राज्य ने दिसम्बर, 2013 में लघु खनिज खानों की नीलामी करवाई। राज्य में खनन गतिविधियां मई, 2015 से पुनः शुरू हुई। वर्तमान सरकार के नीतिगत फैसले के अनुसार जिन बड़ी खनन इकाईयों के ठेके/पट्टे समाप्त/रद्द हो गये थे उनके क्षेत्रों में से छोटी खनन इकाईयां/ब्लॉक बनाये गये हैं तथा उनकी समय–समय पर नीलामियां की गई हैं 27–2–2018 के अनुसार विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है ।

तालिका 4.1. हरियाणा में खानों का विवरण

संख्या	जिला	खानों की कुल संख्या	आवंटित खानों की कुल संख्या	वर्तमान में खाली/खाली आवंटित खानों की कुल संख्या	खानों का संख्या जिनमें खनन कार्य जारी है
1	पंचकूला	18	13	05	04
2	अम्बाला	10	03	07	01
3	यमुनानगर	33	32	01	18
4	कुरूक्षेत्र	01	00	01	00
5	करनाल	04	02	02	01
6	पानीपत	03	03	00	01
7	सोनीपत	15	10	05	10
8	फरीदाबाद	02	01	01	00
9	पलवल	02	00	02	00
10	भिवानी	02	01	01	01
11	चरखी दादरी	14	13	01	12
12	हिसार	01	01	00	01
13	रेवाड़ी	01	00	01	00
14	महेन्द्रगढ़	13	09	04	08
	योग	**119**	**88**	**31**	**57**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग,हरियाणा ।

4.28 रेत के ठेके तथा पत्थर खान पट्टों के तहत इन छोटी खानों का विवरण निम्नलिखित हैः

1. रेत, पत्थर, बजरी/केवल रेत के खनन ठेकेः– इस समय रेत पत्थर, बजरी/केवल रेत के राज्य में 65 ठेके दिये गये हैं (13 पंचकूला, 03 अम्बाला, 32 यमुनानगर, 02 करनाल, 03 पानीपत, 10 सोनीपत, 01 फरीदाबाद तथा 01 महेन्द्रगढ़) जिनमें से 35 खानें (04 पंचकूला, 01 अम्बाला, 18 यमुनानगर, 01 करनाल, 10 सोनीपत तथा 01 महेन्द्रगढ़) पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त सक्रिय रूप से चल रही है। आगे 26 खानों (09 पंचकूला, 02 अम्बाला, 14 यमुनानगर तथा 01 करनाल) पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने में प्रयासरत हैं, जबकि 26 खानों की (05 पंचकूला, 07 अम्बाला, 01 यमुनानगर, 01 कुरूक्षेत्र 02 करनाल, 05 सोनीपत 01 फरीदाबाद, 02 पलवल तथा 02 महेन्द्रगढ़) अभी बोली होनी है। कुछ मुकद्मेबाजी में लम्बित हैं।
2. पत्थर के खनन पट्टेः इस समय 26 पत्थर खनन पट्टे वजूद में हैं (15 जिला चरखी दादरी, 01 जिला भिवानी तथा 10 जिला महेन्द्रगढ) इनमें से 20 खनन पट्टों में (12 जिला चरखी दादरी, 01 जिला भिवानी तथा 07 जिला महेन्द्रगढ़) पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति तथा अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खनन कार्य जारी है। शेष 06 में से 03 (01 जिला चरखी दादरी, 02 महेन्द्रगढ़) खानें पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने में प्रयासरत है, जबकि 03 पत्थर खानों की 01 जिला चरखी दादरी,01 जिला भिवानी व 01 जिला महेन्द्रगढ़) बोलियां आकर्षित होनी शेष है। खनिज अनुदान प्रदान करना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है अर्थात खनिज की संख्या बढ़ती या घटती रहती है । उदाहरण के तौर पर यदि खनिज अनुदान प्रदान किया जाता है तो कुल संख्या बढ़ जाती है तथा कुछ समय/वर्ष बाद यदि कोई खनिज रियायत धारक, रियायत की शर्तो को पूरा नही करता तो उस ठेके को रद्द करना आवश्यक हो जाता है । जिसकी वजह से खनिज अनुदान की कुल संख्या घट जाती है । इसके उपरान्त रद्द किए गए खनन ठेकों के खनन क्षेत्रों की पुनः नीलामी की जाती है तथा बोली आकर्षित होने पर यह संख्या पुनः राज्य में कुल अनुदानित संख्या को प्रभावित करती है ।

4.29 फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा नूंह जिलों के अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में खननः हरियाणा के जिला फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा नूंह से सम्बन्धित खनन मामले मान्नीय उच्चतम न्यायालय की वनपीठ के समक्ष फैसले हेतु लम्बे समय से लंबित है। राज्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपरोक्त केस की शीघ्र सुनवाई करने के लिए प्रयासरत है ताकि जो मुकदमेंबाजी का हिस्सा नहीं है व ना ही प्रतिबन्धित क्षेत्र या किसी भी प्रकार के वन क्षेत्र का हिस्सा है, के खनन रियायत प्रदान किया जा सके ।

4.30 अवैध खनन के मामलेः

1. राज्य में कहीं पर भी संगठित अवैध खनन नहीं हो रहा है, (जहां पर खनन कार्य बन्द है।) हालांकि छुटपुट चोरी से संबंधित शिकायतें सामने आती रहती हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
2. इस वित्त वर्ष के दौरान राज्य ने अवैध रूप से खनन से खनिज परिवहन को पकड़ने के लिये विशेष अभियान शुरू किया है जोकि राज्य के साथ लगते राज्य राजस्थान, उतर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पजांब में कई अर्न्तराजीय नाके प्रत्येक वाहन को गहनता से चैक करने के लिये लगाये गये हैं । जिला प्रशासन द्वारा खनिज से लदे हुये ओवर लोडिग वाहनों को पकड़ने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं ।

3. इस प्रकार के अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तर पर 'जिला टास्क फोर्स' कमेटी बनी हुई है। जो क्षेत्रों पर निरन्तर निगरानी रखते है।

तालिका 4.2 अवैध खनन के सामने आये मामले व जिन पर कार्यवाही की गई

वर्ष	वैध दस्तावेजो के बिना अवैध खनन में सम्मिलित परिवहन वाहनो की संख्या	जुर्माना रिलीज लाखों में	दायर एफ आई आर की संख्या
2011–12	1588	263.33	117
2012–13	2564	163.31	122
2013–14	4518	991.59	148
2014–15	5333	1451.71	245
2015–16	3912	838.55	78
2016–17	1963	435.34	121
2017–18 (सितम्बर, 2017 माह तक)	892	160.78	116
कुल	**20770**	**4304.61**	**947**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग,हरियाणा।

4.31 खनन से राजस्वः राज्य के इतिहास में खनन ठेकों/पट्टों से राजस्व के रूप में विभाग ने वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 510.63 करोड़ रूपये (दिसम्बर, 2017 माह तक) का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया। हालांकि यह राजस्व सग्रंह उम्मीद के अनुसार नही है क्योंकि कुछ ठेकेदारों/ पट्टेदारों का खनन परिचालन अभी शुरू नही हो सका है ।

तालिका 4.3– वर्ष 2005–06 से प्राप्त हुये राजस्व का ब्यौरा

क्रम संख्या	वर्ष	आय (रूपए में)
1	2005–06	153.34
2	2006–07	136.26
3	2007–08	215.71
4	2008–09	195.42
5	2009–10	248.66
6	2010–11	78.38
7	2011–12	87.39
8	2012–13	70.83
9	2013–14	81.52
10	2014–15	43.89
11	2015–16	265.42
12	2016–17	494.16
13	2017–18 (दिसंबर, 2017 माह तक)	510.63
कुल		**2581.61**

स्त्रोतः खान एवम भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा ।

विद्युत

4.32 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वहन की जाने वाली कीमत पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्त्रोतों की सीमित उपलब्धता है। राज्य में हाईड्रो जेनरेशन पोटेंशियल बहुत कम है। यहां तक कि कोयले की खानें भी राज्य से बहुत दूर स्थित है। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित है। विद्युत उत्पादन का

लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन भूमि क्षेत्र सीमा बड़े पैमाने पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, राज्य संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है।

4.33 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 11,262.30 मैगावाट है, इसमें 2,792.4 मैगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 828.97 मैगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी.) से तथा शेष केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध है। 2016–17 के दौरान इन स्त्रोतों से विद्युत उपलब्धता 4,54,659 लाख के.डब्ल्यू.एच. थी। वर्ष 2016–17 के दौरान 3,39,931.52 लाख के. डब्ल्यू.एच. बिजली बेची गई थी। वर्ष–वार कुल स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली **तालिका 4.4** में दी गई है।

तालिका 4.4– राज्य में स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उपत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29	343	6010	5010
1970–71	29	486	12460	9030
1980–81	1074	1174	41480	33910
1990–91	1757	2229.5	90250	66410
2000–01	1780	3124.5	166017	154231
2010–11	4106	5997.83	296623	240125
2011–12	4106	6740.93	326473	266129.66
2012–13	4106	9839.43	343177	262576.03
2013–14	4060	9839.43	402779	288608.72
2014–15	4060	11102.32	438956	319972
2015–16	3611.37	11053.30	445111	322370.61
2016–17	3621	11065	454659	339931.52

प्राप्ति स्थानः एच.वी.पी.एन.एल. लिमिटेड ।

* इसमें राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता है परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी.,एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी.,आर.ए.पी.पी.एवं आई.पी.पी. (आई.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर, एम.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं) आदि सम्मिलित नहीं है।

4.34 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 59,40,158 हो गई है। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 4.5** में दी गई है।

तालिका 4.5–राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	योग
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2011–12	3849779	479366	88821	540406	38593	4996665
2012–13	4020928	502912	91087	561381	41919	5218227
2013–14	4136499	522110	93839	582605	46076	5281129
2014–15	4266675	547395	96887	603797	47265	5562919
2015–16	4419364	573848	99195	613973	45790	5752170
2016–17	4569311	597063	101388	621571	50825	5940158

प्राप्ति स्थानः एच.वी.पी.एन.एल. लिमिटेड ।

4.35 वर्ष 1967–68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 57 यूनिटों से बढ़कर 2015–16 में 1,628 यूनिट हो गई है। राज्य में वर्ष 2016–17 के दौरान बिजली की खपत 33,519.73 मिलियन यूनिट (एम.यू.) थी। बिजली की अधिकतम खपत औद्योगिक क्षेत्र द्वारा 9,735.27 एम.यू. तथा इसके बाद कृषि क्षेत्र में 9,595.07 एम.यू. है। वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को 6,608.86 करोड़ रूपये की सबसिडी दी गई थी। क्षेत्र–वार बिजली की खपत **तालिका 4.6** में दी गई है।

तालिका 4.6– राज्य में क्षेत्र–वार बिजली की खपत

(एम.यू.)

सैक्टर	**2016–17**
औद्योगिक	9735.27
घरेलू	7763.74
कृषि	9595.07
वाणिज्यिक	3845.16
पब्लिक सर्विस (सार्वजनिक प्रकाश, सार्वजनिक जल घर)	933.04
रेलवेज	353.62
विविध	1293.83
कुल	**33519.73**

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन.एल. लिमिटेड ।

तालिका 4.7– राज्य में क्षेत्र–वार लम्बित बिजली बिल

(लाख रूपये)

सैक्टर	**2016–17 (मार्च तक)**	**2017–18 (सितम्बर, 2017 तक)**
औद्योगिक	44679.99	50165.38
घरेलू	496628.20	539461.93
कृषि	16795.66	17319.50
वाणिज्यिक	50365.80	55516.12
सरकारी विभाग एवं सेवाएं	89934.89	107066.75
कुल	**698404.54**	**769529.68**

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन.एल. लिमिटेड ।

4.36 राज्य में लम्बित पड़े बिजली बिल मार्च, 2016 से 6,984.05 करोड़ रूपये से बढ़कर 30 सितम्बर, 2017 तक 7,695.30 करोड़ रूपये हो गए है। घरेलू क्षेत्र के अधिकतम लम्बित पडे बिजली बिल 5,394.62 करोड़ रूपये थे। क्षेत्र–वार लम्बित बिजली बिलों का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

भविष्य की बिजली परियोजनाएं

4.37 राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, परिचालन कार्यकुशलता में सुधार, वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं पुनर्गठन आदि किए गए हैं।

4.38 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय): केन्द्र सरकार ने कर्ज में डूबी हुई बिजली कम्पनियों के लिए एक स्थाई समाधान सुनिश्चित करने व वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई है जिससे उनकी दक्षता में सुधार हो सके। राज्य सरकार ने यह योजना अपनाई है। आशा की जा रही है कि इससे राज्य के विद्युत निगमों के संचालन तथा वित्तीय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अन्तर्गत, हरियाणा सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 17,300 करोड़ रूपये तथा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 8,650 करोड़ रूपये के उदय बॉण्ड जारी किए हैं। हरियाणा डिस्कॉम ने उदय बॉण्डस की आय से अपने उच्च लागत ऋण चुका दिए हैं। हरियाणा डिस्कॉम के खातों में बचे शेष ऋण मुख्य रूप से नकद ऋण सीमा तथा कैपेक्स/पूंजीगत ऋण हैं। वर्ष 2018–19 तक 15 प्रतिशत ए.टी. एवं. सी. हानियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत हानि कटौती प्लान (एल.आर. पी.) तैयार की गई है तथा लागू की जा रही है। ए.टी. एवं. सी. हानियों को कम करने के लिए डिस्कॉम द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, हरियाणा डिस्काम ने पिछले वर्ष की तुलना में 4.40 प्रतिशत (यू.एच.–3.12 प्रतिशत, डी.एच.–5.75 प्रतिशत) तक ए.टी. एवं. सी. हानियों में कमी की है।

नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा

4.39 वर्ष 2017–18 के दौरान निजी क्षेत्र मे 40 करोड़ रूपये के वित्तीय सहायता से 20 मेगा वाट क्षमता वाले छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित किये जाएगें। इसके अतिरिक्त 2.5 मेगा वाट क्षमता के संयत्र जिनकी लागत लगभग 15 करोड़ रूपये, सरकारी भवनों पर लगाये जाएंगे। अभी तक राज्य में 70 मेगा वाट क्षमता ऐसे सयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं, जिनमे से 17 मेगा वाट क्षमता के संयत्र 30 प्रतिशत से राज्य/भारत सरकार वित्तीय सहायता से लगाये गये हैं। ये सभी संयत्र मिटरिंग इस प्रकार के सभी संयंत्र नेट मिटरिंग सुविधा वाले होंगे, जिसमें सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा ग्रिड को निर्यात की जा सकेगी, जोकि एक वर्ष के भीतर उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जा सकेगी। राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए पूर्व सौर ऊर्जा नीति को पुनः परिभाषित किया जा रहा हैं, ताकि विभिन्न निवेशकों के अनुकूल प्रावधान एक ही जगह उपलब्ध कराया जा सकें।

4.40 राज्य सरकार ने किसानों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता से 2 एचपी और 5 एचपी की सौर जल पम्पिंग प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी। यह योजना खेती की लागत को कम करने और छोटे जोत के लिए कृषि व्यवसाय को व्यवहारिक बनाने में मदद करेगा। यह राज्य ग्रिड पर विद्युत भार को भी कम करेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,050 सौर पम्प लगाये जाएगें। वर्ष 2016–17 के दौरान 750 पम्प लगाये जा चुके है तथा शेष वर्ष 2018–19 मे लगाये जाएगें।

4.41 वर्ष 2017–18 मे 25 मेगा वाट का बायोमाश/कोजनरेशन का एक संयत्र अम्बाला जिले मे स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 168 करोड़ रूपये की लागत से 27.95 मेगा वाट क्षमता के 5 संयत्र लगाने की प्रक्रिया में है।

4.42 सरकार खेतों मे फसल अवशेष जलाने की समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने धान की पराली आधारित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का फैसला किया है। प्रथम चरण में, लगभग 50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु राज्य के 6 जिलों जिसमें करनाल, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद, जीन्द, कैथल, अम्बाला है, जिसमें कुरूक्षेत्र जीन्द, फतेहाबाद और कैथल की प्रस्ताव आबंटन के अन्तिम चरण में है।

4.43 सरकार ने एक ओर योजना 'मनोहर ज्योति' के नाम से 1,00,000 सौर आधारित घरेलू प्रणाली, जनता की बुनियादी घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने लिए 230 करोड़ रूपये की लागत से तीन एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम, एक डी.सी.चालित छत का पंखा तथा एक मोबाईल चार्ज पोर्ट प्रति प्रणाली के चरणबद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु शुरू की है। इस योजना के प्रथम चरण मे वर्ष 2018–19 मे 50,000 मनोहर ज्योति सिस्टम देने का प्रावधान प्रस्तावित है।

4.44 अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर संयन्त्रों की स्थापना, कमीशनिंग और बिक्री के बाद सेवा पर विशेष ध्यान देने के लिए, कुशल मानव शक्ति को विकसित करने हेतू सरकार ने "सूर्यामित्रा" नाम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया है। वर्ष 2017–18 के दौरान सिरसा, सोनीपत व गुरूग्राम में 30 की संख्या वाले 3 बैंचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये गये है।

वास्तुकला

4.45 वास्तुकला विभाग, हरियाणा सरकार की एक नोडल शाखा है जो सरकारी भवनों के अल्प–व्यय व सुन्दर ढंग से डिजाईन तैयार करता है। यह विभाग एक सेवा विभाग के रूप में राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग विभिन्न सरकारी विभागों,बोर्ड एवम निगमों तथा विश्वविद्यालयों

को वास्तुकला संबंधी सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान करता है। इस विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के भवन, जैसे छोटे मकान से लेकर बहुमंजिलें प्रशासनिक एवम न्यायिक इमारतों के डिजाईन बनाने का कार्य किया जाता है। अब आगे से भवनों का डिजाईन हरियाणा भवन कोड– 2017 के अनुरूप किया जा रहा है। इस विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्व भवन, न्यायिक विभाग, विश्राम गृह की परियोजनाओं के नक्शे और अन्य प्रकार की परियोजनाओं के नक्शे तैयार किये जाते है।

सड़कें

4.46

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार को ओर अधिक प्रभावी बनाने हेतू प्रमुख साधन है। भविष्य में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/ दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क उपरी पुलों का निर्माण तथा उन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करना, जिन पर पहले से काम चल रहा है। **तालिका 4.8** में राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क निम्न प्रकार से है।

तालिकाः 4.8– राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं0	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31–3–2017 तक)	लम्बाई कि.मी. में (30–12–2017 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.–1198 एन.एच.ए.आई. – 1307	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 70 एन.एच.ए.आई. – 2435
2	राज्य उच्च मार्ग	1801	1801
3	मुख्य जिला सड़कें	1395	1395
4	अन्य जिला सड़कें	20373	20430
	कुल	26074	**26131**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा ।

4.47 वर्ष 2017–18 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, उंचा उठाने, सीमैंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। नवम्बर, 2017 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 4.9** में निम्न प्रकार से है।

तालिकाः 4.9– सड़कों की प्रगति व सुधारीकरण कार्यक्रम

(क) वित्तीय प्रगति

(करोड़ रूपये)

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2017–18	खर्चा (नवम्बर 2017 तक)
1	प्लान– 5054 (सड़कें और पुल) नाबार्ड ऋृण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित)	2003.75	876.16
2	नान प्लान –3054	600.00	366.98
3	केन्द्रीय सड़क कोष	200.00	41.45
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	100.00	74.47
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	46.30	35.13
6	डिपोजिट कार्य (एच0 एस0 आर0 डी0सी0 की सड़कें तथा पुलों के कार्य सहित)	185.00	19.04
कुल		**3135.05**	**1413.23**

(ख) भौतिक प्रगति

क0सं0	मद	लम्बाई कि0मी0 में (नवम्बर, 2017 तक)
1	नया निर्माण	184
2	प्रिमिक्स कारपेट(राज्य सड़कें)	1711
3	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	1170
4	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	305
5	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	225
6	पुर्ननिर्माण तथा ऊंचा उठाना	144
7	(क) चौड़ा राष्ट्रीय उच्च मार्ग (ख) मजबूत	40.92

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा ।

तालिकाः 4.10– वर्ष 2017–18 के दौरान स्वीकृत सड़क/पुल कार्य

(करोड़ रूपये)

क0सं0	लेखा शीर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (दिसम्बर.2017 तक)
1	प्लान–5054	417	758.92
2	नान प्लान–3054	175	220.47
3	नाबार्ड– सड़कें – पुल	28 8	123.12 44.03
4	केन्द्रीय सड़क कोष	4	348
5	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण – सड़कें – पुल	– –	– –
6	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	–	–
7	उपरगामी पुल/भुमिगत पुल (प्लान–5054)	18	295.65
8	पुल – प्लान –5054 नान प्लान–3054	14 5	67.42 3.37
	कुल	**669**	**1860.98**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

तालिकाः 4.11– भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए आबंटन

(करोड़ रूपये में)

कं0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2017–18	खर्चा नवम्बर, 2017 तक
1	राजस्व भवन	135.85	116.81
2	कैपीटल भवन	1364.30	711.76
3	डिपोजिट भवन	150.00	113.91
	कुल	**1650.15**	**942.48**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर),हरियाणा।

मुख्य पहल

4.48 विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये तथा देरी को कम करने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 25 रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल निर्माणाधीन हैं। रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पुल व पुलों के पूर्ण होने व प्रगति का ब्यौरा **तालिका 4.12** में निम्न प्रकार से है।

तालिका 4.12– रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों का पूर्ण व प्रगति

क्र0सं0	विवरण	2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)
1	ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 5 25
2	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 2 3

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

रेलवे लाईन

4.49 रेलवे लाईनो का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

1. रेलवे ने रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाईन का संशोधित अनुमान 679.85 करोड़ रुपये का सूचित किया है। हरियाणा सरकार द्वारा 50 प्रतिशत निर्माण की लागत वहन की जाएगी, जोकि 339.93 करोड़ रुपये होगी। हरियाणा सरकार पहले ही रेलवे को 14.80 करोड़ रुपये जमा करवा चुकी है। 366.54 करोड़ रुपये भूमि मालिकों को भुगतान के लिए जारी किए गए हैं।
2. मौजूदा रोहतक–पानीपत रेलवे लाईन को रोहतक शहर की भीड़ को कम करने के लिए ऊपर उठाया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 315 करोड़ रुपये होगी तथा रेलवे द्वारा 90 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए सहमति जताई है व बकाया 225 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसकी आधार शिला माननीय रेलमंत्री द्वारा दिनांक 1–11–2016 को रखी जा चुकी है। हरियाणा सरकार पहले ही 23 करोड़ रुपये रेलवे को जमा करवा चुकी है । हाल ही में सरकार ने इस रेलवे लाईन के लिए 101.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

4.50 हरियाणा राज्य रोड एवम पुल विकास कारपोरेशन (एच.एस.आर.डी.सी.) द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एन.सी.आर.पी.बी. सहायता योजना के तहत सड़क व पुलों के कार्य पर दिसंबर, 2017 तक 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 में एक सड़क परियोजना 91 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण की जा चुकी हैं। एक लिंक सड़क योजना रेवाड़ी–नारनौल से रेवाड़ी–झज्जर तक वाया रेवाड़ी–दादरी का निर्माण जिसमें 3 उपरगामी पुल (बाई पास रेवाड़ी) शामिल हैं व अनुमानित लागत 157 करोड़ रुपये है, एन.सी.आर.पी.बी. ऋण योजना के अंतर्गत हाल ही में आवंटित की गई है।

नाबार्ड योजनाएं

4.51 नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.–23 (सड़कें) के अंतर्गत 28 सड़कें जिनकी कुल लम्बाई 235.17 कि.मी. और 8 पुलों का कार्य नाबार्ड योजना के अंतर्गत 167.15 करोड़ रूपये की लागत से नाबार्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 36 कार्यों में से 14 कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान नाबार्ड योजना के तहत 172 किलोमीटर सड़कों का सुधार 130.07 करोड़ रुपये की लागत से किया जा चुका है।

परिवहन

4.52 परिवहन विभाग हरियाणा के दो अंग है, नामतः वाणिज्यक अंग (हरि.रा.परि.) व नियामक अंग है।

वाणिज्यक अंग

4.53 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थ–व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है। परिवहन विभाग, हरियाणा इस वर्ष में भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा।

4.54 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन सस्थाओं में से एक है। वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 4,100 (31–12–2017) बसें हैं जो 23 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 11.74 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 10.87 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी है जैसे कि कर से पूर्व लाभ, बसों की औसत आयु, स्टाफ व व्हीकल उत्पादकता, परिचालन लागत प्रति कि.मी. (कर रहित), दुर्घटना दर व ईधन की खपत इत्यादि।

4.55 हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं के मुकाबले वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2012–13 तथा 2013–14 में सबसे कम दुर्घटना दर के लिये केन्द्रीय परिवहन मन्त्री ट्राफी व 1.50 लाख का प्रत्येक वर्ष नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। ए.एस.आर.टी.यू. द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन को वर्ष 2008–09 के लिए मैदानी क्षेत्र में अच्छी वाहन उपयोगिता के लिए विजेता घोषित किया गया है।

4.56 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में ओर सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में ओर बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन की पुरानी बसों को समय पर बदलना सुनिश्चित करने, आधुनिक रूप देने व अन्य ढांचे में सुधार के लिये योजना बजट वर्ष 2016–17 में 213.45 करोड़ से बढाकर वर्ष 2017–18 में 253.55 करोड़ कर दिया गया है। जिसमें से दिनांक 31–12–2017 तक 120.36 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

बस सेवाओं का आधुनिकीकरण

4.57 यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा 39 वॉल्वो/मरसडीज़ वातानुकुलित बसों का संचालन किया जा रहा है। चण्डीगढ–गुरूग्राम, दिल्ली–चण्डीगढ बस सेवा को जनता द्वारा बहुत सराहा गया है। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा फरीदाबाद, गुरूग्राम व पंचकूला शहरों में जनता को आरामदायक व अच्छी यात्रा सेवा प्रदान करने हेतू शहरी बस सेवा शुरु कर दी गई है।

4.58 वर्ष 2016–17 में 195 बसों को नई डिजाईन बसों में बदला गया। वर्ष 2017–18 में 289 पुरानी बसों को बदलने तथा 300 नई बसें बस बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम है। दिनांक 31–12–2017 तक 112 नई डिजाईन बसों में बदला गया व वर्तमान वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान प्रतिस्थापन तथा वृद्धि के विरुद्ध अतिरिक्त 150 नईं बसों को खरीदने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। विभाग का वित्त वर्ष 2017–18 में बस बेड़े को 5,000 बसों तक बढ़ाने का कार्यक्रम है, जिसके लिए 550 से अधिक अतिरिक्त बस चैसिज वित्त वर्ष 2017–18 की अन्तिम तिमाही तक खरीद ली जाएंगी। बस बेड़े की बढ़ौतरी से गांवो/शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में सुधार हो सकेगा। विभाग द्वारा लोगों को सुरक्षित तथा अच्छी तरह से समन्वय परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतू निजी बसों को प्रति किलोमीटर के आधार पर किराए पर लेने हेतू पूर्व अनुमोदित स्कीम में कुछ संशोधन करने के उपरान्त सरकार से

अनुमोदन मांगा जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस मद में 13.59 करोड़ खर्च किए गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2017–18 के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 31–12–2017 तक 5,064.56 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

4.59 विभाग द्वारा 2,038 चालकों, 905 परिचालकों, 869 हैल्पर व स्टोरमैन के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। यह प्रक्रिया 2017–18 के दौरान पूर्ण होने की सम्भावना है।

बस स्टैण्डों व कर्मशालाओं का निर्माण/ नवीनीकरण

4.60 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 105 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ है, जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में चालू परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

विभाग द्वारा एन.आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का पी.पी.पी. के माध्यम पर विकास करने के लिए चयनित सलाहकार द्वारा विस्तृत आर.एफ.क्यू.–कम–आर.एफ.पी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे, जिसके लिए केबिनट कमेटी ऑन ईन्फ्रास्ट्रैक्चर (सीसीआई) द्वारा स्वीकृत करवाकर नए टैण्डर मांगे जा चुके हैं। इस बोली प्रक्रिया में एक बोलीदाता द्वारा भाग लिया गया। इसी प्रकार केबिनट कमेटी ऑन ईन्फ्रास्ट्रैक्चर (सीसीआई) द्वारा करनाल में भी आधुनिक बस टर्मिनल–कम–कर्मशियल कॉम्पलैक्स का विकास के लिए आर.एफ.क्यू.–कम–आर.एफ.पी. दस्तावेजों को अनुमोदित कर दिया है। करनाल की आर.एफ.पी. रिपोर्ट बोली लगाने के लिए जारी की जा चुकी है, जिसकी अन्तिम तिथि 24–1–2018 थी। गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में अधिकतम आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए बस टर्मिनल का विकास पी0पी0पी0 आधार पर करने के लिए भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त तोशाम (भिवानी), बरवाला (पंचकूला), पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, तावडू और नूंह, झज्जर, सांपला, नाथूसरी चौपटा (जिला सिरसा) में नए बस स्टैण्ड चालू कर दिए गए हैं व बिलासपुर व रादौर (यमुनानगर), कुंजपुरा (करनाल), फतेहाबाद, कालांवाली (सिरसा), बहादुरगढ (झज्जर) तथा नांगल चौधरी (नारनौल), जाखल (फतेहाबाद) में नए बस स्टैण्ड निमार्णाधीन है।

बस स्टैण्ड जिनके लिए भूमि अधिग्रहण की जा चुकी हैः

1. नया बस स्टैण्ड राजीव चौक, गुरूग्राम।
2. नया बस स्टैण्ड, सैक्टर –29, गुरूग्राम।
3. नया बस स्टैण्ड, सैक्टर 12, फरीदाबाद।
4. नया बस स्टैण्ड बादली, झज्जर।
5. नया बस स्टैण्ड बाढशा, झज्जर।
6. नया बस स्टैण्ड तरावड़ी, (जिला करनाल)
7. नया बस स्टैण्ड बावल, रिवाड़ी (एचएसआईआईडीसी से भूमि) ।
8. नया बस स्टैण्ड, जीन्द।
9. नया बस स्टैण्ड फारुखनगर, जिला गुरूग्राम।
10. नया बस स्टैण्ड, सैक्टर 12, रिवाड़ी।
11. नया बस स्टैण्ड, मुस्तफाबाद व खिजराबाद (यमुनानगर)।
12. बस स्टैण्ड पिपली के लिये पहुंच सड़क।

नये बस स्टैण्ड व कर्मशाला जिनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही हैः–

4.61 नये बस स्टैण्ड व कर्मशाला टोहाना (फतेहाबाद), झोझूकलां (भिवानी) व कादमा, नीलोखेड़ी और निगदू (करनाल) के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। विभाग की भूमि एवं भवन कार्यक्रम के तहत नये बस स्टैण्ड/कर्मशालाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2016–17 में 92.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्लान बजट वर्ष 2017–18 के लिए 100 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 6,844.19 लाख दिनांक 31–12–2017 तक खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओं का आधुनिकीकरण

4.62 बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा

कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 2016–17 में 81.02 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। प्लान बजट वर्ष 2017–18 के लिए 1 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 3.83 लाख रूपये दिनांक 31–12–2017 तक खर्च किए जा चुके हैं।

सडक सुरक्षा

4.63 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने व प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने के लिये 22 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है। हल्के वाहन चालकों के लिए भी डी.टी.आई., मुरथल, हिसार, गुरूग्राम, महेन्द्रगढ, झज्जर व भिवानी में प्रशिक्षण शुरु किया गया है तथा इस प्रशिक्षण को विभाग के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी शुरु किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2017–18 (30–12–2017 तक) के दौरान 32,385 उम्मीदवारों को अपनी कार्यकुशलता सुधारने के लिए व आवश्यक चालक लाईसैंस प्राप्त करने के लिए भारी वाहन चालकों का प्रशिक्षण दिया गया है। प्लान बजट वर्ष 2017–18 के लिए 50 लाख रूपये अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 5.30 लाख दिनांक 31–12–2017 तक खर्च किए जा चुके हैं। अधिक गति सीमा को रोकने के लिए सभी बसों में गतिरोधक यंत्र भी लगाए गए हैं।

हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कोरपोरेशन को नया रूप देना

4.64 हरियाणा रोड़वेज़ इंजीनियरिंग कारपोरेशन, गुरूग्राम जो कि हरियाणा राज्य परिवहन के लिये बस बॉडी का निर्माण करती है, का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में एच.आर.ई.सी. की अंशपूंजी को 2 करोड़ से बढ़ा कर 4 करोड़, 2006–07 में 5 करोड़, 2007–08 में 6 करोड़, 2008–09 में 6.20 करोड़, 2009–10 में 6.40 करोड़, वर्ष 2010–11 में 6.60 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में 6.75 करोड़ किया गया है। प्लान बजट वर्ष 2017–18 के लिए 5 लाख अनुमोदित किये गये है, जोकि खर्च किए जा चुके हैं।

कम्प्यूटरीकरण

4.65 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध समय में कमप्यूट्रीकृत किया जा रहा है। डिपू मैनेजमैंट प्रणाली के अतिरिक्त ऑन लाईन अग्रिम आरक्षण व टिकटिंग प्रणाली लागू की गई है। कम्प्यूटरीकरण पर वर्ष 2016–17 में 194.85 लाख खर्च किए गए। प्लान बजट वर्ष 2017–18 के लिए 2 करोड अनुमोदित किये गये हैं, जिसमें से 112.71 लाख दिनांक 31–12–2017 तक खर्च किए जा चुके हैं।

तकनीकी का प्रयोग

1. जी.पी.एस. आधारित व्हीकल ट्रैकिंग प्रणाली को 400 बसों में प्रारम्भिक चरण में लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इसे हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में लागू करना प्रस्तावित है।
2. विभाग द्वारा अग्रिम बुकिंग तथा पास जारी करने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में हाथ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ई.टी.आई.एम.) को लागू करने की योजना है। अक्टूबर, 2018 के दौरान इसे हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में लागू करना प्रस्तावित है।
3. विभाग द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन के मुख्य बस स्टैण्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
4. सितम्बर, 2017 से हरियाणा राज्य परिवहन के 41 बस स्टैण्डों पर आडियो/ वीडियो कम्पयुटराईजड यात्री सूचना प्रणाली को आरम्भ कर दिया गया है।

मुफ्त/रियायती परिवहन सुविधायें

4.66 हरियाणा राज्य परिवहन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत समाज के पात्र लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान कर रहा है, जैसे कि विद्यार्थी, साक्षात्कार के लिये जाने वाले बेरोज़गार युवक, 100 प्रतिशत विकलांग एक सहायक सहित, मान्यता–प्राप्त

संवाददाता, विधानसभा/लोकसभा के सदस्य (भूतपूर्व व वर्तमान), स्वतन्त्रता सेनानी, पुलिस व जेल कर्मचारी। उपरोक्त में जो अन्य इसमें शामिल हैं:–

1. 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा ।
2. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा।
3. दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों मे हरियाणा राज्य के अन्दर एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा।
4. रक्षा बंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा।
5. हरियाणा राज्य परिवहन के मृतक कर्मचारी की विधवा को मृतक कर्मचारी की सेवा निवृति तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
6. लड़कों को 10 एकतरफा मासिक किराये की यात्रा सुविधा व 1–1–2014 से पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त यात्रा प्रदान की गई है ।
7. राष्ट्रीय केडिट कोर के कैडिटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय आम किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
8. हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष निवासियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की पहुंच दूरी तक किराये में 50 प्रतिशत की छूट।
9. हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से गृह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
10. पैरालम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा।
11. कैन्सर से पीड़ित मरीजों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैन्सर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा।
12. छात्राओं को अपने घरों से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है और यात्रा की दूरी सीमा में 60 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की बढ़ौतरी कर दी गई है। छात्राओं/महिलाओं के लिए 123 मार्गों पर विशेष बस सेवा प्रारभ्भ की है।
13. आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है तथा वोल्वो बसों में पति/पत्नी को किराए में 75 प्रतिशत की छूट व विधवा/विदुर पीड़ित होने की अवस्था में एक सहायक सहित यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

रेगूलेटरी विंग

4.67 परिवहन विभाग के रेगूलेटरी विंग पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम, 2007, सड़क मार्ग द्वारा वाहन नियम, 2011, हरियाणा मोटरयान नियमावली, 1993, हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम, 2013 तथा मोटर वाहन कर नियम, 2014 को लागू करने की जिम्मेवारी है। वर्ष 2016–17 के दौरान 1,447.60 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 1,583.05 करोड़ रूपये की राशि एकत्र की गई। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 2,400 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया जिसको हासिल करने की संभावना है तथा इसमें से 31–12–2017 तक 2,001 करोड़ रूपये एकत्रित कर लिए गए हैं। आगामी वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 2,640 करोड़ रूपये प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां अर्जित की गई:–

नई स्टेज कैरिज स्कीम

4.68 राज्य सरकार द्वारा स्टेज कैरिज स्कीम, 1993 तथा 2013 के अधिक्रमण में स्टेज केरिज स्कीम, 2016 दिनांक 17–2–2017 को अधिसूचित की गई। उक्त योजना के तहत

निजी ओपरेटरों को 902 परमिट दिए गए। इन परमिटों के तहत बसें राज्य में संचालित की जा रही हैं। सरकार द्वारा मामले में यथोचित विचार विमर्श उपरान्त स्टेज केरिज योजना, 2016 के अधिक्रमण में नई स्टेज केरिज योजना, 2017 का प्रारुप उन लोगों जिन्हें इससे प्रभावित होने की आशंका हो, से सुझाव/आपतियाँ देने हेतू दिनांक 20–6–2017 को अधिसूचित की गई। इस संदर्भ में प्राप्त सुझावों/आपतियों की सुनवाई सरकार द्वारा की जा चुकी है। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्र0 22800/2017 में आदेश दिनांक 13–10–2017 के द्वारा नई योजना को अंतिम रुप दिए जाने बारे रोक लगा दी गई।

चालक कौशल में सुधार

4.69 सड़क सुरक्षा बढ़ाने और ड्राईविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आई डी टी आर) के 3 संस्थान राज्य में स्थापित किए गए वर्ष 2014 में 52,564 चालकों वर्ष 2016–17 तक और 36,568 चालकों को 1–4–2017 से 31–12–2017 तक प्रशिक्षण दिया गया है। ड्राईविंग प्रशिक्षण के लिए चौथा ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आईडीटीआर) गांव कालूवास, भिवानी में स्थापित किया जा रहा है जिसके निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।

- जिला करनाल के गांव उचानी में एक ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आई डीटीआर) की स्थापना की जा रही है, जोकि 9.25 एकड़ में बनेगा। समझौता ज्ञापन 11–1–2018 को हस्ताक्षर हो चुका है। ओ0ई0एम0 मै0 होंडा मोटरसाईकिल तथा स्कूटर इन्डिया प्रा0 लि0 है। समिति बनाने का मामला विचाराधीन है।
- जिला रेवाडी के गांव जयसिंहपुर खेड़ा तहसील बावल में दूसरा ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आई डी टी आर) की स्थापना की जा रही है, जोकि 15 एकड़ में बनेगा। इस परियोजना का खर्च 17 करोड़ है। समझौता ज्ञापन 1–6–2017 को हस्ताक्षर हो चुका है। ओ0ई0एम0 मै0 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 ट्रक और बस खण्ड है। समिति जल्द ही पंजीकृत हो जाएगी।
- जिला मेवात के गांव छप्पेरा (नूँह) में तीसरे ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आई डी टी आर) की स्थापना की जा रही है, जोकि 87 कनाल में बनेगा तथा इस परियोजना का खर्च 14 करोड़ है। ओ0ई0एम0 मै0 टाटा लि0 के साथ साझेदारी में है। समझौता ज्ञापन तथा ओ0ई0एम0 अभी विचाराधीन है।
- राज्य में हरियाणा रोडवेज द्वारा भी 22 चालक प्रशिक्षण स्कूल चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निजी व्यक्तियों द्वारा हल्के मोटर वाहन (गैर–परिवहन) के लिए 247 ड्राईवर ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।

मोटर वाहनों के सड़क पात्रता में सुधार

4.70 मोटर वाहनों में सड़क पात्रता की जांच के लिए 14.40 करोड़ रूपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से रोहतक में स्वाचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और परीक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र प्रति वर्ष 1.25–1.35 लाख वाहनों की सड़क पात्रता की जांच करने की क्षमता रखेगा। इस केन्द्र का उद्घाटन मान्नीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा द्वारा 5–4–2017 को किया गया। केन्द्र द्वारा दिनांक 31–12–2017 तक 7,425 वाहनों को सड़क उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में राज्य में ओर निरीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएगें। राज्य में 868 प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्रदूषण कंट्रोल के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है।

4.71 नागरिक सेवाओं में सुधार

- रोड टैक्स का आनलाईन भुगतानः विभाग द्वारा परिवहन वाहनों के रोड टैक्स के भुगतान के लिए वैकल्पिक आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ई पेमैंट की सुविधा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी रोड की ई पेमैंट के लिए स्वीकृत किया गया है।

- एस.एम.एस सुविधाः नागरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए गए रोड टैक्स की सूचना एस.एम. एस के माध्यम से दी जाती है।
- डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशनः हरियाणा राज्य में सभी स्थानों पर नए गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण हेतू ऑन लाईन डीलर प्वांईट सुविधा को शुरू किया जा चुका है।
- पंजीकरण संख्या का क्रम रहित आबंटनः राज्य भर में पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण संख्या का आंबटन कम्पूटरीकृत क्रम रहित आबंटन प्रणाली द्वारा शुरू किया जा चुका है, जिससे कार्यालय के कार्य में पारदर्शिता आएगी।
- कम्पयूट्रीकरणः राज्य में सभी स्थानों पर इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। राज्य भर में सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर को लागू किया जा चुका है। सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में फीस व कर की प्राप्तियां कम्पयूटर से जारी की जाती हैं।
- फाईल ट्रेकिंग सिस्टमः विभाग में फाईल ट्रेकिंग सिस्टम दिनांक 28–2–2018 से लागू कर दिया जाएगा।
- सारथी और वाहन बेव संस्करण 4 का क्रियान्वयनः विभाग में सभी 94 पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी में वाहन/सारथी संस्करण 1 के स्थान पर वाहन/सारथी संस्करण 4 को लागू किया जा चुका है जिसके लागू होने से लाइसेंस तथा पंजीकरण संबंधित सभी ऑनलाईन सुविधाएं आम जनता को दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सभी अंन्तर्राजीय व शहरी वाहन मालिकों को ऑनलाईन टैक्स के भुगतान की सुविधा 1–4–2017 से प्रदान की जा रही है, जिससे अनावश्यक डाटा को हटाए जाने से विभाग के कार्य की स्पष्टता, सटीकता में काफी सुधार हुआ है।
- आधारकार्ड के माध्यम से बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणालीः विभाग में मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आधार कार्ड के माध्यम से बायोंमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है।

4.72 सड़क सुरक्षा के उपायों और जागरूकता

- सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15–12–2017 के द्वारा माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का पुर्नगठन किया गया है जिसमें सड़क सुरक्षा, सड़क इंजीनियरिंग और सड़क सुरक्षा योजना बनाने बारे विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार तथा जिला समिति की प्रतिमाह बैठक होनी सुनिश्चित की गई है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की अब तक चार बैठक माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 16–6–2015, 11–5–2016, 21–12–2016 तथा 24–5–2017 को आयोजित की गई थी।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा संचालन समिति का गठन किया जा रहा है, जोकि हरियाणा सड़क सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- छात्रों और युवाओं के बीच सड़क सुरक्षा के बारे जागरूकता लाने के लिए राज्य के सभी सरकारी कालेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता क्लबों को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयो में सड़क सुरक्षा जागरूकता क्लबों को स्थापित किए जा रहा है।
- सुरक्षित स्कूल वाहन नीतिः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लयू.पी. 6907 वर्ष 2009 में जारी निर्देशों की पालना में सुरक्षित स्कूल

वाहन नीति तैयार करके स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। सड़क सुरक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतू सड़क सुरक्षा समितियों का राज्य, जिला व सब–डिवीजन स्तर पर गठन किया गया है। स्कूल बसों में आई. पी. कैमरा व जी.पी.एस. सिस्टम को लगाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रावधान में महिला अटैंडेंट/ट्रांसजेंडर की तैनाती भी अनिवार्य की गई है। इन निर्देशों की पालना के लिए सभी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को हिदायतें जारी की गई है।

- हरियाणा सड़क सुरक्षा कोष नियम, 2018 तैयार किए गए हैं जिसकी वित्त विभाग तथा अन्य सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त होने उपरान्त मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अन्तर्गत मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की चालानों की फीस का 50 प्रतिशत शुल्क सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के उपयोग में लाया जाएगा। राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2016 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की तर्ज पर तैयार की गई है।
- राज्य सरकार, परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित विभागों की सहायता से विश्व अनुसंधान संस्थान और नैसकॉम के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जोकि हरियाणा विज़न जीरो परियोजना पर कार्य करेगें। दस सड़क सुरक्षा साथियों को जिला गुरूग्राम, पानीपत, करनाल, झज्जर, अम्बाला, हिसार, कुरूक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक और रेवाड़ी में सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययन के लिए नियुक्त किए गए हैं तथा जो जिला प्रशासन के समन्वय से सड़क सुरक्षा उपायों पर प्रभावी कदम उठाएगें।

प्रवर्तन

4.73 वर्ष 2016–17 के दौरान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 तक 49,765 वाहनों का चालान किए गए जिसकी चालान फीस 89.82 करोड़ रूपये एकत्रित की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 के दौरान 1–4–2017 से 31–12–2017 तक 24,357 वाहनों के चालान किए गए, जिसकी फीस 70.92 करोड़ रूपये 31–12–2017 तक एकत्रित की गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 15–12–2017 से राज्य भर में ई–चालानिंग की जा रही है तथा 31–12–2017 तक 1,018 चालान जारी किये गये जिसमें से 733 प्रवृत किए जा चुके है। इस अवधि के दौरान 2.11 करोड़ रूपये कम्पोजिसन फीस के रूप में एकत्रित किए गए।

पुराने डाटा का डिजिटलीकरण

4.74 पुराने डाटा का डिजिटलीकरण करने की परियोजना मै0 गुजरात इंफोटैक लिमिटेड को 3–11–2014 को सौंपी गई है। वैन्डर ने अभी तक पुराने डाटा के स्कैनिंग का काम सभी जिलों में पूरा किया है। लगभग 27 लाख अंतिम प्रविष्टियां प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर पर डालने हेतू दी गई हैं। पुराने डाटा का डिजिटलीकरण के कार्य की शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट

4.75 केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की योजना मई, 2012 में शुरू की गई थी, जिसके अन्तर्गत दिनांक 31–12–2017 तक नए व पुराने वाहनों पर 21,64,925 उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें लगा दी गई है।

नागरिक विमानन

4.76 सिविल विमानन विभाग, हरियाणा के द्वारा पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के तीन विमानन् केन्द्र हिसार, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं, जिनमें लड़के तथा लड़कियों को

फ्लांईग तथा ग्लाईडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसेंस, कमर्शियल पायलट लाईसेंस तथा इंस्ट्रक्टर रेटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

***

5

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक है।

शिक्षा

5.2 मौलिक शिक्षा में आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 तथा हरियाणा आर.टी.ई. नियम 3 जून, 2011 को अधिसूचित के तहत वर्ष 2017–18 के लिए फ्री स्कूल वर्दी और स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति आर.टी.ई. योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा 46.98 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है तथा अन्य गतिविधियों के लिए राशि का ब्यौरा **तालिका 5.1** में दिया गया है ।

तालिका–5.1 आर.टी.ई. अधिनियम के तहत प्रदान किये गये लाभ

मद	कक्षाएं	दर प्रति विद्यार्थी (रूपये में)	लाभार्थी (विद्यार्थी)	राशि (रूपये में)
केवल सामान्य तथा बी0सी0 लडकों को मुफ्त वर्दी	1 से 5 6 से 8	800 1000	3,93,050	29,81,00,000
अन्य गतिविधियां 1. प्राईमरी कक्षाओं के लिए गणित किट की अदायगी। 2. अपर प्राईमरी कक्षाओं के लिए सांईस किट की अदायगी ।	1 से 5 6 से 8		9,10,992 5,89,435	4,77,36,280 7,72,48,000

स्त्रोतः मौलिक शिक्षा विभाग,हरियाणा।

स्कूल प्रबंधन समिति

5.3 स्कूल प्रबंधन समितियां जिसमें ज्यादातर छात्रों के माता–पिता सदस्य के रूप में शामिल हैं, प्रभावी रूप से स्कूल प्रबंधों में भाग ले रहे हैं। स्कूल प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये, राज्य में स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। उन्हे आर.टी.ई. के प्रावधानों के तहत उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में तथा स्कूल विकास योजना तैयार करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लगभग एक लाख एस.एम.सी. के सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम

5.4 स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण तथा तीसरे पक्ष सीखने के परिणामों के सर्वेक्षण में हरियाणा को शीर्ष 5 राज्यों के बीच बनाने के लिए कई पहल शुरू कर दी है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा उन 5 राज्यों में सम्मिलित है जो यह दिखाता है कि शिक्षा गुणवत्ता कार्य पर हमारी कोशिश सही रास्ते पर जा रही है ।

स्वच्छ भारत अभियान

5.5 हरियाणा राज्य के सभी स्कूलों में एक सप्ताह के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत

एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से स्कूल परिवेश और सार्वजनिक स्थानों को साफ किया और रैलियों के माध्यम से साफ–सफाई के महत्व के बारे में जनता को अवगत करवाया गया। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का समापन समारोह नूंह (मेवात) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय से वासिमा नाम की लड़की जो किन्ही कारणों से शिक्षा छोड़ चुकी थी, को बाल स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया क्योंकि उसने अपने समुदाय के भीतर अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए शिक्षा जारी रखी। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां प्रत्येक विद्यालय में शौचालय बनाये गये हैं। इस उपलब्धि सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एक अर्ध सरकारी व प्रशंसा पत्र राज्य सरकार को भेजा गया था।

बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम

5.6 इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर "बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम" "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर परिवार के साथ गांव की उच्चतम शिक्षित लडकी को स्कूल में आमंत्रित किया गया था और उस द्वारा इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया । इस लडकी को भी स्कूल प्रबंधन समिति की मानद सदस्यता भी दी गई थी। गंणतत्र दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम भी मनाया गया और हरियाणा में बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22–1–2015 से 22–1–2016 तक शुरूआत के दिन पैदा हुई सभी लडकियां को स्कूल द्वारा आमंत्रित किया गया था तथा वी.आई.पी. सम्मान देने के लिए सीटों की व्यवस्था आगे की पंक्ति में की गई। बढ़ाकर साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण सम्बन्धी स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा खाद्य निगम के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों के बच्चों दिनांक 31–1–2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "मन की बात" कार्यक्रम में हरियाणा राज्य की इस अभिनव कदम की सराहना की गई।

मासिक परीक्षण का शुरूआत

5.7 हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए सरकारी आदेश क्रमांक 1/2014/5980 दिनांक 31–12–2014 तथा 3/2015/165 दिनांक 14–5–2015 की पालना में आर.टी.ई. स्कीम की सतत् और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत मासिक मूल्यांकन प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। छमाही एवं वार्षिक की तुलना में प्रश्न पत्र एस.सी.आर.टी.ई. द्वारा तैयार किये जा रहे हैं तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मुद्रित तथा जारी किये जाते हैं। जनवरी, 2015 के बाद मासिक परीक्षण एक नियमित विशेषता है, जिसकी शिक्षक, माता–पिता तथा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा सराहना की गई। अब स्कूल का माहौल शैक्षणिक व मैत्रीपूर्ण तथा सीखने के अनुकूल रहा है, क्योंकि अध्यापक व छात्र जिम्मेदार शिष्टाचार में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मासिक परीक्षण के सभी परिणाम विभाग के एम.टी.एम.एस पोर्टल पर स्कूल द्वारा अपलोड किये जा रहे हैं। उनके परीक्षणों का विश्लेषण राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान और जिला स्तर पर जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। यह एक टर्मिनल कार्य है जो कि हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है और कुछ राज्य हमारी राज्य सरकार के सम्पर्क में हैं, ताकि उनके सरकारी स्कूलो में यह व्यवस्था लागू की जा सके ।

मिड–डे–मील

5.8 मिड–डे–मील योजना का मुख्य उद्धेश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना, नामकंन प्रतिधारण और उपस्थिति के लिए 100 ग्राम और अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति स्कूल प्रति दिन प्रति बच्चा मुफ्त अनाज (गेहूं/चावल) प्रदान किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के

दौरान पोषण सम्बन्धी सहायता, जो कि एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, को मिड–डे–मील योजना के रूप में जाना जाता है और इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और अपर प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के छात्रों को गर्म खाना 15 अगस्त, 2004 से पूरे राज्य में उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 20–4–2004 के आदेशों के अनुपालन में कार्यन्वित की जा रही है। अब इस योजना को अपग्रेड किया गया है और इस योजना के तहत स्कूलों द्वारा विभिन्न 13 प्रकार के व्यंजन पकाये जा रहे हैं जैसे मीठी खीर, वनस्पति पुलाव, पौष्टिक खिचड़ी, राजमा चावल, कड़ी–पकौड़ा और चावल, मीठे चावल, मिस्सी रोटी और मौसमी सब्जी, आटे का हलवा और काले चने, रोटी और दाल घीया/कद्दू, मीठे पूड़े, गेहूं सोया पूरी और सब्जियां, पौष्टिक पूड़े तथा मीठा पूड़ा। स्कूल के सभी प्रमुखों को कहा गया है कि उपरोक्त व्यंजनों में से जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध करवाया जाना है।

5.9 1 जुलाई, 2016 से वर्ष 2016–17 में प्रति छात्र खाना पकाने की कीमत क्रमशः प्राथमिक स्कूलों के लिए 4.13 रूपये और मिडिल स्कूलों के लिए 6.18 रूपये है। खर्च किए गए व्यय की लागत केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त 2,500 रूपये का मानदेय प्रति माह कूक–कम–हैल्पर को भुगतान किया जा रहा है, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 600 रूपये और राज्य का हिस्सा 1,900 रूपये प्रति माह है। बच्चों को मिड–डे–मील परोसने/पकाने का काम और बर्तन/रसोई उपकरणों की सफाई स्वयं सहायता समूहों को दी गई है। फरीदाबाद, गुरूग्राम, पलवल (हथीन ब्लॉक को छोड़कर) और कुरूक्षेत्र (शाहबाद एवं बाबैन ब्लॉक को छोड़कर) जिलों में मिड–डे–मील का आयोजन एक गैर सरकारी संगठन इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है। यह योजना प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू की जाती है। वर्ष 2017–18 में कुल बजट प्रावधान 34,500 लाख रूपये है जिसमें केन्द्र का हिस्सा 16,700 लाख रूपये है और राज्य योजना बजट सें राज्य हिस्सा 17,800 लाख रूपये है। वर्ष 2017–18 में प्राथमिक विद्यालयों के 9.45 लाख बच्चों और अपर प्राथमिक स्कूलों के 7.03 लाख छात्रों को शामिल किया जाएगा। संशोधित योजना में पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लौह, फौलिक एसिड, विटामिन–ए आदि के लिए प्रदान किया गया है। राज्य में सभी स्कूलों को थाली और चम्मच प्रदान किया गया है, इसलिए बच्चों को स्कूलों में अपने टिफिन/कटोरा साथ नहीं लाना पड़ता। इसके अलावा राज्य सरकार ने मिड–डे–मील स्कीम के तहत 200 मि0लि0 मीठा दूध उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, प्राथमिक स्कूल और अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को फोर्टिफाईड आटा दिए जाने का प्रावधान भी विचाराधीन है।

सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

5.10 राज्य सरकार द्वारा दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों "सर्व शिक्षा अभियान" और "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" को लागू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय विभाजन 60:40 है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, द्वारा 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1,14,467.76 लाख रूपये एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 84,347.90 लाख रूपये की राशि अनुमोदित की गई।

विद्यालय अनुदान

5.11 सर्व शिक्षा अभियान के तहत 14,331 प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों को

क्रमशः 5,000 रूपये प्रति प्राथमिक स्कूल व 7,000 रूपये प्रति उच्च प्राथमिक स्कूल की दर से अनुदान प्रदान किया गया हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 3,256 सरकारी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को 25,000 रूपये प्रति स्कूल की दर से पानी व बिजली बिलों के भुगतान एवं मानचित्र की खरीद, लेखा चित्र, स्टेशनरी आदि हेतु भुगतान के लिये जारी किए गये। 10,000 रूपये पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने हेतु जारी किए गये। इसके अतिरिक्त 25,000 रूपये प्रति माध्यमिक स्कूलों में दो साईंस किट खरीदने हेतु प्रदान किये गये। 1,628 लाख रूपये की कुल राशि सभी उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों को 50,000 रूपये प्रति स्कूल की दर से जारी की गई।

अनुरक्षण अनुदान

5.12 स्कूल अनुरक्षण अनुदान 14,331 प्राथमिक और अपर प्राथमिक सरकारी स्कूलों को 7,500 रूपये प्रति स्कूल की दर से स्कूल भवन की मरम्मत एवं रख रखाव और अन्य सुविधाओं के लिए जारी की गई।

निःशुल्क स्कूल वर्दी

5.13 सर्व शिक्षा अभियान के तहत, 11,33,702 विद्यार्थियों, जिसमें 1 से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे लड़कों को वर्दी अनुदान जारी की गई। इस वर्ष यह राशि सभी विद्यार्थियों के आधार नम्बर से जुड़े बैंक खातों के माध्यम द्वारा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 800 (400 रूपये एस.एस.ए. शेयर एवम 400 रूपये स्टेट शेयर) रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से एवं 6 से 8वीं के विद्यार्थियों को 1000 रूपये (400 रूपये एस.एस.ए. शेयर एवम 600 रूपये स्टेट शेयर) प्रति विद्यार्थी की दर से निःशुल्क वर्दी अनुदान प्रदान किया गया।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक अनुदान

5.14 वर्ष 2017–18 में "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत 2907.39 लाख रूपये की राशि कक्षा 1 से 8 वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिये प्रदान की गई।

अध्यापक अनुदान

5.15 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अधिगम सामग्री के विकास, आनन्दपूर्ण गतिविधियों के लिये विद्यार्थियों को कलर पैन/ पैन्सिल उपलब्ध करवाने के लिये, 63,932 अध्यापकों को 500 रूपये प्रति अध्यापक के हिसाब से अनुदान जारी किया गया।

समावेशी शिक्षा

5.16 वर्ष 2017–18 के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिये चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों का आयोजन, सहायता एवं उपकरण प्रदान करना, अनुरक्षक भत्ता, ब्रेल पुस्तकें एवं बड़ी मुद्रित पुस्तकें, पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम, विशेष शिक्षकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जिला स्तर पर विशेष ओलम्पिक का आयोजन करने हेतू 683.73 लाख रूपये सर्व शिक्षा अभियान तथा 868.83 लाख रूपये की राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बजटीय प्रावधान किया गया ।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

5.17 भारत सरकार द्वारा राज्य के 36 शैक्षणिक पिछड़े खण्डों के लिए 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत किए गए, जिसमें से 31 आवासीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और एक डे बोर्डिंग के रूप में कार्य कर रहा है। इन विद्यालयों में 6 से 8वीं कक्षा में कुल 2,511 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रयोगिक परियोजना के रूप में सिरसा जिले के 6 के.जी.बी.वी. में सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगवाया जा रहा है और 7 के.जी.बी.वी. में सौर उर्जा संयत्रों को उपलब्ध कराने के लिये बैंकों से सी.एस.आर. के अन्तर्गत फण्ड सृजित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त–कम–अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान, फतेहाबाद द्वारा उनके जिले के 5 के.जी.बी.वी. में सोलर पावर प्लांट व सोलर वाटर हीटर लगवाए जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा के.जी.बी.वी. मद के तहत 2,592.15 लाख रूपये की राशि अनुमोदित की गई।

विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना

5.18

i) सरकारी विद्यालयों में गणित की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5,297 प्राथमिक स्कूलों एवं 1,736 उच्च व माध्यमिक विद्यालयों में एन. सी.ई.आर.टी. द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के बीच गणित शिक्षा सीखने के आधार पर निशुल्क मैथ किट उपलब्ध करवाई गई।

ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत गणित की शिक्षा को अधिक रोचक एवं व्यवहारिक बनाने के लिए 119 गणित लैब (प्रति खंड 1) व 119 खण्डों में विज्ञान पार्क स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रारम्भ में जी.एस.एस.एस., सैक्टर–19, पंचकूला में एक माडल सांईस पार्क स्थापित किया गया है।

iii) सर्व शिक्षा अभियान के तहत 21 जिलों में विज्ञान के विभिन्न अवधारणाओं पर माडल और उपकरण के साथ 7 सांईस वैन चलाई गई जिसके द्वारा 580 स्कूलों के 1.29 लाख विद्यार्थियों को फायदा हुआ।

iv) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1 लाख रूपये प्रति जिला की दर से जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी दिसंबर माह के तीसरे एवम चौथे सप्ताह में आयोजित करने हेतु प्रदान की गई।

v) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत (प्रत्येक जिले से प्रति 200 विद्यार्थियों) 4,200 विद्यार्थियों को राज्य के अन्तर्गत वैज्ञानिक मूल्य स्थानों पर ले जाया गया। 238 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों (प्रत्येक खण्ड से 2) राज्य के बाहर जयपुर का भ्रमण करवाया गया। इन विद्यार्थियों का चयन शैक्षणिक, गैर–शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक समारोहों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया।

आत्म–रक्षण प्रशिक्षण

5.19 वर्ष 2017–18 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 2,869 स्कूलों में लड़कियों को 3 महीने आत्म–रक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 3,000 रूपये प्रति मास के हिसाब से 258.21 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। 756 स्कूलों में यह प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है ।

गर्ल्स हॉस्टल

5.20 भारत सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 36 गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण कार्य को मंजूरी दी थी। जिसमें से 30 गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा फर्निसिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है। 3 गर्ल्स हॉस्टल पूर्ण होने वाले हैं। खेड़ी सफा एवम फूलिया खुर्द में राज्य सरकार द्वारा जींद जिले के दो के.जी.बी.वी. में 2 गर्ल्स हॉस्टल चलाए जा रहे हैं एवम 3 गर्ल्स हास्टल पूर्ण होने वाले हैं। वर्तमान में 172 माध्यमिक स्तर की लड़कियां इन हॉस्टल में रह रही हैं। फर्निसिंग का कार्य पूर्ण होने वाला है और अगले चार महीने में इन्हें शुरू कर दिया जायेगा।

कला उत्सव

5.21 वर्ष 2017–18 के दौरान स्कूल, खण्ड, जिला और राज्य स्तर पर कला उत्सव प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। जिसमें दोनों प्रदर्शन और दृश्य कला व शिल्प कला (जैसे नृत्य संगीत, रंगमंच चित्र, मूर्ति और विरासत शिल्प) शामिल किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2,786 और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 3,775 प्रतिभागियों ने कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लिया।

स्कूल के बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण (ओ.ओ.एस.सी.)

5.22 2017–18 के दौरान राज्य में विशेष प्रशिक्षण के लिए 15,809 बच्चों की पहचान की गई है, जो कि स्कूल शिक्षा से वंचित थे, जिसमें से 7,261 बच्चों को उम्र के अनुसार सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में भर्ती करवाया गया है और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अध्यापन

5.23

i) पढ़े भारत–बढ़े भारत कार्यक्रम के तहत, छात्रों के बीच भाषा में रुचि पैदा करने के लिए,

स्कूलों में विभिन्न तरीकों, प्रयोगों व तकनीकों को पेश किया जा रहा है। अगस्त और सितंबर, 2017 में जिला स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए डीबेट, स्पेल बी, वृतिनी एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। बरखा श्रखंला की कहानी–किताबों पर आधारित प्रतियोगिताएं दो श्रेणियों में कक्षा 2 के छात्रों के लिए आयोजित की गईं, जिसमें कहानी–पढ़ने एवं स्टोरी–टेलिंग प्रतियोगिताएं। जुलाई और अगस्त, 2017 में कक्षा 3 के छात्रों ने तीन श्रेणियों की प्रतियोगिताओं में भाग लिया जैसे कि कहानी लेखन, कहानी–कहानियां और कहानी–पढ़ने की प्रतियोगिताएं।

ii) 54 सरकारी स्कूलों में गुफ्त–गू–क्लब स्थापित किए गए हैं जिनमें 32 के.जी.बी.वी., 21 संस्कृति स्कूल और 1 सार्थक स्कूल शामिल हैं। ये क्लब एक तिमाही पत्रिकाएं निकालेगें। प्रत्येक क्लब के 2 समूह हैं–डेस्क संपादक और फील्ड रिपोर्टर। संरक्षक शिक्षक के द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. के विशेषज्ञों की मदद से दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला 22–11–2017 से 23–11–2017 तक आयोजित की गई।

iii) अभिनव क्रियाकलापों के अंतर्गतः एक पायलट परियोजना के तहत राज्य के 119 चयनित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बस्ता–रहित विद्यालयों की शुरुआत की गई। इन विद्यालयों में बच्चों के कद के अनुसार रंगीन लॉकर बनाए गए हैं, जिसमें छात्र अपना बस्ता रख सकेगें। इस परियोजना का मुख्य उद्धेश्य विद्यार्थियों को बस्तों के भार से मुक्त करना है।

iv) अधिकारियों की स्कूल के विद्यार्थियों के साथ बातचीतः यह योजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की बच्चों के साथ बातचीत करके उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रोत्साहन करने हेतु लागू की गई है। 82 स्कूलों के 21,484 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्बोधित किया गया।

v) स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017–18ः चालू वित्त वर्ष 2017–18 के लिए सभी जिलों के 6,238 सरकारी स्कूलों ने "स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार" के लिए मंत्रालय के दिशा–निर्देश के अनुसार पंजीकृत किया है। कुल 4,971 स्कूलों ने सर्वेक्षण पूरा किया और जिला स्तर पर अगली श्रेणी की रेटिंग के लिये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्तर की श्रेणी में स्थान पाया है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए 1–5 कक्षा के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और 6 से 8वीं व 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए प्रस्ताव लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति ने 189 स्कूलों में से 3 सबसे बढ़िया स्कूलों को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अग्रेषित किया है।

vi) मिलन प्रोग्रामः यह विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बीच एक आदान प्रदान कार्यक्रम है जो शहरी–ग्रामीण, सरकारी–गैर–सरकारी, माध्यमिक–वरिष्ठ माध्यमिक, आवासीय व गैर आवासीय स्कूल हैं। मिलन कार्यक्रम जुड़वा विद्यालयों तक स्थापित किए जाते है, बहुत अलग वातावरण में, अन्तराल को कम करने के उदेश्य, बातचीत को सुगम बनाने और शिक्षा के माध्यम से रीति रिवाज और संस्कृतियों की समझ को प्रोत्साहित करना है।

vii) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एन.यू.ई.पी.ए.) नेतृत्व योजनाः स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत 100 विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को कुशल नेतृत्व में परिवर्तित करने तथा गुरूग्राम जिले के 100 प्राइमरी स्कूलों को कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा कंप्यूटर टेबलेट के जरिए इस नेतृत्व विद्या को जारी रखने का प्रशिक्षण दिया है। इसका उद्धेश्य सीखने के परिणामों और शिक्षकों की आवश्यकता के पीछे के समय विश्लेषण और स्कूल नेताओं को प्रांसगिक समर्थन प्रदान करना है। यह प्रणाली को बदलने में आई.सी.टी. के उपयोग को मजबूती प्रदान करता है।

5.24 अनुसंधान विकास मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण (आर.ई.एम.एस.)

i) छात्रों की शैक्षणिक स्तर की जांच करने के उद्धेश्य से, सी.सी.ई. का प्रभाव ताकि शिक्षा की गुणवता में सुधार के लिए आगे के हस्तक्षेप को पूरा किया जा सके, परिषद द्वारा 5वीं और 8वीं कक्षा के 771 और कक्षा तीसरी के 999 स्कूलों में राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया। एस.एल.ए.एस., 2016 का आयोजन मई, 2017 में किया गया। कक्षा तीसरी के लिए हिन्दी, अंग्रेजी और गणित विषय के लगभग 90,000 पेपरों को ओ.एम.आर. शीट में परिवर्तित किया गया। ओ.एम.आर. शीट की स्कैनिंग प्रक्रिया प्रगति पर है।

ii) कक्षा 3, 5 व 8 के लिए राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि सर्वेक्षणः मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13–11–2017 को सभी राज्यों और जिलों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण संचालित किया गया। कक्षा तीसरी और पाचंवी के छात्रों को भाषा, गणित और ईवीएस में परीक्षण किया गया और 8वीं कक्षा के छात्रों का भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में परीक्षण किया गया। एम.एच.आर.डी. और एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

सामुदायिक गतिविधियां

5.25 सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2017–18 के दौरान हरियाणा राज्य ने आर.टी.ई. अधिनियम के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सी मीडिया गतिविधियों का आयोजन किया। 1,050 राजकीय प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के लिए स्कूलों की दीवारों पर विभिन्न विषयों पर आधारित पेटिंग करवाई गई। स्कूल प्रशासन व समाज को एक साथ लाने के लिए व समुदाय के लोगों की उनके क्षेत्र के विद्यालयों के लिए क्या अपेक्षाएं हैं, इसको जानने के लिए 16–9–2017 को स्कूल स्तरीय ''मेरे सपनों का स्कूल'' कार्यक्रम आयोजित किया गया, राज्य के सभी स्कूलों में 31 अक्तूबर, 2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके तहत स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे शपथ समारोह, एकता के लिए दौड़, प्रश्नावली और चित्रकारी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। 15 अगस्त, 2017 को 70वें स्वतंत्रता दिवस व भारत छोड़ों आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ स्कूलों में मनाई गई। स्वच्छ भारत और देश को पांच समस्या जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता व भारत को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ ग्रहण और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। स्कूल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में "बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम" पर सरकारी स्कूलों में झंडा फराने का काम उस गांव/इलाके की सबसे शिक्षित लड़की के द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता ढांचा

5.26 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ.) एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित कौशल ढांचा है, जो व्यवसायिक शिक्षा और सामान्य के बीच अनेक मार्ग प्रशस्त करने तथा व्यवसायिक शिक्षा को सीखने के एक स्तर से दूसरे उच्चत्तर स्तर तक जोड़ने के लिए अनेक मार्ग प्रशस्त करता है और यह सीखने वाले को शिक्षा और कौशल प्रणाली के किसी भी आरम्भिक बिन्दू से उच्चत्तर स्तर तक प्रगति करने के लिए सक्षम बनाता है। शैक्षणिक धारा के साथ एकीकरण में व्यवहारिक कौशल सीखने के द्वारा हमारे छात्रों को रोजगार योग्यता कौशल को बढाने के लिए एक रूपरेखा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान (एन.एस.क्यू.एफ.) पॉयलट परियोजना के तौर पर 8 जिलों के (40 स्कूलों में) प्रत्येक स्कूल में दो कौशल को कियान्वित किया गया। वर्तमान में 14 कौशल (प्रत्येक स्कूल से 2) 1,001 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संचालित किया गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश क्षमता 136,050 तक पहुंच गई है, जिसमें 1,07,448 रिकार्ड पर है।

सामुदायिक प्रशिक्षण

5.27 सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य में स्कूल प्रबंधन समिति के 85,989 सदस्यों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 257.96 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर.एम.एस.ए. के तहत 16 सदस्य प्रति स्कूल प्रतिदिन की दर से 36 स्कूलों के 576 स्कूल प्रबन्ध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण की मंजूरी दे दी है। स्कूल प्रबन्धक समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण प्रक्रिया में है।

निर्माण कार्य

5.28 वर्ष 2017–18 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2,587.09 लाख रूपये की राशि विभिन्न निर्माण कार्यों के कियान्वयन के लिए 419 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, नये अपग्रेड किये गये, उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 33 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 22 पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदान की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 134.77 लाख रूपये की राशि से 3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 3 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 3 कंप्यूटर कक्ष, 4 पुस्तकालय, 4 कला एवं शिल्प कक्ष व 3 विज्ञान प्रयोशालाओं के लिए उपकरण हेतु प्रदान की गई।

माध्यमिक शिक्षा

5.29 राज्य सरकार को यह अच्छी तरह से विदित है कि 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी के रूप में मानी गई है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है तथा राज्य सरकार ने शिक्षा सब के लिए वांछित शैक्षिक एवं ढांचागत सुविधाओं और आसानी से पहुंच के साथ बनाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास किए हैं। राजकीय विद्यालयों तथा उनमें छात्रों की संख्या **तालिका 5.2(क)** में दी गई है ।

तालिका –5.2(क) राज्य में राजकीय विद्यालयों एवं छात्रों की संख्या

वर्ष	शैक्षणिक स्तर	विद्यालयों की संख्या	कुल छात्रों संख्या	छात्राएं	अध्यापकों की संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात
2016–17	माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक (9वीं से 12वीं)	3316	609949	312638	23849	26
2017–18	माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक (9वीं से 12वीं)	3380	629524	321601	24231 (1928 गैस्ट पी0जी0टी सहित)	26

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा ।

प्रोत्साहन योजनायें

5.30 वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की मुख्य प्रोत्साहन योजनाओं और लाभार्थियों की संख्या तथा जो खर्चा हुआ है उसे **तालिका 5.2 (ख)** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2 (ख) – योजना अनुसार लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया खर्च

योजना का नाम	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (31–1–2018)तक	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा (रूपये (लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या	खर्चा (रूपये लाखों में) / विशेष कथन
एक मुश्त भत्ता अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए	168488	2443	210774	3056.22
मासिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए	203046	6080	82707	1586.72
मासिक छात्रवृत्ति बी0सी0–ए के छात्रों के लिए	146139	1294.46	प्रगति में हैं	
मासिक छात्रवृत्ति बी0पी0एल0 के छात्रों के लिए	13968	403.59	प्रगति में हैं	
पंजाबी मैरिट छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं व 12वीं) के छात्रों के लिए तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 के लिए उत्कृष्टता का शिक्षा प्रोत्साहन	49 11513	0.44 115.13	प्रगति में हैं	
बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कक्षा 11 से 12 में हरियाणा राज्य मैरिट छात्रवृति योजना	448	8.06	प्रगति में हैं	
कक्षा 1 से 12 में स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र–पौत्रियों को मासिक छात्रवृत्ति	90	3.29	प्रगति में हैं	
राष्ट्रीय मीन्स–कम–मैरिट छात्रवृति योजना	7612	3.82	प्रगति में हैं	
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृति योजना	18863	9.88	प्रगति में हैं	
अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क साईकिलें उपलब्ध कराना (कक्षा 9वीं व 11वीं)	29123	843.06	प्रगति में हैं	

स्त्रोतः माध्यमिक शिक्षा विभाग,हरियाणा ।

ई–गर्वनेन्स

5.31 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान, राजकीय प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान इत्यादि में ई–गर्वनेन्स के तहत कम्प्यूटरीकरण, स्वचालन, जुड़ाव और नेटवर्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में शीर्ष ई–गर्वनेन्स पर 485 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया। वर्ष 2017–18 में मुख्य लक्ष्य पुराने हार्डवेयर तथा दूसरे सम्बन्धित वस्तुओं को निदेशालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्तर पर विस्तार/बदली करना है। सॉफ्टवेयर के विकास का उन्नयन तथा अस्तित्व में रहे सॉफ्टवेयर को निदेशालय की जरूरत के अनुसार नई तकनीकी के साथ लागू करना है। ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत आने वाले दूसरे कार्यो में वेबसाइट का उन्नयन, पोर्टल के विकास के लिए विभिन्न बाहरी लाईनों की सेवाएं तथा जरूरत आधारित सॉफ्टवेयर उन्नयन की प्रक्रिया शामिल है। नेटवर्क एवं ऑकड़ों का नवीनकरण तथा निदेशालय के स्टाफ के सदस्यों को दी गई कम्पयूटर प्रशिक्षण निदेशालय तथा स्कूलों के स्तर पर विचारों के आदान–प्रदान में दूरी को कम करती है, जिससे शिक्षा प्रबन्धन, शिक्षा योजना, प्रशासन में कार्यकुशलता बढती हैं। आज के युग में ई–गर्वनेन्स कार्यकुशल प्रशासन का अनिवार्य अंग बन गई है।

5.32 स्कूलों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली आधार कार्ड से चिन्हित करते हुए बास टेबलेट

वाई फाई असेस प्वाईंट के साथ लगवाने का कार्य चल रहा है। वर्ष 2017–18 में दिनांक 31–12–2017 तक ई–गर्वनेन्स के तहत कम्पयूटर हार्डवेयर एवं अलाईड आईटमज, बायोमैट्रिक मशीन की खरीद तथा आई.टी. में तैनात पेशेवरों की फीस/वेतन के लिए कुल 256.27 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

विस्तृत कम्पयूटर शिक्षा कार्यक्रम आई.सी.टी.

5.33 आई.सी.टी. योजना 500 विद्यालयों में–यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा फंड घोषित है। इस योजना को लागू करने के लिए विभाग द्वारा एच.सी.एल. इन्फोसिस्टमस लि0 व सैन मीडिया लि0 (390 स्कूलों के लिए एच.सी.एल और 110 स्कूलों के लिए सैन मीडिया के साथ) क्रमशः दिनांक 19–1–2010 और 26–11–2010 (प्रभावित तिथि) को अनुबंध किया गया, जो बूट आधारित था। ये दोनों अनुबंध क्रमशः दिनांक 18–1–2015 व 25–11–2015 को 5 वर्ष पूरे होने के उपरांत समाप्त हो चुके है। इन स्कूलों में छात्रों को कम्पयूटर शिक्षा देने के लिए विभाग द्वारा कम्पयूटर लैब का अधिग्रहण कर लिया गया है। आई.सी.टी. स्कीम 2,622 विद्यालयों में–यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 75:25 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा फंड घोषित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा कोर शिक्षा एवम टैक्नोलोजिस लि0 के साथ कुल अनुबंधित राशि 295 करोड़ रूपये में बी.ओ.ओ./बी.ओ.ओ.टी. आधार पर पांच वर्ष के लिए अनुबंध किया गया। अनुबंध की शर्तो अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक कम्पयूटर लैब जिसमें 22 कम्पयूटर और संबंधित सामग्री जैसे कि प्रोजेक्टर, प्रिंटर आदि स्थापित की जानी थी और 5 स्मार्ट स्कूल सहित सभी 2,622 विद्यालयों में एक प्रयोगशाला सहायक तैनात करना था। सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध की शर्तो अनुसार कार्य न करने एवं अनुबंध शर्तो को न मानने के कारण विभाग द्वारा उनका अनुबंध दिनांक 23–4–2014 को रद्द कर दिया गया। अनुबंध समझौते की समाप्ति के खिलाफ विक्रेता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP No. 12317/2014 दाखिल की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस मामले को मध्यस्थतः के समक्ष निर्णय सुना जा रहा है। आगामी कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जायेगी। आई.सी.टी. योजना को अमल में लाने के लिए, विभाग ने प्रयोगशाला सहायकों व कम्पयूटर शिक्षकों, जो कि पहले निजी सेवा प्रदाताओं के द्वारा तैनात किए गये थे, को सरकार के निर्देशानुसार 31–12–2017 तक वर्क आर्डर आधार पर लगाया हुआ है। इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2017–18 के दौरान अक्टूबर, 2017 तक कम्पयूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को 21,03,59,218 रूपये वेतन तथा 26,82,876 रूपये इंटरनेट सुविधाओं पर खर्च किया है।

माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशित शिक्षा (आई.ई.डी.–एस.एस.)

5.34 वित्त वर्ष 2009–10 में, "एकीकृत निःशक्त विद्यार्थी शिक्षा परियोजना" (आई.ई.डी.सी.) के स्थान पर भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक स्तर पर आई.ई.डी.–एस.एस. नामक नई योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य माध्यमिक स्तर (कक्षा नौवीं से बाहरवीं तक) के दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत समावेशी एवं अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना को पूर्ण करना है। भारत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 868.83 लाख रूपये के कार्य प्रस्ताव एवं गत् वर्षों की प्रतिपूर्ति हेतु 504.50 लाख रूपये एवं कुल 1,373.33 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों पर दिव्यांग बच्चों के कल्याणार्थ हेतू कुल 733.44 लाख रूपये की राशि दिनांक 31–1–2018 तक खर्च की गई ।

अध्यापक शिक्षा

5.35 शिक्षक नवीनीकरण प्रकिया के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम के तहत चार

जिलों नामतः मेवात, फतेहाबाद, पलवल व झज्जर में एक–एक (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त 2 खण्ड शिक्षक शिक्षा संस्थान मेवात व फतेहाबाद में अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू कार्यान्वित किये गये हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इन जिलों की पहचान अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य के रूप में की गई है। इन संस्थानों के भवन निर्माण आदि कार्यो हेतू 1,498.76 लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और शेष भारत सरकार उपलब्ध करवायेगी। इन डी.आई.ई.टी. व बी.आई.ई.टी. के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतू राज्य सरकार द्वारा 870.87 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की सिविल इंजीनियरिंग शाखा को निर्माण कार्य हेतू दी गई। सिलानी केशो, जिला झज्जर में राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षण संस्थान, जो कि राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के मानकों अनुसार है, खोला गया है। जिसमें 4 वर्षीय एकीकृत बी.एस.सी./बी.कॉम एवं बी.ए. –कम–बी.एड. का कोर्स शुरू किया गया है। इस राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षण संस्थान हेतू वर्ष 2017–18 के लिए 517 लाख रूपये की राशि ग्रांट–ईन–एड जारी की गई है। वर्ष 2017–18 के दौरान एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुरूग्राम (राज्य नोडल एजैन्सी) व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षा के मानकों को सशक्त करने के लिये लगभग 20,000 शिक्षकों जिनमें जे.बी.टी., टी.जी.टी., पी.जी.टी., स्कूलों के मुख्यध्यापकों व प्रधानाचार्यो को प्रशिक्षण दिया गया है।

साक्षरता

5.36 प्रौढ शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''साक्षर भारत'' हरियाणा के 10 जिलों भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़ व सिरसा में चल रही है। इस योजना का लक्ष्य निरक्षकों को साक्षर बनाना, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं, अल्पसंख्यकों व उपेक्षित श्रेणी के 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षकों को साक्षर बनाना है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, हरियाणा ने वर्ष 2017–18 में 2.50 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य तय किया था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित दिनांक 20–8–2017 को हरियाणा के जिलों में साक्षर भारत मूल्यांकन परीक्षा में 1,09,737 नव साक्षरों ने भाग लिया और मार्च, 2018 में आयोजित होने वाली वर्ष की दूसरी मूल्यांकन परीक्षा में लक्षित उद्धेश्य की प्राप्ति अपेक्षित है।

आरोही विद्यालय

5.37 भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर वित्त वर्ष 2011–12 में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में 36 आरोही मॉडल स्कूलों को खोलने की योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य पिछड़े खण्डों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को उच्च गुणवता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में चलाई जा रही थी, परन्तु भारत सरकार के समर्थन से वित्त वर्ष 2015–16 से यह योजना बंद कर दी, जो राज्य सरकार ने स्टेट प्लान के तहत यह योजना ग्रहण कर ली। सभी 36 आरोही स्कूल हरियाणा के 10 राज्यों में बनकर तैयार हो गए है। इस समय इन सभी स्कूलों में लगभग 8,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा में एक स्वतंत्र आरोही सेल की स्थापना की गई है, जिसका कार्य आरोही माडल स्कूल से सम्बन्धित मामलों को देखना है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी 36 आरोही स्कूलों को देश के अन्य प्रसिद्व और जाने माने स्कूलों की तरह स्मार्ट स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इन सभी आरोही स्कूलों में आधुनिक ई–लाईब्रेरी, सभी प्रकार की खेल सुविधाएं व

अत्याधुनिक सी.सी.टी.वी. कैमरे व आधुनिक वाई–फाई की सुविधा प्रदान की जायेगी। शिक्षा में पिछड़े खण्डों और राज्य के छात्रों की रूचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रर्याप्त बजट खर्च करने का प्रावधान रखा है।

निर्माण/मुरम्मत तथा रख रखाव

5.38 निर्माण शाखा में राजकीय विद्यालय/ उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों के लिये निर्माण/मरम्मत/रख रखाव तथा नये विद्यालय भवनों को जोड़ने/परिवर्तन से सम्बन्धित मामलो का निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाओं तथा पेय जल सुविधाएं, शौचालय, मूत्रालय, पर्याप्त अध्ययन कक्ष और चारदीवारी सहित विभिन्न उपयुक्त प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों सम्बन्धी निर्माण के कार्य भी करवाये जाते हैं। वित्त वर्ष 2017–18 में गैर योजना पक्ष पर स्वीकृत 1,800 लाख रूपये की राशि से 187 जी.एच. एस./ जी.एस.एस.एस. विद्यालयों में भवन निर्माण और मरम्मत कार्य करवाने हेतु राशि आबंटित की गई। वर्ष 2018–19 में 500 जी.एच.एस./जी.एस.एस.एस. विद्यालयों के भवन निर्माण/ मुरम्मत/चार दीवारी/नये कमरों तथा अन्य कार्य करवाने हेतु उचित फंड का प्रावधान किया जायेगा ।

5.39 वर्ष 2017–18 में शीर्ष 4202 से लोक निर्माण विभाग (भवन एंव सड़कें), हरियाणा को 30 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नव निर्माण/प्रोजैक्ट हेतु 18,600 लाख रूपये की राशि की खर्च हुई। वर्ष 2018–19 में 20 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का नव निर्माण करवाया जाना है।

मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण प्रोत्साहन योजना

5.40 स्कूलों में स्वच्छ वातावरण की दिशा में छात्रों को जागरुक करने बारे "मुख्यमंत्री स्कूल सौन्दर्यकरण प्रेरक योजना" वर्ष 2011–12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य के प्रत्येक 119 खण्डों में से एक उच्च तथा एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का चयन किया जाता है। इसके लिये 50,000 रुपये प्रति उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को दिये जाते है। उसके बाद चयनित विद्यालयों में से जिला स्तर पर सभी 22 जिलों में सबसे अच्छे उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को चुना जाता है तथा उनको 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, तत्पश्चात 2 विद्यालय जिनमें से 1 उच्च और 1 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में 5,00,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिये वित्त वर्ष 2017–18 में 171 लाख रुपये की राशि जारी की गई। विजेता स्कूलों को यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को वितरित किये जाते है।

नाबार्ड

5.41 उपरोक्त के अतिरिक्त, नाबार्ड परियोजना की सहायता से हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के 2,910 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय का निर्माण तथा हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था को मंजूर किया गया है, इस उद्धेश्य के लिये वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 681 लाख रुपये का योजना मद में बजट प्रावधान किया गया था, यह स्कीम बन्द होने के कारण 681 लाख रूपये की राशि सरेण्डर की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2017–18 में नाबार्ड परियोजना के तहत रा. उ./व.मा. विद्यालयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है, जिसमें से 14 विद्यालयों का निर्माण करवाने हेतु 4,767 लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2018–19 के लिए बजट की व्यवस्था की जायेगी जिससे 134 रा.उ./रा.व.मा.विद्यालयों का निर्माण करवाया जायेगा।

पैंशन

5.42 राज्य सरकार द्वारा अराजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अशंदायी भविष्य निधि के बदले में 11–5–1998 से पैंशन स्कीम लागू की गई है इस स्कीम के अधीन लगभग 2,776 कर्मचारियों

को पैंशन स्वीकृत करके लाभ दिया जा चुका है। वर्ष 2017–18 के दौरान 60 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

डयूल डैस्क

5.43 वर्ष 2015–16 के दौरान 9,416 डयूल डैस्क खरीदे गये, जिनकी अदायगी वर्ष 2016–17 में की गई है। राज्य में सरकारी विद्यालयों में पढ रहे छात्र/छात्राओं (कक्षा 9वीं से 12वीं) का पुर्नमूल्यांकन करने उपरांत पाया गया कि 94,898 डयूल डैस्क की और आवश्यकता है। निदेशक, सप्लाई एवं डिस्पोजल विभाग, हरियाणा द्वारा नये डयूल डैस्क खरीदने के लिए दर अनुबंध तय किए जाने उपरान्त डयूल डैस्क खरीदने के आदेश दे दिए जायेंगे। वर्ष 2017–18 में छात्र/छात्राओं को बैठने हेतु वांछित डयूल डैस्क उपलब्ध करवाने बारे 35 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है, परंतु इस सम्बन्ध में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में CWP No. 18749 of 2017 Ms/s Laggar Industries Vs. State of Haryana and others का मामला विचाराधीन है। उपरोक्त मामले का निपटान होने उपरान्त ही डयूल डैस्क की खरीद की जा सकती है।

खेल कूद

5.44 वर्ष 2017–18 में राज्य स्तरीय स्कूल खेल द्वारा, 33 वर्गो के राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य में 3 राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं का आयोजन क्रमशः हॉकी (लड़के तथा लड़कियों अंडर–17 वर्ग), एथलेटिक्स (लड़के तथा लड़कियों अंडर–19 वर्ग) व बास्केटबाल (लड़के तथा लड़कियों अंडर–19 वर्ग) की प्रतियोगिताओं का आयोजन क्रमशः जिला अम्बाला, रोहतक व पंचकूला में करवाया गया है। हॉकी तथा बास्केटबाल की खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य की टीम लड़के एवं लड़कियों द्वारा दोनों वर्गो में पहला स्थान प्राप्त किया है तथा गोल्ड मैडल जीता है तथा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य का दूसरा स्थान रहा है। राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता हेतु राज्य सरकार द्वारा 215 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से लगभग 100 लाख रूपये की राशि राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों को वितरित की जा चुकी है।

बुक बैंक

5.45 वर्ष 2017–18 में राज्य के सरकारी उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदने/बुक बैंक के लिये 130 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया था, जोकि संबंधित मद पर खर्च की जा चुकी है।

उच्चतर शिक्षा

5.46 हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षा के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है। पिछले कुछ वर्षो से राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रभावी विकास देखने में आया है और यह आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहने की सम्भावना है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने व क्षमता बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, स्थिरता एवं सभी के लिए उपलब्धता हरियाणा सरकार की प्रतिबद्वता है। राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि उच्चतर शिक्षा समाज के सभी वर्गो तक समान रूप से पहुँचे विशेषतः वंचित वर्गो तक अनिवार्य रूप से ये आवश्यक है कि उच्चतर शिक्षा के अवसर सभी योग्य विशेषतः समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से उपलब्ध हों। हरियाणा मे उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण राज्य की मानव संसाधन क्षमता को समानता और समावेशन के साथ पूर्ण रुप से महसूस करना है।

5.47 इस वर्ष के दौरान अलेवा, हथीन और बरौटा में तीन नए राजकीय महाविद्यालय शुरु कर दिये गये हैं। कुल 113 सरकारी महाविद्यालयों में से 32 महाविद्यालय विशेष रुप

से लड़कियों के लिए हैं। निजी प्रबंधन (परंतु से 35 कन्या–महाविद्यालय हैं। कन्याओं को उच्चतर शिक्षा उनके नजदीक क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्व है। इसलिए अधिक से अधिक अलग से छात्रा–महाविद्यालय खोलने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में लैंगिक जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। राज्य के सभी कोनो में सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा सुलभ बनाने के लिए सरकार ने सोनीपत, शहजादपुर, उकलाना, उगाला, गुहला चीका, मानेसर, जुंडला, कुरुक्षेत्र, उन्हानी, छिल्लरौ, कालांवली, रानियां, मोहना, बिलासपुर, रादौर, बडोली, रायपुर रानी, मंडकौला, नचौली, लोहारु, तरावड़ी, रिथौज, खेरी चोपटा, दाता, कुलाना, चामु कला, बल्लभगढ़, सैक्टर–52 गुरूग्राम और हरिया मण्डी में 29 राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। इन महाविद्यालयों में निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है और इन महाविद्यालयों में कक्षाएं अगले शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध भवन में शुरु हो जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम और महार्षि वाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय, मुन्द्री में अगले शैक्षणिक सत्र से अकादमिक संचालन शुरु करने का निर्णय लिया है। डा. बी. आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है और सरकार द्वारा अनुदानित) 97 महाविद्यालयों में संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से शुरु हो जायेगा।

5.48 राज्य सरकार ने राजकीय, निजी क्षेत्र (सरकार द्वारा अनुदानित) के महाविद्यालयों और स्टेट विश्वविद्यालय में ढांचागत सुविधाओं के लिए सूचित संसाधन निवेश किए हैं। इसी समय, हमारे बार–बार और सक्रिय राज्य हस्तक्षेप ने प्रोत्साहित किया और निजी क्षेत्र सभी नागरिकों को शिक्षा तक पहुंचाने में सहयोगी बनने के लिये आया।

5.49 वर्ष 2017–18 में, विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख प्रयासों में से एक राज्य के सभी सरकारी, अनुदानित और स्व–वितपोषण कॉलेजों में ऑनलाईन प्रवेश के सफल कार्यान्वयन था। सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए, ताकि कॉलेज शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके, के लिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग को 29 विषयों के 1,647 सहायक प्राध्यापकों के पदों को भरने के लिए मांगपत्र भेजा गया था, जिसमें से 1,256 पदों की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और 527 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का ध्यान डिग्री कॉलेजों में पढाई करने वाले छात्रों की नियुक्ति में वृद्वि करना है। इसके अलावा छात्रों के बीच उद्यमशीलता पर भी जोर रखा गया है।

तकनीकी शिक्षा

5.50 वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के रूप में गठन के समय केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाऐं, (जिनमें 4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता प्राप्त) थे एवं् एकमात्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मलित उपक्रम) कुरूक्षेत्र में था, जिसमें केवल 1,341 छात्रों की प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता थी। अब विभाग द्वारा चार तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त छात्रों की कुल 96,251 प्रवेश क्षमता वाले 320 तकनीकी संस्थान भी चल रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2017–18 में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में

प्रवेश क्षमता व प्रवेश का विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3– वर्ष 2017–18 के दौरान तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश क्षमता व प्रवेश विवरण

कोर्स	संस्थानों की संख्या			प्रवेश क्षमता			2017–18 सत्र में प्रवेश			प्रतिशत रिक्तियां
	सरकारी / सहायता प्राप्त	निजी	कुल	सरकारी / सहायता प्राप्त	निजी	कुल	सरकारी / सहायता प्राप्त	निजी	कुल	
डिप्लोमा (इंजीनियरिंग और फार्मेसी)	37	144	181	13855	38015	51870	10183	14097	24280	53.19
बी. आरकिटैक्टचर	2	10	12	120	490	610	115	228	343	43.77
बी. टैक.	13	114	127	3831	39940	43771	2341	11572	13913	68.21
कुल योग	**52**	**268**	**320**	**17806**	**78445**	**96251**	**12639**	**25897**	**38536**	**59.96**

स्त्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा ।

5.51 विभाग इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और शहरी नियोजन, प्रबंधन, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, ललित कला, एप्लाईड आर्टस एवम शिल्प और डिजाईन के क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी कौशल प्रदान करता है। कुशल मानव संसाधन प्रदान करने के लिये डिप्लोमा, अंडर–ग्रेजुएट और पोस्ट–ग्रेजुएट के स्तर पर आधारित तकनीकी कार्यक्रमों की आवश्यकता पूर्ण करता है। विभाग समाज के वंचित वर्गो और राज्य के गैर सेवारत ब्लॉकों की शैक्षणिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। यह छात्रों, पाठ्यक्रमों और संस्थानों के लिये एक उद्देश्य मूल्यांकन और प्रमाणीकरण प्रणाली भी प्रदान करता है। विभाग छात्रों को कैरियर परामर्श प्रदान करता है और लाभदायक रोजगार के लिये उन्हें उचित स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। जिला उद्योग संघों, उद्योग और व्यापार संघों जैसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ (उत्तरी क्षेत्र), पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स उद्योग आदि के सहयोग से नौकरी मेलों का आयोजन किया जाता है।

5.52 राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं

i) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना गाँव किलोड़ जिला सोनीपत में की जा रही है, जिसके लिये 50 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई है। वर्ष 2014–15 से आई.आई.आई.टी. की अतिथि कक्षायें एन.आई.टी., कुरूक्षेत्र में शुरू हो गई थीं । चार दिवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जोकि पी.डब्ल्यू.डी. बी एण्ड आर, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है ।

ii) भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) की स्थापना रोहतक में 200 एकड़ के क्षेत्र में की जा रही है। वर्तमान में इसकी अतिथि कक्षायें शैक्षणिक स्तर 2011–12 से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के परिसर में चलाई जा रही है । आई.आई.एम. रोहतक के नये परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण चरण पर है।

iii) राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान (एन.आई.डी.) की स्थापना उमरी, जिला कुरूक्षेत्र में 20.5 एकड भूमि पर की जा रही है। राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान की अतिथि कक्षायें राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, उमरी (कुरूक्षेत्र) के प्रांगण में दिनांक 15–11–2016 से शुरू की जा चुकी हैं। एन.आई.डी. परिसर निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जोकि राष्ट्रीय भवन निर्माण कार्पोरेशन (एन.बी.सी.सी) द्वारा किया जा रहा है।

iv) राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) की स्थापना सेक्टर–23, पंचकुला में 10.45 एकड भूमि पर की जा रही है। परियोजना का शिलान्यास मान्नीय कपडा मन्त्री, भारत सरकार तथा मान्नीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा द्वारा 29–12–2016 को किया जा चुका है। चार दिवारी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के लिये निविदायें की

गई हैं और निर्माण कार्य अप्रैल, 2018 से

v) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) दिल्ली के परिसर विस्तार की स्थापना 50 एकड़ भूमि पर राजीव गॉधी ऐजुकेशन सिटी, कुडंली, जिला सोनीपत में की जा रही है। परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधा और संकाय विकास केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव है। परिसर के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण चरण पर है, जोकि एन.बी.सी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

vi) एक अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विस्तार परिसर (अनुसंधान एव विकास) गाँव बाढसा, जिला झज्जर में आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा 50 एकड़ जमीन में स्थापित किया जा रहा है। परिसर में स्कील डेवलपमेंट सेंटर एवं जैव विज्ञान अनुसंधान पार्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव है। आई.आई.टी. दिल्ली इसके आगे की रूपरेखा तैयार कर रहा है।

vii) लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रौद्योगिकी केन्द्र राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नीमका, जिला फरीदाबाद के प्रांगण में स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रौद्योगिकी केन्द्र फरीदाबाद के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नीमका, जिला फरीदाबाद की 87,300 वर्ग फुट की पूरी इमारत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) को उपलब्ध करायेगी। टैक्नोलोजी सैन्टर अगस्त, 2017 से नीमका, फरीदाबाद में चल रहा है।

viii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) की स्थापना कुरूक्षेत्र में माननीय केन्द्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा दिनांक 27–2–2016 के अनुसार की जा रही है। प्रौद्योगिकी केन्द्र राजकीय बहुतकनीकी, उमरी (कुरूक्षेत्र) के भवन में अस्थायी रूप से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एन.आई.ई.एल.आई.टी. का एक सैन्टर राजकीय बहुतकनीकी, मानेसर, आरम्भ होने की सम्भावना है।

गुरूग्राम में भी स्थापित किया जा रहा है। एन. आई.ई.एल.आई.टी. सैन्टर, कुरूक्षेत्र में 2017–18 से कार्यरत है।

ix) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का प्लास्टिक सैटेलाइट केन्द्र (सी.आई.पी.ई.टी.) मुरथल, सोनीपत में 2013–14 में की गई। सैटेलाईट केन्द्र, करनाल की स्थापना मान्नीय केन्द्रीय मंत्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा दिनांक 3–6–2016 के अनुसार की जा रही है। उपायुक्त करनाल को प्रस्तावित सैन्टर हेतू उचित भूमि/भवन उपलब्ध करवाने बारे अनुरोध किया जा चुका है। सी.आई.पी.ई.टी., मुरथल द्वारा इसका नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।

5.53 नये राजकीय इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान

i) श्री रणबीर सिंह राजकीय इंजीनियरिगं व प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गाँव सिलानी केशो, झज्जर में 40 एकड़ भूमि में की जा चुकी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के अनुमोदन उपरान्त, कक्षाऐं वार्षिक स्तर 2017–18 से आरम्भ कर दी जायेंगी।

ii) राव विरेन्द्र सिंह राजकीय इंजीनियरिगं व प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गाँव जैनाबाद, जिला रिवाड़ी में 52.50 एकड़ भूमि पर की जा रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के अनुमोदन उपरान्त, कक्षाऐं वार्षिक स्तर 2017–18 से आरम्भ कर दी जायेंगी।

iii) स्टेट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्यिगिकी संस्थान नीलोखेड़ी, करनाल राजकीय बहुतकनीकी नीलोखेड़ी, करनाल के प्रांगण में भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0टी0) के अनुमोदन उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2016–17 से स्थापित किया गया है।

नये राजकीय बहुतकनीकी

5.54 शैक्षणिक सत्र 2016–17 एवं 2017–18 से निम्नलिखित 8 नये राजकीय बहुतकनीकियों की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से स्वीकृति प्राप्त होने पर आरम्भ किये गये हैं:–

- राजकीय बहुतकनीकी,हथनीकुंड (यमुनानगर)
- राजकीय बहुतकनीकी, जाट्टल (पानीपत)
- राजकीय बहुतकनीकी, शेरगढ़ (कैथल)
- राजकीय बहुतकनीकी, इन्द्री (नूंह)
- राजकीय बहुतकनीकी, मलाब (नूंह)
- राजकीय बहुतकनीकी, छप्पार (चरखीदादरी)
- राजकीय बहुतकनीकी, धॉगड़ (फतेहाबाद)
- राजकीय बहुतकनीकी, मण्डकोला (पलवल)

i) दो नये राजकीय बहुतकनीकी मल्टी स्कील विकास सैन्टर, सैक्टर– 26, पंचकूला और गांव धामलावास, जिला रिवाड़ी में स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय बहुतकनीकी, राजपुर, ब्लॉक सढौरा, जिला यमुनानगर भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मल्टी सेक्टोरल विकास प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जा रहा है। इन बहुतकनीकियों का निर्माण कार्य, भवन एवं निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जोकि प्रगति पर है।

ii) राजकीय बहुतकनीकी, नानकपुर, ब्लॉक पिंजोर, जिला पंचकूला के निर्माण का कार्य भी अन्तिम चरण पर है। शैक्षणिक सत्र 2017–18 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन सहित इसकी अतिथि कक्षायें राजकीय बहुतकनीकी, अम्बाला में आरम्भ की जा चुकी है।

राजकीय बहुतकनीकियों के प्रत्यापन

5.55 एक कार्यक्रम स्वर्ण जयंती परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है, एन.बी.ए. की मान्यता प्राप्त करने के लिये निर्धारित योग्यतायें/आवश्यकताओं को उनके आदेशों के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है। गुणवत्ता सुधार के लिए 115 करोड़ रूपये का कुल धन उपलब्ध करवाया जायेगा। यह परियोजना 4 वर्षो में पूर्ण की जायेगी ।

डिप्लोमा सत्र के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाचें (एन.एस.क्यू.एफ.) के अनुसार संशोधन

5.56 एन.एस.क्यू.एफ. एक योग्यता निर्धारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यताओं के आधार पर सभी योग्यतायें निर्धारित करता है। इनका स्तर एक से दस तक वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें सीखने के परिणामों के रूप में परिभाषित किया जाता है जोकि सीखने वाले द्वारा पास व औपचारिक, गैर औपचारिक या अन औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान में 100 से अधिक देशों में, यह राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रक्रिया का कार्य विकसित अथवा विकास प्रक्रिया में हैं।

5.57 हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एच.एस.बी.टी.ई.) ने अपने पाठ्यक्रमों को एन. एस.क्यू.एफ. के तरीके की अनुपालना में चरणबद्व करने की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान में एच.एस.बी.टी.ई. ने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एंव अनुसंधान संस्थान, सैक्टर–26, चण्डीगढ़ को 6 पाठ्यक्रमों यानि इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, मकैनीकल इंजीनियरिंग, कम्पयूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता के अनुसार संशोधन करने का कार्य सौंपा गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों को सैशन 2017–18 से लागू किया गया है।

बहुतकनीकी संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक विकास

5.58 सामुदायिक विकास राष्ट्रीय पोषित स्कीम में 16 राजकीय/सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों द्वारा 3,500 प्रार्थियो को विभिन्न ट्रेडस में वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

गतिशील वेबसाइट

5.59 तकनीकी शिक्षा के दायरे के तहत तकनीकी संस्थानों/संगठन की गतिशील वेबसाईटों को राज्य के मुख्यालय और विभिन्न

तकनीकी संस्थानों/संगठनों के बीच कामकाज बढ़ाने के लिए विभाग के प्रस्तावित ई–डैसबोर्ड से जोड़ा जाएगा।

डिजिटल सीखना

5.60 सभी संस्थानो/संगठनों के सभी छात्रों, संकये के द्वारा सवयम ऐप्लीकेशन डाउनलोड किया है, जो कि संस्थानो/संगठनों के प्रयोगशालाओ, लैपटौप, टैबलेट, मोबाईल फोन आदि के माध्यम से सवयम पोर्टल से पंजीकृत करके डिजिटल सामग्रियों का क्यूरेशन तथा सभी छात्रों/संकायो में विभिन्न इंजीनियरिंग/तकनीकी पाठ्यक्रमों संस्थानों/संगठनों में अपनाने वाले विषयों को ऑनलाईन व्याख्यान के रूप में उपल्बध सामग्री का उपयोग किया गया।

स्कूल के विद्यार्थियो को एकत्रित करना

5.61 राजकीय बहुतकनीकियों के प्रधानाचार्यो को शिक्षा के केरियर की सम्भावनाओं के बारे मे जागरूक बनाने के लिये विनियम कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का संचालन करने के निर्देश दिये गये है। इसके फलस्वरूप प्रवेश संख्या 71 से बढकर 75 प्रतिशत हो गई है।

केंद्रीय प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सैल

5.62 एच.एस.बी.टी.ई. के द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण और प्लेसमैट सैल की स्थापना की गई है, जिसके अर्न्तगत छात्रों को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिये सहायता प्रदान की जायेगी और कंसल्टेंसी/अंशाकन और परीक्षण/काम का लोड/प्रोटोटाइप उत्पादन निर्माण, श्रमिकों की योगयता बढ़ाने और जो अन्य दोनों पक्षों द्वारा उचित होगा, को उद्योगों के इंटरैक्शन के अनुसार बढ़ाया जायेगा।

छात्रों को सलाह

5.63 प्रत्येक संकाय को 15–20 छात्रों के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनके प्रवेश के समय से प्लेसमेंट तक, जो कि शैक्षणिक, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट इत्यादि में उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

मूल्य वर्धित पाठयक्रमों के माध्यम से छात्रों का प्रशिक्षण

5.64 बोर्ड ने डिप्लोमा पास छात्रों को रोजगार के अवसरो को बढाने के लिए ज्ञान और कौशल को बढावा देने के उद्धेश्य से बहुतकनीकियों के अंतिम वर्ष के छात्रों को मूल्य वर्धित/अनुकूलित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि वे कॉर्पोरेट/उद्योगों की आवश्यकताओं के बारे मे जागरूक तथा नौकरी के लिये तैयार हो सके। प्रशिक्षकों के साथ–साथ प्रशिक्षुओं के सुझाव अनुसार इन पाठ्यक्रमो को गर्मी की छुटिट्यों के दौरान कम से कम 2 से 4 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाये।

वेबसाइट पर सभी संकाय सदस्यों की पाठ्य योजना अपलोड और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना

5.65 पाठ्य योजना को सभी संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड/सूचनापट पर छात्रों की सूचना के उद्धेश्य से प्रदर्शित किया गया है, ताकि छात्रों को पाठ्यक्रमों की सम्भावित समय सीमा के साथ–साथ पढाये जाने वाले पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में सूचना उपल्बध की जा सके।

डिप्लोमा छात्रों की उपस्थिति और समग्र परिणाम सुधार के लिए रूपरेखा

5.66 छात्रों की उपस्थिति में सुधार के लिए और परीक्षा परिणाम सुधार करने के लिए सभी डिप्लोमा संस्थानों के छात्रों की उपस्थिति ऐप में दर्ज करने के लिए सक्षम बायोमैट्रिक उपकरणों की व्यवस्था की गई। संस्थान को निर्देश दिया गया है कि वह संशोधित पाठ्यक्रम में उल्लेखित उपकरण, ऑनलाईन वेब संसाधन, शिक्षण सॉफ्टवेयर और शिक्षण उपकरण का उपयोग करने, डिप्लोमा छात्रों के सिखने/परिणामों को सुधारने के लिए शैक्षणिक खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं/गृह कार्य की व्यवस्था करें।

तकनीकी संस्थानों में सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश

5.67 सभी तकनीकी संस्थानों में शिकायत निवारण समिति, रैगिंग विरोधी कमेटी, आंतरिक शिकायत समिति, यौन उत्पीडन के लिंग संवेदीकरण, महिला कर्मचारियों की यौन

उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध/छात्र एवं अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति शिकायत पर और वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। समय–समय पर एम.एच.आर.डी. और यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., पी.सी.आई., सी.ओ.ए., एन.सी.एच.एम.सी.टी. इत्यादि और बोर्ड/विभाग के द्वारा अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का भी सभी तकनीकी संस्थानों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

5.68 31 समझौता ज्ञापन पर उद्योगो के साथ हस्ताक्षर

- एच.एस.बी.टी., मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटिड और राजकीय बहुतकनीकी, मानेसर के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर 10 अक्तूबर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए, जिस से राजकीय बहुतकनीकियों और इंजीनिरिंग पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए एम.एस.आई.एल. जो कि उद्योगो से एसोशिएट के लिए छात्रों को प्रशिक्षण और प्लेसमैंट की गुणवता प्रदान कर सके।
- बहुतकनीकीयों द्वारा लोकल उद्योगों और प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ जो छात्रो के प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए उद्योगों से जुड़े है, उन के साथ 30 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

समिति के विवरणों को संस्थानों के सूचना पठ

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

5.69 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 156 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (123 सहशिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), 232 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों (2017–18 में 7 संस्थानों में दाखिला नही करवाया गया) 7 राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, 2 निजी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से (राजकीय – 71,106 + प्राईवेट –34,528) 1,05,634 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन संस्थानों ने न केवल उद्योगों को कुशल शिल्पकार की आपूर्ति की है, बल्कि स्वयं रोजगार के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

5.70 वित्त वर्ष 2017–18 में, 156 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 60,292 सीटों की क्षमता के साथ चल रहे हैं। जिनमें 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए तथा शेष संस्थानों में सहशिक्षा है। इसमें से 30 प्रतिशत सीटें सभी व्यवसायों में लडकियों के लिए आरक्षित हैं। अम्बाला शहर, रोहतक जीन्द, भिवानी, नारनौल, सिरसा तथा फरीदाबाद में 7 राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं, जिनकी कुल सीटों की क्षमता 300 है, 2 प्राईवेट अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र जिनमें प्रत्येक की सीटों की क्षमता 40 है तथा 232 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिन में 38,832 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

5.71 प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये 60 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अप ग्रेडेशन हेतू 30 औद्योगिक भागीदारों द्वारा अंगीकृत किया गया है। इन संस्थानों के संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 72 सोसाईटियों का गठन किया गया, जिसमें 78 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल किये गये हैं।

5.72 महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा चलाई गई "स्किल डैवलपमैन्ट इनीशियेटिव योजना (एस.डी.आई.)" के अन्तर्गत 233 रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण संस्थानों (वी.टी.पी.) द्वारा विभिन्न माडयूलस में उन छात्रों को, जिन्होने स्कूल छोड़ दिया है तथा जो लोग अव्यवस्थित क्षेत्र में काम कर

रहे है, का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से अब तक कुल 62,549 छात्र प्रशिक्षण ले चुके हैं।

5.73 वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से समैस्टर प्रणाली पर आधारित कला अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कोर्स कराने हेतू रोहतक में प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संस्थान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, अगस्त, 2015 में इस संस्थान में 3 ट्रैड के दाखिले हुए हैं। इस संस्थान की कुल क्षमता 120+120=240 प्रति समैस्टर 120 है। यहाँ पर यह भी अवगत करवाया जाता है कि आई.टी.ओ.टी. के लिये विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध सभी निधियों का पूरी तरह उपयोग किया गया है और अब सस्थान स्टेट स्कीम के तहत चल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5.74 इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा सरकार डिजिटल इंडिया और इसके स्तम्भों के विजन के अनुसार आईटी पहलों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। कुछ कार्यक्रम पहले ही शुरू किए गए हैं जबकि अन्य इसके निष्पादन के विभिन्नि चरणों में है । सरकार में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाकर तथा सेवा स्तरों में सुधार लाकर नाममात्र की लागत पर सेवाओं की सहज पहुंच के विजन को साकार करने की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा शुरू की गई सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाकर व्यापक प्रचार अभियानों की भी परिकल्पना की गई है।

इलेक्ॅट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के महत्वपूर्ण खण्ड

5.75 हरियाणा आई.टी सोसाइटीः को मुख्यतः प्रदेश में ई–गवर्नेंस सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया, यह कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के आयोजन, आई.सी.टी. अवसंरचना, कर्मचारियों के आई.सी.टी. प्रशिक्षण और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य द्वारा जिला स्तर पर शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला सूचना तकनीकी सोसाइटी स्थापित की गई है।

5.76 हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लि. (एच. के.सी.एल.): वर्ष 2013 में टीचिंग, लर्निंग और शैक्षिक प्रबन्धन प्रक्रियों में सूचना प्रौद्योगिकी के सार्वभौमिकरण व एकीकरण के माध्यम से शिक्षा व विकास के नये आयाम सृजित करने के लिए एच.के.सी.एल की स्थापना की गई। एच.के.सी. एल. के लिए 250 से अधिक प्राधिकृत केन्द्रों की स्थापना की गई है।

5.77 हारट्रोनः हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (हारट्रोन) प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह विभागों को आईटी रोडमैप के लिए आईटी साफ्टवेयर और हार्डवेयर की खरीद के लिए विभागों को सहायता प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त, यह स्वान और एस.डी.सी. के साथ आई.सी.टी. अवसंरचना की रीढ़ के रूप में भी कार्य करता है। मतदाताओं के वोटर आई.डी. कार्ड और मतदाताओं की फोटो के साथ मतदाता सूचियां तैयार करने में अग्रणी है।

5.78 एन.आई.सी.ः राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार का एक अग्रणी संगठन है, जो सरकारी विभागों/संगठनों व जनसाधारण को ई–गवर्नेंस आई.सी.टी. इफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशनस और सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य स्तरीय आई.सी.टी. सक्षम पहलों के क्रियान्वयन में एन.आई.सी. की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। एन.आई.सी. के मुख्य उत्तरदायित्वों में से एक राज्य सरकार की ओर से आई.सी.टी. एप्लीकेशनस पर नीतिगत नियंत्रण प्रदान करना है। हरियाणा सिविल सचिवालय और नव सचिवालय में नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए 1,659 नोड्स का प्रबन्धन कर रहा है। प्रदेश में सूचना और सेवाओं के लिए प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक यूजर्स एन.आई.सी. पोर्टल का उपयोग करते हैं।

5.79 विकास एवं गैर–विकासात्मक गतिविधियां

i) विकास गतिविधियां : (1) नागरिकों के लाभार्थ व विभिन्न राज्य की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए ई–गवर्नेंस पहलों का विकास करता है, (2) प्रदेश में स्टार्ट–अप को अपने उद्यम की स्थापना के लिए आकर्षित करने हेतु प्रदेश में एक मजबूत अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना, (3) ग्राम स्तर पर वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के साथ–साथ प्रदेश में पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पोट स्थापित करना है ।

ii) ई–शासन पहले जैसे सीएम विंडो, सीएम ई–डैशबोर्ड, ई–जिला, समेकित वित्त प्रबन्धन प्रणाली, उमंग, डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने जैसी ई–शासन पहलों की शुरूआत की है।

iii) अभिनव पारिस्थितिकी नामतः अभिनव पारिस्थितिकी में नामतः नास्सकॉम वेयरहाउस, मोबाइल अनुप्रयोग विकास केन्द्र और हरियाणा बहु–कौशल विकास केन्द्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए उत्कृष्ठता केन्द्र शामिल है।

iv) सी.एस.एस – एस.पी.वी द्वारा प्रदेश में 109 ग्राम पंचायतों में वाईफाई प्रदान किया गया है। स्मार्ट ग्राम पहल के तहत भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गुरुग्राम और मेवात जिलों के 100 गांवों को अपनाया गया । 11 जिलों पंचकूला, जींद, अम्बाला, रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, झज्जर, कुरुक्षेत्र, भिवानी, फरीदाबाद, यमुनानगर के साथ–साथ चण्डीगढ़ में 37 स्थानों पर सार्वजनिक वाईफाई होटस्पोट्स उपलब्ध करवाए गए।

v) गैर–विकासात्मक गतिविधियां– (1) इनमें नागरिकों के लाभ के साथ–साथ निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की जन साधारण को जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन करना तथा (2) विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से क्षमता निर्माण करना।

vi) गुरुग्राम में 15 सितम्बर, 2017 को डिजिटल हरियाणा सम्मिट का आयोजनः

- हरियाणा को डिजिटल क्रांति के मार्ग पर अग्रसर करने हेतु पारिस्थितिकी सृजन के लिए राज्य द्वारा चार क्षेत्र की विशेष नीतियां नामतः (1) आईटी एवं ई.एस.डी.एम., पॉलिसी 2017, (2) उद्यम एवं स्टार्ट–अप पॉलिसी, 2017, (3) संचार एवं संयोजकता अवसंरचना पॉलिसी, 2017 और (4) साइबर सेक्यूरिटी पॉलिसी, 2017 का शुभारम्भ किया गया।
- स्टार्ट–अप, वेयरहाउस, मोबाइल एप्प विकास केन्द्र, आईओटी के उत्कृष्ठता केन्द्रों का रिमोट उदघाटन हुआ।
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एस.ए.आर.ए.एल. (सरल) (साधारण, सबका समावेश, रीयल टाईम, कार्योन्मुखी, लॉग लास्टिंग) पोर्टल और एच.ए.आर.पी.ए.टी.एच. (हरपथ) का शुभारम्भ किया गया।
- परिष्कृत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके (1)बड़े डाटा/आधार कार्ड विस्तार परियोजना के लिए राज्य सरकार की सहायता करने व प्रदेश में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र नवोन्मेश प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना। (2) राष्ट्रीय दूर संवेदी जीओ गवर्नेंस का राज्य सरकार की क्षमता निर्माण करना है ताकि जीओ रैफ्रेंस का उपयोग करके प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान की जा सकें। (3) सी.एस.सी. – एस.पी.वी. अकादमी की स्थापना करने के लिए सी.एस.सी.–एस.पी.वी. बनाना।

vii) 25 दिसम्बर, 2017 को सुशासन दिवस।

- 12 विभागों की 100 से अधिक सेवाओं का सरल प्लेटफार्म पर शुभारम्भ।
- नागरिकों की सुविधा के लिए 5 ई–दिशा केन्द्रों को शानदार अवसंरचना से सुसज्जित किया गया।

- दो जिलों भिवानी व हिसार के लिए अवरूद्ध वन क्षेत्र की ऑटोमेटिक एनओसी के लिए वन विभाग की एप्लीकेशन का शुभारम्भ किया गया ।
- "स्वच्छ भारत" विजन के अनुसार 35 शहरों में स्वच्छ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारम्भ हुआ।
- उपायुक्तों द्वारा परियोजनाओं के गवर्नेंस की रीयल टाइम निगरानी करने के लिए उपायुक्त ई–डैशबोर्ड (दर्पण) का शुभारम्भ किया गया।
- ओयो रूमस के सहयोग के साथ होटल उद्योग के लिए बने डिजिटल विजिटर रजिस्टर पुलिस अधिकारियों के साथ रियल टाइम आधारित अनुरोध पर विजिटर डाटा सांझा करता है।
- वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कहीं से भी, किसी भी समय वीडियो कान्फ्रेंसिंग करने के लिए मोबाइल वी.सी प्लेटफार्म का शुभारम्भ किया गया।

viii) क्षमता निर्माण: हरियाणा सरकार, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर में विशेष एप्प्रेसिएशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब तक हारट्रोन द्वारा 90,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 36,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एन.डी.एल.एम., पी.एम.जी.डी.आई.एस.एच.ए. के तहत वी.एल.ईज. के लिए प्रशिक्षण, आईटी/बी.पी.ओ. फील्ड, सोलर पीवी स्थापना व रखरखाव, ई.एस.डी.एम. सैक्टर, दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देना भी शुरू किया गया है।

5.80 भौतिक उपलब्धियां 2016–17

i) 50 से अधिक एप्लीकेशन वाले 50 विभागों द्वारा स्टेट डाटा सेंटर का उपयोग किया जा रहा है। क्लाउड सक्षम अवसंरचना 25 विभागों की सेवा कर रही है।

ii) सांझा सेवा केन्द्रों (सी.एस.सीज) की स्थापना की गई है और लगभग 2,000 सी.एस.सीज. से 4.5 लाख से अधिक लेन–देन किए गये हैं।

iii) प्रदेश में ई–जिला परियोजना लागू की गई है व बी2सी और भारत सरकार की जी2सी ई–सेवाओं के अतिरिक्त 100 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

iv) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत लगभग 6000 ग्राम पंचायतों में ओ.एफ.सी. बिछाई जा चुकी हैं और 3500 + डक्टस बिछाए गये हैं।

v) एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली) का विभिन्न विभागों में क्रियान्वयन आरम्भ हो चुका है।

vi) कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया है, जिसमें 3500+ उम्मीदवारों को केवल आईटी/आईटीइज, इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार सैक्टर में प्रशिक्षित किया गया है।

vii) संगोष्ठियों का आयोजन किया गया और राज्य ने विभिन्न सम्मिट/कार्यक्रमों में राज्य भागीदार के रूप में योगदान देने के अतिरिक्त प्रवासी भारतीय दिवस, भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और गीता जयंती समारोह में भी नियमित भागीदारी सुनिश्चित की।

viii) गुरुग्राम में अभिनव परिसर– एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये और गुरुग्राम में स्टार्ट–अप वेयरहाउस/अभिनव परिसर के सृजन के लिए परिव्यय योजना का प्रारूप तैयार किया गया।

ix) इन्टरनैट ऑफ थिंग्स पर उत्कृष्ठता केन्द्र–इन्टरनैट ऑफ थिंग्स के लिए उत्कृष्ठता केन्द्र की स्थापना के लिए डी.ओ.टी., भारत सरकार के समक्ष मामले को रखा गया।

x) डिजिटल लॉकर इंटिग्रेशन– ई–जिला की 16 ई–सेवाओं को डिजिटल लॉकर के साथ एकीकृत किया गया और कोई भी नागरिक अपने डिजिटल लॉकर में हस्ताक्षर करके दस्तावेजों को ले सकता है।

xi) आर.ए.एस. "तत्काल मूल्यांकन प्रणाली" –16 ई–जिला सेवाएं, जो प्रमाणित हैं और

स्वभाव में भारी भरकम हैं, का एकीकरण करने पर विचार–विमर्श शुरू किया गया।

भौतिक उपलब्धियां 2017–18

5.81 स्टेट डाटा सेंटर (एस.डी.सी.): विभिन्न विभागों/संगठनों और ई–जिला परियोजनाओं की 75 एप्लीकेशनस को डाटा सेंटर पर होस्ट किया गया है।

5.82 नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.)/भारत नेट अब तक 5,803 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 5,637 ग्राम पंचायतों (जी.पी.) में आद्योपांत परीक्षण पूरा किया जा चुका है और 3,407 ग्राम पंचायतें एल.आई.टी. रूप से सक्रिय हैं। 109 ग्राम पंचायतों/स्कूलों में वाईफाई उपकरण लगाए गये हैं। स्मार्ट ग्राम पहल के तहत भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 100 गांवों को अपनाया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान 350 गांवों में वाईफाई संयोजकता स्थापित करने की योजना है।

5.83 अटल सेवा केन्द्रों (ए.एस.केज.) प्रदेश में कुल 11,986 एएसकेज (ग्रामीण क्षेत्रों में 8,204 और शहरी क्षेत्रों में 3,782) अटल सेवा केन्द्रों को पंजीकृत किया गया है। राज्य में कुल 6,623 अटल सेवा केन्द्र कार्य सम्पादन कर रहे है।

5.84 आधार नामांकनः वर्ष 2015 की जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में आधार नामांकन परिपूर्णता 103 प्रतिशत है। इसमें राज्य का देश में दूसरा स्थान है। वृद्धों, कमजोर, बीमार निवासियों के लिए मोबाइल के माध्यम से विशेष नामांकन अभियान चलाया गया है। 0 से 5 वर्ष आयु समूह के बच्चों के आधार नामांकन के लिए 400 टेबलेट्स की खरीद की गई है और बच्चों की शत–प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 से 18 वर्ष के आयु समूह के लिए 500 आधार नामांकन किट्स की खरीद की जा रही है। 0 से 5 वर्ष आयु समूह में आधार नामांकन 78 प्रतिशत है। इस समय 5 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों की आधार कवरेज में हरियाणा पहले स्थान पर है।

5.85 ई–जिला परियोजनाएंः इस समय प्रदेशभर में 6,623 से अधिक कार्यरत अटल सेवा केन्द्रों (ए.एस.के.) और 135 ई–दिशा केन्द्रों के माध्यम से 24 विभागों की कुल 170 राज्य सरकार से नागरिक (जी2सी) ई–सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 99 बिजनेस से नागरिक (बी2सी) सेवाएं और भारत सरकार की 12 जी2सी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

5.86 विशेष प्रयोगशालाएंः स्किल अप ग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत अधिक जॉब व प्लेसमैंट अवसरों के लिए प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाईन एवं मैन्युफैक्चरिंग (ई.एस.डी.एम.) स्कीम के अन्तर्गत फाइबर ऑप्टिकल, रोबोटिक्स, आई.ओ.टी. (इंटरनेट ऑफ थिंक्स) के क्षेत्र में कम से कम चार विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी एक योजना है।

5.87 इलेक्ट्रोनिक्स एवं आई.सी.टी. एकेडमीः हरियाणा के महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में कार्यरत फैकल्टिज के कौशल में सुधार करने के लिए प्रदेश के एन. आई.टी., कुरुक्षेत्र में एक इलेक्ट्रोनिक्स एवं आई.सी.टी. एकेडमी स्थापित करने की योजना है। इस सम्बन्ध में निदेशक, एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा और इसे स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजेगा।

5.88 स्टार्ट–अप वेयरहाउसः राज्य सरकार युवा उद्यमियों के लिए गुरुग्राम में नेसकोम के सहयोग से अभिनव परिसर स्थापित करने की प्रक्रियाधीन है।

5.89 7 विश्वविद्यालयों में इन्क्युबेशन सेंटर बनानाः प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में 30 लाख रुपये की लागत से 7 इन्क्युबेटर सेंटर स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

5.90 मोबाइल एप्लीकेशन डेवेलपमेंट सेंटरः आई.ए.एम.ए.आई. (इंटरनेट एण्ड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया) द्वारा कौशल

प्रशिक्षण केन्द्र सहित एक मोबाइल डवेलपमेंट सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

5.91 आईटी काडरः सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा ई–गवर्नेंस परियोजनाओं और आईटी एप्लीकेशन को बढ़ावा देने पर अत्याधिक बल दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में ई–गवर्नेंस पहलों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य में एक आईटी काडर सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है।

5.92 पोलिसीः पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए हरियाणा को डिजिटल क्रांति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए क्षेत्र विशेष की निम्न नीतियां बनाई गई हैं, जिनका शुभारम्भ किया गया और विधिवत रूप से अधिसूचित किया गया –

- आईटी एवं ई.एस.डी.एम. नीति 2017: ये पॉलिसी आईटी/ आई.टी.इज./ बी. पी.ओ./ ई.एस.डी.एम. यूनिटस को अनेक प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य निवेश मैत्री वातावरण सृजित करना, शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान करना और विश्वसनीय अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना है, ताकि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के उद्धेश्य को हासिल किया जा सके।
- उद्यमी एवं स्टार्ट–अप पॉलिसी, 2017: इस नीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ और स्थाई स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है, ताकि युवाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा विकास का ड्राइवर बनाया जा सके।
- संचार एवं संयोजकता अवसंरचना पॉलिसी, 2017: वर्तमान संचार एवं संयोजकता अवसंरचना पॉलिसी को और अधिक निवेशक मैत्री बनाने के लिए इसे संशोधित किया गया है।
- साइबर सेक्यूरिटी पॉलिसी, 2017।

5.93 उमंगः हरियाणा ने पहले ही राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा की 10 सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग की 12 सेवाएं, गृह विभाग की 6 सेवाएं, बागवानी विभाग की 4 सेवाएं, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की 18 सेवाएं, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 8 सेवाएं, राजस्व विभाग की 21 सेवाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 9 सेवाएं, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 15 सेवाएं तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की 4 सेवाएं पहले शुरू की जा चुकी हैं।

5.94 ई–ऑफिस प्रोजैक्ट (हरियाणा में शुरू): हारट्रोन और सूचना प्रौद्योगिकी सचिवालय में ई–ऑफिस शुरू किया गया है। मुख्य सचिव और हरियाणा के 38 अतिरिक्त सचिवों के लिए ई–लीव और ई–टूर का पायलट आधार पर शुभारम्भ किया गया है। सभी आईएएस अधिकारियों के ई–लीव और ई–टूर शुरू करने की योजना बनाई गई है। आगामी वर्ष में कुछ अन्य बड़े विभागों में भी ई–ऑफिस शुरू किया जाएगा।

5.95 वाईफाई होटस्पोट प्रोजैक्ट (हरियाणा में शुरू): चालू वर्ष के दौरान 11 जिलों में 37 स्थानों को कवर किया जा रहा है और शेष स्थानों को आगामी वित्त वर्ष में कवर किया जाएगा।

5.96 इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए उत्कृष्ठता केन्द्र (सी.आई.ओ.टी.): राज्य सरकार गुरुग्राम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए उत्कृष्ठता केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रियाधीन है।

5.97 आईटी/आईटीइज उद्योगः आईटी सैक्टर में हरियाणा ने बैंगलौर और हैदराबाद के उपरांत राज्य के गुरुग्राम को तृतीय सबसे बड़े आईटी उद्योग के रूप में उभार कर श्रेष्ठ कार्य किया है। डीएलएफ साइबर सिटी और उद्योग विहार गुरुग्राम आज आईटी उद्योग के 'हू–इज–हू' का घर है। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर विकसित आईटी/आईटीइज स्थल निम्न परियोजनाओं के माध्यम से चल रहे हैं –

i) आईटी/आईटीइज में अब तक स्वीकृत कुल 28 एस.ई.जेड्स. में से 6 एसईजैड चालू हैं और शेष एसईजैड विकास की प्रक्रियाधीन हैं।

ii) अब तक, 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजना और लगभग 603.99 एकड़ भूमि पर आईटी/आईटीइज पार्कों की स्थापना करने के लिए कुल 49 लाइसेंस प्रदान किए गये। आईटी/आईटीइज की नवीनतम स्थिति **तालिका 5.4** में दी गई है।

तालिका 5.4 – राज्य में आई.टी./आईटीज. पार्कों की स्थिति

क्रम संख्या	शहर का नाम	परियोजना संख्या	क्षेत्र (एकड़ में)	जोनिंग प्लान की संख्या	भवन योजना स्थिति	कब्जा/परिपूर्णतः की स्थिति
1.	गुरुग्राम	42	542.20	36 (स्वीकृत जोनिंग प्लान) 6 (प्रक्रियाधीन)	26 (स्वीकृत भवन योजना) 16 (प्रक्रियाधीन)	11 कब्जे मंजूर 31 (प्रक्रियाधीन)
2.	फरीदाबाद	7	61.79	7	5 (स्वीकृत भवन योजना) 2 (प्रक्रियाधीन)	3 कब्जे मंजूर 4 (प्रक्रियाधीन)

स्त्रोतः–इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा ।

iii) इसके अतिरिक्त, एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा चार स्थानों यानि पंचकूला, आईएमटी मानेसर, कुण्डली और राई जिला सोनीपत को आईटी सैक्टर के रूप में बढ़ावा देने के लिए टैक्नोलोजी पार्क/इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क के लिए अवसंरचना विकसित की जा चुकी है, जिसका विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5–राज्य में टी.पी./ई.एच.टी.पी.के लिये एच.एस.आई.आई.डी.सी. की संरचना

क्रम संख्या	सूचना प्रौद्योगिकी/ हार्डवेयर पार्क/ स्थापना वर्ष	कुल क्षेत्र (एकड़ में)	प्लाटों की कुल संख्या	प्लाटों के तहत क्षेत्र (एकड़ में)	विकसित भूमि की कुल लागत (करोड़ रुपये में)	कैटालाइड होने वाला सम्भावी निवेश (करोड़ रुपये में)
1	टैक्नोलोजी पार्क, सैक्टर 22, पंचकूला	72.87	27	38.37	97.80	1199
2	टैक्नोलोजी पार्क, आईएमटी मानेसर	141.80	11	104.00	132.47	3336
3	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क, फेस–5, कुण्डली सोनीपत	98.00	233	74.00	59.42	600
4	टैक्नोलोजी पार्क, फेस–1, राई, सोनीपत	56.00	2	50.00	23.51	561

स्त्रोतः–इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा ।

5.98 इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाईन एवं मैन्युफैक्चरिंग (ई.एस.डी.एम.) सैक्टरः हरियाणा देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। लोगों की मांग को पूरा करने और हरियाणा से सफलतापूर्वक सृजित ऐसे ई.एस.डी.एम. उत्पादों की क्षमता का उपयोग करने के लिए हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाईन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ई.एस.डी.एम.) सैक्टर को विकसित करने की क्षमता है। हारट्रोन को डिजिटल इंडिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में कौशल विकास

हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी घोषित किया गया है, जिसे प्रशिक्षण गतिविधियों में समन्वय करने और अनुबंध के एकल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित किए जाने और नामित किए जाने की आवश्यकता होगी। राज्य ने आईटी विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में ई.एस.डी.एम. के लिए एक राज्य स्तरीय अवार्ड समिति (एस.एल.ए.सी.) भी गठित की है। इस समिति की भूमिका पात्र संगठनों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना है और उचित जांच करने के उपरांत इसे भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल लेवल अवार्ड कमेटी को भेजना है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाईन और मैन्युफैक्चरिंग (ई.एस.डी.एम.) सैक्टर का विकास बढ़ाने, उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने में सहायता करने, नवोन्मेश अभियान चलाने और रोजगार के अवसरों व कर राजस्व बढ़ाकर क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा ब्राउनफील्ड कलस्टर के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाईन व निर्माण (ई.एस.डी.एम.) सैक्टर में संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम.एस.आई.पी.एस.) अधिसूचित की गई है। ब्राउनफील्ड कलस्टर में स्थापित किए जा रहे उद्योग आबकारी प्रतिपूर्ति/कैपिटल उपकरणों पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी तथा केन्द्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

- स्वीकृति की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के भीतर परियोजना में किए गये निवेश के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। राज्य सरकार या इसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत गुरुग्राम के क्षेत्र, तहसील बावल, उप–तहसील धारूहेड़ा, पंचकूला (खण्ड बरवाला और अन्य औद्योगिक क्षेत्र सहित), फरीदाबाद, पलवल, अम्बाला, यमुनानगर, झज्जर और सोनीपत (कुण्डली और राई सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों को राज्य सरकार व इसके स्थानीय प्रभुत्व द्वारा अधिसूचित किया गया है) भारत सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया है।

भारत के सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्कस

5.99 प्रदेश में आईटी और आईटी सक्षम सेवा उद्योगों के वर्तमान विकास परिदृश्य को देखते हुए विभाग गुरुग्राम में एस.टी.पी.आई. सेंटर स्थापित कर रहा है। सरकार पंचकूला में भी इस क्षेत्र की आईटी उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नये एस.टी.पी.आई. स्थापित कर रही है। इस वर्ष के दौरान एम.ओ.यू. हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू की गई है जो निश्चयात्मकता के अग्रिम स्तर पर है। भूमि की समस्त लागत पहले ही एच.एस.आई.आई.डी.सी. को अदा की जा चुकी है।

5.100 सॉफ्टवेयर निर्यात: वर्ष 2016–17 के दौरान भारत से इलैक्ट्रोनिक्स एवं आई0टी0 निर्यात लगभग 116.01 बिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें हरियाणा का हिस्सा अनुमानित 6.2 प्रतिशत है, जोकि लगभग 7.2 बिलियन यूएस डॉलर है।

5.101 आईटी सैक्टर में रोजगार : इस समय देशभर के आईटी सैक्टर में रोजगार का 6.8 प्रतिशत रोजगार राज्य के खाते में है। आईटी/आईटीइज सैक्टर में लगभग 2 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

5.102 ई–गवर्नेंस एप्लीकेशनस में अवार्ड: नवम्बर, 2014 से राज्य अपनी विभिन्न ई–शासन परियोजनाओं और डिजिटल इंडिया पहलों के लिए कुल 48 अवार्ड जीत चुका है, जिसमें से 21 अवार्ड/ सराहनीय/ प्रशंसा/ सेवाओं की मान्यता के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त किए। उपरोक्त के अतिरिक्त,

राज्य ने वर्ष 2017–18 के दौरान 31 अवार्ड जीते हैं।

तालिका 5.6– 2018–19 का लक्ष्य और उसको एसडीजी विजन 2030 के साथ संरेखित करना

स्कीम/परियोजना	स्थाई विकास लक्ष्य (एसडीजी)
वाईफाई होटस्पोट	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
वाईफाई ग्राम	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
ई–साइन	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
ई–ऑफिस	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
नागरिकों को प्रशिक्षण	एसडीजी 4, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
साइबर सुरक्षा पॉलिसी 2017, आई.टी.एवं ईएसडीएम पॉलिसी 2017, उद्यम एवं स्टार्ट–अप पॉलिसी 2017 तथा संचार एवं संयोजकता अवसंरचना पॉलिसी 2017 लागू करना	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
टेक हब गुरुग्राम	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
टेक्नोलोजी लैबस	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
आईओटी	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
यूएनटीआईएल	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना
एसटीपीआई आईटी पार्क की स्थापना	एसडीजी 9, उद्योग, नवोन्मेश एवं अवसंरचना

स्त्रोतः–इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा ।

तालिका 5.7– कारपेक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर

क्रम संख्या	विवरण	क्षेत्र/फ्लोर वर्ग फीट	अब तक खर्च राशि
1	नास्सकॉम वेयरहाउस	एचएमएसडीसी गुरुग्राम की प्रथम मंजिल पर 10,000	अब तक 5.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई
2	मोबाइल एप्प विकास केन्द्र	एचएमएसडीसी गुरुग्राम की ग्राउंड फ्लोर पर 3,000	
3	सेंटर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंगस	नासकॉम वेयरहाउस के साथ कोलोकेट	
4	संयुक्त राष्ट्र टेकनोलोजी नवोन्मेश लैब	एचएमएसडीसी गुरुग्राम की ग्राउंड फ्लोर पर 3,300	
5	फाइबर ऑप्टिकल के लिए विशेष लैब	3500 (एचएमएसडीसी गुरुग्राम में कार्यशाला का नवीनीकरण	
6	3डी प्रिंटिंग के लिए विशेष लैब		
7	रोबोटिक्स के लिए विशेष लैब		
8	ई–शासन सेवाओं के लिए काल सेंटर की स्थापना	––	––

स्त्रोतः–इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,हरियाणा ।

5.103 विभाग की राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के कार्यक्रम/गतिविधियां

1 हैलरिस : सम्पति पंजीकरण, इंतकाल और जमाबंदी समेकित करने की प्रक्रिया में एच.ए.आर.आई.एस. और एच.ए.एल.आर. आई.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला हरियाणा पहला राज्य।

2 आधार शिशु नामांकन में नम्बर 1, आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उच्च रैंक वाले राज्यों में शामिल।

3 अटल सेवा केन्द्रों (ए.एस.के.) के माध्यम से ई–जिला और श्रम पंजीकरण सेवा में राज्यों में दूसरा स्थान।

4 इनकम टैक्स रिर्टन फाईल करने के लिए ई–टीडीएस प्रणाली लागू करने वाले राज्यों में पहला स्थान।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5.104 राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही हैं, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा इसे अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैः–

- विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति योजना– इस योजना के अंतर्गत विभाग मूल विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में 3–वर्षीय बी.एस.सी./4–वर्षीय बी.एस.सी./5–वर्षीय सम्मनवित एम.एस.सी. की शिक्षा ग्रहण करने वाले 150 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह व 2–वर्षीय एम.एस.सी./एम.एस. के 50 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 6,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति मैरिट के आधार पर प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 1,702 विद्यार्थियों को लगभग 1,794.97 लाख रुपये की छात्रवृतियॉ दी गई है।

- हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीमः इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–1 परीक्षा में 10 वी के विद्यार्थियो के लिए एस.सी.ई.आर.टी. गुरूग्राम द्वारा आयोजित की जाती है, में नम्बरों के आधार पर उच्चतम 1,000 विद्यार्थियों (750 छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तथा 250 छात्र सी.बी.एस.ई./आई.सी. एस.ई. बोर्डों के) को छात्रवृति हेतू चयन किया जाता है । 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को 1,500 रूपये प्रति माह की छात्रवृतियां दी जाती हैं ।

- पी.एच.डी. छात्रों के लिए फैलोशिप योजनाः सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में मैरिट के आधार पर यह छात्रवृति दी जानी है। विज्ञान विषयों के अनुसंधान अध्येता को 18,000 प्रतिमाह पहले दो साल तथा 21,000 रूपये तीसरे वर्ष के बाद दिये जाते हैं, जिसकी अधिकतम अवधि 5 साल तक होती है। इसके अतिरिक्त 20,000 रूपये वार्षिक एकमुश्त राशि दी जाती है। यह योजना 2009–10 में शुरू हुई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 128 विद्यार्थियों को फैलोशिप दी जा चुकी है।

5.105 राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एंव इसकी जानकारी बढ़ाने हेतू विभाग ने स्वर्गीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में कुरूक्षेत्र में 6.50 करोड़ रूपये की लागत से एक तारामण्डल की स्थापना की है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस केन्द्र में 1.42 लाख के लगभग दर्शक आए तथा 32.92 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2017–18 (31–12–2017) तक के.सी.एम.बी. में 1,12,345 दर्शको ने भ्रमण किया, जिससे 25,27,760 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

5.106 पादप जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की प्रयोगशालाएँ प्लान्ट टिशू कल्चर का कार्य करने के लिए परिपूर्ण हैं। इस जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में टिशू कल्चर के माध्यम से कई संभ्रांत फसलों का गुणन किया जाता है। केन्द्र में ग्वारपाठा, सर्पगन्धा, मीठी तुलसी, केला, ग्लेडियोलस, बांस, नीलगिरी, सफेदमूसली, डहलिया, आलू, जोजोबा, स्ट्राबेरी, मेंहदी, गन्ना और अन्य पौधों के जर्मप्लाज्मा को गुणा किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान सी.पी.बी., हिसार ने अपनी गतिविधि के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। वर्तमान में अश्वगंधा योजनाओं का प्रारूपी फिनोटोपिक, किमोटिपिक और जीनोटिपिक व लक्ष्णीय विशेषताओं व गुणात्मक कार्य प्रगति पर है। चालू वित वर्ष में हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा एक नई

परियोजना जोकि पादप जैव प्रौद्योगिकी (स्ट्राबेरी, केला और गन्ना) के उत्पादन व प्रदर्शन विषय पर आधारित है, के माध्यम से कुछ जरूरी पौधों की उच्च क्षमता योजना सामग्री को स्वीकृति दी है।

5.107 हरियाणा राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (हरसैक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है । यह केन्द्र राज्य के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और बुनियादी ढ़ांचे के मानचित्रण, निगरानी प्रबंधन में कार्यरत है। यह केन्द्र राज्य में सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) से संबंधित गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। हरसैक अब तक 180 परियोजनाओं को पूरा कर चुका है और 35 परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। हरसैक में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:–

i) उपग्रह, मौसम के आकड़े व जमीनी आधार पर एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग कर फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान (फसल)।

ii) हरियाणा में पुवाल जलाने वाले क्षेत्र की निगरानी।

iii) सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) के उपयोग द्वारा रेशम उत्पादन विकास।

iv) एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) की निगरानी और मूल्यांकन।

v) भिवानी में संपत्ति कर और बुनियादी ढांचे के लिए ड्रोन (यू.ए.वी.) आधारित भू–स्थानिक मानचित्रण।

vi) हरियाणा के विभिन्न शहरों में अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण।

vii) नगर निगम गुरूग्राम, रोहतक और जींद का उनकी भू –स्थानिक प्रयोगशाला में कार्य।

viii) हरियाणा में भूमि उपयोग/भूमि कवर विश्लेषण।

ix) पंचायती राज संस्थानों का स्थानिक सशक्तिकरण (ई.पी.आर.आई.एस)।

x) हरियाणा स्थानिक डाटा अवसंरचना का विकास (एच.एस.डी.आई.)।

xi) हरियाणा में स्कूलों की जी.आई.एस. आधारित मैपिंग।

xii) सार्वजनिक जन स्वास्थ्य इंजीनियरिग विभाग (पी.एस.ई.डी.) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) के भू–स्थानिक कार्य के लिए जी.आई.एस. लैब की स्थापना।

xiii) हरियाणा की वेटलैंड एटलस तैयार करना।

xiv) व्यापार सुविधा (ई.ओ.डी.बी) के लिए वेब आधारित डिजिटल कैडेस्ट्रल डेटाबेस तैयार करना।

xv) प्रशासनिक सीमाओं का चित्रण और अनुरूपीकरण।

xvi) पुरातात्विक स्थलों का जी.आई.एस. मानचित्रण।

xvii) करनाल, गुरूग्राम और पंचकुला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक वर्षीय भौगोलिक सहायक कोर्स।

xviii) भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम।

xix) गुरू जंभ्भेश्वर विज्ञान एंव तकनीकी विश्वविद्यालय, हिसार के सहयोग से भौगोलिक सूचना प्रणाली में एम.टेक. कोर्स।

हिपा

5.108 हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को शीध्र सेवा प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय सेवा, हरियाणा लोक सेवा, वर्ग क व ख अधिकारी तथा राज्य सरकार के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और विभिन्न बोर्डो/निगमों में आए नवागुंतक के लिए उनकी योजना बनाने में कार्यक्षमता बढ़ाने व विभिन्न विकासात्मक

कार्यक्रमों व स्कीमों के प्रभावी रूप से लागू करने हेतू उनको प्रशिक्षण प्रदान हेतु बहु अनुशासनिक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में की गई है। राज्य के साथ–2 केन्द्र सरकार के श्रेणी–1 व श्रेणी–2 के अधिकारियों के लिये विशेष व सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस प्रशिक्षण में सेवा में आने के समय बुनियादी पाठयक्रम तथा सेवा के दौरान कम व दीर्घ अवधि के कार्यक्रम शामिल है। संस्थान ने कई आयामों में प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए हैं जैसे लोक प्रशासन, व्यवहारिक विज्ञान, ग्रामीण विकास, अर्थशास्त्र और विकास योजनाएं, वित्तीय प्रबन्धन, नागरिक शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, कानून व राजस्व प्रशिक्षण आदि का विवरण **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8– हिपा द्वारा अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक आयोजित प्रशिक्षण कोर्सों का विवरण

प्रशिक्षण संस्थान	निर्धारित कोर्सो की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण के दिनों की संख्या
हिपा	149	4701	17228
आबकारी एवं कराधान विद्यालय	10	207	1078
डीटीसी,गुरूग्राम	6	148	664
डीटीसी,पंचकुला	35	1030	3336
डीटीसी,हिसार	27	634	2551
डीटीसी,रोहतक	18	566	2800
कुल	**245**	**7286**	**27657**

स्त्रोतः हिपा, हरियाणा ।

***

6

स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्व है। स्वास्थ्य विभाग भवनों, स्वास्थ्य अमला, उपकरणों, दवाओं को निरतंर तरीके से उपलब्ध कराने में अग्रसर है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों (शिशु, बच्चे, युवाओं, माताओं तथा आपातकालीन रोगियों) की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त संचारी व गैर–संचारी रोगों को भी सावधानीपूर्वक जांच के द्वारा इलाज दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य संरचना

6.2 स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के नागरिकों को 60 नागरिक हस्पतालों 124 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 2,630 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों, 8 ट्रोमा केन्द्रों, 3 बर्न युनिट तथा 64 पोली क्लीनिक/शहरी औषधालयों/शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान स्वास्थ्य विभाग का बजट अनुमान 2,007.52 करोड़ रूपये किया गया है।

6.3 विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए वर्ष 2017–18 में 150 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। सब–डिविजनल अस्पताल 3, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 12, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 29 और सब हैल्थ सैन्टर 12 के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई।

मुख्य मंत्री मुफ्त ईलाज योजना

6.4 एम.एम.एम.आई. योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 7 प्रकार की सेवाएं नामतः सर्जरी प्रयोग जांच, डाईगनोसिस्ट (एक्सरे, ई.सी.जी., अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओ.पी.डी. व आई.पी.डी, सेवाएं, दवाईयां, रेफरल परिवहन और डेन्टल उपचार की मुफ्त सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष में हिमोडाईलिसीस की सेवाएं भी 7 श्रेणी के मरीजों को मुफ्त प्रदान की जा रही है जैसें बीपीएल, अनुसूचित जाति (एससी), शहरी मलिन बस्ती के निवासी, विकलांग भत्ता प्राप्त करने वाले, हरियाणा सरकारी कर्मचारी एवं पैंशनर तथा उन पर आश्रित रोगी, पंहुच से बाहर सड़के के किनारे दुर्घटना के शिकार और गरीब रोगियों को, जो उक्त श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं हैं तथा बीपीएल, एससी तथा अरोग्य कोष रोगियों को कैथ लैब की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा पी.पी.पी. मोड के तहत प्रदान की गई सेवाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान 23.64 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्रवृत्तियों के अनुसार अनुमानित रूप से 32 करोड़ रूपये खर्च होंगें।

सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड

6.5 सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत सरकार लोगों को सीटी स्कैन, एमआरआई, हेमोडायलिसिस और कैथ लैब सेवाएं प्रदान कर रही है। सीटी स्कैन सेवाएं 11 जिला सिविल अस्पतालों (भिवानी, फरीदाबाद, पंचकुला, गुड़गांव, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत,

यमुनानगर, पलवल, जीन्द और सिरसा) में उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त 5 सिविल अस्पतालों (हिसार, पानीपत, रोहतक, अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट) तक बढ़ाया जा रहा है। एमआरआई सेवाएं 4 जिला सिविल अस्पतालों पंचकूला, फरीदाबाद, गुरूग्राम और भिवानी में उपलब्ध हैं और सिविल अस्पताल अंबाला कैंट प्रक्रिया के अधीन है। हेमोडायलिसिस की सेवाएं 7 सिविल अस्पतालों, पंचकुला, गुरूग्राम, जीन्द, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार और अम्बाला कैंट में संचालित होती हैं और जल्द ही अन्य शेष जिलों के सिविल अस्पतालों में परिचालित हो जाएंगी। कार्डियोलॉजी सर्विसेज अर्थात कैथ लैब और कार्डिएक केयर यूनिट और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी सेवाओं के लिए 20 बिस्तरों वाला कार्डियक केयर यूनिट अम्बाला कैंट, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सिविल अस्पतालों में स्थापित किये जाएंगे। ये सेवाएं पहले से ही जिला सिविल अस्पताल पंचकुला और सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में शुरू हो चुकी हैं।

सीमित नकद रहित चिकित्सा सेवा योजना

6.6 30 नवम्बर, 2017 को सरकारी कर्मचारियों और पैंशनधारियों के लिए एक सीमित नकद रहित चिकित्सा सेवा योजना शुरू हुई थी। वर्तमान में सीमित कैशलेस मैडिकल सुविधाएं जीवन की केवल 6 भयंकर स्थितियां, नामतः कार्डियक आपात स्थिति, दुर्घटना, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर, कोमा, मस्तिष्क रक्तस्राव और इलैक्ट्रोक्यूशन के लिए लागू होती है। सरकार का कोई भी कर्मचारी/पैंशनभोगी नकद रहित चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेगा। इसके लिए 5 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित की गई है।

6.7 वित्त वर्ष 2017–18 में, दवाइयों की खरीद के लिए आवंटित कुल बजट 80 करोड़ रूपये में से 45 करोड़ रूपये मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए आवंटित किए गए थे।

6.8 राज्य ने 90.4 प्रतिशत संस्थागत प्रसव और 9.6 प्रतिशत गैर–संस्थागत प्रसव दिसम्बर, 2017 तक दर्ज किए गये हैं। जन्म पंजीकरण के आधार पर जनवरी से दिसम्बर, 2017 तक जन्म के समय लिंग अनुपात 914 के रूप में गणना की गई थी। दिसम्बर के महीने में जन्म के समय लिंग अनुपात 930 था, जो कि उर्ध्वगामी प्रवृत्ति को दर्शाता है।

6.9 गैरकानूनी लिंग निर्धारण को रोकने के लिए दोहराए गए प्रयासों में, गैरकानूनी लिंग निर्धारण को चलाने वाले 35 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को अप्रैल से दिसम्बर, 2017 तक पीएनडीटी अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया। 40 दोषी चिकित्सों के खिलाफ 40 कोर्ट केस दर्ज किए गए थे। 50 एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। निःसन्देह इन प्रयासों ने हरियाणा में लिंग अनुपात को बढ़ाने में योगदान दिया है।

जिला नागरिक अस्पतालों में "ई–उपचार" के माध्यम से रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

6.10 सभी जिला नागरिक अस्पतालों में ई–उपचार के माध्यम से रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यह प्रणाली पूरी तरह से 17 सिविल अस्पतालों के साथ–साथ 2 मैडिकल कॉलेजों (शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मैडिकल कॉलेज, नालाहर और बीपीएस मैडिकल कॉलेज फॉर महिला, खानपुर कलां, सोनीपत), 1 आयुष अस्पताल (श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरुक्षेत्र) के साथ–साथ सीएचसी रायपुर रानी और पीएचसी बरवाला भी शामिल हैं। यह अतिरिक्त पीजीआईएमएस, रोहतक और नागरिक अस्पताल अम्बाला कैंट में कार्यान्वित किया गया है। 26 अन्य सुविधाएं भी कार्यान्वयन प्रक्रिया में हैं।

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली

6.11 अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के तहत हरियाणा में सुविधा आधारित रिपोर्टिंग (सब–सेंटर सहित सभी में स्वास्थ्य सुविधाएं) लागू की गई है। 100 प्रतिशत सुविधाएं मासिक आधार पर एचएमआईएस में रिपोर्ट कर रही हैं और

जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) को एचएमआईएस पोर्टल के साथ एकीकृत और कार्यान्वित किया गया है।

गैर–संचारी रोग

6.12 स्वास्थ्य विभाग भी गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) पर भी पूर्ण ध्यान दे रहा है। डीजीएचएस हरियाणा के कार्यालय में एक राज्य एनसीडी सेल की स्थापना की गई है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 5 लाख से अधिक रोगियों ने अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जीन्द, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, नारनौल, पंचकुला, सिरसा, सोनीपत और यमुना नगर के जिला सिविल अस्पतालों में एनसीडी क्लीनिकों से सेवाएं ली है। मधुमेह के 33,000 से अधिक रोगियों को उपचार दिया गया था और इन जिलों में अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक उच्च रक्तचाप के लिए 51,000 से अधिक रोगियों को उपचार दिया गया था। जनसंख्या पर आधारित स्क्रीनिंग (पी.बी.एस.) 5 एनसीडी क्लीनिकों (सामान्य मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्तन, सरवाइकल और ओरल कैंसर) जिसमें अम्बाला, गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा और यमुनानगर शामिल हैं को जनसंख्या पर आधारित स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत 30 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या की सामान्य एनसीडी (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर स्तन, गर्दन, ओरल कैविटी) के लिए जांच की जाएगी।

गुणवत्ता आश्वासन

6.13 गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा राज्य गुणवत्ता आश्वासन ईकाई के तहत मुख्यालय तथा जिला गुणवत्ता आश्वासन ईकाईयों के माध्यम से जिलों में संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय गुण्वत्ता आश्वासन मानकों (एन.क्यू.ए.एस.) के अनुसार 11 सुविधाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया। ये सुविधाएं नागरिक अस्पताल (पंचकुला, गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा रोहतक), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंजौखरा (अम्बाला), बोह–(अम्बाला), साहा (अम्बाला), पिजौंर (पंचकुला), कोट–(पंचकुला), मुरथल–(सोनीपत), 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिजौंर (पंचकुला), भड़सन (करनाल), भागल (कैथल) व मोहना (फरीदाबाद) में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और हेल्थकेयर प्रदाता द्वारा मान्यता प्राप्त है।

कायाकल्प कार्यक्रम

6.14 स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय पहल कायाकल्प कार्यक्रम भी एचएसएचआरसी द्वारा भी कार्यान्वित किया जा रहा है। बाह्य मूल्यांकन के आधार पर, सर्वोच्च स्कोरिंग सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और नकद पुरस्कार दिया जाता है। वित्त वर्ष 2017–18 में कुल 323 सुविधाएं कायाकल्प पहल (जिला अस्पताल 20, एसडीएच–21, सीएचसी–77 और पीएचसी–205) के तहत चुनी गईं। मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सुविधाएं दी गईं:–

- पीएचसी–13 पीएचसी ने प्रथम रैंक प्राप्त किया और 25 पीएचसी को प्रशस्ति पुरस्कार दिया।
- सीएचसी–सीएचसी रायपुरराणी ने प्रथम रैंक प्राप्त किया और 3 सीएचसी को प्रशसित पुरस्कार दिया गया।
- एसडीएच–बल्लभगढ को प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया।
- डीएच–5 डीएच ने प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रशिक्षण

6.15 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य संस्थान, पंचकुला में चिकित्सा और पैरा–मैडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में की गई नई पहल में साक्ष्य पाठ्यक्रम में साक्ष्य आधारित मधुमेह प्रबंधन, दुर्घटना और आपातकालीन देखभाल सेवाएं प्रशिक्षण, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ स्टाफ नर्सों के मध्य कैरियर प्रशिक्षण और बुनियादी जीवन सबल में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन प्रमाणित पाठ्यक्रम शामिल हैं। उन्नत कार्डिएक लाइफ सपोर्ट प्रदाता पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र कोर्स शामिल है।

नये डॉक्टरों की नियुक्ति

6.16 वर्ष 2017 में 555 योग्य डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

6.17 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट 498.27 करोड़ था और 2017–18 में इसे बढ़ाकर 593.80 (दिसम्बर, 2017 तक अस्थायी) कर दिया गया था। निम्नलिखित उपक्रम चलाए गए हैः–

- **मातृ स्वास्थ्य**
  उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबन्धन नीति तैयार की गई जो कि एन.एच.एम. द्वारा प्रतिपादित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा हरियाण सरकार की सराहना की गई तथा दिनांक 4–5 जनवरी, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 115 पिछड़े जिलों के सम्मेलन में प्रस्तुति के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के रूप में चुना गया है। इसके अलावा हरियाणा देश में पहला राज्य है जिसे 100 प्रतिशत नाम आधारित उच्च जोखिम वाली गर्भवती मामलों की पहचान करने के लिए "उच्च जोखिम गर्भावस्था पोर्टल" नामक एक अभिनव वेब एप्लिकेशन को विकसित कर लागू किया गया।
- **बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण नमूना पंजीकरण प्रणाली**
  बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस–2017) के अनुसार हरियाणा ने 5 से कम मृत्यु दर घटकर 43 से 37 प्रति हजार जीवित जन्मों को लाया है जो कि 6 अंकों की गिरावट है। हरियाणा ने अपनी मृत्यु दर 3 अंकों की दर से 36 से 33 प्रति हजार जीवित जन्म दर के साथ.साथ नवजात मृत्यु दर 24 से 22 प्रति हजार जीवित जन्म दर लाने का लक्ष्य रखा है।
- **दीन दयाल नवजात शिशु सुरक्षा योजना**
  राज्य ने दीन दयाल नवजात शिशु सुरक्षा योजना के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में सभी माताओं और नवजात शिशु देखभाल किट प्रदान करने की योजना भी बनाई है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम**
  राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवा कार्यक्रम है जो बच्चों के जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए 4 डी नामतः जन्म पर दोष, रोग, कमियों, विकलांगता सहित विकास सम्बन्धी विलम्ब के शुरुआती पता लगाने और प्रबंधन के माध्यम से बच्चों की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए है। कार्यक्रम में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं स्क्रीनिंग व रेफरल और प्रबंधन अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2017 तक लगभग 21 लाख बच्चों की जांच की गई है। 2.5 लाख बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की पुष्टि हुई है जिनमें से 2.1 लाख बच्चों ने इलाज का लाभ उठाया है। वित्तीय सहायता तृतीयक स्तर के उपचार के लिए अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 तक वित्त वर्ष 2017–18 में 260 बच्चों को 278.9 लाख रुपये मंजूर किए गए थे।

आयुष

6.18 आयुर्वेद, योगा तथा नेचरोपैथी, यूनानी, सिद्वा एंव होम्योपैथी (आयुष) इन सभी पैथियों की भारत वर्ष के सभी वर्गो में प्राचीन समय से मान्यता है। यह हजारों वर्षों तक उपयोग करके जॉची और परखी हुई पैथियॉ है जिसमें ये रोगों की रोकथाम करने तथा रोगों को फैलने से बचाती है। आयुष औषध प्रणाली आजकल रहने के तौर–तरीकों से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे क्रोंनिक रोगों के उपचार एंव रोकथाम में, जिनका ईलाज आधुनिक चिकित्सा में सम्भव नही है, महत्वपुर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के रहने के तौर तरीकों से उत्पन्न बहुत सी बिमारियों के बढने के कारणों के हालातों

को देखते हुए लोगों का रूझान आयुष पैथियों की तरफ, देश में तथा दूसरे देशों में भी होने लगा है।

6.19 आयुष विभाग हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए 4 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 यूनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 459 आयुर्वेदिक, 18 यूनानी एंव 20 होम्यो0 औषधालय तथा 1 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर–3, पंचकूला में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 33 आयुष औषधालय (29 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी एवं 2 होम्योपैथिक) 3 स्पैशल आयुष क्लीनिक (गुरूग्राम, हिसार, अम्बाला) तथा 1 स्पैशलाईजड थैरेपी सैन्टर जीन्द में स्थानांतरित किये गये हैं तथा वर्ष 2009–10 में 21 आयुष विंग जिला हस्पतालों पर, 96 आयुष आई.पी.डी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा 109 आयुष ओ.पी.डी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

6.20 विभाग श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरूक्षेत्र के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहा है। 10 आयुर्वेदिक तथा 1 होम्योपैथिक कालेज निजी क्षेत्रों में प्राइवेट मैनेजमैन्ट के द्वारा चलाये जा रहे हैं।

6.21 वित्त वर्ष 2016–17 में आयुष विभाग के लिए 35.33 करोड़ रूपये प्लान स्कीम के अन्तर्गत तथा नॉन–प्लान स्कीम के लिए 101.22 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई थी। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान प्लान (नोन रेकरिंग/प्लान) स्कीम के लिए 96.40 करोड़ रूपये तथा प्लान (रेकरिंग/नॉन–प्लान) स्कीम के अन्तर्गत 117.30 करोड़ रूपये की राशि आयुष विभाग के लिए स्वीकृत की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण

6.22 कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण के अर्न्तगत ई.एस.आई. एक्ट, 1948 के अधीन राज्य भर में 24.77 लाख बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को 7 हस्पताल (4 ई.एस.आई. राज्य हस्पताल़ 3 ई.एस.आई. कारपोरेशन हस्पताल) तथा 3 आयुर्वेदिक इकाईयों व 1 चल डिस्पैंसरी सहित 79 ई.एस. आई. डिस्पैंसरियों द्वारा विस्तृत चिकित्सा सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को प्राथमिक व द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। ई.एस.आई. हैल्थ केयर के अर्न्तगत अति विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं भी गैर सरकारी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इम्पैनल्ड) हस्पतालों के माध्यम से दी जा रही है।

6.23 वर्ष 2017–18 की मुख्य उपलब्धियां

1. ई.एस.आई. योजना को दिनांक 1–7–2017 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है।
2. अम्बाला क्षेत्र के बीमाकृतों व उनके आश्रितों को द्वितीय स्तर की हैल्थ केयर/चिकित्सा सुविधाऐं सी.जी.एच.एस. दर पर नकदी रहित प्रदान करने के लिये दो निजी/चैरिटेबल हस्पताल दिनांक 8–9–2015 से दिनांक 7–9–2017 तक एम्पैनल किये गये थे जिसके उपरान्त रोटरी अम्बाला कैन्सर एण्ड जनरल हस्पताल, अम्बाला कैन्ट को दिनांक 7–9–2018 तक एक्सटैन्शन दी गई है।
3. सरकार द्वारा 1 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी, बावल (रेवाड़ी) को 5 डाक्टर डिस्पैंसरी में अपग्रेड करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
4. सरकार द्वारा महेन्द्रगढ़ में नई 2 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
5. सरकार द्वारा बीमाकृतों व उनके आश्रितों को आई.एम.पी. स्कीम के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा इसे जल्द ही

राज्य के नये कार्यान्वित क्षेत्रों में शुरू किया जाना है।

6. सरकार द्वारा ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों में 14 लैब तकनिशियनों के पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
7. सरकार द्वारा बहादुरगढ़ (झज्जर) में 100 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
8. सरकार द्वारा ई.एस.आई. हस्पताल सैक्टर–8, फरीदाबाद, जगाधरी व पानीपत प्रत्येक में एक–2 फिजियोथैरापिस्ट के कुल 3 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

6.24 वर्ष 2017–18 के लिए परियोजना/कार्यक्रमः

1. बावल में 150 बिस्तर का हस्पताल खोलना।
2. नये कार्यान्वित क्षेत्रों में 12 नई ई.एस.आई. डिस्पैसरी खोलना।
3. 50 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल सैक्टर–8, फरीदाबाद, 75 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल पानीपत व 80 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल, जगाधरी को 100 बिस्तरीय ई.एस.आई. हस्पताल में अपग्रेड करवाना।
4. ई.एस.आई.सी., नई दिल्ली द्वारा पूरे राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को शीघ्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये आई.एम.पी. सिस्टम इत्यादि लागू करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5. 10 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियां जो कि ई.एस.आई.सी. के भवनों में स्थित है, उनको 6 बिस्तरीय हस्पताल में अपग्रेड किया जाना है।
6. 3 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियां जो कि ई.एस.आई.सी. के भवनों में स्थित है, उनको 30 बिस्तरीय हस्पताल में अपग्रेड किया जाना है।
7. 1 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी सांपला (रोहतक) को 5 डाक्टर ई.एस.आई. डिस्पैंसरी में अपग्रेड करवाना है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

6.25 प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान पर ज्यादा जोर देने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से अलग एक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय 8 जनवरी, 2009 को बनाया गया था। उसके बाद, दिनांक 4 सितंबर, 2014 को राजकीय अधिसूचना द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान का एक अलग विभाग संस्थापित किया गया। विभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैंः–

1. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित सरकारी, अर्ध–सरकारी, स्वतंत्र व निजी क्षेत्रों के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नियमित करना।
2. चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नीतियां बनाई गई। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा डैन्टल एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल, फिजीयोथेरापी, पैरामैडिकल, पैराडेन्टल, पैराक्लीनिक और अस्पताल प्रशासन आदि शामिल हैं।
3. स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित और नियंत्रित करना।
4. हरियाणा में कार्यरत सभी निजी, सरकारी, अर्धसरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त और स्वतंत्र सस्थानों के प्रवेश, फीस संबंधी मुद्दों और परीक्षाओं को नियमित करना।
5. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की प्रगति के लिए निधि का प्रबंध करना और सार्वजनिक–निजी सांझेदारी द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना।

6. भारत सरकार/दाता संस्थाओं से रुपये–पैसों को इक्टठा करना।
7. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में मानव अनुसंधान की जरूरतों का प्रतिचित्रण करना और राज्य की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधन विकास की योजना बनाना।
8. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में विद्यार्थियों और संकाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू करना।
9. चिकित्सा शिक्षा के नियमन अनुसार पाठयस्तर को बढ़ाने हेतू पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना, विभिन्न पाठयक्रम/अध्ययन की समयावधि एवं नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा का परिचय देना, अलग–2 संस्थानों में विभिन्न कोर्स के लिए सीट का आवंटन करना।
10. चिकित्सा कॉलेज खोलने, संचालित करने और उन्हें बंद करने हेतू नीति प्रतिपादित व मान्यता प्रदान करना।
11. एलओआई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना/रद्द करना अथवा जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संगठनों तथा निजी क्षेत्र के अधीन आते हैं को चिकित्सा संस्थानों के संस्थापन हेतू अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करना।
12. राज्य में सभी चिकित्सा पैरा मैडिकल, डेंटल, पैरा डेंटल, नर्सिंग संस्थान/विश्वविद्यालय की मान्यता किसी अधिकृत मान्यता अधिकरण जो कि राज्य या राज्य से बाहर की मान्यता सुनिश्चित करवाना और राज्य सरकार से संस्थान की संस्थापना हेतू अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।
13. सरकारी/निजी/स्वतंत्र विश्वविद्यालयों सहित सभी संस्थानों से छात्रों के हित में अच्छी गुणवत्ता शिक्षा समयबद्व उपलब्धि प्राप्त करने हेतू आश्वस्त करना।
14. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तत्वाधान में एजैंसी, अधिकरण, बोर्डों, निगम परिषद, निदेशालय आदि का संस्थापन एवं उन्हें प्रशासित करना।
15. चिकित्सकीय शिक्षा क्षेत्र में राज्य के अंदर और राज्य के बाहर समन्वय करना।
16. हरियाणा में मौजूदा एवं भावी संस्थानों का पंजीकरण और प्रतिचित्रण करना।
17. परीक्षायें आयोजित कराना, नीति निर्धारित करना, प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा प्रदान करना।
18. हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए निजी, स्वायत्त और सरकारी संस्थानो में शैक्षणिक लेखा परीक्षा कराना।
19. प्रैक्टिस/सरकारी/निजी सेवा हेतू मैडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपेथी एवं नर्सिंग, पैरा–मैडिकल आदि में उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण करना और इनसे सम्बन्धित नीति व तकनीकता का निर्माण करना।

6.26 अनिवार्यता प्रमाण–पत्र निम्न चिकित्सा कॉलेजों को जारी किये गये है:–

1. गंगापुत्र चिकित्सा कालेज, कन्डेला, जीन्द (2/5–8–2013)
2. एच.आई.एम.एस., कैथल
3. एस.आर.एम. चिकित्सा कालेज, सोनीपत (4–8–2014)
4. अल फलाह चिकित्सा कालेज, नूंह, मेवात (29–10–2015 व 29–9–2017 को प्रतिस्थापित)

निम्न कालेजों को मांगपत्र जारी कर दिया गया है:–

1. महाराजा अग्रसेन चिकित्सा कालेज, बहादुरगढ, झज्जर (8–9–2014)
2. मीरी पीरी चिकित्सा विज्ञान व अनुसंधान संस्थान, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र (11–3–2016)
3. शाह सतनाम जी अनुसंधान व फॉऊडेंसन व चिकित्सा कालेज, सिरसा (4–5–2016)

राज्य में मौजूदा चिकित्सा संस्थानों का विवरण तालिका 6.1 में दर्शाया गया है:–

संस्थान	सरकारी	गैर सरकारी	कुल	कुल सीटें
चिकित्सा कॉलेज	5 1. पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक 2. बी.पी.एस.जी.एम.सी. (महिला) खानपुर कलां, सोनीपत 3. एस.एच.के.एम. जी.एम.सी. नल्हार, नूंह 4. के.सी.जी.एम.सी., करनाल 5. 1 ई.एस.आई.सी. चिकित्सा कॉलेज सहायता भारत सरकार	6 1. सरकारी सहायता प्राप्त महाराजा अग्रसेन चिकित्सा कॉलेज, अग्रोहा 2. एम.एम. चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एम.एम.आई.एम.एस.आर.) मुलाना, अम्बाला 3. एस.जी.टी. चिकित्सा कॉलेज, हस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, भूडेरा, जिला गुरूग्राम 4. एन.सी. चिकित्सा कॉलेज एवं हस्पताल, इसराना, पानीपत 5. विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान, गांव, गुरूवार, तहसील एवं जिला झज्जर 6. आदेश चिकित्सा कॉलेज एवं हस्पताल गांव मोहरी, शाहाबाद, जिला कुरूक्षेत्र	11	एम.सी.एच./ डी.एम. 7 एम.डी/ एम.एस. 393 पी.जी. डिप्लोमा 27 एम.बी. बी.एस. 1,450
डेंटल कॉलेज	1	10	11	बी.डी.एस. 960 एम.डी.एस. 258
आयुर्वेद कॉलेज	2	9	11	बी.ए.एम.एस. 720
होम्योपैथी कॉलेज	–	1	1	बी.एच.एम.एस. 50
फिजियोथेरेपी कॉलेज	2	9	11	बी.पी.टी. 400 एम.पी.टी. 149
नर्सिग कॉलेज				
ए.एन.एम.	8	76	84	2,370
जी.एन.एम.	3	73	76	3,260
बी.एस.सी.	1	29	30	1,295
एम.एस.सी.	1	5	6	127
पी.बी.बी. एससी.	1	22	23	640
एम.पी.एच. डब्ल्यू. (एम)	2	25	27	1,620

स्त्रोतः निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, हरियाणा।

बी.पी.एस. सरकारी चिकित्सा महिला कॉलेज खानपुर कला, सोनीपतः

6.27 बीपीएस सरकारी चिकित्सा महिला कॉलेज दरअसल, राज्य में लगभग 100 साल के अंतराल के बाद स्थापित होने वाला केवल दूसरा गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज है। अगस्त, 2012 में यहां एमबीबीएस की 100 सीटों पर पहले बैच को दाखिला दिया गया। मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया–एमसीआई ने प्री–क्लीनिकल और पैरा–क्लीनिकल स्ट्रीमों में 21 सीटों के साथ पोस्ट–ग्रेजुएट कोर्सेस की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, डीएनबी कोर्सेस भी वर्ष 2014 से चल रहे हैं। वर्तमान में वहां एनिस्थीसिया में 6 सीटें,

ऑर्थोपेडिक्स में 2 सीटें और ऑब्स एवं गाइनाकॉलोजी विभाग में 4 सीटें हैं। प्रदेश सरकार ने बीपीएस जीएमसी–डब्ल्यू को 100 से 150 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने हेतू अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी कर दिया है। वहां 150 एमबीबीएस सीटों के लिए एमसीआई नियमों के तहत होस्टल, लेक्चर थियेटर आदि अतिरिक्त भवन निर्माण की आवश्यकता है। लगभग 130 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट–डीपीआर मंजूरी हेतू जमा करा दी गई है।

कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज, करनाल

6.28 राज्य सरकार ने चर्चित अंतरिक्ष यात्री दिवंगत डा. श्रीमती कल्पना चावला की याद में करनाल में मैडिकल कॉलेज स्थापित किया है। इस मैडिकल कॉलेज ने एमसीआई की अनुमति से सत्र 2017–18 से 100 एम.बी. बी.एस. छात्रों को दाखिला दिया है। मैडिकल कॉलेज के साथ 350 बिस्तरों वाला अस्पताल जोड़ा गया है। मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक एजैंसी हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कॉर्पोरशन (एच.एस.एस.सी.) इंडिया लिमिटेड, नोएडा द्वारा निर्मित किया गया है। परियोजना संस्थापन की लागत 645.77 करोड़ रुपए है और अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि इस दिशा में खर्च हो चुकी है।

दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान, करनाल

6.29 पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस, रोहतक के अलावा, राज्य सरकार ने करनाल में एक अन्य यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस यूनिवर्सिटी में मल्टी स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज, ट्रामा सेंटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी, अन्य पैरा– मैडिकल कोर्सेस के लिए दक्षता विकास केंद्र होंगे। ग्राम पंचायत, कुटेल ने 144 एकड़, 2 मरला भूमि इस कार्य हेतू लंबी अवधि के लिए पट्टे पर दी है। परियोजना की लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये है और यह 5–7 वर्ष में पूरी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस, करनाल स्थापित करने सम्बन्धी विधेयक हरियाणा प्रदेश विधानसभा में पारित हो चुका है। इसे 15–9–2016 को माननीय राज्यपाल महोदय की भी अनुमति प्राप्त हो गई है और 21–9–2016 से एक्ट अस्तित्व में आ चुका है। सरकार द्वारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए 48 और कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी के लिए 17 पद मंजूर किए गए हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस, करनाल कर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र–सीपीएसयू से सीमित अभिरुचि की अभिव्यक्ति/बोलियां जारी करके बोलियां आमंत्रित करने हेतू परियोजना क्रियान्वयन एजैंसी का चयन करने के लिए हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग व वाइस चांसलर पं. बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस, रोहतक समेत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। पात्र एवं इच्छुक सीपीएसयूज की ओर से बोलियां आमंत्रित करने के लिए निवेदन प्रस्ताव को जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण एजैंसी के चयन के लिए आरएफपी दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं।

भिवानी में न्यू गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज का संस्थापनः

6.30 सामान्य अस्पतालों को मैडिकल कॉलेज के तौर पर स्तरोन्नयित करने सम्बन्धी केंद्रीय योजना के तहत जिला भिवानी में मौजूदा 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को मैडिकल कॉलेज के रूप में स्तरोन्नयित किया जाएगा। गांव प्रेम नगर की ग्राम पंचायत ने इस उद्देश्य के लिए 179 बीघा, 12 बिसवा जमीन लंबे समय के लिए बेहद मामूली पट्टा दर पर दी है। मैडिकल कॉलेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है और दिनांक 29–7–2017 को इसका

शिलान्यास हो चुका है। राज्य ने इस परियोजना समेत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की सभी भावी परियोजनाओं हेतू परियोजना कियान्वयन एजैंसी/सलाहकार के चयन हेतू उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अधिसूचित किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को 68.05 करोड़ रुपये की राशि को हस्तांतरित कर दिया है। भिवानी में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के निर्माण कार्य हेतू बतौर प्रदेश के हिस्से के रूप में चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय शीर्ष मद 4210 के तहत वित्त वर्ष 2017–18 में 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

जींद में न्यू गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज का संस्थापनः

6.31 राज्य सरकार ने जींद में गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज के संस्थापन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए ग्राम पंचायत हैबटपुर ने 24 एकड़ भूमि को लंबे समय के लिए बेहद मामूली पट्टा दर पर दिया है। इस परियोजना की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट–डीपीआर के अनुमोदन की प्रकिया एवं निर्माण कार्य की निगरानी हेतू सलाहकार की नियुक्ति की प्रकिया चल रही है। जींद में मैडिकल कॉलेज के संस्थापन हेतू परियोजना के लिए मैडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण में कुशल विभिन्न सीपीएसयूज से बोलियां आमंत्रित करने के लिए आर.एफ.पी. दस्तावेज तैयार करने/अंतिम रूप देने का आग्रह ई–आई–सी लोनिवि– (बी.एण्ड आर.) को किया गया है। वित्त वर्ष 2017–18 में जींद में मैडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए प्रदेश बजट के तहत 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

शीतला माता ट्रस्ट, गुरूग्राम, गुरूग्राम मैट्रोपॉलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी, गुरूग्राम और नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा गुरूग्राम में गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का संस्थापनः

6.32 आयुक्त, नगर निगम, गुरूग्राम ने गुरूग्राम में एक नये मैडिकल कॉलेज के संस्थापन का प्रस्ताव भेजा है। गुरूग्राम मेट्रोपॉलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी–जी.एम.डीए. नगर निगम, गुरूग्राम–एम.सी.जी. और श्री शीतला माता देवी श्राइन बोर्ड– एस.एस.एम. डी.एस.बी. ने मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुरूप एक नये मैडिकल कॉलेज व अस्पताल स्थापित करने का संयुक्त प्रस्ताव रखा है। नगर सीमा से बाहर गांव खेरकी माजरा में नगर निगम से सम्बंधित 29 एकड़, 2 कनाल और 4 मरला जमीन पहले ही इस परियोजना के लिए चिन्हित कर ली गई है। परियोजना लागत को जीएमडीए और एमसीजी इसकी 40–40 फीसदी लागत में हिस्सेदारी करेंगे और परियोजना की शेष लागत यानी 20 फीसदी हिस्सा एस.एस.एम.डी.एस.बी. द्वारा वहन किया जाएगा। इस मैडिकल कॉलेज के संस्थापन हेतू इंडियन ट्रस्ट एक्ट–1982 के प्रावधानों के तहत श्री शीतला माता देवी मैडिकल कॉलेज ट्रस्ट नामक पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। गत दिनांक 27–2–2017 को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद एक और बैठक दिनांक 1–5–2017 को बुलाई गई, जिसमें उपायुक्त गुरूग्राम और सीईओ–एस.एस.एम.डी.एस.बी.ने सिटी मेजिस्ट्रेट, गुरूग्राम और सीनियर टाउन प्लानर–एम.सी.जी. ने हिस्सा लिया था। एम.सी.जी. और एस.एस. एम.डी.एस.बी. ने परियोजना लागत में अपनी हिस्सेदारी अदा कर देने की क्षमता के संकेत दे दिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट–डी.पी.आर. की सैद्वधांतिक मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के पास प्रेषित किया गया है और एक बार यह मंजूरी मिल जाने के उपरांत मैडिकल कॉलेज स्थापित करने सम्बन्धी मकसद के साथ लेनदेन सलाहकार की सेवाएं लेने की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा ट्रस्ट मसौदा डीड को भी मंजूरी के लिए आगे भेज दिया जाएगा। सरकार द्वारा घोषणा की गई कि गुरूग्राम (एमसीजी) के सहयोग से गुरूग्राम मैट्रोपॉलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) द्वारा गुरूग्राम में चिकित्सा कालेज स्थापित किया जायेगा और श्री शीतला माता देवी श्राइन बोर्ड (एसएसएमडीएसबी) के

सहयोग से नगर निगम, गुरूग्राम से सम्बन्धित गांव खेरकी माजरा में जमीन चिन्हित की गई। सरकार के अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव मूल रूप में प्राप्त हुआ है।

6.33 इस भूखंड की पड़ताल मैडिकल कॉलेज की उपयुक्तता के आंकलन हेतू एसीएस एमईआर की अगुवाई वाले दल ने कर ली है। इस मैडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के संस्थापन के लिए भूखंड आवंटन की पुष्टि करती एक चिट्ठी प्रधान सचिव, स्थानीय शहरी निकाय विभाग को भेज दी गई है। डीपीआर तैयार करने उपरान्त यह भी बताया गया है कि लेनदेन परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सलाहकार हेतू आरएफपी को सलाहकार सेवा एजैन्सी की पहचान के लिए सूचित कर दिया गया है।

नारनौल में गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का संस्थापनः

6.34 राज्य सरकार द्वारा जिला महेंद्रगढ़ के गांव कोड़ियावास में गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि ग्राम पंचायत ने भी इसके लिए 79 एकड़ जमीन लंबे समय के लिए मामूली पट्टे दर पर देने का प्रस्ताव दिया है। यह भूखंड प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के दायरे में आता है, जिसे केंद्र और प्रदेश सरकार के सुंयुक्त उपक्रम के तौर पर गांव बशीरपुर में स्थापित किया जाना है। नारनौल में इस गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज के संस्थापन हेतू जमीन को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के नाम हस्तांतरित करने की गुहार उपायुक्त को लगाई है। विभाग ने इस प्रस्तावित मैडिकल कॉलेज के स्थल का दौरा करने और परिसंकल्पना योजना तैयार करने हेतू उपायुक्त, नारनौल के साथ तालमेल करने को भी निदेशक, पीजीआईएमएस, रोहतक, निदेशक, एसएचकेएम नलहड़, नूंह, प्रो. एवं हैड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, बीपीएस जीएमसी फॉर वूमन, खानपुर कलां, सोनीपत वाली एक समिति का गठन कर दिया है।

एस.एच.के.एम., जी.एम.सी., नलहड़ नूंह के परिसर में डेंटल कॉलेज का निर्माणः

6.35 राज्य सरकार द्वारा एसएचकेएम जीएमसी नलहड़, नूंह के परिसर में एक डेंटल कॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार ने इसके संकल्पना पत्र को मंजूरी पहले ही दे दी है। लोनिवि–भवम को आरएफपी तैयार करने का आग्रह किया गया है ताकि परियोजना क्रियान्वयन एजैन्सी पर अंतिम फैसला लिया जा सके।

नैशनल कैंसर इंस्टीच्यूट, बाढ़सा, जिला झज्जरः

6.36 नैशनल कैंसर इंस्टीच्यूट 710 बिस्तरों के साथ वहां 2,000 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ स्थापित किया जा रहा है। इस नैशनल कैंसर इंस्टीच्यूट की आधारशिला 3 जनवरी, 2014 को रखी जा चुकी है और वहां निर्माण कार्य पूरी गति से जारी है। यह परियोजना जुलाई, 2018 में चालू हो जाने की उम्मीद है। एनसीआई कैंपस में 3 अन्य विशेष स्वास्थ्य देखभाल केंद्र–नामतः कार्डियोवास्कुलर इंस्टीच्यूट, नैशनल इंस्टीच्यूट फॉर इंफेक्शियस डिसीजेस और पैडिएट्रिरक हॉस्पिटल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी में 10 प्रतिशत नौकरियां वहां गांव बाढ़सा, झज्जर के पात्र वासियों को ही दी गई है। यह मामला एम्स, नई दिल्ली के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और पात्र वासियों को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराने को कहा गया है। एक वैकल्पिक स्थल पर एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा क्योंकि पुराना स्टेडियम एनसीआई परिसर में था, जिस कारण ग्रामीण उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। इसके लिए नया भूखंड चिन्हित कर लिया गया है और 2.90 करोड़ रुपये इस पर आने वाली अनुमानित लागत के बारे में एम्स, नई दिल्ली को सूचित कर दिया गया है। एनसीआई परिसर में एक बस अड्डे की भी जरूरत महसूस की जा रही है और प्रदेश समन्वयन समिति की बैठकों में यह मामला एम्स, नई दिल्ली के साथ पहले ही

उठाया जा चुका है। ओपीडी मार्च, 2018 से चालू हो जाएगी और संस्थान पूरी तरह से अक्तूबर, 2018 में काम करने लगेगा।

पंडित बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान, रोहतकः

6.37 राज्य सरकार ने 2 जून, 2008 में रोहतक जिले में पं. भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान, विश्वविद्यालय का निर्माण किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का नियमन संबद्ध कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस के परिसरों में मौजूद हैं, जो हर साल 200 एमबीबीएस, 223 (209 डिग्री + 14 डिप्लोमा) और 7 एमसीएचडीएम छात्रों को डिग्रियां प्रदान करती है। मैडिकल कॉलेज की स्थापना 1960 में पटियाला में बतौर गैस्ट इंस्टीच्यूट की गई थी। इसे 1963 में रोहतक स्थानांतरित कर दिया गया था।

6.38 भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय ने निरन्तरता में जीबी कनेक्टिविटी फॉर नैशनल इंट्रानेट के संस्थापन को मंजूरी दे दी है और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेस, रोहतक सहित पं. बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस, रोहतक में लैब–जहां ऑप्टिकल फाइबर का काम चालू है, की स्थापना के आदेश पहले ही पारित कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के साथ पहले ही एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वास्थ्य शोध विभाग, भारत सरकार ने पीजीआईएमए, रोहतक में मल्टीडिप्लिनरी रिसर्च लैबोरेट्रीज स्थापित कराने के लिए 5.25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारत सरकार ने पीजीआईएमएस, रोहतक में एक वायरल डायगनॉस्टिक लैबोरेट्री स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके पहले चरण के लिए 1.50 करोड़ रुपए का कोष जारी हो चुका है। इस परियोजना के तहत रेनोवेशन कामकाज, मानव शक्ति की भर्ती और उपकरणों की खरीद चल रही है। पीजीआईएमएस, रोहतक में एंडोस्कोपी हैल्पलाइन शुरू हो चुकी है।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड

6.39 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड (पीपीपी) में कैथ लैब एंड हीमोडायलिसेस सुविधाएं भी शुरू कराने का प्रस्ताव है। संस्थान में 106 बिस्तरों वाला ट्रामा केयर सेंटर पहले ही चालू हो गया है और 200 बिस्तरों वाला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल जल्द शुरू हो जाने वाला है। पीजीआईएमएस, रोहतक के ट्रामा सेंटर में 1 नई एमआरआई मशीन भी लगाई गई है। संस्थान के मैडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में फाइब्रो स्कैन मशीन चालू हो गई है ताकि लिवर सम्बन्धी शिकायत वाले मरीजों को डायगनॉस्टिक सर्विसेस उपलब्ध कराई जा सकें। संस्थान में 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटरों के साथ 1 नया ऑपरेशन थियेटर कांप्लेक्स और सीएसएसडी सुविधा के साथ 32 बिस्तरों वाला आईसीयू स्थापित किया जा रहा है। 1 नया मॉर्चरी कॉम्पलेक्स भी निर्मित किया जा रहा है ताकि वहां फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। राज्य के खिलाड़ियों के इलाज हेतू पीजीआईएमएस, रोहतक में एक स्पोर्ट्स इंज्यूरी सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

नर्सिंग कॉलेजों/स्कूलों का संस्थापन

6.40 राज्य के जिलों में नर्सिंग कॉलेज/स्कूल खोले जायेंगे

1 पनहेड़ा खुर्द, फरीदाबाद में नर्सिंग कॉलेज का संस्थापन–उपायुक्त, फरीदाबाद से संभावना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, कि गांव फफूंदा, दयालपुर, फरीदाबाद स्थित स्थल पनहेड़ा खुर्द, फरीदाबाद की बजाय महिला नर्सिंग ट्रैनिंग इंस्टीच्यूट के निर्माण के लिए उपयुक्त है।

2 शहादत नगर, रेवाड़ी में नर्सिंग कॉलेज का संस्थापन–उपायुक्त, रेवाड़ी द्वारा संभावना रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है कि नर्सिंग कॉलेज का संस्थापन संभव नहीं है, यह भी आग्रह किया गया था कि नर्सिंग कॉलेज के संस्थापन हेतू नियमों में छूट दी जाए, क्योंकि यह जनता की अरसे से उठती मांग है।

3 कुरुक्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज खोलना–ग्राम पंचायत, खेड़ी राम ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए भूमि प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

4 फरीदाबाद, औरा में नर्सिंग कॉलेज खोलना–उपायुक्त, फरीदाबाद ने सुझाव दिया है कि औरा, फरीदाबाद में नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्तावित स्थल उपयुक्त है।

5 धेरडू, कैथल में नर्सिंग कॉलेज खोलना–गांव धेरडू में भूमि चिन्हित कर ली गई है और संभावना रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। बजट प्रावधान और सम्बन्धित ग्राम पंचायत से भू–हस्तांतरण की प्रक्रिया निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, हरियाणा के साथ चल रही है।

6 सफीदों, जींद में नर्सिंग कॉलेज खोलना सफीदों, जींद में नर्सिंग कॉलेज खोलने की संभावना रिपोर्ट को उपायुक्त, जींद से प्राप्त कर लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग और निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, हरियाणा के बीच बजट प्रावधान, भू–हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है और नर्सिंग कॉलेज खोलने हेतू इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नियमों में छूट अपेक्षित है।

पैरा मैडिकल शिक्षा

6.41 प्रदेश सरकार की नजर प्रत्येक जिले में मैडिकल कॉलेज स्थापित करने पर है। विभाग की ओर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। इनसे बड़ी संख्या में कुशल डाक्टरों की उपलब्धता संभव होगी, जो प्रदेश में सेवा के लिए तैयार होंगे। आने वाले समय में प्रदेश में डाक्टर–मरीज के बीच उचित अनुपात की उम्मीद है। यह विभाग डाक्टरों को कुछ निश्चित समयावधि तक प्रदेश में आवश्यक रूप उम्मीद है। यह विभाग डाक्टरों को कुछ निश्चित समयावधि तक प्रदेश में आवश्यक रूप से सेवाएं देने की नीति पर विचार कर रहा है, जो प्रदेश के सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त मैडिकल कॉलेजों से पास–आउट होंगे। इससे प्रदेशवासियों को उनके घर के ही नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में यकीनन मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार को अच्छे से पता है कि स्वास्थ्य एवं पैरा–मैडिकल कोर्सेस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति समय की मांग है। डायगनॉस्टिक एवं थेराप्यूटिक उद्देश्य के लिए आधुनिक मशीनरी और उपकरण उपलब्ध हैं, जिनके लिए प्रशिक्षित मानव बल उपलब्ध नहीं है। पहले यह काम अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम्स में वहां के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा कर लिया जाता था पर अब आधुनिक तकनीक की मौजूदगी में इन बेहतर मशीनरियों और उपकरणों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की दरकार होती है। मरीजों की बेहतर देखभाल और स्वास्थ्य संस्थानों के अन्य कामकाज हेतू प्रशिक्षित कार्यबल जरूरी हो गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में सरकारी या निजी क्षेत्र में पेरा मैडिकल डिप्लोमा कोर्सेस कराने वाला कोई भी मान्यताप्राप्त पेरा मैडिकल संस्थान नहीं है। ऐसी कोई पैरा मैडिकल काउंसिल भी नहीं है, जो पैरा मैडिकल कार्सेस के पाठ्यक्रम, संरचना, स्टाफ या अन्य मानकों को नियमित करता हो। एक एक्ट बनाकर हरियाणा में पैरा मैडिकल एजूकेशन का नियमन उपलब्ध कराने और पैरा–मैडिकल एजूकेशन प्रैक्टिशनरों द्वारा प्रैक्टिस को नियमित करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। यह मामला प्रकिया के अधीन है।

विभाग का बजट

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बजट प्रावधान 1,29,679 लाख रूपये है जिसमें से प्लान स्कीम के लिए 78,019 लाख रूपये और कैपिटल हैड 4210 के लिए 51,660 रूपये हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

6.42 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा ने जन स्वास्थ्य के हित में आदेश क्रमांक 3/14–2खाद्य/ 2017/6847 दिनांक 7–9–2017 द्वारा हरियाणा राज्य में तम्बाकू के

विनिर्माण, भण्डारण वितरण या बिक्री जो उक्त व्यसन में किसी के साथ या तो सुगन्धित, सुवासित या मिश्रित की गई और चाहे गुटखा, पान मसाला, सुगन्धित, सुवासित तम्बाकू या खर्रा के नाम से या रूप हो या अन्यथा किसी भी नाम से पुकारा जाये चाहे यह पैकेज में हो या बिना पैकेज के हो अथवा एक उत्पाद के रूप में बेची गई हो अथवा इस प्रकार से पैकेज में अलग उत्पदों के रूप में बेची या वितरित की जाये ताकि सेवन करने के लिए उपभोक्ता द्वारा सुविधापूर्वक मिलाया जा सके, पर उक्त आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी एक वर्ष तक के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है।

6.43 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे हुक्का बारों जोकि युवाओं को निकोटन युक्त तम्बाकु मोलासिस देते हैं, उनके विरूद्व कार्यवाही करते हुए दिनांक 1–1–2017 से 31–12–2017 तक औषधि और कास्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत 42 कानूनी मुकदमें दायर किये गये।

6.44 विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा राज्यभर में विभिन्न दुकानों पर की गई रेड में ऐसी शडयूल एच दवाईयां पाई गई जिसमें नारकोटिक्स तथा साइक्रोटोपिक पदार्थ होते हैं और जिनका दुरूपयोग आमतौर पर नशे के लिए युवाओं द्वारा किया जाता है। विभिन्न संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 173 छापे मारे गये तथा लगभग 902 कैमिस्टों की दुकानों के लाईसैंस रदद व निलम्बित किये गये और 76 से अधिक मुकदमें दायर किये गये। 59 मामलों में नारकोटिक्स तथा साइक्रोटोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अर्न्तगत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई।

6.45 विभाग द्वारा दिनांक 1–4–2017 से 31–12–2017 तक 30 औषधि तथा अंगराग (कास्मेटिक) लाईसैंस जारी किए गए हैं। दिनांक 1–4–2017 से 31–12–2017 तक कुल 1,65,99,479 रूपये औषधि लाईसैंस तथा अंगराग कास्मेटिक लाईसैंस जारी करने के एवज में फीस के रूप में प्राप्त हुए।

6.46 विभाग द्वारा दिनांक 1–4–2017 से 31–12–2017 तक 1,794 खाद्य लाईसैंस आनॅलाईन तथा 10 हस्तचालित खाद्य लाईसैंस जारी किये गये और 8,498 आनॅलाईन तथा 5 हस्ताचालित खाद्य कारोबार कर्ता पंजीकृत किये गये। 2,15,83,900 रूपये खाद्य कारोबार कर्ताओं के पंजीकरण व खाद्य लाईसैंस जारी करने के एवज में फीस के रूप में प्राप्त हुए।

6.47 विभाग द्वारा दिनांक 1–4–2017 से 31–12–2017 तक राज्य से 2,183 खाद्य नमूने लिये गये जिनमें से 588 नमूने अवमानक/अधोमानक/असुरक्षित पाये गये। इन सभी 588 केसों के सम्बन्ध में खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

6.48 इस विभाग के आदेश क्रमांक 3/14–2 खाद्य/2017/15080 दिनांक 27–7–2017 के द्वारा जनता के स्वास्थ्य के हित के लिए किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ तरल नाईट्रोजन मिलाने/घोलने पर अगले आदेशों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

6.49 इस विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत दिनांक 1–4–2017 से 31–12–2017 तक हरियाणा राज्य के दोषी खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्व 80 अभियोजन दायर करने की अनुमति दी गई है, जिनके मामले सम्बन्धित माननीय जिला न्यायालयों में विचाराधीन है।

6.50 खाद्य सुरक्षा एवं मानक, प्राधिकरण भारत सरकार ने दिनांक 16–10–2016 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक फारटिफिकेशन ऑफ फूड अधिनियम, 2016 जारी किये हैं। विभाग हरियाणा राज्य में खाद्य तेल और दूध को फारटिफाईड करने के लिए सम्बन्धित संगठनों के साथ पहल कर रहा है।

जन स्वास्थ्य

6.51 हरियाणा राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात गांवों में पेयजल आपूर्ति के

लिए बनाए गए बुनियादी ढांचों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अब गांवों में पेयजल स्तर जनसंख्या की कवरेज के हिसाब से आंका जाता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान पहचाने गए 74 गांव 100 प्रतिशत जनसंख्या कवरेज के अनुसार 31 दिसम्बर, 2017 तक लाभान्वित किए जा चुके हैं।

6.52 वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य/केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिए 1,483.18 करोड़ रुपये, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम, नीति आयोग 156.66 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय हिस्सा (25.50 करोड़ रुपये) सम्मिलित हैं, प्रदान किए गए हैं। 31 दिसम्बर, 2017 तक 791.84 करोड़ रूपये व्यय किए गए है।

6.53 ग्रामीण जल आपूर्ति बढ़ोतरी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में जल आपूर्ति का स्तर 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति सुविधाओं का सुधार/मजबूतीकरण किया जाना है। गांवों में अतिरिक्त नलकूप लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ौतरी, नहर आधारित नए जलघर बनाकर, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण करके मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर सुधार किया जाना है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 31 दिसम्बर, 2017 तक 236.54 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं।

6.54 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य वर्ष 2000–2001 से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 1,158.45 करोड़ रुपये की लागत से आर.आई.डी.एफ.–XVI, XVII, XIII, XIX, XXI, XXII व XXIII के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई जिन 14 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017–18 के दौरान नाबार्ड योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान हैं। 31 दिसम्बर, 2017 तक 75.62 करोड़ रूपये व्यय किए गए है।

6.55 स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत जिन गांवों/बस्तियों में ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति के घरों की है, उन में अतिरिक्त नलकूप लगा कर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढौतरी, नए नहर आधारित जलघर बनाकर, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण कर के, मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर, मल निकासी सुविधाएं (शहरी क्षेत्र) इत्यादि के साथ साथ इन्दिरा गांधी जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत बनाए गए बुनियादी ढांचों के रखरखाव द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान/अपग्रेड की जाती हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 31 दिसम्बर, 2017 तक 24.97 करोड़ रूपये व्यय किए गए है।

6.56 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 82 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के सुधार के साथ–साथ अनुमोदित हुई कॉलोनियों में जल वितरण व्यवस्था के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत 255 करोड़ रुपये (स्पेशल कंपोनैंट सब–प्लान के 5 करोड़ सहित) का प्रावधान है।

6.57 जहां तक मल निकासी योजनाओं का सम्बन्ध है, राज्य में मल निकासी सुविधाएं 79 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है, जबकि 2 शहरों नामतः भूना व बराडा में मल निकासी सुविधाओं के कार्य प्रगति पर है तथा हाल ही में अधिसूचित एक शहर नामतः राजौंद में अभी कार्य शुरु किया जाना है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान मल निकासी सुविधाओं में बढौतरी के लिए 259 करोड़ रुपये (स्पेशल कंपोनैंट सब–प्लान के 9 करोड़ सहित) का प्रावधान है। इस प्रावधान से मल शुद्धिकरण सयंत्र लगाने के साथ–साथ विभिन्न शहरों में बिना मल निकासी सुविधा वाले क्षेत्रों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य किए जा रहे हैं। 31 दिसम्बर, 2017 को 167.76 करोड़ रूपये व्यय किए गए है।

तालिका– 6.2. नाबार्ड परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं0	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ों में)	अब तक खर्च (रुपये करोड़ों में)
1	64 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना (नहर आधारित), जिला महेन्द्रगढ़	127.04	115.11
2	42 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला रिवाड़ी	100.47	85.27
3	54 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना (नहर आधारित), जिला महेन्द्रगढ़	93.10	78.68
4	21 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला हिसार	20.14	19.74
5	12 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला सिरसा	18.39	18.03
6	41 गांवों के लिए बढ़ौतरी जल आपूर्ति योजना, जिला भिवानी का लोहारु निर्वाचन क्षेत्र	77.35	69.67
7	5 मौजूदा जलघरों, जिनमें 24 गांव शामिल हैं, के लिए नहरी पानी की बढौतरी तथा बुधपुर, चिमनावास, जिला रिवाड़ी में नए जलघरों का निर्माण	92.86	28.55
8	जिला महेन्द्रगढ़ में 62 ढाणियों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा एस.बी.एस, आई,बी,एस, से जोड़ना	7.76	4.34
9 (क)	जिला हिसार में 6 जलघरों, नामतः खेड़ी लोचब, जालब, नारा, किन्नर, राखी खास, शाहपुर, के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	10.26	6.83
9 (ख)	जिला हिसार में मदनहेडी जलघर के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	2.46	0.95
9 (ग)	जिला हिसार में 3 जलघरों नामतः खरकड़ी, चानोट, मजोद के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	3.23	1.71
9 (घ)	जिला हिसार में 3 जलघरों नामतः उगालन, भकलाना व धर्मखेड़ी के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	5.22	1.92
9 (ड)	जिला हिसार के 4 जलघरों नियाना, खरड़ अलीपुर, कुलाना तथा मयड़ के लिए कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	7.00	4.17
10	जिला फरीदाबाद तथा पलवल के पृथला, पलवल और बल्लबगढ़ खण्डों के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों में बढ़ोतरी जल आपूर्ति योजना	185.00	21.45
11	जिला रेवाडी के 14 गांवो व 1 ढाणी गांव खलेटा में जल आपूर्ति में बढौतरी	44.37	0.00
12	जिला मेवात के 80 गांवों फिरोजपुर झिरका व नगीना बलोक व 1 शहर फिरोजपुर झिरका मे रैनीवल व यमुना मे गहरे टयुबवैल लगाकर जल आपुर्ति	210.90	0.00
13	जिला महेन्द्रगढ के 25 गांवो व 9 ढाणियों मे जल आपूर्ति में बढ़ौतरी	124.43	0.00
14	जिला जीन्द के 11 जलघरो के 15 गांवो मे जल आपूर्ति में बढौतरी व कच्चे पानी का प्रबन्ध करना	28.47	0.00
	योग	**1,158.45**	**456.42**

6.58 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पडने वाली आपूर्ति मौजूदा जल योजनाओं एवं मल निकासी योजनाओं की संरचनाओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड धनराशि उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पडने वाले 3 शहरों, नामतः फारूख नगर, नूंह, हेली मण्डी एवम् पटौदी मे 205.05 करोड़ रूपये की पेयजल योजनाएं इस वर्ष चालू कर दी गई है। दिनांक 14–11–2017 को राज्य के 9 शहरों नामतः सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखोदा, गन्नौर, होडल एवम् समालखा मे मल निकासी योजनाओं के स्तर मे बढ़ौतरी के लिए 72.11 करोड़ रूपये की लागत के 9 प्रोजैक्ट (परियोजनाएं) मंजुर किए गए है। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इस कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए 70 करोड रूपये (कर्ज सहित) रखे गए है, जो कि 25 करोड़ रूपये की धनराशि के लिए संशोधित

होने हैं। 31 दिसम्बर, 2017 तक 12.59 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं।

6.59 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सोनीपत और पानीपत शहरों में मल निकासी सुविधाओं के सुधार/बढ़ौतरी व मल शुद्धिकरण सयंत्र लगाने के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रुपये और 129.51 करोड़ रुपये की लागत की दो परियोजनाऐं जुलाई, 2012 में अनुमोदित की गई हैं। वर्ष 2017–18 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.92 करोड़ रुपये (जो कि 16.17 करोड़ रूपये संशोधित किया जाना है) की धनराशि राज्य के हिस्से के रुप में व 25.50 करोड़ रूपये (जो कि 37 करोड़ रूपये संशोधित किया जाना है) की धनराशि भारत सरकार के हिस्से के रूप मे स्वीकृत की गई है। 31 दिसम्बर, 2017 तक 26.83 करोड़ रूपये व्यय किए गए है।

6.60 हरियाणा सरकार ने 10,000 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में मल निकासी योजना तथा पेयजल बढौतरी के लिए एक नई योजना नामतः महाग्राम योजना प्रारम्भ की है। यह योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, हरियाणा तथा विकास एवम् पंचायत विभाग, हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। वित्त वर्ष 2017–18 के अर्न्तगत जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा 103.51 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए है। 31 दिसम्बर, 2017 तक 1.56 करोड़ रूपये व्यय किए गए है।

6.61 मानसून मौसम के दौरान विभिन्न शहरों में कई स्थान प्राकृतिक भूजल ढलान के कारण बाढ़ के लिए अति संवेदनशील हैं। बाढ़ की रोकथाम के लिए बरसाती पानी की निकासी के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचों के निर्माण की आवश्यकता होती है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बरसाती पानी की निकासी योजनाओं के सुधार के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है (जो कि 32 करोड़ रूपये संशोधित किया जाना है)। 31 दिसम्बर, 2017 तक 19.92 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग

6.62 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिलाओं तथा बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचनबद्व है ताकि वे हिंसा एंव भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रकिया में बराबरी का योगदान देते हुये शान से रह सकें। महिला एंव बाल विकास विभाग का मुख्य ध्येय (मिशन) यह है कि लैंगिक चिंताओं को मुख्य धारा में रखकर उनके अधिकारों के बारे जागृति लाकर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जाये ताकि वे अपनी क्षमताओं को अनुभव कर गरिमामय वातावरण में रह सके। बच्चे हमारे समाज का भविष्य है। विभाग का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य, नीतियों और प्रोगामों द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सीखने की क्षमता बढाना, पोषण, संस्थानिक समर्थन इत्यादि विभाग की परम अग्रता है। वर्ष 2017–18 के बजट में 1,25,216.80 लाख रूपये राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 54,035.66 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

6.63 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य लडकियों के जन्म के प्रति सकारात्मकता, शिक्षा और पोषण देने के लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा में लिग अनुपात 830 था जो कि दिसम्बर, 2017 में बढ़कर 914 तक पहुँच गया है। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से तथा सफलतापूर्वक लागू करने हेतू समाज के हर

वर्ग के नागरिकों ने शहर तथा गांव स्तर पर यात्रा निकालकर बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान में योगदान देने का संकल्प लिया। अब तक 79,055 जागरूकता रैली निकाली गई, 5,38,943 बेटियों के जन्म दिवस/लोहड़ी मनाई गई, 13,111 नुक्कड़ नाटक आयोजित किये गये, 5,799 गुडडा–गुडडी बोर्ड पंचायत भवन में लगाये गये, 8,568 फिल्म शो, 52,090 प्रभात फेरी, 9,866 कठपुतली शो, 1,25,341 हैल्थ कैंप/बेबी शो जिसमें 39,300 हस्ताक्षर अभियान चलाये गये। बेटी बचाओ–बेटी–पढ़ाओ लोगो के साथ सांझी प्रतियोगिता करवाई गई। 81 सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा शिक्षण में ख्याति प्राप्त करके समाज में अपना नाम स्थापित किया।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

6.64 भारत सरकार द्वारा 1–1–2017 से इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के स्थान पर प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की शुरूआत की गई। यह योजना राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है जो कि केन्द्र व राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य तथा पौषण स्तर में सुधार किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रूपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त (गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण पर) तथा दूसरी किस्त (6 महीने प्रसव के बाद) तथा तीसरी किस्त (बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर) मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ शर्तो को पूरा करने तथा गर्भावस्था तथा स्तनपान की अवधि के दौरान माताओं/महिलाओं के लिए मजदूरी नुकसान की भरपाई करने हेतू दी जाएगी। योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 40.85 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार का हिस्सा भी जारी कर दिया गया है। योजना के तहत पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से लाभपात्रों के बैंक खाते में राशि सीधे तौर पर जमा की जायेगी। अब तक 1,757 लाभपात्रों के बैंक खातों में 28.13 लाख रूपये की राशि स्थानांतरित कर दी गई है।

वन स्टॉप केन्द्र (सखी)

6.65 हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्व तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधायें जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य में महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र ''**सखी**'' की स्थापना जिला करनाल, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रेवाडी, भिवानी एवं नारनौल में की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक कुल 1,158 केसों का निपटान किया जा चुका है। राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार वन स्टॉप केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत वर्ष 2017–18 के बजट में 152 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें से 60 लाख रूपये वन स्टाप केन्द्र के निर्माण के लिये रखे गए हैं।

आपकी बेटी –हमारी बेटी

6.66 घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना लागू की गई। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राशि दी जाती है। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु होने पर लगभग 1 लाख रूपये उसके उपयोग के लिए दी जायेगी। सरकार द्वारा तीसरी बेटी के जन्म पर भी यह लाभ देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017–18 में 13,155 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है जिसमें लाडली योजना के तहत किया गया व्यय भी शामिल है तथा मास दिसम्बर, 2017 तक 35,172 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

हरियाणा कन्या कोष

6.67 हरियाणा कन्या कोष राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोष के तहत प्राप्त राशि की देखरेख की जायेगी। इस कोष के तहत अब तक 69.54 लाख रूपये की राशि बैंक ऑफ इन्डिया में जमा करवाई जा चुकी है। आयकर विभाग द्वारा हरियाणा कन्या कोष को चैरिटेबल सोसाईटी पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी करते हुए छूट दी गई है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

6.68 इस योजना का उद्देश्य असंतुलित लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। राज्य में अब तक कुल 3,93,864 खाते खोले जा चुके है।

आंगनवाड़ी सहयोग कार्यक्रम–हमारी फुलवारी

6.69 राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सहयोग कार्यक्रम के तहत हमारी फुलवारी योजना तैयार की गई है यह योजना पंचायत, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत, सिविल संस्थायें व कॉरपोरेट सैक्टर द्वारा अपना सहयोग प्रदान करने के लिये हरियाणा राज्य के विकास के लिये अभिनव माध्यम सिद्ध होगा। इस योजना का उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को और अधिक आकर्षित, बाल–सुलभ, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण करवाना तथा आधुनिक शैली में परिवर्तित करना है, ताकि मॉ–बाप अपने छोटे–छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में भेजते हुए गर्व महसूस करें।

समेकित बाल संरक्षण योजना

6.70 इस योजना के तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसायटी तथा स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख व सुरक्षा के लिए संस्थागत तथा नॉन–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाई जा रही है। जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुनर्वास के लिये 68 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। ये संस्थाएं राज्य के सभी 21 जिलों तथा 47 खण्डों में 4,000 बच्चों को कवर कर रही है। हरियाणा में सभी 21 जिलों में जे.जे. बोर्ड और बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के बजट में 2,500 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है जिसमें से मास दिसम्बर, 2017 तक 625 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

6.71 समेकित बाल विकास सेवा योजना सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखरेख, संदर्भित सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं। यह योजना 21 शहरी परियोजनाओं सहित 148 खण्डों में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

6.72 राज्य सरकार की प्राथमिकता आई. सी.डी.एस. लाभपात्रों को गुणात्मक पौषाहार

प्रदान कर पौषाहार स्तर को सुधारना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 8.96 लाख बच्चों तथा 2.66 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूरक पौषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से वीट बेसड न्यूट्रिशन प्रोग्राम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों में कन्फैड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। सस्ती दरों पर अनाज की खरीद बच्चों, गर्भवती दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाएगा। नई व आकर्षक रैस्पीज जैसे आलू की पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, पंजीरी तथा गुलगले दिये जा रहे हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार (मोर्निंग स्नैक्स एण्ड रेगुलर होट कुक्ड मील) दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को टेक होम राशन (टी.एच.आर.) दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनवाडी केन्द्रों में खाना बनाने के साथ–साथ खाना वितरित करने के बर्तन उपलब्ध करवाऐ गए हैं।

आंगनवाड़ी भवन निर्माण

6.73 सरकार द्वारा बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना चलाई जा रही है। वर्ष 2017–18 में 1,589 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों को पूर्ण करने के लिये 13,915.56 लाख रूपये की राशि जारी की गई।

***

7

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एंव पंचायत विभाग, हरियाणा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के कियान्वयन की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के कियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए भी उत्तरदायी है। शहरी क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां मुख्यतः विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से शहरी स्थानीय विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं।

7.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सफल कियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य स्वच्छ भारत मिशन सोसाईटी विकास एवं पंचायत विभाग के अर्न्तगत पंजीकृत की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की इस योजना के अर्न्तगत केन्द्र और राज्य सरकार का निधीकरण अनुपात 60:40 है। इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य साफ–सफाई तथा स्वच्छता में सुधार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन की गुणवता में 2019 तक सुधार लाना है। बी.पी.एल. एवम् चिन्हित किये गये ए.पी.एल. (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे/सीमान्त किसान, जमीनहीन मजदूर, दिव्यांग एवम् महिला मुखिया परिवार) के लिए घरेलु शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक महिला स्वच्छता परिसर, ठोस एवम् तरल कचरा प्रबन्धन तथा आई.ई.सी. के लिए इस योजना के तहत सहायता दी जाती है। इस योजना के अर्न्तगत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6,32,992 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया है तथा 22 जून, 2017 को हरियाणा राज्य को "खुले में शौच मुक्त" घोषित किया जा चुका है।

ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन (एस.एल.डब्ल्यू. एन.) प्रोजैक्ट

7.3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अर्न्तगत ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल घरों की संख्या के आधार पर अधिकतम 7 लाख रूपये, 12 लाख रूपये, 15 लाख रूपये व 20 लाख रूपये उन ग्राम पंचायतों के लिए है जिनमें घरों की संख्या कमशः 150, 300, 500 और 500 से अधिक है, निर्धारित की गई है। अतिरिक्त लागत की पूर्ति राज्य/ग्राम पंचायत, दूसरे स्त्रोतों जैसे वित्त कमीशन फण्ड, सी.एस.आर., स्वच्छ भारत कोष और पी.पी.पी. मॉडल के द्वारा की जानी है। सभी 22 जिलों के कुल 1,360 ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट राज्य योजना स्वीकृति कमेटी (एस.एस.एस.सी.) द्वारा स्वीकृत हो चुके है और कार्य प्रगति पर है।

7.4 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्य को 2019 तक पूरा करने की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। 6,081 ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट के लक्ष्यों को पूरा करने हेतू बचे हुए ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन प्रोजैक्ट वर्ष 2019 तक लिए जाएंगे। वर्ष 2016–17 के लिए 12,500 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित थी जिसमें से 11,465 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2017–18 के लिए 27,500 लाख रूपये का प्रावधान है परन्तु केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त न होने के कारण अब तक राज्य के हिस्से की भी कोई राशि जारी नहीं की गई है।

खुले में शौच मुक्त पंचायतें

7.5 हरियाणा राज्य दिनांक 22–6–2017 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का जोर ओ.डी.एफ. + जोकि खुले में

शौच मुक्त की स्थिति को बनाये रखने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन पर है। 2 अक्टूबर, 2019 तक हरियाणा राज्य को हरा–भरा एवं स्वच्छ बनाने हेतू राज्य की सभी पंचायतों को ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के अर्न्तगत ले लिया जायेगा।

स्वच्छता हेतू स्वर्ण जयन्ती अवार्ड

7.6 राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 2016 से "स्वर्ण जयंन्ती स्वच्छता पुरस्कार योजना" भी शुरू की गई है। योजना का मुख्य उददेश्य स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने और ग्रामीण क्षेत्रों को खुले मे शौच से मुक्ति दिलाने हेतू ग्राम पंचायतों मे प्रतियोगिता की भावना जागृत करना है। इस योजना के लिए प्रतियोगिता करवाई जाएगी और हर माह खण्ड़ व जिला स्तर पर एक सबसे अच्छी साफ–सुथरी, हरी भरी व खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत को 1–1 लाख रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही जिले में जिस सार्वजनिक शौचालय का रख–रखाव अच्छा होगा उसको भी 10,000 रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अब तक कुल 550 लाख रूपये की अवार्ड राशि जारी की जा चुकी है।

ग्राम सचिवालयों की स्थापना

7.7 ग्राम पंचायतों को संस्थागत रूप देने और साथ ही उनके काम–काज में पारदर्शिता लाने के लिए, विकास एवं पंचायत विभाग ने 2015–16 में सभी ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सचिवालय योजना बनाई थी। ग्राम सचिवों के स्वीकृत पदों को ध्यान मे रखते हुए, सभी ग्राम पंचायतों को 2,294 समूहों (प्रत्येक समूह में 3–4 ग्राम पंचायत) में रखा गया है। 4 वर्षों के प्रथम चरण में, ग्राम सचिवालय क्लस्टर स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में ग्राम सचिवालय शेष ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जायेंगे।

7.8 ग्राम सचिवालय की योजना शुरू करने का मुख्य उद्वेश्य ग्राम पंचायत और सभी विभागों के ग्राम–स्तर के पदाधिकारियों को एक छत के नीचे बेहतर कामकाज और समन्वय लाने के लिए है। यह योजना ग्राम पंचायत और अन्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में लगे एजैंसियो के काम–काज में क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

लक्ष्य

7.9 सभी जिलों के लिए 2,294 ग्राम सचिवालय की स्थापना का लक्ष्य 31–3–2019 तक होगा। इस प्रयोजन के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत घर या किसी ग्राम पंचायतों मे उपलब्ध अन्य उपयुक्त समुदाय इमारत को उन्नत किया जाएगा और बुनियादी आई.टी. सुविधाएं (बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर) ग्राम सचिवालय स्थापित करने के क्रम में प्रदान किये जायेंगे। राज्य में 21–12–2017 तक 1,618 ग्राम सचिवालय राज्य मे स्थापित किये जा चुके हैं।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

7.10 इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछडे श्रेणी (क) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट मुफ्त अलाट् किए जा रहे हैं। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने हैं, वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां एंव नालियां विकसित की जाएंगी। इस योजना के तहत 3.87 लाख परिवारों को उपहारनामा के माध्यम से स्वामित्व का अधिकार 30–11–2014 तक प्रदान किया जा चुका है। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है, उनमें शेष पात्र परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे गावों, जिनमें प्लाट आंबटन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उनमें पंचायतों की भूमि का निजि भूमि से तबादला करके अथवा भूमि अधिग्रहण करके भूखण्ड अलाट किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिला कर किया जायेगा। सरकार का इन बस्तियों में पानी की पाईपलाईन और बिजली की लाईनों को बिछाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का इरादा है। इन बस्तियों के विकास के लिए

वर्ष 2016–17 के लिए 7,500 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित थी। जिसमे से 7,488.74 लाख रूपये की राशि विकास कार्य हेतू जारी की गई। वर्ष 2017–18 के लिए 8,250 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित है जिसमे से अब तक 1,200 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना

7.11 सरकार द्वारा योजनाबद्ध विकास के लिए 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्रामीण जनसंख्या को शहरी आबादी की ओर विस्थापित होने से रोकने हेतू एक नई योजना स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक 5 वर्ष की अवधि की है। इस योजना का उद्वेश्य बड़े गांवों को व्यापार, विपणन सुविधा, सामाजिक एंव ढांचागत विकास, शिक्षण संस्थान एंव मानव विकास आदि में विकसित करना है ताकि ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर विस्थापित होने से रोका जा सके। इन गांवों में सीवरेज की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 1,46,100 लाख रूपये है। वर्ष 2016–17 के लिए 2,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान था जिसमें से 1,945.86 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई थी, वर्ष 2017–18 के लिए 13,500 लाख रूपये का प्रावधान था जिसमें से 8,405.91 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

7.12 वर्तमान मे चलाई जा रही अनेक योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, निर्मल बस्ती योजना, गलियों को पक्का करने सम्बन्धी योजना, चौपाल सबसिडी इत्यादि का अभिप्राय सभी गांव मे मुलभूत सुविधाएं जैसे पक्की गलियां, जल निकासी, बिजली, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के लिए जल आपूर्ति लाईन, सामुदायिक भवनों, सामुदायिक केन्द्रों तथा चौपालों का निर्माण एवं मुरम्मत इत्यादि प्रदान करना है इसलिए सभी योजनाओं को इकट्ठा करके एक नई योजना "हरियाणा ग्रामीण विकास योजना" का नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाकर तथा उनमें सुधार करके, जैसे गलियों का पक्का करना, गंदे पानी की निकासी, सामुदायिक भवनों/चौपालों का निर्माण एवं मुरम्मत इत्यादि का उचित तरीके से मानचित्रण और आईटी आधारित प्रणाली का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत जिन गांवों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है उनमें आधारभूत सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत संगत ग्राम पंचायतों की इच्छा एवं आवश्यकताओं के आधार पर कोई भी कार्य किया जा सकता है। इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 में 28,200 लाख रूपये की बजट व्यवस्था की गई थी जिसमें से 27,913 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2017–18 के लिए 42,000 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से अब तक 30,664 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

स्वच्छता में सुधार हेतू ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता योजना

7.13 गावों में स्वच्छता में सुधार लाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 10,229 से अधिक सफाई कर्मी लगाये गये थे। सफाई कर्मी को भत्ता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्य के लिये आरम्भ अक्तूबर, 2007 से प्रत्येक सफाई कर्मियों को 3,525 रूपये प्रति माह मिलते थे जिसे 1 नवम्बर, 2010 से बढ़ाकर 4,348 रूपये और 1 नवम्बर, 2011 से दोबारा बढ़ाकर 4,848 रूपये प्रति माह कर दिया गया। सरकार द्वारा दिनांक 1–1–.2014 से सफाई कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय की दर 4,848 रूपये से बढ़ाकर 8,100 रूपये प्रति माह किया गया और 1–11–2016 से इसे बढ़ाकर 10,000 रूपये प्रति माह किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए 11,000 लाख रूपये की राशि अनुमोदित थी, जिसमे से 9,995.94 लाख रूपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2017–18 के लिए 12,000 लाख रूपये की राशि अनुमोदित की गई है, जिसमे से अब तक 9,835.33 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

7.14 यह योजना राज्य के समस्त जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का अकुशल गारन्टी रोजगार मुहैया करवाने हेतू लागू की जा रही है। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस योजना में कार्य कर रहे श्रमिकों को 277 रूपए प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है जोकि देश में सबसे ज्यादा है।

7.15 इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु अन्य विभागों जैसे कि वन, कृषि, सिंचाई, स्कूल शिक्षा, महिला व बाल विकास, पंचायत, मत्स्य, जन स्वास्थ्य, विपणन निगम तथा भवन एवं सड़के निर्माण इत्यादि से तालमेल करके गांवो में उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक 233.15 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि में से 223.10 करोड़ रूपये (96 प्रतिशत) की राशि व्यय करके 65.38 लाख मानवदिवसों (65 प्रतिशत) का सृजन किया जा चुका है। जिनमें से 31.11(47 प्रतिशत) लाख मानवदिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 31.66 लाख (48 प्रतिशत) महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 25,377 विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए गए जिनमें से 4,609 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस योजना के अंन्तर्गत वार्षिक योजना 2018–19 के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के 90:10 के हिस्से के रूप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

7.16 प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक गणना–2011 के आधार पर ऐसे लाभार्थियों की पहचान की जाती है जिन परिवारों के पास 0,1,2 कमरों का कच्चा मकान हो। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मैदानी क्षेत्रों में तथा 1 लाख 30 हजार रुपये पहाड़ी व कठिन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 18,000 रूपये टॉप–अप राशि के रूप में राज्य सरकार द्वारा तथा 12,000 रूपये सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए अभिसरण के अर्न्तगत लाभार्थी को प्रदान किये जायेंगे व 90 दिन तक मनरेगा के अन्तर्गत प्लेन क्षेत्र में व 95 दिन तक पहाडी व कठिन क्षेत्रों में दिहाड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अतंर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए 12,886 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर, 2017) तक कुल 4,349 मकानों का निर्माण किया गया है व 13,543 मकान निर्माणाधीन है तथा कुल 133.45 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वार्षिक योजना 2018–19 के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के 60:40 के हिस्से के रूप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

7.17 यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 में लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनीत सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के अंर्तगत दिसम्बर, 2017 तक 41.84 करोड़ रूपये व्यय करके 956 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 502 कार्य प्रगति पर हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

7.18 यह योजना 11 अक्तूबर, 2014 से आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन ग्राम पंचायतो जिसकी जनसंख्या 3,000–5,000 तक है का चयन करना है तथा उन गांवो का विकास वर्ष 2019 तक करना है। इन ग्राम पंचायतो का विकास केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिरसरण से आदर्श ग्राम बनाने के लिए किया जायेगा जिससे की

आसपास के गांवों की ग्राम पंचायतों को सीखने की प्रेरणा मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के सभी माननीय 15 सांसदों ने 15 ग्राम पंचायतों को, द्वितीय चरण में 10 सांसदों व तृतीय चरण में माननीय 4 सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन कर लिया गया है। वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर, 2017) तक 594 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं व 161 कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2018–19 के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

विधायक आदर्श ग्राम योजना

7.19 यह योजना हरियाणा राज्य में दिनांक 6 जुलाई, 2015 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। जिसमें प्रदेश के सभी विधायकों द्वारा एक–एक गांव का चयन किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विधायक द्वारा चयनित गांव जिसकी आबादी 5,000 तक है, को 50 लाख रूपये, 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम आबादी वाले गांव के लिए 1 करोड़ रूपये तथा 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव के लिए 2 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रथम चरण में प्रदेश के 67 विधायकों, द्वितीय चरण में 12 विधायकों व तृतीय चरण में माननीय एक विधायक द्वारा एक–एक गांव का चयन कर लिया गया है। अब तक चयनित गांवों को 45.70 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार के हिस्से के रूप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना

7.20 सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना आरम्भ की है जिसके अंतर्गत हरियाणा से जुडे हुए समृद्व व्यक्ति, एन.जी.ओ., विश्वविद्यालय, हरियाणा से लगाव रखने वाले व्यक्ति, हरियाणा की ग्राम पंचायतों को गोद लेकर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, अच्छा शासन उपलब्ध करवाकर आदर्श ग्राम बनाएंगें। इस योजना के अंतर्गत अब तक 201 गावों को गोद लिया गया है तथा कुल 404 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

7.21 इस योजना को भारत सरकार, सामाजिक न्यायालय एंव अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014–15 में शुरु किया है तथा मंत्रालय द्वारा 2.52 करोड़ रुपये की राशि राज्य के पलवल व फरीदाबाद के 12 गांवों के लिए जारी की जा चुकी है। इस योजना का उद्वेश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले चयनित गांवों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा कियान्वित की जा रही योजनाओं के अभिसरण (कनवरजस) से आदर्श ग्राम बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर, 2017) तक कुल 14 कार्य पूर्ण किये जा चुके है व 7 कार्य प्रगति पर हैं व 132.90 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2018–19 के लिए केन्द्र के हिस्से के रुप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

7.22 माननीय प्रधान मन्त्री, भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरूआत दिनांक 21 फरवरी, 2016 को की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। 'रुर्बन क्लस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर होगा। सभी चयनित क्लस्टरों का 3 से 5 वर्षो के अंतर्गत विकास किया जाएगा। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा तृतीय चरण में जिला फरीदाबाद व मेवात में दो क्लस्टर आबंटित किये गये हैं। वर्ष 2018–19 के लिए केन्द्र व राज्य के हिस्से के रुप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम

7.23 यह कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधन जैसेकि मिट्टी, वनस्पति और पानी का उपयोग, सरक्षण व विकास के द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने के लिए अनिवार्य है। जिसके फलस्वरूप मिट्टी का क्षरण, प्राकृतिक वनस्पति के उत्थान व भूजल के स्तर को कम होने से बचाव करना है। यह कार्यक्रम राज्य के 13 जिलों क्रमशः अम्बाला, भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, मेवात, महेन्द्रगढ, पलवल, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत व यमुनानगर में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) में 15.98 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

जल संरक्षण और जल संचयन योजना

7.24 यह नई योजना वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य में भूजल के अतिदोहन होने वाले खण्डों में अधिसूचित जल संरक्षण और जल संचयन के लिए कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा 21.22 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने 11 जिलों के 22 अतिदोहन वाले खण्डों को अधिसूचित किया है। इस नई योजना का कार्य भूजल के अतिदोहित खण्डों में जल संरक्षण व जल संचयन करना अनिवार्य है ताकि भूमिगत जल का स्तर बढाया जा सके। इस योजना में वर्ष 2017–18 में दिसम्बर, 2017 तक 5.46 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।

सिंचाई दक्षता निधि–नाबार्ड

7.25 इस नई योजना को वित्तीय वर्ष 2018–19 से राज्य के पहचान किये गए 36 पिछडे और महत्वपूर्ण खंडों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए संरक्षण व कटाई के कार्य करने के लिए लागू किया जाएगा। वर्ष 2018–19 के लिए केन्द्र एवं राज्य के हिस्से के रुप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

दीनदयाल अंत्योदया योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे.–एन.आर.एल.एम.)

7.26 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1–4–2013 से राज्य में लागू किया गया है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध प्रणाली से कार्यान्वित की गई थी। अभी तक (दिसम्बर, 2017 तक) 4,191 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं और 2,322 स्वयं सहायता समूहों को आवर्ती राशि दी गई है तथा 15.72 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। वार्षिक योजना 2018–19 के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय योजना–(ग्रामीण कौशल योजना)

7.27 यह योजना भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। इसके अन्तर्गत सामान्य लागत मानकों के रूप में सदस्यता लेने वाले प्रशिक्षण और नियुक्ति से सम्बन्धित लागत को कार्यक्रम के तहत अनुमति दी जाती है और धन की गणना एक परियोजना के लिए आंवटित लक्ष्य के अनुसार की जाती है। यह योजना पीपुल प्रोजेक्ट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है और यह राशि राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के माध्यम से दी जाती है। वर्ष 2017–18 में (दिसम्बर, 2017) तक कुल 4,793 लक्ष्य के विरूद्ध 2,200 लोगों को प्रशिक्षित किया गया व 8.29 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है। वार्षिक योजना 2018–19 के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

7.28 यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खण्ड बवानी खेड़ा (भिवानी), मातनहेल (झज्जर) व नारनौंद (हिसार) में प्रारम्भिक आधार पर शुरु की गई है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक प्रबंधित सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (सी.एम.एस.ए.) को बढ़ावा देने के माध्यम से छोटे और सीमांत धारक कृषि को मजबूत करने के लिए स्थानीय रुप से

उपलब्ध संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा लाभ लेना शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक कुल 75 गांवों को शामिल किया गया है तथा 3,629 किसानों को सहायता दी गई है व 731 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं। कुल 0.54 करोड़ रूपये की राशि दिसम्बर, 2017 तक खर्च की जा चुकी है। वार्षिक योजना 2018–19 के लिए 4 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम

7.29 यह एन.आर.एल.एम की एक उप–योजना है जो ग्रामीण युवाओं को ग्रामीण उद्यमों को शुरु करने और उनकी सहायता करने में मदद करने के लिए है। इस योजना का कुल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरु करने और सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। इस योजना के अन्तर्गत खण्ड़ बवानी खेडा व तावडु में कुल 815 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 491 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गए है तथा 1.10 करोड़ रूपये की राशि दिसम्बर, 2017 तक जारी की गई है। वार्षिक योजना 2018–19 के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

स्वर्ण जयंती खण्ड उत्थान योजना

7.30 ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में विकासात्मक और सामाजिक आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए एक नई योजना नामतः "स्वर्ण जयंती खण्ड उत्थान योजना" वर्ष 2017–18 से आरम्भ की गई है। यह योजना राज्य के पहले चरण में 20 पिछडे खण्डों में पहले ही प्रायोजित की जा चुकी है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य, मौजूदा योजनाओं के माध्यम से स्थानीय ढ़ांचागत और विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतराल को दूर करना, अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका के अवसरों में सुधार करना, अन्य योजनाओं के अभिसरण से कौशल विकास डिजाइन तथा विपणन का समर्थन करना, मौजूदा योजनाओं में विशेष घटक के माध्यम से पहचाने गये खण्डों में धन का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना। नई योजना एस.के.यू.वाई. के प्रथम चरण के अर्न्तगत 8 जिलों नामतः भिवानी (लोहारू, बहल, सिवानी व कैरू) चरखी दादरी (बाढ़डा), कैथल (गुहला), मेवात (नूंह, पुन्हाना, तावडू, नगीना व फिरोजपुर झिरका) पलवल (हथिन), पंचकुला (मोरनी, पिंजौर, रायपुररानी व बरवाला) रेवाड़ी (रेवाडी व बावल) व यमुनानगर (सढ़ौरा व छछरौली) में 20 खण्ड़ों की पिछडे खण्डों के रूप में पहचान की गई है। वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकार के द्वारा इन जिलों को पिछड़े खण्ड़ों के विकास के लिए 400 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2018–19 के लिए इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के हिस्से के रूप में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा।

शहरी बुनियादि ढ़ांचागत विकास

7.31 शहरी स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्थायें हैं जोकि शहरी क्षेत्रों में भौतिक संरचना और नागरिक सुविधाऐं प्रदान करती हैं। वर्तमान में राज्य की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य में 81 पालिकांए है जिनमें से 10 नगर निगम, 18 नगर परिषदें तथा 53 नगरपालिकाए शामिल है।

7.32 शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बजट व्यवस्था में पिछले वर्षो की अपेक्षा काफी वृद्वि की है। वर्तमान वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान शहरी आधारभूत संरचना के सृजन व अन्य पर बल देते हुए राज्य बजट में 5,092.74 करोड (3,844.70 करोड़ रुपये का वास्तविक बजट+1,248.04 करोड़ रुपये प्रथम

स्पलीमैन्टरी बजट) की राशि की व्यवस्था की गई है।

7.33 शहरी विकास मन्त्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्मार्ट शहरों के लिए देश में 100 शहरों को विभिन्न चरणों में स्मार्ट सिटी के रुप मे विकसित किया जाना है। जिसमे से हरियाणा राज्य के दो शहरों को आबंटित किया गया था और जिसके अनुसार हरियाणा राज्य सरकार की सिफारिश अनुसार फरीदाबाद तथा करनाल शहरों को स्मार्ट सिटी के रुप मे विकसित किया जाना है। फरीदाबाद शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा चयन के दूसरे चरण में चुना गया है। एक विशेष उद्देश्य वाहन गठित किया गया है तथा स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक कम्पनी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रुप में पंजीकृत किया गया है। 392 करोड़ रुपये (198 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से के तौर पर तथा 194 करोड़ रुपये राज्य हिस्से के तौर पर) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को जारी किये गए है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय हिस्से के तौर पर 2 करोड़ रुपये नगर निगम, करनाल को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी किए गए थे। दिनांक 28–6–2016 को शहरी विकास मन्त्रालय के तीसरे दौर के चयन में 30 स्मार्ट शहरों की सूची घोषित की गई जिसमें वर्ष 2017–2021 के दौरान करनाल को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1–8–2017 द्वारा करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के आदेश जारी किए।

हरियाणा नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) उपनियम, 2016

7.34 हरियाणा राज्य ने हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम, 2016 दिनांक 28–9–2016 को अधिसूचित किया था के नियमन के लिए इसमें 8–6–2017 को संशोधन किया है जो कि नगर पालिकाओं के लिए राजस्व का एक बडा स्त्रोत है।

हरियाणा स्ट्रीट विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट विक्रेता नियमन) नियम, 2016

7.35 आजिविका का संरक्षण और स्ट्रीट वैंडिग नियमन एक्ट, 2014 के तहत नियम, 2016 की अधिसूचना हरियाणा स्ट्रीट विक्रेता हरियाणा राज्य द्वारा 31–1–2017 को जारी की गई है। सर्वेक्षण तथा स्ट्रीट वैंडर की पहचान का कार्य प्रगति पर है।

सिटी बस सेवा गुरुग्राम की स्थिति

7.36 सिटी बस सेवा के लिए सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 10–10–2016 को इन्फ्रास्ट्रक्चर के सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.आई.) की बैठक में जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। उसको माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमण्डल उप–समिति से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा सरकार के निर्णय अनुसार अब सिटी बस सेवा गुरुग्राम से सम्बन्धित काम गुरुग्राम मैट्रों डेवलपमेंट अथारिटी (जी.एम.डी.ए.) को स्थानांतरित कर दिया गया है।

सिटी बस सेवा फरीदाबाद की स्थिति

7.37 गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद मे सिटी बस सेवा का प्रस्ताव विचाराधीन है।

राजीव गांधी शहरी विकास मिशन

7.38 राजीव गांधी शहरी विकास मिशन योजना के अर्न्तगत चालू वित्त वर्ष 2017–18 के लिए राज्य बजट में 1,386.95 करोड़ रुपये (1,066.71 करोड़ रुपये वास्तविक बजट+ 320.24 करोड़ रुपये प्रथम स्पलीमैन्टरी बजट) की राशि मंजूर की गई है और 1,127.71 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न पालिकाओं को जारी की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन

7.39 स्वच्छ भारत मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच, सफाई का उन्मूलन, आधूनिक और वैज्ञानिक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वस्थ्य स्वच्छता प्रथाओं आदि के बारें में व्याहरिक बदलाव के उन्मूलन को समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 73.655 करोड़

रुपये और राज्य सरकार द्वारा 98.875 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। अब तक कुल बजट में से 172.53 करोड़ रुपये में से 142.47 करोड़ रुपये विभिन्न मदों में से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय/सामुदायिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, इत्यादि के निर्माण हेतु 90.17 करोड़ रुपये की राशि नगर पालिकाओं को जारी की जा चुकी है। वर्ष 2017–18 में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत 175 करोड़ रुपये की राशि राज्य बजट के तौर पर दे दी गई है। जिसमें से 48.22 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा मंजुरी दे दी गई है और इसे राज्य के वित्त विभाग सहित राज्य के शेयरों सहित निधियों को जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस योजना के तहत 55,070 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 2,967 सामुदायिक शौचालय और 5,011 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है और इसके अलावा समुदाय और सार्वजनिक शौचालयों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर 636 मोबाईल सार्वजनिक शौचालय स्थापित किए गए हैं। हरियाणा को पहले ही खुले मे शौच मुक्त राज्य घोषत किया गया है। 2 अक्तुबर, 2017 को गुरुग्राम को गृह मन्त्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अलगाव प्रथाओं के लिए रिचमड पार्क वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है।

7.40 हरियाणा के सभी नगरपालिकाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एकीकृत ठोस कूड़ा प्रबन्ध के लिए 14 समूहों का प्रस्ताव किया गया है। जिनमें से 4 ऊर्जा से अपशिष्ट है और 10 बर्बाद खाद/आरडीएफ परियोंजनाओं के लिए है। 2 समूहों के लिए काम, अर्थात गुरुग्राम–फरीदाबाद और सोनीपत एजैंसियों को नियुक्त किया गया है और दोनों का काम प्रगति पर है। अम्बाला–करनाल, पंचकुला, भिवानी, रेवाड़ी, फतेहाबाद के लिए 6 अतिरिक्त समूहों के लिए निविदाताएं शुरु की गई है। बोली (बिड) जमा करवाने की अंतिम तिथि 21–2–2018 है। ठोस कूड़ा प्रबंधन की सुविधाएं शेष कस्बों में स्वच्छ भारत मिशन की अवधि यानि मार्च, 2019 तक प्रदान की जाएंगी।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अटल मिशन

7.41 भारत सरकार शहरी विकास मन्त्रालय एक नई योजना नामतः ''कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन'' (ए.एम.आर.यू.टी.) प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति एवं सीवरेज कनैक्शन हो, ताकि शहरों में विकास हो और खुले क्षेत्रों (पार्क इत्यादि) का रख–रखाव हो और सार्वजनिक परिवहन के स्थान पर गैर मोटर चालित परिवहन (पैदल चलना व साईकिल से चलना इत्यादि) सुविधाएं उपलब्ध हो। इस योजना के अर्न्तगत हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में 20 शहरों (18 स्थानीय निकाय) नामतः गुरूग्राम, पंचकुला, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ, पलवल, सिरसा तथा जीन्द शामिल किये जांएगें।

7.42 10 शहरों नामतः (अम्बाला, गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, थानेसर, यमुनानगर, बहादुरगढ तथा फरीदाबाद) 17 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 1,542.89 करोड़ रुपये की राशि आज तक विभिन्न बैठकों में एस.एच.पी.एस.सी. द्वारा अनुमोदित की गई है। इसके अलावा 12 और शहरों के लिए 654.07 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. तैयार किए गए है जो स्वीकृति के लिए प्रकिया में है। 14 कार्यों के लिए 859.65 करोड़ रुपये की राशि डी.एन.आई.टी. को अनुमोदित की गई तथा डी.एन.आई.टी. के विरूद्व निविदाएं आमन्त्रित की जा रही हैं। इस योजना के अर्न्तगत सीवरेज, जल निकासी, जल आपूर्ति और पार्क परियोजनाओं के लिए 762.45 करोड़ रुपये की राशि सोनीपत, अम्बाला और करनाल को जारी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान 440 करोड़ रुपये का

बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 123.50 करोड़ रुपये केन्दीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए है तथा 42.61 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती योजना

7.43 दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती योजना का उद्वेश्य अनुसूचित जाति बस्तियों में सामान्य जन–सुविधाए प्रदान करना है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के लिए बजट में 60 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमे से 24.17 करोड़ रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की जा चुकी है।

चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन के लिए योजना

7.44 राज्य सरकार द्वारा राज्य की पालिकाओं में चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन के लिए 2014–15 में यह योजना शुरु की गई है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

7.45 राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में छोटे दुकानदारों, रेहडी वालों, फडी वालों, खोखा/कियोस्कों मालिकों को अग्नि/विघुतीय, बाढ़, भूचाल अथवा प्राकृति आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए नई योजना आरम्भ की गई है। चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें से पालिकाओं को अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

7.46 हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 1–12–2014 से हरियाणा राज्य के सभी नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं में इन्टरनैट आधारित ई–टैण्डरिग प्रणाली आरम्भ की गई है जिसके अर्न्तगत सभी प्रकार के कार्य जिसमें सिविल कार्य, स्टोर आईटम तथा श्रमिक नियोजन का कार्य शामिल है, एन.आई.सी. पोर्टल अर्थात etenders.hry.nic.in पर आउटसोर्सिंग नीति के माध्यम से किये जा रहे हैं।

7.47 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नान–प्लान योजना के अर्न्तगत वर्ष 2017–18 के दौरान लिए 536.84 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान (342.98 करोड़ रुपये नगर निगमों तथा 193.86 करोड़ रुपये नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के लिए) किया गया है।

7.48 राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 250 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है और 250 करोड़ रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की जा चुकी है।

7.49 राज्य सरकार द्वारा चालू वित वर्ष 2017–18 में निदेशालय अग्निशमन सेवाएं शामिल करने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट की मांग की गई है। 102 फायर मोटर साईकिल और 56 विभिन्न फायर वाहन जिनकी कीमत 24 करोड़ रुपये है तथा फायर सेफटी इक्विपमेंट्स और कमांड वाहन चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये में खरीदे जा रहे है।

शहरी बुनियादी ढांचागत विकास

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)–सभी के लिए आवास

7.50 प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान हेतू राज्य के सभी 80 शहरों में दिनांक 1–6–2017 से 25–7–2017 तक डिमांड सर्वे किया गया जिसमें, 3.23 लाख आवेदन–पत्र प्राप्त हुए तथा इन मांग पत्रों के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार द्वारा राज्य के 28 शहरों में 24,221 आवासीय ईकाइयों के निर्माण हेतू कुल राशि 1,721.06 करोड़ रूपये (जिसमें 363.32 करोड़ रूपये केन्द्रीय अंश, 223.64 करोड़ रूपये राज्य अंश तथा 1,134.10 करोड़ रूपये लाभार्थी अंश) के प्रोजैक्ट स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा राज्य के 38 शहरों के 53,290 लाभार्थियों को डी.पी.आर. के सत्यापन उपरान्त

जिसकी लागत 4,322.48 करोड़ रूपये (जिसमें 799.35 करोड़ रूपये केन्द्रीय अंश, 497.19 करोड़ रूपये राज्य अंश तथा 3,025.94 करोड़ रूपये लाभार्थी अंश शामिल हैं), के प्रोजैक्ट अनुमोदन कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतू भेजे गये हैं।

दीनदयाल अंत्योदया योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे.–एन.यू.एल.एम.)

7.51 दीनदयाल अंत्योदया योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे.–एन.यू.एल. एम.) राज्य की सभी 80 शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही है।

7.52 दिसम्बर 2017, तक 2,298 स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया जा चुका है तथा 351 स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को रिवॉल्विंग फण्ड जारी किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन करने हेतू 3 एजैंसियों को रिसोर्स आग्रेनाईजेशन के रूप में कार्य पर लगाया गया है।

7.53 कौशल प्रशिक्षण घटक के अन्तर्गत 6,368 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है, 377 उम्मीदवार प्रशिक्षणाधीन हैं तथा 1,242 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध (प्लेसमैंट) करवाया गया है।

7.54 शहरी एकल/समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 682 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

7.55 राज्य के सभी 80 शहरों/कस्बों में स्ट्रीट वैण्डर्ज का सर्वेक्षण करने तथा स्ट्रीट वैण्डिंग प्लान बनाने हेतू एक सर्वेक्षण एजैंसी को कार्य पर लगाया गया है तथा जिस द्वारा सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है।

7.56 राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में आवासहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वेक्षण एजैंसी को आवासहीन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कार्यरत (ऐंग्गेज) किया गया है तथा सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। अब तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर 27 पोर्टेबल केबिन की व्यवस्था की जा चुकी है।

आवास

7.57 आवास बोर्ड़, हरियाणा द्वारा इसके स्थापना वर्ष 1971 से लेकर 31–12–2017 तक 92,188 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें से 68,945 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये हैं।

7.58 नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने 11,148 प्लाटों का कब्जा आवास बोर्ड हरियाणा को दे दिया है। आवास बोर्ड हरियाणा इन प्लाटों पर बी.पी.एल. परिवारों के लिए तीन मंजिला फलैटस बनाएगा। 21,871 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 5,613 ई.डब्ल्यू.एस. मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्माणाधीन हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल 26–10–2014 से 31–12–2017 तक विभिन्न वर्गों के लिए 16,426 फलैटस का निर्माण पूरा किया जा चुका है जिनमें से 15,781 ई.डब्ल्यू.एस. मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिए और 645 मकान अन्य वर्गों के लिए बनाये गये हैं। गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनने वाले फलैटस के निर्माण कार्य पर 26–10–2014 से 31–12–2017 तक कुल 495.72 करोड़ रूपये खर्च किये हैं।

7.59 अब 8,182 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर है जिसमें से 1,500 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 5,613 मकान बी.पी.एल. वर्ग के लोगों के लिए तथा 1,069 मकान अन्य वर्ग के लिए हैं। दिनांक 1–4–2017 से लेकर 31–12–2017 तक 1,640 मकान बनाये जा चुके हैं। 1–4–2017 से 31–12–2017 तक मकानों के निर्माण पर 12.59 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं।

7.60 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 192.0295 एकड़ भूमि हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, करनाल, चीका, चरखी दादरी, जगाधरी,

सफीदों, सिरसा, गोहाना एवं झज्जर में ई.डब्ल्यू.एस. तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए आबंटित की गई है।

7.61 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 50.965 एकड़ भूमि फरीदाबाद, झज्जर, महेन्द्रगढ, रोहतक, पंचकूला, पिंजौर, पलवल व रिवाड़ी में सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये मकान बनाने के लिए भी आबंटित की गई है।

7.62 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 27.24 एकड़ भूमि करनाल, चीका, चरखी दादरी तथा जुलाना में ई.डब्ल्यू.एस. तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए भी आबंटित की है।

7.63 शहरी स्थानीय निकायों ने 35.696 एकड़ भूमि विभिन्न स्थानों पर सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये मकान बनाने के लिए भी आबंटित की है। जिसमें से 3.517 एकड़ भूमि सैक्टर–106, 6.829 एकड़ भूमि सैक्टर–76 और 8.48 एकड़ भूमि सैक्टर–102 ए, गुडंगाव, 5.40 एकड़ पलवल व 11.47 एकड़ सांपला में है।

7.64 आवास बोर्ड हरियाणा करनाल एवं हिसार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 1,888 ई.डब्लयू.एस. फ्लैटस का निर्माण शुरू करेगा।

7.65 आवास बोर्ड हरियाणा फरीदाबाद झज्जर व रिवाड़ी में सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये 612 टाईप–ए तथा 400 टाईप–बी के फ्लैटस का निर्माण शुरू करेगा।

***

8

सामाजिक क्षेत्र

मानव विकास, सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई ही योजना विकास का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

8.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।

मुख्य मन्त्री विवाह शगुन योजना

8.3 इस विभाग द्वारा ''मुख्य मन्त्री विवाह शगुन योजना'' के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 41,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति को छोडकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार उन परिवारों, जिनके पास ढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय हो, को उनकी लड़की की शादी हेतु 11,000 रुपये दिये जाते हैं। सभी वर्ग की विधवाओं को जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये है, उनको 51,000 रुपये दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त महिला खिलाड़ियों (किसी भी जाति एंव किसी आय वर्ग से सम्बन्धित हो तथा जिन्होंने 26 ओलम्पिक, 16 गैर–ओलम्पिक और 22 टूर्नामैंट/चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो) को उनकी स्वयं की शादी के लिए 31,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 8,017.79 लाख रुपये की राशि 29,426 लाभार्थियों पर खर्च की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान 11,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2017 तक 5,985.25 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

8.4 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा सिलाई प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा 64 कल्याण केन्द्र चलाये जा रहे हैं प्रत्येक केन्द्र में 20 अनुसूचित जाति व 5 पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 600 रुपये प्रतिमास वजीफा तथा 300 रुपये प्रतिमास कच्चे माल हेतु प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रशिक्षणार्थियों को एक जिग–जैग सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 53.54 लाख रुपये की राशि 1,723 प्रशिक्षणार्थियों पर खर्च की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान 200 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2017 तक 34.20 लाख रुपये की राशि 1,725 प्रशिक्षणार्थियों पर खर्च की जा चुकी है।

डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना

8.5 अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत 11वीं, स्नातक प्रथम

वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्रवृति के रूप में 8,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पिछडे वर्ग के छात्रों को भी दसवीं कक्षा में प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 1,618.96 लाख रुपये की राशि 22,040 लाभार्थियों पर खर्च की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान 4,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2017 तक 451.12 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

"मुख्यमंत्री सामाजिक–समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना"

8.6 मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के साथ अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। अनुसूचित जाति के साथ विवाह करने पर उन्हें 1,01,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 239.92 लाख रुपये की राशि 465 विवाहित जोड़ों पर खर्च की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान 400 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2017 तक 308.42 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

8.7 ''अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उच्च प्रतियोगी परीक्षा हेतु वित्तीय सहायता'' नामक योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिग/रेलवे/एस.एस.सी./ एच.टी.ई.टी./ सी.जी.एल. तथा एन.ई.ई.टी./जे.ई.ई. इत्यादि की तैयारी हेतु प्रसिद्व संस्थाओं द्वारा मुफत कोचिंग प्रदान करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत आय सीमा 2.50 लाख रुपये वार्षिक है। वर्ष 2017–18 के दौरान 600 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2017 तक 291.50 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना

8.8 भारत सरकार की "अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना" के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230 रूपये प्रतिमास से 1,200 रूपये प्रतिमास छात्रवृति के अतिरिक्त सभी नान–रिफंडेबल फीस प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 23,899.90 लाख रुपये की राशि 90,784 छात्रों पर खर्च की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान 31,387 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2017 तक 6,651.78 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना

8.9 इसी प्रकार भारत सरकार की "अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना" के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को 160 रूपये प्रतिमास से 750 रूपये प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 512.16 लाख रुपये 19,348 छात्रों पर खर्च किये गये। वर्ष 2017–18 के दौरान 3,736 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2017 तक 370.02 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

8.10 अनुसूचित जाति के नव–युवकों का कौशल विकास के प्रति रूझान बढाने तथा उन्हें निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में स्वरोजगार/नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाने के उद्देश्य से ''राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति'' नामक योजना वर्ष 2017–18 से आरम्भ की गई है। इस योजना अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 200 रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उनकी ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह योजना कौशल विकास प्रशिक्षण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के माध्यम

से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2017–18 में इस उद्देश्य हेतु 100 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

8.11 दिनांक 6 नवम्बर, 2017 को सफाई कर्मचारियों के लिये सुरक्षा कवच प्रदान करने से सम्बन्धित मामलों की जांच, परीक्षण तथा मोनिट्रिंग करने हेतु हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अतिरिक्त यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिये वैधानिक तथा विकासात्मक नीतियों बारे मंत्रणा देगा।

8.12 दिनांक 24–11–2017 को केश सज्जा कला को पुर्नजीवित तथा नई तकनीक अनुसार अपग्रेड करने हेतु हरियाणा केश कला तथा कौशल विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

8.13 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊॅचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की स्कीमों का परिचालन बैंकों के सहयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के सहयोग से, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के सहयोग से कर रहा है। भारत सरकार की हिदायतोंनुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 49,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 60,000 रूपये तक हो तथा उसका नाम बीपीएल सर्वे लिस्ट में हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसें भैंस पालन, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ियां, चमडा़ तथा चमड़े से बना सामान, करियाना की दुकान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान, आटा चक्की, बढ़ईगिरि, साइबर कैफे, फोटोग्राफी, ऑटो–रिक्शा आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रूपये है। एन.एस.के. एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है। निगम बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही आय उपार्जन योजनाओं जिनकी योजना लागत 1,50,000 रूपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एचएसएफडीसी) योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम एनएसएफडीसी द्वारा विभिन्न स्कीमें के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एनएसएफडीसी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एनएसएफडीसी द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। एनएसएफडीसी के सहयोग से चलाई जा रही स्कीमों के अंतर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम एनएसकेएफडीसी के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत निगम एनएसकेएफडीसी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। एनएसकेएफडीसी, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी एनएसकेएफडीसी द्वारा स्वीकृत योजना

के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। एनएसकेएफडीसी से सम्बन्धित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

8.14 निगम द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान 8,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अंतर्गत 78.25 करोड़ रूपये, जिसमें 7.95 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है, की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य था। निगम द्वारा वर्ष 2016–2017 में 5,220 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार हेतू 32.51 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 3.43 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है। निगम द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान 8,000 परिवारों को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के अंतर्गत 81 करोड़ रूपये, जिसमें 7.95 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है, की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा वर्ष 2017–18 (मास दिसम्बर, 2017 तक) में 2,939 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार हेतू 18.47 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 1.91 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

8.15 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग लोगों के आर्थिक उत्थान हेतू कार्य कर रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2017–18 में 5,000 पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2017 तक 977 पिछड़े वर्ग के लोगों को 812.03 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2017–18 में 3,000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 15 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2017 तक 281 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 240.75 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2017–18 में 2,000 निःशक्त लोगों को 10 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2017 तक 581 निःशक्त लोगों को 461 लाख रूपये वितरित किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

8.16 राज्य में प्रचलित बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना आर्थिक मानक पर आधारित है तथा इसके लिए योग्यता आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है ताकि इसका लाभ वास्तव में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके। इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, जिनकी पति/पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,800 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक 14,80,115 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है जिनमें 7,06,966 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर 1 नवम्बर, 2017 (दिसम्बर, 2017 में देय) से 1,600 रूपये से 1,800 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों तथा वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

8.17 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा देने हेतू विधवा पैंशन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में रह रही 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु की विधवा तथा निराश्रित महिला को जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,800 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर

से पैंशन दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक 6,52,626 विधवा तथा निराश्रित महिलाओं को लाभ दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर 1 नवम्बर, 2017 (दिसम्बर, 2017 में देय) से 1,600 रूपये से 1,800 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों तथा वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

8.18 राज्य में अन्धे, बहरे, दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विकृत लोगों के पुर्नवास के लिए कई पग उठाए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में रह रहे 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को, जिनकी सभी साधनों से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल मजदूर की न्यूनतम आय से अधिक न हो, को 1,800 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पैंशन दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक 1,48,484 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ दिया गया है जिनमें 43,000 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर 1 नवम्बर, 2017 (दिसम्बर, 2017 में देय) से 1,600 रूपये से 1,800 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों तथा वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। दिव्यांग छात्रों को 400 रूपये से 1,000 रूपये तक प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों (70 प्रतिशत) को प्रतिमास 500 से 1,000 रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता 1,000 रूपये प्रतिमास दसवीं/आठवीं पास डिप्लोमा होल्डर को, 1,500 रूपये प्रतिमास स्नातक/दसवीं पास डिप्लोमा होल्डर तथा 2,000 रूपये स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा होल्डर को प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पैंशन योजना के तहत सभी दिव्यांगजन वर्गों की पात्रता को 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है।

तालिकाः 8.1– लाभार्थियों की संख्या एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का खर्च (31 दिसम्बर, 2017)

(राशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	योजना का नाम	2016–17		2017–18	
		लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि
1.	बुढ़ापा सम्मान भत्ता	14,38,822	2,51,825.06	14,80,115	2,14,897.02
2.	विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता	6,32,626	1,10,145.86	6,52,626	94,343.09
3.	अन्धे, बहरे, दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विकृत लोगों का पुर्नवास				
	(क) दिव्यांग व्यक्तियों को पैंशन	1,44,215	25,242.63	1,48,484	21,434.51
	(ख) दिव्यांग छात्रों को छात्रवृति	3,990	176.03	3,640	54.99
	(ग) शिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	513	5.16	179	1.81
	(घ) स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता	7,345	679.78	8,524	745.22
4.	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता	29,761	5,123.30	31,695	4,519.14
5.	अन्यः				
	(क) निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	1,08,217	12,304.40	1,19,465	12,755.20
	(ख) आम आदमी बीमा योजना/ जनश्री बीमा योजना	12,000 (परिवार)	211.26	0	0
	(ग) परिवार लाभ योजना	2,965	593.00	2,815	563.12

स्त्रोतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

8.19 उन माता–पिताओं, जिनकी केवल बेटियां ही हैं, के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे माता अथवा पिता, जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,800 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से उनके 45वें जन्मदिवस से 60वें जन्मदिवस तक 15 वर्ष के लिए भत्ता दिया जा रहा है। इसके उपरान्त वे बुढ़ापा सम्मान भत्ता के लिए पात्र हो जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक 31,695 लाभपात्रों को सम्मिलित किया गया है जिनमें 14,459 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2017 (दिसम्बर, 2017 में देय) से भत्ता की दर 1,600 रूपये से 1,800 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों तथा वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों की संख्या एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हुए खर्च का विवरण **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

8.20 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन 1–4–2014 से 20,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमास (750 रूपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दी गई है। स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को प्रदान की जाएगी। अगर उनके एक से अधिक योग्य बच्चे हैं तो वे सभी पैंशन में बराबर के हकदार होंगे। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से है:–

- राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार के खर्च के लिए वित्तीय सहायता 13–7–2009 से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये कर दी गई है।
- हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कार्मिकों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी हेतू दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20–8–2009 से 21,000 रूपये से बढ़ाकर 51,000 रूपये प्रत्येक शादी के लिए कर दी गई है चाहे एक वर्ष में एक से अधिक शादी क्यों न हो।

राज्य सैनिक बोर्ड

8.21 राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम बलिदान के एवज़ में इनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 8.2** में दर्शाया गया है।

8.22 राज्य सरकार दिनांक 5–10–2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रतिवर्ष शौर्य पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि **तालिका 8.3** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.2– शौर्य पुरस्कार एवं विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार की राशि

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	परमवीर चक्र	2,00,00,000
2	महावीर चक्र	1,00,00,000
3	वीर चक्र	50,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	21,00,000
5	मैन्शन– इन डिस्पैच (शौर्य)	10,00,000
	शान्ति के समय शौर्य पुरस्कार	
1	अशोक चक्र	1,00,00,000
2	कीर्ति चक्र	51,00,000
3	शौर्य चक्र	31,00,000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	10,00,000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	7,50,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 8.3–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र0स0	शौर्य पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार राशि
1	परमवीर चक्र	3,00,000
2	अशोक चक्र	2,50,000
3	महावीर चक्र	2,25,000
4	कीर्ति चक्र	1,75,000
5	वीर चक्र	1,25,000
6	शौर्य चक्र	1,00,000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	50,000
8	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	30,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.23 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को **तालिका 8.4** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.4– सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

(राशि रूपये में)

क्र0 सं0	वित्तीय सहायता	राशि
1	**भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक** द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को वित्तीय सहायता (दिनांक 1–11–2017 से 4,500 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है)।	3,400 10,000
2	**पैरा/टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक** (हर वर्ष/प्रति वर्ष पहली नवम्बर से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,400
3	**भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता** (हर वर्ष/प्रति वर्ष पहली नवम्बर से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,400
4	**अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता** (हर वर्ष/प्रति वर्ष पहली नवम्बर से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,400
5	**अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता** (हर वर्ष/प्रति वर्ष पहली नवम्बर से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,400
6	**आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान** (दिनांक 1–4–2017 से 35,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये किया जाना है) व **कैडेट/अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता**	50,000 10,000
7	**युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है।** (हर वर्ष/प्रति वर्ष पहली नवम्बर से 400 रूपये की वार्षिक बढ़ौतरी की जायेगी)	3,400

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.24 राज्य सरकार द्वारा युद्ध सेवा पदक/असाधारण सेवा पुरस्कार विजेताओं को राशि एक मुश्त नकद पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 8.5** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.5– युद्ध सेवा पदक विजेता को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	सर्वोतम युद्ध सेवा मैडल	7,00,000
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	4,00,000
3	युद्ध सेवा मैडल	2,00,000
4	परम विशिष्ट सेवा मैडल	6,50,000
5	अति विशिष्ट सेवा मैडल	3,25,000
6	विशिष्ट सेवा मैडल	1,25,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.25 हरियाणा सरकार सैनिकों को सेना मैडल, असाधारण सेवा/निष्ठा से कार्य करने वाले रक्षा सैनिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है जिसे **तालिका 8.6** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.6–सेना मैडल विजेता एवं उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये में)

क्र0सं0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वर्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा को जो पुरस्कार 31–3–2008 के बाद और 19–2–2014 से पहले दिया गया।	34,000	3,500
2	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ निष्ठा से काम करने पर पुरस्कार जो 19–2–2014 के बाद दिया गया।	1,75,000	–

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.26 आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा मौद्रिक अनुदान/पैंशन दिया जाता है जो **तालिका 8.7** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 8.7– आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/पैंशन

(राशि रूपये में)

क्र0स0	पुरस्कार का नाम	राशि
1	विक्टोरिया क्रॉस	15,000
2	मिलीटरी क्रॉस	10,000
3	मिलीटरी मैडल	5,000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3,000
5	भारतीय असाधारण सेवा मैडल	2,000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार)	2,000

स्त्रोतः सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा।

8.27 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के आश्रित को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुगृह राशि भी प्रदान करती है। यह अनुदान राशि सरकारी हिदायतोंनुसार उन सभी "युद्ध में घायल" मामलों में प्रदान की जाती है जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एवं रक्षा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी कार्यवाही या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान घटित हुई है। यह अनुगृह राशि शहीद को 50 लाख रूपये है, व 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की अनुगृह राशि उन निःशक्तों को, उनकी निःशक्त प्रतिशता के आधार पर प्रदान की जाती है जो युद्ध, उग्रवादी, आई.ई.डी. विस्फोट व कार्यवाही एवं विशेष कार्यवाही के दौरान युद्ध

में घायल को भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार प्रदान की जाती है। यह राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

8.28 अब राज्य सरकार द्वारा अनुगृह आधार पर अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के आश्रित को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी सेवा व अनुगृह राशि भी प्रदान की जा रही है। शहीद को 50 लाख रूपये व 15 लाख रूपये से 35 लाख रूपये तक की अनुगृह राशि उन निःशक्तों को, उनकी निःशक्त प्रतिशतता के आधार पर प्रदान की जाती है।

रोजगार

8.29 रोजगार विभाग सी.एन.वी. एक्ट 1959 के तहत प्रार्थियों का पंजीकरण, अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध सम्प्रेषण, काम ढूंढने वालों को व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा संगठित संस्थापनाओं से मानव शक्ति के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है।

8.30 हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्वर्ण उत्सव पर पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता व 100 घंटे मानद कार्य के लिए मानदेय प्रदान करने के लिए "शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना–2016" को 1 नवम्बर, 2016 से शुरू किया गया है। यह योजना "सक्षम युवा" योजना के नाम से लोकप्रिय है। बाद में योजना के तहत पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग और विज्ञान समकक्ष, राज्य के वाणिज्य स्नातकों को भी शामिल कर लिया गया। इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3,000 रूपये तथा पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1,500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घण्टे कार्य करने के एवज में 6,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में दिनांक 15–12–2017 तक कुल 25,088 स्नातकोत्तर तथा 15,249 स्नातक आवेदन अनुमोदित किए गए। दिसम्बर, 2017 में कुल 10,446 स्नातकोत्तर तथा 4,920 स्नातक सक्षम युवाओं को विभिन्न विभागों में मानद कार्य प्रदान किया गया है। अब तक 55.45 करोड़ रूपये बेरोजगारी भत्ते एवं 32.59 करोड़ रूपये मानदेय के लिए वितरित किये जा चुके है। इस योजना के तहत पात्र आवदेकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

8.31 इंटर्नशिप, कौशल विकास पाठ्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार की मदद से हिसार में मॉडल कैरियर परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है। यह संस्थान बेरोजगारों एवं नियोक्ताओं की सूचना एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न मांगों को पूरा करने का मुख्य केन्द्र होगा। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 25 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई है।

8.32 हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट असिस्टेन्स सोसायटी का गठन दिनांक 2005 को किया गया जो कि समिति पंजीकृत सोसायटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी है। होपास कार्यालय द्वारा 207 पंजीकृत प्रार्थियों को विदेश में नौकरी एवं शिक्षा के लिए भेजा गया है। होपास की वर्ष 2016–17 व 2017–18 प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार से है:–

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में कानूनी और सुरक्षित माइग्रेशन के लिए होपास कार्यालय की वेबसाईट पर कुल 589 प्रार्थी पंजीकृत हुए तथा होपास कार्यालय द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल 7.48 लाख रूपये का खर्च किये गये। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कानूनी और सुरक्षित माइग्रेशन के लिए होपास कार्यालय की वेबसाईट पर कुल 115 प्रार्थी पंजीकृत हुए तथा होपास कार्यालय द्वारा वर्ष 2017–18 में कुल 4.99 लाख रूपये खर्च किये गये।
- प्रार्थी अपना पंजीकरण होपास की वेबसाईट www.opbharyana.com पर कर सकते हैं। होपास कार्यालय द्वारा पंजीकरण की सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। विभाग के लिए वित्त वर्ष 2017–18 में कुल बजट 230 करोड़ रूपये वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया तथा

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 403 करोड़ रूपये

श्रम कल्याण

8.33 श्रम विभाग का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। श्रम विभाग एक श्रमिक की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पूर्णता जागरुक है। इन बारे न्यूनतम वेतन की दरें समय–2 पर नियत तथा संशोधित की जाती हैं। राज्य में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 1–11–2015 को 7,600 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी दर दिनांक 1–1–2017 से अकुशल, अर्धकुशल (ए), अर्धकुशल (बी), कुशल (ए), कुशल (बी) व उच्च कुल श्रमिकों के लिए 8,280.20 रूपये, 8,694.20 रूपये, 9,128.91 रूपये, 9,585.35 रूपये, 1,064.62 रूपये व 10,567.85 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं।

8.34 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढ़ौतरी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) एवं इससे सम्बन्धित उद्योगों को पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की छूट प्रदान की गई है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधन की पूर्ण जिम्मेवारी लेगा। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत 1–1–2017 से 31–12–2017 तक कुल 122 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 26,813 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

8.35 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई थी। दिनांक 26–11–2016 को जिला फरीदाबाद का पुर्नवास केन्द्र बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में जिला पानीपत व यमुनानगर में दो पुर्नवास केन्द्र चलाये जा रहे हैं, जिनमें मुफ्त रहने, व्यवसायिक शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्त का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान 70 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

8.36 विभिन्न प्रावधानों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिकों के कल्याण से सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए उद्यमियों/नियोक्ताओं की सुविधा के लिए सरल बनाया गया है। नये नियमों के अनुसार कारखानों के लाईसैंस जारी करने/नवीनीकरण का कार्य व उद्यमियों की सुविधा के लिए अन्य विभिन्न सेवाओं को कुल 45 दिनों की अवधि के अन्दर पूरा किया जायेगा। संशोधित नियम भी हरियाणा के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना नं0 11/16/2016–4 लैब दिनांक 17–2– 2017 को अधिसूचित कर दिये गये हैं।

8.37 राज्य में दिनांक 22–11–2016 को हरियाणा सिलिकोसिस पुर्नवास नीति का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2016 में 55 कर्मियों तथा दिनांक 8–12–2017 तक 69 कर्मियों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया। 55 कर्मियों को सिलिकोसिस पॉलिसी के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया और पुर्नवास नीति के अन्तर्गत इन कर्मियों को 2,75,00,000 रूपये की राशि तथा मृत्यु होने पर 3 कर्मियों को 3,00,000 रूपये की राशि, 3 कर्मियों को दाह संस्कार के लिए 45,000 रूपये की राशि तथा 19 में से 10 सिलिकोसिस पीडित कर्मियों को शैक्षणिक सहायता के तौर पर 1,51,000 रूपये की राशि, 3 परिवारों को 3,500 रूपये प्रतिमास पारिवारिक पैंशन तथा 4 कर्मियों को 4,000 रूपये प्रतिमास सिलिकोसिस पैंशन दी गई।

8.38 क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न निर्माणाधीन भवनों का बी.ओ.सी.डब्ल्यू नियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण किया जाता है तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न कारखानों का फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निरीक्षण आनॅलाईन किया जाता है तथा निर्माणाधीन भवनों में वर्करों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के बिन्दुओं पर जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण रिपोर्ट को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुख्यालय पर भेज दिया जाता है। जिसमें लगभग एक महीने का समय प्रबन्धन को पाई

गई उल्लंघनाओं की अनुपालना करने के लिए दिया जाता है। मुख्यालय पर प्रबन्धन को निजी सुनवाई के लिए तीन अवसर प्रदान किये जाते हैं। जिस प्रबन्धन द्वारा सभी उंलघनाओं की अनुपालना कर दी जाती है, उसको भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दे दी जाती है तथा जो प्रबन्धन उल्लंघनाओं को पूरा नहीं कर पाता उसके बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम, 1996 और फैक्टरी नियम, 1948 के अन्तर्गत चालान कर ये जाते हैं। कारखानों का निरीक्षण पारदर्शी नीति के अन्तर्गत किये जाते हैं।

8.39 प्रबन्धन द्वारा अपने कारखाने के लाईसैंस के नवीनीकरण हेतू प्रबन्धक द्वारा लाईसैंस फीस, बिल्डिंग प्लान आदि का ब्यौरा भर कर फार्म नं0 2 को आनॅलाईन जमा करवाया जाता है जिसके उपरान्त सभी कार्यवाही पूरी होने पर कारखाने का लाईसैंस नवीनीकरण कर दिया जाता है। वर्ष 2011 से आज तक यह कार्य आनॅलाईन किया जा रहा है।

बजट

8.40 विभाग का वर्ष 2017–18 का प्लान–रैकरिंग बजट 823.50 लाख रुपये है जिसमें से 180.32 लाख रुपये दिसम्बर, 2017 तक खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की उपलब्धियॉ

8.41 हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे कि मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता, कन्यादान योजना, औजार खरीदने हेतू सहायता, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, सिलाई मशीन योजना, साईकिल योजना, बच्चों की शादी पर सहायता, पैतृक घर जाने पर किराया, मुफ्त भ्रमण सुविधा, अपंग/अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता, अपंगता सहायता/पैंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना, चिकित्सा, घातक बिमारियों के लिए वित्तीय सहायता, मकान खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैंशन, मृत्यु सहायता, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, दाह संस्कार सहायता, अपंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु पर आर्थिक सहायता, कैच व चलती फिरती शौचालय, श्रमिक सुविधा केन्द्र और लेबर शैड इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2016–17 में 77.98 करोड़ रूपये की राशि 63,802 लाभार्थियों को लाभ देने के लिए कार्य किये गये। वर्ष 2017–18 (अप्रैल से दिसम्बर, 2017 तक) में 95.93 करोड़ रूपये की राशि 1,15,381 लाभार्थियों को लाभ देने के लिए खर्च किये गये।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की उपलब्धियॉ

8.42 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों एवं वाणिज्यिक श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए विभिन्न 22 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे बेटी की शादी के लिये कन्यादान के रूप में वित्तीय सहायता, छात्रवृति, श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को चश्मा खरीदने के लिये वित्तीय सहायता, श्रमिकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में अपंगता होने पर वित्तीय सहायता, मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अंशदाता श्रमिकों की सेवा के दौरान तथा संस्था में आगजनी व भवन गिरने आदि के कारण गैर अंशदाता श्रमिकों की संस्था की परिधि के अन्दर मृत्यु होने पर मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता तथा अपंगता होने पर स्वयं पीडित श्रमिक को वित्तीय सहायता, संस्था के बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रितों को वित्तीय सहायता, मृतक श्रमिक के दाह संस्कार हेतू वित्तीय सहायता, श्रमिक की पत्नी व महिला श्रमिक को प्रसुति लाभ, श्रमिकों तथा आश्रितों को दांतों के ईलाज, कृत्रिम अंग लेने, श्रवण मशीन, ट्राई–साईकल हेतू वित्तीय सहायता, श्रमिकों के मंदबुद्धि, अपंग व दृष्टिहीन बच्चों के लिये आर्थिक सहायता, साईकिल, सिलाई मशीन खरीदने, श्रमिकों की लडकियों की पढाई के लिए किताबें, कापियां व वर्दी खरीदने हेतू वित्तीय सहायता, श्रमिकों को एल. टी.सी., श्रमिकों के बच्चों को राज्य स्तर तक की खेल–कूद एवं सांस्कृति प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर वित्तीय सहायता, श्रम पुरस्कार तथा श्रमिकों के स्वयं के मनोरंजन हेतू क्षेत्रीय व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित

करना इत्यादि योजनायें चलायी गई हैं। इन योजनाओं के तहत 1–1–2017 से 31–12–2017 तक 35,587 श्रमिकों पर 30.10 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। श्रमिकों को समय पर बोर्ड की योजनाओं का लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से बोर्ड की कल्याणकारी गतिविधियों की सेवाएं तथा उक्त अधिनियम के तहत अंशदान की प्राप्ति को आनॅलाईन कर दिया गया है तथा अंशदाताओं का डाटा श्रम विभाग, हरियाणा के वैब पोर्टल hrylabour.gov.in पर आनॅलाईन फीड किया जा रहा है जिसके तहत 7,30,763 अंशदाताओं का डाटा उक्त वैब पोर्टल पर फीड हो चुका है। कल्याणकारी योजनाओं के आनॅलाईन होने से योजनाओं के लाभ का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से श्रमिकों के आधार सीडिड खातों में प्रारम्भ हो गया है इसके अतिरिक्त हरियाणा सिलीकोसिस पुर्नवास नीति के तहत बोर्ड द्वारा 2.76 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई।

खेल तथा युवा मामले

ओलम्पिक/पैरा–ओलम्पिक के विजेताओं को नकद पुरस्कार

8.43 हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्न्तराष्ट्रीय खेल जगत में देश का गौरव बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। रियो ओलम्पिक 2016 में श्रीमती साक्षी मलिक ने कुश्ती खेल में कांस्य पदक जीता तथा पैरा ओलम्पिक 2016 में श्रीमती दीपा मलिक ने पैरा ऐथिल्टक्स (गोला फैंक) में रजत पदक जीता, जिसके लिए खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा उन्हें क्रमशः 2.5 करोड़ रूपये व 4 करोड़ रूपये की राशि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 28 अन्य प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी प्रत्येक को 15 लाख रूपये से सम्मानित किया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को भी प्रत्येक को 10 लाख की राशि से सम्मानित किया गया।

डैफ ओलम्पिक खेल

8.44 वर्ष 2017 में डैफ ओलम्पिक खेल को हरियाणा खेल एवं शारीरिक फिटनेस नीति, 2015 में शामिल किया गया है। यह अधिसूचित किया गया है कि डैफ ओलम्पिक खेल को पैरा ओलम्पिक के समान समझा जाएगा। विभिन्न राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रर्मो के लिए इनकी नकद पुरस्कार राशि पैरा ओलम्पिक के बराबर होगी। 23वें डैफ ओलम्पिक खेल 18 से 30 जुलाई, 2017 तक सैमसंग (तुर्की) में हुए। डैफ ओलम्पिक खेल में देश की तरफ से 46 खिलाड़ियों के समूह ने भाग लिया जिसमें 8 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले थे। इस तरह 17 प्रतिशत भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की थी। डैफ ओलम्पिक खेल, 2017 में देश द्वारा जीते 5 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 पदक (1 स्वर्ण, 1 रजत व 2 कास्य पदक जीते)। विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार 15.60 करोड़ रूपये की राशि इसी वर्ष प्रदान की जाएगी।

खेल महाकुम्भ

8.45 प्रत्येक जिले में स्वर्ण जयन्ती वर्ष के समापन के अवसर पर सभी जिलों में "खेल महाकुम्भ" उत्सव के तौर पर मनाया गया। जिसमें 25 खेलों में लड़के व लड़कियों ने जिनकी उम्र 14 साल से कम, 17 साल से कम व ओपन कैटेगरी तथा क्रमश 40 व 60 से अधिक उम्र के नागरिकों व वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया। लगभग 1.77 लाख खिलाड़ियों ने विभिन्न जिलों से इस कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य स्तर पर भी एक खेल महाकुम्भ का आयोजन किया गया, जिसमें 30,403 प्रतिभागी खिलाड़ी रहे। उनमें से 4,519 खिलाड़ियों को पदक प्रदान किये गये। राज्य तथा जिला स्तर पर खेल महाकुम्भ पर 27.52 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

संरचना

8.46 19 जिलों में फैसिलिटिज सैन्टर के निमार्ण के लिए सरकार द्वारा 3.25 करोड़ प्रत्येक सैन्टर के लिए अनुमोदित किये गये हैं। जिला खेल कार्यालयों में जिम, खेल

पुस्तकालय, कान्फ्रैस हाल, आई टी रूम और डोर मैटरी का निर्माण करवाया जा रहा है। सभी जिलों में कार्य पूरे जोर से चल रहा है। अम्बाला खेल स्टेडियम में फुटबाल सिंथेटिक ट्रफ तथा सिंथेटिक एथलैटिक ट्रैक पैवेलियन व अन्य कार्यालयों के साथ निर्माण करवाया जा रहा है। कुल 48.57 करोड़ रूपये में से 27.50 करोड़ रूपये की राशि इसके लिए पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी है। 7 करोड़ से 10 करोड़ रूपये की लागत से एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण भिवानी, फतेहाबाद व करनाल में भी करवाया जा रहा है।

स्वर्ण जयन्ती खेल नर्सरी

8.47 "कैच दैम यंग" नीति के तहत 345 खेल नर्सरियां (10 खेलों में) राजकीय स्कूल व निजी स्कूलों में प्रदान की गई हैं ताकि छोटे बच्चे खिलाड़ियों को खेल की सुविधा हो सके। इनमें 8,600 विद्यार्थियों (लड़के व लड़कियाँ) को पंजीकृत किया जा रहा है।

योगा को प्रोत्साहन

8.48 योगशालाओं को चलाने व प्रोत्साहन देने के लिए 164 योगा शारीरिक दक्ष स्वयं सेवक तथा 7 योगा प्रशिक्षकों का चयन किया गया है।

युवा कार्यक्रम तथा साहसिक गतिविधियां

8.49 वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा विभिन्न युवा कार्यक्रम तथा किया कलाप आयाजित किये गये हैं जिसमें साहसिक खेल प्रारम्भिक जल खेल का पाठयक्रम व क्षेत्रीय जल खेल शामिल हैं।

- 10 दिन के लिए सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक जिले में मास जून, 2017 में किया गया जिसमें 1,050 लड़के व लड़कियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में 11 लाख रूपये खर्च किये गये।
- जुलाई, 2017 में 5 दिवसीय राज्य स्तर की एक कार्यशाला का आयोजन जिला पलवल में किया गया जिसमें 105 लडके व लडकियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में 3 लाख रूपये खर्च किये गये।
- 4 नदी जल खेल प्रथम चरण में तथा 4 ही दूसरे चरण में 8 जून, 2017 से 15 अक्तुबर, 2017 के बीच काडियाला (ऋषिकेश) में किये गये जिसमें 350 लडके व लड़कियों ने भाग लिया। इस कैम्प में 30 लाख रूपये खर्च किये गये।
- मास अगस्त, 2017 में 2 प्रारम्भिक जल खेल पाठयक्रमों का आयोजन क्षेत्रीय जल खेल केन्द्र, पौंग डैम कांगडा (हिमाचल प्रदेश) में किये गये इसमें 168 लड़के व लड़कियों ने भाग लिया जिस पर 9 लाख रूपये खर्च किये गये।
- 24 से 26 नवम्बर, 2017 तक 23वें युवा खेल उत्सव का आयोजन जिला कैथल में किया गया जिसमें 850 लड़के व लड़कियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। 22.14 लाख रूपये की राशि इस आयोजन के लिए जारी की गई।

श्री दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर

8.50 श्री दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर जिला सोनीपत में कबडडी प्रतियोगिता का आयोजन 9 फरवरी से 12 फरवरी, 2017 तक किया गया। (भारत की 12 बेहतरीन टीमों के) 150 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। पहली, दूसरी व तीसरी विजेता टीम को क्रमशः 1 करोड़, 50 लाख व 25 लाख रूपये दिये गये। चौथी विजेता टीम को भी 10 लाख रूपये देकर सम्मानित किया गया।

भारत केसरी दगंल

8.51 एक "भारत केसरी दगंल" कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 21 मार्च से 23 मार्च, 2017 तक आयोजन हरियाणा शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जिला अम्बाला में किया गया। इस आयोजन में पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी विजेता टीम को क्रमशः 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख व 10 लाख रूपये देकर सम्मानित किया गया।

बजट

8.52 वर्ष 2016–17 के दौरान खेल एवं युवा मामले विभाग को 336.49 करोड रूपये की रिवाईज बजट राशि प्रदान की गई थी तथा वर्ष 2017–18 के लिए 485.36 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।

पर्यटन

8.53 हरियाणा पर्यटन ने पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। पर्यटन विभाग की मुख्य गतिविधि पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और राज्य में पर्यटन को बढावा देना है। हरियाणा पर्यटन ने पूरे राज्य में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर 43 पर्यटक स्थल स्थापित किए जोकि पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। कुछ पर्यटन केंद्र धरोहर वाले स्थानों, झीलों, पक्षी अभयारण और गोल्फ कोर्स से सम्बन्धित हैं। ये पर्यटन केंद्र पर्यटकों को विस्तृत सुविधाएं जैसे बहु व्यंजन रेस्तरा, स्वास्थ्य क्लब, फास्ट फूड केंद्र, नौकायन के लिए झीलों जैसे मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करता है। बच्चों के लिए पिकनिक हेतू कुछ रिजोर्ट कई एकड़ जगह पर फैले हुए है। इस समय हरियाणा पर्यटन में 852 वातानुकूलित कमरे, 13 डौरमेटरी और 56 सम्मेलन केन्द्र/ समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल हैं। हरियाणा पर्यटन में 42 रेस्तरां, 5 फास्ट फूड केंद्र और इस समय हरियाणा पर्यटन के विभिन्न पर्यटक केंद्रों पर 31 बार हैं। हरियाणा पर्यटन विभिन्न पर्यटक स्थलों पर 14 पैट्रोल पम्प भी चला रहा है। हरियाणा केवल एक ऐसा राज्य है जहां होटल प्रबन्धन से सम्बन्धित पांच संस्थान कुरूक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद व यमुनानगर में कार्यरत है जो कि देश के सत्कार शिक्षा के सर्वोच्च निकाय, राष्ट्रीय परिषद फार होटल मैनेजमैंट व कैटरिंग टैक्नोलॉजी, नोएडा (जिसकी स्थापना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है) से सम्बन्धित है।

कृष्णा सर्किट

8.54 कुरूक्षेत्र को मुख्य पर्यटन गंतव्य के रुप में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कुरूक्षेत्र की आधारभूत पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत चिन्हित किया है तदानुसार राज्य सरकार ने ब्रहसरोवर, ज्योतिसर नरकटरी, सनहित सरोवर को शहर की आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए शार्टलिस्ट किया है। पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार ने इस परियोजना में श्रीमद्भगवत गीता व महाभारत पर विभिन्न थीम पर 3 डी मल्टीमीडिया शो, परिक्रमा पथ पर मोराल पेंटिंग और महाभारत आर्टफैक्ट कार्य, ब्रहसरोवर पर मुखौटा प्रकाश, ज्योतिसर पर महाभारत युद्ध क्षेत्र के 48 कोस के मूल थीम पार्क स्थल को इसमें सम्मिलित किया है।

8.55 इस योजना को भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की वित्त सहायता से पूरा किया जायेगा जिसका एक विस्तृत प्रस्ताव/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राशि 99.51 करोड़ रूपये की तैयार कर भारत सरकार को भेजी गई है। जिसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने 97.34 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी करते हुए 19.48 करोड रूपये की राशि प्रदान कर दी है।

8.56 स्वदेश दर्शन योजना के कृष्णा सर्किट चरण–2 के तहत राशि 129.18 करोड़ रूपये की पी.पी.आर. (प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट) जो कि श्रीमदभगवत गीता और महाभारत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पर्यटन/ तीर्थ स्थलों कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और मेवात के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

हैरिटेज सर्किट रेवाडी– महेन्द्रगढ –माधवगढ

8.57 स्वदेश दर्शन योजना के अंर्तगत हैरिटेज सर्किट में माधवगढ के विकास हेतू राशि 99.75 लाख का प्रस्ताव दिनांक 27–03–2017 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतू भेजा गया है। पर्यटन मंत्रालय ने पहले से ही साइट पर यात्रा कर ली है और अब भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियों को सूचित किया है। यह मामला विचाराधीन है।

स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन व मानसरोवर यात्रा

8.58 हरियाणा सरकार ने सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतू 10,000 रूपये, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतू 50,000 रूपये और स्वर्ण जयन्ती गुरु दर्शन यात्रा योजना 2017 के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नंदेड साहिब), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब तथा श्री

पटना साहिब हेतू 6,000 रूपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि 50 व्यक्तियों/तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन के रुप में दी जाएगी। जिसके लिए विभागीय वार्षिक योजना 2017–18 में 40 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

प्रकाश और ध्वनि शो

8.59 केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि 6.40 करोड़ रूपये की मदद से रोहतक में एक प्रकाश और ध्वनि शो जल्द ही लगाया जाएगा। आई.टी.डी.सी. कार्यान्वित एजैंसी है। इसी तरह आई.टी.डी.सी. के माध्यम से यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में भी प्रकाश और ध्वनि स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतू पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 6 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करते हुए 3 करोड़ रूपये आई.टी.डी.सी. को जारी किए है।

मेले/त्यौहार

8.60 अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला हर वर्ष फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है ताकि भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को बढावा दिया जा सके। इस मेले में घरेलू और विदेशी दोनो प्रकार के 12 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। हर साल 1,000 से अधिक शिल्पकार मेले में भाग लेते हैं और अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित/बेचते हैं। 1989 से भारत के सभी राज्यों को उनके शिल्प, व्यंजन व कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। अब मेले का 32वां संस्करण 2 फरवरी, 2018 से 18 फरवरी, 2018 आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने थीम राज्य के रुप में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, किर्गिस्तान मेले के लिए पार्टनर देश के रुप में भाग लिया।

8.61 यादविंद्रा गार्डन, पिंजौर में 8 व 9 जुलाई, 2017 को एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह फलों के राजा के प्रेमियों के लिए एक मौका है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरप्रदेश और उत्तरखण्ड के बहुत सारे आमउत्पादकों ने इसमें भाग लिया। विभिन्न आमों की प्रसिद्ध किस्मों जैसे कि दशहरी, चौसा, लंगडा, अमरपाली, बाम्बेग्रीन, रैटोल, मलाईका और रामकेला इत्यादि और आमों से बनाए गए प्रोडक्टस दर्शाए गए।

8.62 अंर्तराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव प्रत्येक वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। गीता जयंती महोत्सव 17 नवंबर से 3 दिसंबर, 2017 तक आयोजित किया गया। यादविन्द्रा बाग, पिंजौर में प्रत्येक वर्ष हैरिटेज मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 13 व 14 तारीख को पिंजौर के यादविन्द्रा बाग में वैशाखी मेला मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह की 1 व 27 तारीख को हरियाणा पर्यटन दिवस तथा अंर्तराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन दिवस पर डी.डी.ओ. अपने पर्यटन स्थलों पर अपने–2 स्तर पर स्कूलों के विद्यायार्थियों की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। इस दिन प्रतिभागियों को एक पूरक के रुप में खाने की वस्तुओं पर 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

पर्यावरण

8.63 पर्यावरण विभाग, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर प्रशासनिक नियंत्रण तथा राज्य सरकार एवं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बीच नोडल कार्यालय का कार्य करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 14–9–2006 के तहत 246 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और वर्ष 2017–18 के दौरान 90 परियोजनाओं को राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा राज्य ने पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से सभी सम्बन्धित विभागों, राज्य में सभी हित धारकों, गैर–सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद अपनी जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार की है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुकाबले के लिए सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं/लक्ष्य/प्रस्तावित गतिविधियों/निवेश की

आवश्यकताओं को हरियाणा राज्य की जलवायु परिवर्तन योजना में शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 43 प्राथमिकताओं की पहचान की गई है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन फण्ड के तहत पहले ही हरियाणा राज्य में जलवायु स्मार्ट विलेज की एक परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22,09,85,470 रूपये की राशि मंजूर की गई है। कार्य योजना को अन्तिम रूप देने के लिए दिनांक 29–3–2017 को कियान्वयन किया जा चुका है। यह परियोजना कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा लागू की जा रही है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 9–1–2017 को 4.076 करोड रूपये जारी कर दिये है। इस परियोजना के तहत कृषि विभाग, हरियाणा राज्य के 10 जिलों करनाल, सिरसा, कैथल, फतेहाबाद, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, जीन्द, पानीपत और सोनीपत में 100 जलवायु स्मार्ट विलेज का विकास करेगा। इस परियोजना के तहत बढते तापमान, कम हो रहे पानी के स्तर और अन्य कारकों के कारण कृषि पर जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना है।

8.64 विभाग जल व वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए और राज्य में जल और वायु की पूर्णता के लिए, पर्यावरण प्रदुषण समस्याओं जैसे जल (प्रदुषण की रोकथाम व नियत्रंण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदुषण की रोकथाम व नियत्रंण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और विभिन्न अधिनियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। पर्यावरण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकलाप पर प्रशासनिक नियंत्रण का संचालन करता है। पर्यावरण के विभिन्न मुददों पर हितधारकों के योग्यता स्तर को बढाने के लिए आई.एम.टी. मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 8,00,50,500 रूपये की अनुमानित लागत पर 1 एकड का प्लाट खरीद लिया है। प्लाट का भौतिक अधिकार एस.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त कर लिया गया है।

8.65 विजन 2030 के लिए निरंतर विकास लक्ष्य एस.डी.जी. निर्धारित किया गया है और 2018–19 के दौरान एस.डी.जी.–13 और 14 के प्रमुख पहलू निम्नानुसार हैः–

- किसानों को जागरूक करके, फसलों की खूंटी को जलाने का कम करना।
- 100 गांवों को स्मार्ट गांवों के रूप में स्थापित करना।
- नोलेज मिशन केन्द्र की स्थापना।

फरीदाबाद और कुरूक्षेत्र में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है जोकि जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव अधिनियम, 1972 और पंजाब भूमि परिक्षण अधिनियम, 1900 के तहत मामले तय करने का कार्य करते हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान क्रमशः विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरूक्षेत्र और फरीदबाद में 586 और 186 और वर्ष 2017–18 में 315 और 93 नए मामले दर्ज किये गये हालांकि विशेष पर्यावरण न्यायालयों कुरूक्षेत्र व फरीदाबाद में क्रमशः वर्ष 2016–17 में 519 और 535 तथा वर्ष 2017–18 के दौरान 519 और 282 मामलों का निपटारा किया गया। राज्य सरकार के 21 जिलों में 5,250 ईको–कलबों की स्थापना की गई है। वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईको–कलबों को 100 लाख रूपये प्रत्येक वर्ष अनुदान के रूप में देने के लिए जारी किये गये।

उपलब्धियां

8.66 हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड से उद्योगों द्वारा जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत संचालित करने के लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। बोर्ड द्वारा जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत, उद्योगों के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। ऑनलाइन कन्सेन्ट मनेजमैंट सिस्टम (ओ.सी.एम.एम.एस.) को हरियाणा उद्यम प्रमोशन केन्द्र के पोर्टल से एकीकृत किया गया है। (ई.ओ.डी.बी.) के तहत

सिंगल विंडों की आवश्यकता के अनुपालन के रूप में (एच.ई.पी.सी.) निवेशकों ने खुद को सिंगल विंडों पर पंजीकृत किया है और एच.पी. सी.बी. पोर्टल से एच.पी.सी.बी. की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। सेवा अधिकार अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुसार सी. टी.ई./सी.टी.ओ./प्राधिकरण आवेदनों को तय करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी गई है। जैव अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार) नियम, 2016 के तहत भी बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्राधिकारण प्रणाली प्रदान की गई है।

8.67 सभी श्रेणियों के उद्योगों को स्थापित करने की सहमति (सी.टी.ई.) की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक हो गई है। इसी तरह संप्रदाय की कार्यवाही (सी.टी.ओ.) की अवधि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक लाल श्रेणीा के लिए 3 वर्ष से 10 वर्ष के लिए ऑरेंज श्रेणी और ग्रीन श्रेणी उद्योगों/परियोजनाओं के लिए 15 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। सी.टी.ओ. के विस्तार व नवीकरण की प्रक्रिया, उद्योगों द्वारा स्वयं प्रमाणन के आधार पर ऑटो नवीकरण प्रणाली शुरू होने में सरल हो गई है। पुष्टि क्षेत्र में 1 एकड़ तक 10 करोड़ रूपये या सी.एल.यू. मामलों तक निवेश के साथ लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणी के उद्योगों के लिए संबंधित क्षेत्र में आवेदनों को संचालित करने के लिए सहमति और अनुमोदन के लिए शक्तियां बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को दी गई हैं।

8.68 बोर्ड ने निजी सैक्टर और पब्लिक सैक्टर की 16 लैबोरेटरीयों को जल (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत उद्यागों के जल प्रवाही और वायु उत्सर्जन के सैम्पल/नमूने जांच हेतू बोर्ड की 4 अतिरिक्त लैबोरेटरियों के इलावा मान्यता प्रदान की हुई है।

8.69 बोर्ड अधिकारियों द्वारा उद्योगों के निरीक्षण को विनियमित करने के लिए विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों/नियमों और निरीक्षण के बारे में 24–2–2016 को निरीक्षण नीति तैयार की है। निरीक्षण नीति के कार्यान्वयन के कारण उद्योगों के निरीक्षण को कम कर दिया गया है और उद्योगों द्वारा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली और आत्म अनुपालन प्रमाणन पर जोर दिया जा रहा है।

8.70 पहले चरण में 140 उच्च और मध्यम उद्योगों/परियोजनाओं को प्रकृति और प्रदूषणकारी सामान्य उपचार और निपटान सुविधाएं (सी.टी.डी.एफ.) को ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए कवर किया गया है। अब तक 112 उद्योगों ने सी.टी.डी.एफ. ऑनलाइन मानिटरिंग डिवाइसेज स्थापित किए है और 109 उद्योगों ने बोर्ड द्वारा रखे गए क्लाउड सर्वर को स्थापित करके वायु उत्सर्जन का डाटा प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है।

8.71 बोर्ड ने हरियाणा अंतरिक्ष केन्द्र (एच.ए.आर.एस.ए.सी.) के साथ मिलकर धान के फसल को जलाने के प्रभाव के सम्बन्ध में अध्ययन किया है। राज्य की सभी भट्टियों ने शून्य तरल निर्वहन (जेड.एल.डी.) हासिल किया है और अन्य श्रेणियों की परियोजनाएं इसी दिशा–निर्देशों के अनुपालन को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इससे नदियों में प्रदूषण भार कम हो जाएगा।

8.72 बोर्ड ने पंचकुला, फरीदाबाद, रोहतक और गुरूग्राम में 4 सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किये है ताकि परिवेश वायु की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके और इसके परिणाम सम्बन्धित शहरों में प्रदर्शित हो रहे है।

8.73 बोर्ड ने वर्ष 2017 के मानसून सीजन के दौरान राज्य में वनीकरण अभियान शुरू किया और कार्यान्वित किया है जिसमें जिला प्रशासन, सरकारी विभागों, छात्र, परिस्थितिक क्लब, रोटरी/लांयस क्लब, उद्योगों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समुदाय को वृक्षरोपण के लक्ष्य के साथ बडे पैमाने पर शामिल किया गया है। प्रत्येक जिलें में कम से कम 1 लाख पौधे लगाए गए हैं।

8.74 बोर्ड पानीपत, सोनीपत, धारूहेड़ा (रेवाड़ी), बहादुरगढ़, करनाल, कैथल,

यमुनानगर, मानेसर (गुडगांव), फरीदाबाद, अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद में 19 नए सत्त परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। हिसार, जींद, कुरूक्षेत्र, महेंन्द्रगढ़, मेवात, पलवल और सिरसा पहले से ही तत्पर हैं और इस तरह के स्टेशनों की स्थापना कर रहे हैं। स्वचालित वायु गुणवत्ता के माध्यम से पूरे हरियाणा में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। इनका प्रभाव कई जिलों में दिखाई देगा जो कि वायु गुणवत्ता का डाटा निर्माण करने में मदद देगा और प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और कम करने के लिए नितियों और परियोजनाओं को बनाने में मदद करेगा।

8.75 बोर्ड यमुना और घग्गर की नदियों को साफ करने और उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तत्पर है। इस उददेश्य की पूर्ति के लिए बोर्ड कई विभागों के साथ सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट और कॉमन एफलूएंट ट्रीटमैंट प्लांटस स्थापित करने का प्रस्ताव दे रहा है और समय–समय पर अलग–अलग स्थानों पर पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी।

8.76 बोर्ड हाल ही में संशोधित नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजना प्रबंधन इकाइयों का गठन करके दक्षता बढ़ाने का प्रस्ताव दे रहा है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई–वेस्ट मैंनेजमैंट नियम, विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सभी प्रदूषण कारी स्त्रोतों, नालियों, नदियों और पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए डाटा प्रबंधन सेल और सूचना प्रणाली बनाई जा रही है। ई–वेस्ट मैनेजमैंट नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण जारी करने के साथ–साथ पंजीकरण जारी करने के लिए बोर्ड ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है।

8.77 बोर्ड, अभियान, सार्वजनिक विज्ञापन, कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रिंट मीडिया के जरिए पर्यावरण के विषय पर राज्य के बच्चों और युवाओं के बीच व्यापक प्रचार और जागरूकता पैदा कर रहा है। ग्राम पंचायतों के प्रतिपादन के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 100 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक वर्ष) को 50,000 रूपये की राशि का इनाम घोषित किया है। इस शर्त के अनुसार जिन गांवों में शून्य बर्न होने की जानकारी है उन्हें जिला समिति और एच.ए.आर.एस.ए.सी. रिमोट सेंसिग की रिपोर्टो द्वारा सत्यापित किया गया है।

8.78 बोर्ड ने राज्य में ईट भटटों में वायु उत्सर्जन प्रौद्योगिकी पेश करने के प्रयास किये हैं ताकि राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण लाया जा सके। बोर्ड वर्ष 2018 के दौरान गेंहूँ व धान दोनों फसलों का एच.ए.आर.एस.ए.सी. के साथ अध्ययन करने का प्रस्ताव दे रहा है ताकि फसल अवशेष जलाने के मामलों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा सके और प्रतिबंध लगाया जा सके और एन.जी.टी. के दिशा–निर्देशों की पालना पूरे तरीके से हो सके और फसलों के अवशेषों को जलने से रोक कर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

सहकारिता

8.79 सरकार ने गन्ने की अगेती, मध्यम, पछेती किस्मों का राज्य सुझावित मूल्य क्रमशः 330 रूपये, 325 रूपये और 320 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो कि सर्वाधिक है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा एफ.आर.पी. (उचित व पारिश्रमिक कीमत) 255 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2017–18 के दौरान गन्ना उत्पादकों को अदायगी करने क` लिए सहकारी चीनी मिलों हेतु 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

8.80 हरियाणा सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत मंदी की अवधि यानि अप्रैल से सितम्बर में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को

दूध के मूल्य से प्रति लिटर 5 रूपये अधिक दिए जा रहे हैं। उक्त योजना के तहत वर्ष 2017–18 के दौरान 2,592 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। 'दुग्ध सहकारिता को सहायता' योजना के तहत 30 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह सहकारी प्रणाली में दुग्ध उत्पादको के अन्दर विश्वास पैदा करेगी क्योंकि इससे फैट/एसएनएफ व दूध के भार का सही से रिकार्ड होगा व किसान लाभान्वित होंगे क्योंकि उनको आपूर्ति किये गये दूध का सही मूल्य मिलेगा।

8.81 वर्ष 2017–18 में जनवरी से दिसम्बर, 2017 के दौरान 170 नई श्रम और निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं जिनमें लगभग 1,850 बेरोजगार शिक्षित युवक हैं और इन प्राथमिक श्रम व निर्माण समितियों ने पिछले 11 महीनों के दौरान 250.59 करोड़ रुपये का कार्य किया है जबकि पिछले वर्ष श्रम व निर्माण समितियों ने 171.84 करोड़ रुपये का कार्य किया है। श्रम और निर्माण सहकारी समितियों के कल्याण के लिए राज्य प्रसंघ के दृढ प्रयासों व राज्य सरकार को भेजी गई प्रस्तुतियों के फल स्वरुप, राज्य सरकार ने प्राथमिक श्रम और निर्माण सहकारी समितियों को रियायत व सुविधाऐं 31–03–2022 तक प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सरकार की अधिसूचना दिनांक 8–12–2016 के जारी होने के बाद श्रम और निर्माण सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार हो रहा है।

8.82 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अच्छे लेन देन करने वालों को 50 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जा रही है जो 25–8–2014 से 31–3–2018 तक ऋण वापसी करेगा उसको ब्याज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पैक्स के ऋणी सदस्यों को 4 प्रतिशत छूट दी जाऐगी जो दिनांक 28–2–2018 तक फसल ऋण लेते है। पैक्स के अच्छे लेन देन करने वालों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

8.83 हरियाणा सरकार ने फल एंव सब्ज़ियां उगाने वालों व महिला सहकारी समितियों के लिए नई योजना शुरु की है। केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के 5 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किये जाऐंगे जिसमें से 20 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक समिति को दी जाएगी।

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

8.84 20–सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल है जोकि लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरी करने के लिए शुरू किया गया है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां **तालिका–8.8** में दिये गये हैं।

8.85 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार जो कि अकुशल काम की तलाश में है अपने परिवार को ग्राम पंचायत के साथ रजिस्टर करता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत को आवेदक का आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कम से कम 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 2017–18 के दौरान (मास दिसम्बर, 2017 तक) राज्य में इस योजना के तहत 65.38 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत मास वर्ष 2017–18 के लिए तक 19,106 घरों के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व मास दिसम्बर, 2017 तक 3,844 घरों का निर्माण किया गया। मास दिसम्बर, 2017 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग (ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी.) आवास योजना के अन्तर्गत 472 घरों के लक्ष्य में से 179 घरों का निर्माण किया जा चुका हैं।

8.86 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन. आर.डी.डब्लू.पी.) के अन्तर्गत आंशिक रूप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पहुची बसावटों के लिए 500 बसावटों का लक्ष्य

निर्धारित किया गया जिसके तहत 98 बसावटों की उपलब्धि मास दिसम्बर, 2017 तक की जा चुकी हैं।

तालिकाः 8.8 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां

बिन्दू/मद		ईकाई	2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां
01ए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	लाख कार्य दिवस	लक्ष्य नहीं	65.38
06ए	(प्रधानमंत्री आवास योजना) मकान निर्माण	संख्या	19,106	3,844
06बी	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न वर्ग को आवास निर्माण	संख्या	472	179
07ए03	आंशिक रुप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पहुॅची बसावटें	संख्या	500	98
08ई	संस्थानिक प्रसव	लाख संख्या	लक्ष्य नहीं	2,85,052
10ए02	अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी.ए. से एस.सी.एस.पी. व एन.एस.एफ.डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देना	संख्या	8,000	3,447
10ए03	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अर्न्तगत सहायता प्रदान करना	संख्या	लक्ष्य नहीं	38,788
12ए0	समेकित बाल विकास परियोजना खण्ड	संचयी संख्या	148	148
12बी0	क्रियाशील आंगनबाड़ियां	संचयी संख्या	25,962	25,962
15ए01	वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र–सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	24,44.90	13,510.99
15ए02	सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	संख्या लाख	246.48	130.70
18डी	पम्पसैटों को सक्रिय करना	संख्या	8,800	7,489

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

8.87 वर्ष 2017–18 के लिए विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी.ए. से एस.सी.एस.पी. व एन.एस.एफ.डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देने का लक्ष्य 8,000 निर्धारित किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य के तहत 3,447 परिवारों को (मास दिसम्बर, 2017 तक) लाभान्वित किया जा चुका है। संस्थागत प्रसव योजना के तहत वर्ष 2017–18 में (मास दिसम्बर, 2017 तक) 2,85,052 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य में वर्ष 2017–18 (मास दिसम्बर, 2017 तक) 148 आई.सी.डी.एस खण्ड परिचालन में है जिसके तहत 25,962 आंगनवाडियां चल रही है। वृक्षारोपण के तहत 13,510.99 हैक्टयेर क्षेत्र कवर किया जा चुका है जिसके तहत 130.70 लाख पौधों को रोपित किया जा गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान (मास दिसम्बर, 2017 तक) 8,800 पम्पसैटों के लक्ष्य के तहत 7,489 पम्पसैट लगाये जा चुके है।

***

अनुलग्नक 1.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05=100)

समुह	विवरण	भार	सूचकांक		
			2012-13	2013-14	2014-15
15	खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	163.4	187.4	173.5
16	तम्बाकू उत्पाद	0.55	95.3	96.3	73.7
17	वस्त्र	38.77	70.4	84.1	102.7
18	पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	158.5	173.5	164.3
19	चमड़े की टेनिंग व र्डेसिंग, लगेज, हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	97.5	88.8	99.3
20	लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	167.1	170.0	181.6
21	कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	119.4	123.9	124.4
22	रिकार्डिंड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	87.6	106.7	118.7
23	कोक, शुद्ध पैट्रोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	155.4	174.6	185.4
24	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	159.8	167.9	115.0
25	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	138.9	161.5	171.6
26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	150.6	228.3	280.4
27	आधारभूत धातुएं	109.70	197.6	194.6	207.7
28	फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	221.7	237.8	270.5
29	अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	254.1	401.2	482.7
30	कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	234.2	175.5	201.9
31	अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	147.8	176.3	218.4
32	रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	200.4	203.7	219.5
33	चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	131.0	179.3	166.1
34	मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	180.5	138.7	158.8
35	अन्य परिवहन उपकरण	173.52	175.5	165.9	150.1
36	फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	78.7	75.6	69.3
	विनिर्माण	**918.22**	**173.6**	**177.8**	**187.6**
	विद्युत	**81.78**	**243.5**	**252.7**	**275.4**
	सामान्य सूचकांक	**1000.00**	**179.3**	**184.0**	**194.8**

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 1.2—औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि

(औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004—05=100)

उद्योग समूह	भार	2012-13	2013-14	2014-15
विनिर्माण	918.22	4.6	2.4	5.5
वर्ष 2014—15 के दौरान 10 % से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
17. वस्त्र	38.77	-10.7	19.5	22.1
19. चमड़े की टेनिंग व डेंसिंग, लगेज, हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	-9.4	-8.9	11.8
22. रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	1.3	21.8	11.2
26. अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	10.4	51.6	22.8
28. फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	7.8	7.3	13.8
29. अन्यत्र अवर्गित मीनरी तथा उपकरण	63.15	23.5	57.9	20.3
30. कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	8.3	-25.1	15.0
31. अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	12.6	19.3	23.9
34. मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध—टेलर	233.94	-6.8	-23.1	14.5
वर्ष 2014—15 के दौरान 5 % से 10 % वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
20. लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	6.1	1.7	6.8
23. कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	7.6	12.4	6.2
25. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	13.0	16.2	6.3
27. आधारभूत धातुएं	109.70	24.6	-1.5	6.7
32. रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	5.4	1.6	7.8
वर्ष 2014—15 के दौरान 5 % से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
21. कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	6.5	3.7	0.4
वर्ष 2014—15 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
15 खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	6.9	14.7	-7.4
16. तम्बाकू उत्पाद	0.55	0.9	1.0	-23.5
18. पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	10.9	9.5	-5.3
24. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	2.1	5.0	-31.5
33- चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	3.2	36.8	-7.4
35. अन्य परिवहन उपकरण	173.52	-0.5	-5.4	-9.5
36. फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	8.7	-3.9	-8.3

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपयें)

मदें	2014–15	2015–16	2016–17 (स.अ.)	2017–18 (ब.अ.)
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**40798.66**	**47556.55**	**60327.09**	**68810.88**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	**32247.69**	**35681.58**	**45179.74**	**53421.46**
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से viii)	**27634.57**	**30929.09**	**37841.91**	**43339.74**
i) भू –राजस्व	15.28	14.97	18.15	24.74
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3470.45	4371.08	5251.58	6100.00
iii) बिक्री कर	18993.25	21060.23	26400.00	30500.00
iv) मोटर वाहनों पर कर	1191.50	1400.38	1600.00	2400.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	3108.70	3191.21	3500.00	3900.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	527.07	554.25	700.00	0.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	239.73	256.66	269.88	300.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	88.59	80.31	102.30	115.00
आ) राज्य का अपना गैर–कर राजस्व (i से v)	**4613.12**	**4752.49**	**7337.83**	**10081.72**
i) ब्याज प्राप्तियां	933.59	1087.48	2380.07	2101.77
ii) लाभांश तथा लाभ	5.81	15.89	6.82	7.12
iii) सामान्य सेवाएं	257.35	403.68	500.63	424.08
iv) सामाजिक सेवाएं	1730.18	1370.90	2047.10	4471.89
v) आर्थिक सेवाएं	1686.19	1874.54	2403.21	3076.86
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	**8550.97**	**11874.97**	**15147.35**	**15389.42**
इ) केन्द्रीय करों का भाग*	3548.09	5496.22	7245.72	8371.78
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	5002.88	6378.75	7901.63	7017.64
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**10922.90**	**31142.01**	**23683.03**	**22920.69**
i) कर्जे की प्राप्तियां	272.82	328.28	418.77	5963.66
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18.74	29.98	38.00	38.00
iii) लोक ऋण (निवल)	10631.34	30783.75	23226.26	16919.03
कुल प्राप्तियां (1+2)	**51721.56**	**78698.56**	**84010.12**	**91731.57**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* केन्द्र द्वारा राज्य को समनुदेशित निवल का भाग जो **"**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क**"** शीर्ष में दिया गया है वह राज्य के अपने कर राजस्व के बजाय केन्द्रीय करों के भाग में सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2014–15	2015–16	2016–17 (स.अ.)	2017–18 (ब.अ.)
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**49117.87**	**59235.70**	**72548.77**	**79935.84**
क) विकासात्मक (i+ii)	**32208.56**	**40229.23**	**50587.43**	**55155.83**
i) सामाजिक सेवाएं	19120.56	21538.87	27818.79	31403.58
ii) आर्थिक सेवाएं	13088.00	18690.36	22768.64	23752.25
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	**16764.73**	**18713.32**	**21461.34**	**24379.31**
i) राज्य की विधाएं	747.35	742.66	896.65	938.28
ii)वित्तीय सेवाएं	334.51	361.32	446.68	529.59
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	6928.27	8546.55	9616.07	11257.19
iv) प्रशासनिक सेवाएं	3498.45	3620.39	4452.47	5033.38
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	5256.15	5442.40	6049.47	6620.87
ग) अन्य*	**144.58**	**293.15**	**500.00**	**400.70**
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड.)	**4558.40**	**20158.62**	**11583.38**	**12448.54**
घ) विकासात्मक (i से ii)	**4145.14**	**19573.43**	**11026.76**	**11744.79**
i) सामाजिक सेवाएं	2071.29	1690.56	2061.39	4345.10
ii) आर्थिक सेवाएं	2073.85	17882.87	8965.37	7399.69
ड़) गैरविकासात्मक (i से ii)	**413.26**	**585.19**	**556.62**	**703.75**
i) सामान्य सेवाएं	290.70	460.56	493.40	621.75
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	122.56	124.63	63.22	82.00
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**53676.27**	**79394.32**	**84132.15**	**92384.38**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**36353.70**	**59802.66**	**61614.19**	**66900.62**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख +ड़)	**17177.99**	**19298.51**	**22017.96**	**25083.06**
6. अन्य* (ग)	**144.58**	**293.15**	**500.00**	**400.70**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपयें)

मदें	2014–15	2015–16	2016–17 (स.अ.)	2017–18 (ब.अ.)
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)652.31	76.07	(-)733.40	(-)462.83
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)616.92	100.04	(-)736.51	(-)465.94
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	40798.66	47556.55	60327.09	68810.88
ख) खर्च	49117.87	59235.70	72548.77	79935.84
ग) अधिशेष/घाटा	(-)8319.21	(-)11679.15	(-)12221.68	(-)11124.96
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18.74	29.98	38.00	38.00
4. पूंजीगत परिव्यय	3715.53	6908.33	7002.24	11122.48
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	18858.75	37998.43	29506.70	26864.00
ख) पुनः अदायगी	8227.41	7214.68	6280.44	9944.97
ग) निवल	10631.34	30783.75	23226.26	16919.03
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	842.87	13250.29	4581.14	1326.06
ख) वसूलियां	272.82	328.28	418.77	5963.66
ग) निवल	(-)570.05	(-)12922.01	(-)4162.37	4637.60
7. अर्न्तराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	-	-	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	-	-	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	1041.05	1048.64	1205.00	1305.00
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	1655.93	(-)1143.20	(-)762.40	(-)389.50
12. प्रेषण (निवल)	(-)13.89	(-)19.15	(-)50.00	(-)40.00
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	728.38	(-)809.47	270.57	222.69
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	76.07	(-)733.40	(-)462.83	(-)240.14
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	100.04	(-)736.51	(-)465.94	(-)243.25

स.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2014–15	2015–16	2016–17 (स.अ.)	2017–18 (ब.अ.)
I प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**48864.07**	**76472.72**	**79046.12**	**84307.84**
1. उपभोग व्यय (i+ii+iii)	20747.14	24298.81	26473.86	28031.56
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	18209.18	19599.04	22977.03	26181.92
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव सम्मिलित है	2096.53	4430.71	3142.01	1379.33
iii) स्थानांतरण के प्रकार	441.43	269.06	354.82	470.31
2. चालू हस्तांतरण*	17930.12	21126.08	29659.68	31948.36
3. सकल पूंजी निर्माण	2717.67	4430.90	4178.28	8823.11
4. पूंजीगत हस्तांतरण	6479.96	11603.82	12162.10	12492.36
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	114.74	1670.33	1957.74	1622.97
6. कर्ज तथा अग्रिम	842.86	13250.29	4581.14	1326.06
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	31.58	92.49	33.32	63.42
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**4174.76**	**4212.14**	**4944.56**	**5656.59**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	1227.78	1225.91	1353.59	1469.70
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1369.49	1482.04	2255.90	2486.47
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	39.88	42.89	40.90	43.90
4. ब्याज	574.93	621.33	579.16	620.17
5. सकल पूंजी निर्माण	953.68	785.91	659.01	1000.35
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	9.00	54.06	56.00	36.00
कुल व्यय (I+II)	**53038.83**	**80684.86**	**83990.68**	**89964.43**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।